सप्तम माला, 12 March 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Second-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 2, शनिवार, 12 मार्च, 1980/22 फाल्गुन, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
* प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1–20
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 24	1–20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20-144
तारांकित प्रश्न संख्या : 25 से 36 तथा 38 से 40	20–31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 138 से 191 तथा 193 से 290	31–144
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	144-147
विधेयकों पर अनुमति	148
समिति के लिये निर्वाचन	148
राजभाषा संबंधी समिति	
संघ उत्पाद शुल्क (बिजली) वितरण विधेयक-पुरः स्थापित	149-150
नियम 377 के अधीन मामले :	150-153
(एक) उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ओला वृष्टि से फसलों को हुई हानि के समाचार और किसानों को तुरन्त राहत देने की आवश्यकता। — श्री चन्द्रपाल शैलानी	150–151
(दो) राजस्थान में बिजली की अत्यन्त कमी के फलस्वरूप उद्योग और कृषि को होने वाली भारी हानि का समाचार। — श्री मूल चन्द डागा	151
(तीन) बिहार में ईसाई संस्थानों और पादरियों पर होने वाली घटनाओं को रोकने के लिये पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता। — श्री पी० ए० संगमा	151–152

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) काजू की कमी	
—श्री बी० के० नायर	152
(पांच) आयुध डिपो को कलकत्ता से हटाये जाने के बारे में	
—श्री कृष्ण चन्द्र हालदर	152–153
रेल बजट-1980-81, सामान्य चर्चा	153-230
लेखानुदानों की मांगे (रेल्व)-1980-81	153
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल)-1979-80	153–158
—श्री जगपाल सिंह	
कटौती प्रस्ताव पेश किये गये	158–230
—श्री एस० बी० चव्हाण	174
—श्री भागवत झा आजाद	178
—श्री एम० एम० लारेंस	181
—डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी	184
—श्री वाई० एस० महाजन	187
—प्रो० मधु दण्डवते	188
—श्री जमीलुर्रहमान	192
—प्रो० नारायण चन्द पराशर	195
—श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम	197
—श्री विरधी चन्द जैन	199
—श्री रामावतार शास्त्री	202
—श्री तपेश्वर सिंह	205
—श्री जी० एम० बनातवाला	207
—श्री सी० चिन्ना स्वामी	209
—श्री स्वामी इन्द्रवेश	210
—श्री सी० एम० स्टीफन	212
विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1980	231-234
—श्री ज्योतिर्मय बसु	231
—श्री सी० एम० स्टीफन	233
विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1980	235-238
—श्री ज्योतिर्मय बसु	235
—श्री सी०एम० स्टीफन	237

विषय	पृष्ठ
सामान्य बजट, 1980-81-सामान्य चर्चा	238-263
अनुदानों की माँगें (सामान्य), 1980-81 और अनुदानों की अनुपूरक माँगें (सामान्य), 1979-80	238
—श्री चरण सिंह	238
—श्री डूमर लाल बैठा	250
—श्री सुनील मैत्रा	253
—श्री लक्ष्मण वर्मा	260
—श्री मृत्युजंय नायक	261
—श्री लक्ष्मण मलिक	262
सभा की बैठक के बारे में घोषणा	263-264

लोक सभा

बुधवार, 12 मार्च, 1980/22 फाल्गुन, 1901 (शक)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री मार्तण्ड सिंह (रीवा मध्यप्रदेश)

——

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीमेंट की कमी के कारण निर्माण कार्य में रुकावट

*21. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि सीमेंट की अत्याधिक कमी के कारण मकानों का निर्माण कार्य रुक गया है और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक भवनों के निर्माण में भी रुकावटें आ गई है और,

(ख) क्या सरकार का विचार उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बिजली देने और सीमेंट आदि के उत्पादन के लिए नये कारखाने खोलने का है ?

कुछ माननीय सदस्य : उद्योग मन्त्री महोदय कहां हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे मेरे पास आए थे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या ऐसा ही व्यवहार वे इस सदन के साथ करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह तो सदन का और अध्यक्ष महोदय का अपमान है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी छान-बीन करूंगा। मैं इस पर ध्यान दूंगा।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दरा गांधी) : मुझे खेद है मन्त्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हैं। अभी कुछ देर पहले तो वे यहीं थे। मैं नहीं जानती कि क्या कारण है।

अध्यक्ष महोदय : वे मेरे पास आए थे। मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उत्तर मैं दूंगी। मेरे विचार से वे अध्यक्ष महोदय से मिलने चले गए हैं।

प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां । देस में सीमेंट की उपलब्धता इसकी मांग से कम है ।

(ख) जिन राज्य सरकारों ने सीमेंट उद्योग पर बिजली की कटौती लागू कर दी थी उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस उद्योग को बिजली की कटौती से छूट दे दें। इसके अनुसार गुजरात तथा उड़ीसा की राज्य सरकारों ने सीमेंट उद्योग को बिजली की कटौतियों से छूट दे दी है । आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में बिजली की कटौतियों में कमी कर दी गई है तमिलनाडु राज्य में सीमेंट उद्योग के लिए अतिरिक्त बिजली दी जा रही है तथा हरियाणा राज्य को सीमेंट का उत्पादन के लिये पंजाब सरकार द्वारा अतिरिक्त बिजली की पूर्ति की जाने की भी व्यवस्था कर दी गई है ।

इसके अलावा सरकार, देश में सीमेंट का उत्पादन करने के लिये नई क्षमता स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है । 275.20 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता के लिये आशय पत्र/लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आपको पहले पता दे दिया था क्या उद्योग मंत्री ने ? वह यहां क्यों नहीं आये ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी नहीं वह वहां नहीं थे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि मुझे सदन के हितों की रक्षा करनी है । इस पर गौर दिया जायेगा ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : दूसरी ओर बैठे सदस्यों की इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि मन्त्रियों को समय पर अपने स्थान पर होना चाहिये ।

वित्त मन्त्री श्री (आर. वेंकटरामन) : मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं । दुर्भाग्य से मेरे सहकर्मी जिन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना था कहीं रुकना पड़ गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वे यहीं थे ।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा ।

श्री टी० आर० शमन्ना : आजकल सीमेंट बड़ी ही अलभ्य वस्तु बन गई है। साथ ही साथ 40 रुपये या 45 रुपये बोरी की दर से भारी मात्रा में सीमेंट उपलब्ध है । यद्यपि परमिट तो जारी कर दिये गये हैं । परन्तु हफ्तों-महीनों तक सीमेन्ट उपलब्ध नहीं होता । क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई ? यह देखने के लिए सरकार कौन से कदम उठायेगी कि आवश्यक मात्रा में सीमेंट उपलब्ध हो, विशेषकर जबकि आजकल सीमेंट एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण वस्तु बन गई है । सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने और वितरण को अधिक नियमित करने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न को दोहराने की कृपा करेंगे ? मैं तो सदन के हित में कह रहा हूं।

श्री टी. आर. शमन्ना : सीमेंट जैसी आवश्वक वस्तु आजकल एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु बन गई है। परन्तु 40 या 45 रुपये में काला बाजार में सीमेन्ट भारी मात्रा में उपलब्ध है। जबकि परमिट दिये जाते हैं परन्तु सीमेंन्ट नहीं मिलता। इसकी कमी को दूर करने के लिए इसके उत्पादन में पर्याप्त सीमा तक वृद्धि करनी होगी। दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि वे इसका विकल्प ढूंढ़ने का कतई भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। यद्यपि बहुत सी जरूरी इमारतों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, परन्तु वे उन्हें सीमेंन्ट की कमी के कारण पूरा नहीं कर सकते जो कि वास्तव में ही बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु बन गई है। यह निश्चित करने के लिये कि उपभोक्ताओं को बिना किसी कठनाई के सीमेंट मिल सके, कौन से उपाय किये गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (डा० चरण जीत चानना) : अन्य चीजों के साथ-साथ, हमें सीमेन्ट उद्योग भी बड़ी ही बिगड़ी हुई स्थिति में विरासत में मिला है। सारे ही उद्योग में सुधार का काम तो हम पहले से ही शुरु कर चुके हैं। जहां तक वितरण के मामले का सम्बन्ध है; पंजाब,जम्मू-कश्मीर और उड़ीसा राज्यों को छोड़कर, शेष सभी राज्यों ने नियन्त्रण और वितरण अपने हाथ में ले लिया है। हमने उनके बीच अग्रतांए निश्चित कर दी हैं। मुख्य रुकावट यह रही हैं कि मांग के मुकाबले में सीमेन्ट उत्पादन में कमी 1977-78 से बढ़ती ही गई है। 1977-78 में 29.4 लाख टन की कमी थी, 1978-79 में कमी 45.8 लाख टन तक पहुंच गई और 1979-80 में इसमें और वृद्धि हुई और यह 70 लाख टन तक पहुंच गई। अब, यदि हम अन्तिम आंकडों को देखें तो पायेंगे कि जनवरी, 1979 के बाद से इसके उत्पादन में निश्चित रूप से और कमी आई है। सीमेन्ट सयन्त्रो की क्षमता का कतई भी उपयोग नहीं किया गया। जनवरी, 1979 से क्षमता की उपयोगिता में गिरावट आती चली गई है। उसका पूरा उपयोग तो हुआ ही नहीं। जनवरी 1979 मे उत्पादन 84 प्रतिशत तक रह गया, जिसका अर्थ हुआ कि 16 प्रतिशत क्षमता का उपयोग नही हो सका। नवम्बर, 1979 में यह गिरकर 62 प्रतिशत रह गया जिसका अर्थ हुआ कि 38 प्रतिशत क्षमता का कोई उपयोग नहीं हो सका। जबसे हमारी सरकार सत्ता में आई है, हमने वास्तव में ही उच्चतर उपयोगिता की ओर कार्यवाही आरंभ कर दी है। वास्तव में, सही प्रभाव को जानने के लिए समय बहुत ही थोड़ा है, परन्तु इस सच्चाई के बावजूद जैसा कि आप देख चुके हैं औद्योगिक विकास के मार्ग में राजस्थान में की गई यहां तक कि 100 प्रतिशत तक की बिजली की कटौती जैसी मुख्य अड़चने हमें विरासत में प्राप्त हुई हैं, फिर भी बाजार का रुख पहले से ही बदलना शुरु हो गया है। वास्तव में, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और वितरण अब निश्चितरूप से उससे कही अच्छा होगा जैसा कि हमें विरासत में मिला है।

श्री टी. आर. शमन्ना : महोदय, मन्त्री महोदय ने यह नही बताया कि कालाबाजार में सीमेन्ट क्योंट उपलब्ध है जबकि निर्यात आपूर्ति में उपलब्ध नहीं होता। दूसरी बात यह है कि उत्पादन को बढ़ाने और वितरण को विनियमित करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर वे पहले ही दे चुके है।

डा० चरणजीत चानना : माननीय सदस्य ने प्रथम प्रश्न मे पूछा था कि उत्पादन की वृद्धि के लिए उपायों के बारे में और अब उन्होंने वितरण की बात आरंभ कर दी है।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

डा० चरणजीत चानना : अध्यक्ष महोदय, उनका प्रथम प्रश्न वितरण के बारे में था और द्वितीय प्रश्न था क्षमता बढ़ाने के बारे में। मैं दूसरे ढंग से बता रहा हूं, प्रथमतः (व्यवधान) में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपसे काला बाजार के बारे में पूछा है। ऐसी बात क्यों है कि काला बाजार में तो सीमेन्ट उपलब्ध है ?

डा० चरणजीत चानना : जनता पार्टी सरकार द्वारा तैयार की गई वितरण प्रणाली···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिये, कृपया शान्त रहिये।

डा० चरणजीत चानना : जनता पार्टी सरकार द्वारा तैयार की गई प्रणाली ऐसी थी कि वह केवल काला बाजार की ही पूर्ति कर सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं; परन्तु इस तरह नहीं। यह कोई ढंग नहीं है। उन्हे उत्तर देने दें। (व्यवधान)। अच्छा तो आप अपनी बात कह चुके, अब वे अपनी बात कहेंगे। कार्य-सूची में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यदि आप अपना समय नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।·····

(व्यवधान)

डा० चरणजीत चानना : मैं केवल उसकी ही बात कह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि जनता पार्टी सरकार ने जो मुद्रा सप्लाई और काले धन को बढ़ावा दिया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं है जिसे घुमाने से ही वह समाप्त हो जाए। अतः, कालाबाजार को तो वास्तव में उत्साहित किया गया है और उसे बढ़ावा दिया गया था। हम यह देख चुके हैं—यदि आपने आज का समाचार पत्र पढ़ा है तो आप पायेंगे कि दिल्ली में·····

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : चूंकि आप तो सर्वाधिक योग्य नेता है, अब आप क्या करने जा रहे हैं ?

डा. चरणजीत चानना : यदि आप आज का समाचार पत्र पढ़ें तो, आप देखेंगे कि जो कुछ हम कर रहे हैं वह यह है – वास्तव में हमने वितरण प्रणाली को सरल बना दिया है और हम

जमाखोरों को निरुत्साहित कर रहे हैं। किसानों समेत सही उपभोक्ता को सीमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वितरण की यही सर्वोत्तम प्रणाली है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : अध्यक्ष महोदय, गांवों में पीने के पानी के कुओं के लिए सीमेंट नहीं है। किसान के ट्यूबवैल की नालियों के लिए सीमेंट नहीं है। गरीब की टूटी हुई छत की मरम्मत के लिए भी सीमेंट नही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की जनकारी में यह बात है कि सीमेंट दो प्रकार से आता है : ट्रक से और रेलवे वगन से। सरकारी कर्मचारियों, सप्लाई आफिस और ट्रक मालिकों की मिली भगत से वैगन से आए हुए सीमेंट को ट्रक से आया हुआ दिखाया जाता है और उसकी कीमत ज्यादा दिखाई जाती है। जब तक इस तरह की व्यवस्था हैं मैं सरकार से केवल यह जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार क्या सुधार करना चाहती है और गरीबों की, किसानों की जरूरत की चीजों के लिए क्या सरकार सीमेंट उपलब्ध करेगी? साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निकट भविष्य में सरकार का इरादा सीमेंट की कीमत बढ़ाने का है?

वित्त मन्त्री (श्री टी. आर. वेंकटरामन : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि देश में कालाबाजार चल रहा है। हम सच्चाई को झुठला नहीं सकते.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस प्रणाली में।

श्री आर. वेंकटरामन : विद्यमान परिस्थितियों में। (व्यवधान) यदि आप स्पष्टीकरण सुनने के इच्छुक हैं तो मुझे बोलने दें। जहां तक कालेबाजार का सम्बन्ध है, कुछ वे लोग जो इसका कोटा पाने के अधिकारी हैं, वे स्वयं उसका उपयोग नही करके ऊँचे दामों में बेच देते हैं, क्योंकि देश में इसकी कमी है। इस समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका यह है कि इसकी पूर्ति बढ़ाई जाए और केवल विनिमय बनाने से ही यह समस्या हल नहीं होगी। और जहां तक पूर्ति बढ़ाने की बात है, सरकार उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का प्रयत्न कर रही है, जिस पर बिजली की कमी ने दुर्भाग्य से बुरा प्रभाव डाला है। आज हमारे देश के सीमेंट संयन्त्र अपनी क्षमता से कहीं कम उत्पादन कर रहे हैं, प्राथमिक रूप में तो बिजली की कमी के कारण और दूसरे कुछ क्षेत्रों में कोयला न मिलने के कारण। जैसा कि मैं कल बता चुका हूं, मन्त्रिपरिषद की एक समिति उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर कोयला भिजवाने का प्रयत्न कर रही है। दूसरे, हम जलविद्युत क्षेत्रों में कम उत्पादन या बिजली के कम उत्पादन को दूर करने के लिए तापीय विद्युतघरों की क्षमता में सुधार करने और तापीय विद्युत अधिक पैदा करने के प्रयत्न कर रहे हैं। अतः यदि आगामी सप्ताह तक या आगामी कुछ सप्ताहों में तापीय विद्युत उत्पादकता में सुधार होता है तो सीमेंट उत्पादन में भी सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, स्थिति में सुधार लाने के लिए हम 20 लाख टन सीमेंट का आयात कर रहे हैं और हमें आँशा है कि इस आयात से देश में कमी से पर्याप्त राहत मिलेगी।

श्री एम. राम गोपालरेड्डी : जब श्रीमती गाधी ने जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी तो काफी सीमेंट था। मैं यह जानना चाहता हूं कि तीन वर्षों में इसमें कमी क्यों आ गई और कैसे

राज्यवार 270.52 लाख टन की क्षमता में भी कमी आ गई।

डा० चरणजीत चानना : जहां तक जनता पार्टी सरकार के प्रबन्ध की बात है वह तो हमारे समक्ष आ ही चुका है और जो कुछ हमें विरासत में मिला है उसकी बात मैं पहले ही कर चुका हूं। (व्यवधान)। मैं सदस्य वर के उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि जब उनको सत्ता सौंपी गई थी तो जनता पार्टी को दिए गये अतिरिक्त भण्डार का क्या हुआ? जो कुछ उन्होंने किया, कैसे किया यह सब तो जनता को पता ही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपको आंकड़े दूंगा। आप सदन को गलत जानकारी दे रहे है।

डा० चरणजीत चानना : मैं आपको आँकड़े देता हूं।

प्रश्न का दूसरा भाग हमारे द्वारा उत्पादित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता के ब्यौरे से सम्बद्ध है। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के लिए 275.20 लाख टन की जो अतिरिक्त परियोजनाये मंजूर की गई हैं, मैं उनका राज्यवार ब्यौरा दूंगा। इनकी सूची काफी लम्बी है। मैं इसे पढ़ दूंगा। पहले मैं गैर सरकारी क्षेत्र के एककों की संख्या दे रहा हूं राजस्थान में 5, हिमाचल प्रदेश में 1, मध्य प्रदेश में 8, महाराष्ट्र में 3, गुजरात में 5, बिहार में 1, कर्नाटक में 2, तमिलनाडु में 1, तथा आन्ध्र प्रदेश में 8 है। निजि क्षेत्र के बड़े गृहों में इन सीमेंट परियोजनाओं की मन्जूरी दी गई है।

एक माननीय सदस्य : किस बात को दृष्टि गत रखते हुये ?

डा० चन्द्र चरणजीत चानना : जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, भारतीय सीमेंट निगम को 6 जम्मू तथा कश्मीर खनिज लिमिटेड़ को 2, उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम दो 2; मेघालय औद्योगिक विकास निगम को 2; तमिलनाडु औद्योगिक निगम को 1 और इसी प्रकार से हमने सरकारी क्षेत्र के लिए 24 एककों की मजूरी दी है।

इनका राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है। 275.21 लाख टन में 90.17 लाख टन सरकारी क्षेत्र में; 140.20 लाख टन गैर-सरकारी क्षेत्र में है तथा इसके अतिरिक्त हमने लघु-सीमेंट संयत्रों को भी, उनकी आर्थिक क्षमता तथा तकनीकी सम्भाव्यता को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें देश भर में प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है।

श्रीमती प्रमिला मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, बम्बई में सिविल कार्पोरेशन में पब्लिक वर्क्स का काम बिल्कुल ठप्प हो गया है क्योंकि वहां पर सीमेन्ट नहीं मिलता है। मैं यह जानना चाहती हूं कि जो सीमेंट आप इम्पोर्ट करने वाले हैं, बहुत बड़ी तादाद में वह सीमेन्ट पब्लिक वर्क्स के लिए होगा, प्राइवेट हाउसिंग के लिए होगा या फिर ब्लैक-मार्केटिंग में चला जायेगा ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहती हूं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू करने के बाद एक महीने में कितनी सीमेंट पब्लिक वर्क्स के लिए एवेलेबल कर दिया गया है जिससे कि ब्लैक-मार्केटिंग में जो सीमेन्ट की कीमत बढ़ गई थी वह कम हो सकेगी ;

श्री आर. वेंकटरामन : सीमेंट का वितरण हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार ही किया जायेगा और यदि सरकारी क्षेत्र के कार्यों के लिए सीमेंट की आवश्यकता तुरन्त हुई, तो उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

एक माननीय सदस्य : प्राथमिकता क्या है ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : प्राथमिकता है, बिड़ला जी,

अध्यक्ष महोदय : आप अपना उत्तर जारी रखिये ।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं बता चुका हूं कि सरकारी क्षेत्र के कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी और यह प्राथमिकता केवल देश में उत्पादित सीमेन्ट पर ही नहीं परन्तु आयातित सीमेंट पर भी दी जायेगी । यदि माननीय सदस्या के पास कोई ऐसा मामला उल्लेख योग्य हो जहां कि प्राथमिकता प्रदान न की गई हो तो वह उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करे । वह राज्य सरकार को भी इसके बारे लिखे क्योंकि प्राथमिकता तो उसी द्वारा दी जाती है । प्रश्न यह है कि जब तक अभाव बना हुआ है तब तक हम उपलब्ध मात्रा का वितरण सम्बद्ध प्राथमिकता के अनुसार ही करते रहेंगे ।

सैनिक अभ्यास और सड़कों को क्षति

*22. **श्री विरधी चंद जैन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना जिसमें भारी वाहन और टैंक प्रयुक्त होते हैं, प्रति वर्ष राजस्थान के भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है ;

(ख) क्या इस अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कें, जो राज्य सरकार द्वारा निर्मित की जाती हैं, पर्याप्त क्षतिग्रस्त हो जाती हैं ;

(ग) क्या सरकार इन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिये कोई मुआवजा नहीं देती है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रति वर्ष किये गये इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप इन क्षतिग्रस्त सड़कों के लिये उपयुक्त मुआवजा देने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) विभिन्न स्टेशनों पर स्थित थल सेना यूनिटें अपना नियमित प्रशिक्षण और अभ्यास हर वर्ष करती रहती हैं । ऐसे अभ्यास राजस्थान में भी किए जाते हैं :

(ख) इन अभ्यासों के दौरान मुख्य सैनिक यातायात और सभी टैंकों का संचलन आमतौर पर क्षेत्र-पार ही रखा जाता है ताकि सड़कों को नुकसान न होने पाए । सीमावर्ती इलाकों में सड़कों को ठीक-ठाक रखने का काम मुख्यत: सीमा सड़क संगठन का है । इस संगठन ने न तो कोई ऐसी शिकायत की है और न ही इन सड़कों को, जहां सभी तरह का यातायात चलता है, ठीक-ठाक रखने के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग की है ।

(ग) सैनिक विरचनाओं द्वारा अपने नियमित प्रशिक्षण कार्यों में प्रयोग की जाने वाली

सड़कों की टूट-फूट के लिए रक्षा मंत्रालय कोई मुआवजा नहीं देता। लेकिन जहां छोटी-छोटी पुलियों आदि की टूट-फूट हो जाती है वहां थल सेना इन्जीनियर संबंधित राज्य के लोक निर्माण विभाग के साथ परामर्श करके उनकी मरम्मत करने की कार्रवाई अवश्य करते हैं।

(घ) जिन सड़कों पर सैनिक वाहनों समेत अन्य सभी प्रकार का यातायात चलता है उनको ठीक-ठाक रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और यह काम राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सामान्य अनुरक्षण अनुदान से किया जाता है, जैसा कि सीमावर्ती इलाकों में सीमा सड़क संगठन द्वारा अपनी सड़कों की मरम्मत की जाती है। लेकिन पुलियों आदि को होने वाले नुकसान के विशिष्ट मामलों में थलसेना इन्जीनियर राज्य लोक निर्माण विभाग के साथ परामर्श करके मरम्मत का काम करते रहेंगे।

श्री विरधी चंद जैन : अध्यक्ष महोदय, जो मिलिटरी की एक्सरसाइजेज (प्रशिक्षण) का कार्य होता है, उसमें हजारों बड़े-बड़े सैनिक वाहनों (टैंक कैरियर्स) का प्रयोग किया जाता है और उससे करोड़ों रुपयों की सड़कों की क्षति होती है। मेरे क्षेत्र बाड़मेर और जैसलमेर में जिसका मैंने अभी पूरी तरह से दौरा किया है, उन मिलिटिरी के वाहनों के चलने से डेढ़ करोड़ रुपए की हानि हुई है। बीकानेर, गंगानगर जो कि हमारे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनमें भी अभ्यास होता है। इनके रिपेयर्स के लिए आप चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार नार्मल मेन्टीनेंस के अन्तर्गत व्यय करे और उनकी मरम्मत करे। यह पॉसिबल नहीं है और न कोई न्यायसंगत बात है। इसलिए इसमें जो आप हमारी जिम्मेदारी डालते हैं, यह उचित नहीं है। यह डिफेंस डिपार्टमेंट और केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, इसको आप स्पष्ट करें ?

श्री सी०पी०एन० सिंह : माननीय सदस्य महोदय ने बहुत ही संगत प्रश्न उठाय है परन्तु मैं उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सेना का अभ्यास कार्य केवल सड़कों तक ही सीमित नहीं है। यह भारी टैंक जिनका भार 40 से 50 टन होता है तथा वाहन जिन में चेन लगे होते है, उनका परिवहन अन्य साधनों से किया जाता है तथा उ-हें उनके लिए सड़क का उपयोग केवल उसी समय किया जाता है जबकि सड़क को पार करना होता है। या, पुलिस आदि को जहां कहीं भी क्षति होती है, सेना के इन्जीनियरों द्वारा शीघ्र उसकी मरम्मत कर दी जाती है।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : प्रश्न सड़कों को होने वाली में क्षति के बारे है।

श्री सी० पी० एन० सिंह : पूरी सड़क नहीं, परन्तु जहां कहीं भी क्षति होती है, सड़क की मरम्मत कर दीं जाती है।

श्री विरधी चन्द्र जैन : डिफेंस डिपार्टमेंट ने न तो कभी पुलियों की मरम्मत की है और न कभी सड़कों की कोई मरम्मत की है—मेरा 15 साल का अनुभव है। 1971 से जो एक्सर-साइजेज बराबर चल रही है, मैं देख रहा हूं कि जो भी सड़कें हमारे राजस्थान के फैमिन डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, उनकी मरम्मत पर व्यय करने की राजस्थान सरकार की हैसियत नहीं है। आपको जो वाहन कन्ट्री साइड रोड्स पर जाते हैं, उनसे भयंकर नुकसान होता है। आप चाहें तो राजस्थान सरकार के अधिकारी और अपने अधिकारियों को भेज कर इस संबंध में जांच करा सकते हैं, ताकि आपको मालूम हो सके कि उन वाहनों के प्रयोग से उन

सड़कों का कितना नुकसान होता है तथा क्या उन सड़कों को ठीक कराने की कैपेसिटी राजस्थान सरकार के पास है ?

प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं यह मानती हूं कि यदि क्षति बहुत अधिक हो तो उसकी मरम्मत करवाने के धन की व्यवस्था करना राज्य सरकार के लिए कठिन होता है। परन्तु अभी तक किसी राज्य सरकार ने इस प्रकार की शिकायत नहीं की है। मैं इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन तो नहीं दे सकती परन्तु मैं यह बात निश्चित रूप से कह सकती हूं कि हम इस मामले की जांच करेंगे क्योंकि ठीक सीमा पर होने के कारण राजस्थान पर इन अभ्यासों का बोझ काफी अधिक पड़ता है।···(व्यवधान)

परन्तु पंजाब द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। हम इस मामले की जांच करेंगे। परन्तु जैसे कि मेरे साथी ने बताया नियम केवल पुलियों की मरम्मत का है और अन्य चीजें जैसे कि मुख्य सड़क आदि की मरम्मत का कार्य राज्य के लोक-निर्माण-विभाग द्वारा किया जाता है।

डा० कर्णसिंह : अध्यक्ष महोदय, सेना द्वारा किए जाने वाले अभ्यास निश्चय ही बहुत आवश्यक है तथा राष्ट्रीय हित में होते हैं। परन्तु इनमें से वह लोग जो जैसलमेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं जैसे आप और मैं। वह इस बात को जानते हैं कि सेना के अभ्यासों में टैंकों के लिए खाइयां खोदना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य अनेक प्रकार के कार्य करना आता है। प्रधान मन्त्री को यह मान लेना चाहिए कि यह प्रश्न केवल राज्य सरकारों द्वारा शिकायत करने का नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को, वहां टैंकों के लिए खाइयां खोदकर तथा निशानेबाजी के लिए व्यवस्था आदि करते हुए बेघर कर दिया जाता है। जब हम राज्य सरकारों से इसके लिए कुछ कहते हैं तो वह कहती है कि यह केन्द्रीय सरकार का कार्य है और जब हम केन्द्रीय सरकार से कहते हैं, तो सरकार कहती है इसके लिए राज्य सरकारों को धनराशि दे दी गई है परन्तु वह धनराशि लोगों में वितरित नहीं की जाती है। अतः क्या प्रधान मन्त्री इस बात को दृष्टिगत रखेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि जब कभी भी सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले किसी ग्रामीण को क्योंकि वहां रहकर जीवन निर्वाह करना पहले ही कठिन होता है—विस्थापित किया जाता है तो उसे पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के कार्य को सर्वोपरि प्राथमिकता प्रदान की जाए ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य को यह मालूम ही है कि यह समस्या लम्बे समय से चली आ रही है और हम अनेक बार इस पर विचार कर चुके हैं। परन्तु मैं इस बात पर उनके साथ सहमत हूं कि इसके मानवीय पक्ष पर विचार किया जाना चाहिये।

दिल्ली में अपराध

*23. **छीतू भाई गामित :** क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान दिल्ली में रिपोर्ट किये गये चोरी, चैन खींचने, जेब काटने,

छुरा मारने कत्ल और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों की संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) राजधानी में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) (क) और (ख) : एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

चोरी, जंजीर खीचना, जेब तराशी, छुरेबाजी (हत्या का प्रयास) और हत्या सहित अपराध संबंधी आंकड़े विभिन्न अपराध शीर्षों के अधीन अनुलग्नक में दिए गए हैं । 1979 में इसी अवधि के आकड़े भी इन शीर्षों के अन्तर्गत साथ ही दिए गए हैं । इन आंकड़ों से प्रतीत होता है कि गत वर्ष की समकालीन अवधि की तुलना में राजधानी में अपराध स्थिति में कुल मिलाकर सुधार हुआ है । डकैती, क्षति पहुंचाना, लूटपाट, छीनाझपटी और दंगों के मामलों की संख्या में कमी हुई है ।

2. स्थिति को और अधिक सुधारने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं । गृह मंत्री ने कार्यभार संभालने के तुरन्त पश्चात इस विषय पर दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी । इसके बाद कई बैठकें हुई । एक बैठक में दिल्ली पुलिस विभिन्न पदाधिकारियों, निरीक्षकों और उससे ऊपर के अधिकारियों ने भाग लिया । गृह मंत्री ने उन्हें विश्वास में लिया, जवानों और संसाधनों के रूप में आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया और उनसे अपराधों को रोकने के लिए तत्काल और दृढ़ उपाय करने के लिए कहा ताकि लोग शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकें । उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग कर्तव्य के प्रति लापरवाह पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

3. अपराधों को रोकने के लिए किए गए कुछ विशिष्ट उपाय निम्नलिखित है :—

(i) शस्त्र तथा गहनपैदल और चलती फिरती, गश्त, वाकीटाकी सेट और वायरलैस युक्त मोटर–साईकल गश्त आरंभ की गई है । रात्री गश्त के लिए जिलों को दिल्ली शस्त्र पुलिस/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल की 10 अतिरिक्त कम्पनियां दी गई है और इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय रिर्जव पुलिस दल की अतिरिक्त वटालियन भी उपलब्ध करायी गई है । गश्त का वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जा रहा है ।

(ii) रात्रि और प्रातः तड़के गश्त के लिए दिल्ली पुलिस को लगभग 2000 होम गार्ड दिए गये हैं । पार्कों और अति सवेदनशील रिहायशी वस्तियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

(iii) अपराध करने में ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए वाहनों की आकस्मिक जांच ।

(iv) ठीकरी पहरा और स्थानीय निवासियों और निजी चौकीदारों द्वारा पुलिस गश्ती दल और टुकड़ियों के सहयोग से गश्त लगाना ।

(v) कुछ सवेदनशील स्थानों में नियमित स्वीकृति होने तक अस्थाई पुलिस चौकियों की स्थापना करना ।

(vi) निष्कासन कार्यवाहियों को तेज करना, 450 से अधिक अपराधी तथा बदमाश दिल्ली से निष्कासित किए जा चुके हैं ।

(vii) आसूचना की वृद्धि से, डाकुओं, आटो वाहनों चोरों, लूटपाट करने वाले, छीनाझपटी करने वाले, जेब काटने वाले, महिलाओं के साथ छेडखानी करने वाले तथा अन्य बदमाशों का पता लगाने के लिए जिलों के विशेष दस्तों द्वारा निरन्तर अभियान चलाना ।

(viii) पुलिस उपायुक्तों/सहायक आयुक्तों की मोहल्लों के निवासियों के साथ बैठक करना और उन्हें यह बताना कि क्या उपाय किए गए हैं और उनसे सुझाव लेना ।

(ix) महिलाओं के साथ छेडखानी करने के अपराध को रोकने के लिए महिला कालेजों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करना ।

(x) 1978 में स्थापित पुलिस थानों में और अधिक कर्मचारियों की स्वीकृति देने पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप ले विचार किया जा रहा है ।

(xi) ड्यूटी पर तैनात पुलिस की गतिशीलता में सुधार करने के लिऐ हाल ही में पुराने वाहनों को बदलने के लिए 57 नए बाहनों को स्वीकृति दी गई । 8 नई जीपों की भी स्वीकृति दी गई है ।

(xii) यह भी निर्णय किया गया है कि अपराध रिकार्ड कार्यालय पहले की भांति एक पाली में कार्य करने की बजाय चौबीस घंटे कार्य करेगा ।

अनुबन्ध "क"

अपराध शीर्ष	1-1-78 से 28-2-79 तक	1-1-80 से 29-2-80 तक
डकैती	15	11
हत्या एवं हत्या का प्रयास	78	78
लूटपाट	92	72
दंगे	65	34
छीनाझपठी	30	18
चोट मारना	292	275
सेंधमारी	542	555
साइकिल चोरी	921	952
विविध चोरियां	2660	2798
मोटर गाड़ी की चोरियां	553	486
विविध भा० दं० सं०	1657	1597
कुल भा० दं० सं०	6905	6876

श्री छीतू भाई गामित : माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के उत्तर को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। दिल्ली में जितना काम होना चाहिए, वह नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली का प्रशासन और पुलिस विभाग जनसंघ और आर. एस. एस. के हाथ में है। पूरे-का-पूरा दिल्ली प्रशासन आर. एस. एस. के लोगों द्वारा गठित किया गया हैं, इसलिए दिल्ली प्रशासन और पुलिस विभाग पर आर. एस. एस. के लोगों का जमाव हैं और यही कारण है कि दिल्ली में अपराधों की संख्या कम नहीं हो रही है, क्योंकि वे लोग हमारे वर्तमान कांग्रेस के शासन को बदनाम करना चाहते हैं। इस दृष्टि से क्या दिल्ली पुलिस तन्त्र में आमूल परिवर्तन लाने के लिए दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौन्सिल को भंग किया जायगा, जिससे अपराधों को कम किया जा सके और जिसकी मांग आजकल बड़े पैमाने पर हो रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने आर. एस. एस. एलीमेंट्स के इन्फिलट्रेशन के बारे में बतलाया है इसके बारे में सोचा जायेगा।

श्री छीतूभाई गामित : क्या दिल्ली में अपराधों को कम करने के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमने योजना बनाई है, एक्शन लेते जा रहे हैं और आप देखेंगे कि अब क्राइम की सिचुएशन में सुधार हो रहा है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : श्रीमन् पुलिस अधिकारियों के साथ जो वार्ता हुई है, उसमें क्या इस प्रश्न पर पर भी विचार हुआ हैं कि जितने अपराधीं पकड़े जाते हैं उनमें से अधिकतर जमानत पर रिहा हो जाते हैं जिससे अपराधों की घटनाएं बराबर हुआ करती हैं ? अभी हमें एक दूसरे लिखित प्रश्न का उत्तर मिला है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि पिछले 11 महीने में 34 हजार 5 सौ 51 व्यक्ति गिरफ्तार हुए जिनमें से 33 हजार 2 सौ 56 व्यक्ति जमानत पर छूट गए। 1 हजार 2 सौ 95 व्यक्ति ही अब हिरासत में रह गये हैं। जो बैठक हुई उसमें क्या इस मुद्दे पर भी विचार हुआ है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस मुद्दे पर भी जरूर बिचार हुआ है। लेकिन जहां तक क्राइम का सम्बन्ध है; अगर ओफेन्स बेलेबल है तो गिरफ्तार व्यक्ति बेल ले सकता है।

श्री संजय गांधी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जब से दिल्ली की पुलिस-व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है, तबसे दिल्ली में जंजीर खीचने, छुरेबाजी तथा हत्या आदि की घटनाओं में काफी कमी हुई है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल सही है। दिल्ली में हो रहे जुर्मों में कमी हुई है·····(व्यवधान) आप विवरण को पढ़ सकते हैं। सदस्यों की जानकारी के लिए मैंने उत्तर के साथ विवरण भी दे दिया है। यदि आप विवरण को देखें तो आपको मालूम होगा कि राजधानी तथा देश में जुर्मों की संख्या घट रही है।

श्री नीरेन घोष : प्रतिदिन हमें दिल्ली के सभी समाचार पत्रों में हत्याओं, अपहरण तथा बलात्कार सम्बन्धी समाचार देखने को मिलते हैं। वर्तमान सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के

वाद भी यह स्थिति है । अतः यह देख कर तो कोई भी यह कह सकता है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है ओर मैं यह तो विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जब से दिल्ली में नया पुलिस आयुक्त लाया गया है; तब से स्थिति और बिगड़ गई है क्योंकि वह तो जुर्म को कम करने या जुर्म करने वालों को पकड़ने की अपेक्षा अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के कार्य में अधिक व्यस्त हैं । जहा तक जनता का सम्बन्ध है उसके लिए यह आर० एस० एस० या कोई अन्य ऐसे विषय से सम्बद्ध मामला नहीं है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य द्वारा जो आरोप लगाया गया है, वह निराधार है । यदि आप मेरे द्वारा दिये गये विवरण को देखें, तो आपको पता चलेगा कि दिन प्रति दिन जुर्मों की संख्या कम होती जा रही है और माननीय सदस्यों के लाभ हेतु यदि वह चाहे तो मैं उनको पिछले दशक में होने वाले अपराधो के आंकड़े दे सकता हूं । उससे यह पता चल जायेगा कि 1976 तक अपराधों की संख्या कम होती चली जा रही थी । 1977 में यह संख्या बढ़ गई । मैं आंकड़े पढ़ देता हू :

डकैती

1969	2
1970	28
1971	15
1972	27
1973	24
1974	30
1975	18

वर्ष 1976 में यह घट कर 5 रह गई तथा 1977 में यह बढ़कर 21 हो गई

1978	71
1979	61

अब हत्याओं मे आंकड़ों को ले लें । हत्याओं से सम्बद्ध आंकड़े इस प्रकार हैं :

1969	96
1970	123
1971	114
1972	133
1973	154
1974	174
1975	165
1976	120

और 1977 में यह वढ़ कर 184 हो गयी

1978	185
1979	190

यह तो हुए हत्याओं सम्बन्धी आंकड़े अगर आप हत्या के प्रयास सम्बन्धी आंकड़े चाहें तो मैं वह भी प्रस्तुत कर सकता हूं।

	वर्ष	प्राप्त संख्या
हत्या का प्रयास	1969	94
	1970	134
	1971	1.1
	1972	194
	1973	238
	1974	273
	1975	188
	1976	112
	1977	208
	1978	271
	1979	321
अब इन को देखिये :		
लूटपाट	1969	43
	1970	363
	1971	326
	1972	351
	1973	418
	1974	343
	1975	257
	1976	142
	1977	354
	1978	666
	1979	621
छीना झपटी	1969	उपलब्ध नही है
	1970	81
	1971	103
	1972	113

	1973	199
	1974	208
	1975	143
	1976	122
	1977	277
	1978	379
	1979	356
सेंध मारी	1969	1230
	1970	3346

(व्यवधान) माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या यह घटनाऐ बढ रही हैं या कम हो रही है। सदन के लाभ हेतु मैं यह आकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं (व्यवधान)

चोरी	वर्ष	दर्ज किए गऐ मामले
	1972	3104
	1973	1038
	1974	2756
	1975	2216
	1976	1589

देखिए। वर्ष 1976 में संख्या 1589 थी परन्तु 1977 में बढ़कर 2683 हो गई 1978 में 3432 हो गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री सभा में वक्तव्य देना चाहती हैं।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्य स्वीकार करे अथवा न करे अपराध कि स्थिति पर हमने काफी सीमा तक काबू पा लिया है। दिल्ली की स्थिति आज अच्छी है। परन्तु मैं यह नहीं कहती कि हमें इस बारे में संतोष हैं। बहुत कुछ और विशेषतः महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में कार्यवाही करने की आवश्यकता है और मुझे उम्मीद हैं कि इस मामले पर हम सब को सहयोग करना चाहिए तथा जन-जाग्रति भी पैदा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री बोल चुकी हैं। अब अगला प्रश्न लिया जाता है।

अखिल असम छात्र संघ की प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के साथ बैठक

*24. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल असम छात्र संघ का एक प्रतिनिधि मंडल विदेशी राष्ट्रिकों के मसले के सिलसिले में प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री से मिला था; और

(ख) यदि हां, तो उन मुलाकातों का परिणाम क्या रहा ?

(गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री) (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) बातचीत अभी जारी है।

श्री अमर राय प्रधान : श्रीमान, आप जानते हैं कि पिछले पाँच महीने से आसाम में विदेशियों के मामले पर स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है। उनके सत्ता संभालने के बाद स्थिति और भी बिगड़ गई है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि (क) इस तरह की बातचीत कब तक चलती रहेगी तथा गैर-अमामी लोगों की कब तक पशुओं की तरह हत्या की जाती रहेगी तथा (ख) संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आपने 1971 का आधार मानते हुए आसाम की नागरिकता के मामले पर निर्णय लिया है और क्या इससे संविधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन नहीं होता।

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्रीमन, हमने सभी कार्यवाही की है। बातचीत चल रही है। प्रधान मन्त्री ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई थी जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसमें आसाम के इस सभा के प्रतिनिधि भी थे। यह निर्णय लिया गया कि आन्दोलन समाप्त किया जाये। इस बीच बातचीत जारी है जोकि सदभावना पूर्वक चल रही है। जहां तक 1971 को आधार वर्ष मानने का प्रश्न है यह कार्यवाही सभी पार्टियों के सुझाव पर की गई···

श्री अमर राय प्रधान : क्या यह संवैधानिक है अथवा असंवैधानिक। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या यह संविधान के उपवन्धों के अनुरूप है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होता। प्रश्न विदेशियों का पता लगाने का है।

श्री अमर राय प्रधान : आसाम के आन्दोलनकारी पुलिस तथा उच्च अधिकारियों की मदद से गैर-असमियों से नागरिकता प्रमाण पत्रों की मांग कर रहे जोकि पीढियों से वहां रह रहे है। मैं गृह मन्त्री से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के आन्दोलन कब तक चलते रहेंगे तथा आप उन लोगों की जानमाल की रक्षा किस प्रकार करेंगे।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमने यह बात आसाम विधान सभा की विभिन्न पार्टियों के नेताओं से तथा बहुत से विपक्ष के नेताओं और छात्रों के साथ हुई बैठक में स्पस्ट कर दी थी कि किसी भी वास्तविक रूप से भारतीय नागरिक को तंग नहीं किया जाना चाहिए। कई अधिकरणों का गठन किया गया है जो इस मामले का अध्ययन करेंगे। इस मामले में अन्य लोगों, आम लोगों को हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिए। मुझे शिकायत मिली है जैसा कि मैंने सभा में उल्लेख किया कि आसाम सरकार के कुछ अधिकारी इस मामले से संबद्ध हैं। इस मामले पर हम ध्यान दे रहे हैं।

श्री के० पो० सिंह देव : मैं जानना चाहता हूं कि जो शिष्टमंडल प्रधान मन्त्री तथा गृह मंत्री से मिला था, क्या उससे स्पष्ट रूप से इस प्रकार का कोई आश्वासन मिला है कि उसका यह आन्दोलन भारत के, किसी समुदाय के अथवा धर्म के विरुद्ध नहीं है। यदि हां तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस आन्दोलन को तेल शोधन शालाओं के कार्य करने तथा अन्य आवश्यक

वस्तुओं पर प्रभाव डालने से रोका जायेगा जिससे कि इस क्षेत्र तथा पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : गृह मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री दोनों ने आग्रह किया था, परन्तु बातचीत अभी भी चल रही हैं, इसलिए सभी बातें प्रकट करना उचित नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि आसाम के प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल प्रधान मन्त्री से मिला था और उसने प्रधान मन्त्री को बताया था कि यदि इस आन्दोलन को दबाया जाता है तो साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) का बहुत विस्तार होगा (व्यवधान) उन्हें उत्तर देने दें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसा समझा जाता है कि वे मुझे मिले हैं इसलिए मैं उत्तर दे सकती हूं कि उन्होंने मुझसे बातचीत में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसे सही मानता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मन्त्री ने अधिकरण की बात की थी। मेरे पास राज्य सरकार के अधिकरणों का रिकार्ड है उसमें 1951 से रह रहे व्यक्तियों को विदेशी करार दिया गया है। अधिकरण के आदेश में कि यह सही है कि ये लोग 1951 से वहां रह रहे हैं परन्तु वे विदेशी है और उन्हें विदेशी घोषित किया गया है और एक सप्ताह के भीतर वापस भेजने को कहा गया है। हमें पता नहीं है कि ये लोग कहां है। इसकी अपील भी नहीं की जा सकती। मैं प्रधान मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या जो अधिकरण इस समय आसाम में कार्यरत हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किये गये है अथवा नहीं। यदि इनका गठन केन्द्रीय सरकार के अधिनियम द्वारा किया गया है तो केवल केन्द्रीय सरकार ही उनका गठन कर सकती हैं। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। सैंकड़ों लोगों को विदेशी करार दिया गया है जबकि वे 1951 से वहां रह रहे हैं। मैं सब कागजात प्रधान मन्त्री को भेज रहा हूं। यदि आधार तिथि 1971 रखी जाती जैसा कि सभी पार्टियों का मतैक्य है, तो अधिकरण के आदेश से जिन व्यक्तियों को बाहर निकाला गया उनका क्या बनेगा। यह गम्भीर मामला है। मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या चर्चा हुई तथा सरकार का क्या निर्णय है।

श्री जैल सिन्ह : यह जो ट्रिबूयनल हैं यह आसाम सरकार के जो असिसटेंट डिसट्रक्ट व सशशन जज हैं, उनकी अध्यक्षता में बनाये गये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किस नियम के अधीन उसकी स्थापना की गई थी ?

श्री जैल सिन्ह : सिटिजन न होने पर भारत छोड़ो नोटिस दिया जाता है। उसके प्रति अगर किसी ने एतराज करना हो कि मैं सिटिजन हूं तो वह ट्रिबूयनल में अपना मामला ले जा सकता है :

आपसे मैंने यह प्रार्थना की कि जो सिटिजनशिप एक्ट है, जो कांस्टीट्यूशन की धारा 11 में अधिकार दिया गया है, उसके आधार पर पार्लियामेंट से एक एक्ट बनाया गया। इस सिटिजनशिप एक्ट के मुताबिक जिसको सिटिजन बनने का अधिकार मिलता है, उसको अधिकार

देने के लिये और जो सिटिजन नहीं बने, उनके नाम वोटर लिस्ट से निकालने के लिये यह काम शुरू से चला आता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है आधार वर्ष मानने पर राष्ट्रीय मतैक्य है।

एक माननीय सदस्य : नहीं ऐसी बात नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कम से कम इस बारे में सभी पार्टियों ने निवेदन किया है। यदि ऐसी बात है तो जिन लोगो के बारे में माना जाता है कि वे 1951 से वहां रह रहे हैं जिनकी यह स्थिति अधिकरण ने भी स्वीकार की हैं, उन्हें क्यों निष्कासित किया जा रहा है? सरकार किस नियम के अंतर्गत इस अधिकरण की स्थापना कर रही हैं ? यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। यदि मंत्री महोदय को इस बारे में जानकारी नहीं है तो मैं उन्हें कागजात भेज सकता हूं। कृपया सभा को जानकारी दें। यह मानवीय समस्या है।

श्री जैल सिंह : आप मुझे कागजात भेज दीजिए, जिस बात की जानकारी नहीं आई होगी उस में मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिये कि 1952 से लेकर 1979 तक जो निकाले गये, जिन पर मुकदमे चलाये गये उनकी जो गिनती है, उसे आप देख सकते हैं। इसमें डिटेक्शन किये गये 3 लाख 71 हजार 861 हैं और जिनको प्रासीक्यूट किया गया वह 30 हजार 610 हैं और जो डिपार्ट किये गये उनकी गिनती 3 लाख 10 हजार 870 है। यह प्रासेस कन्टीन्युअसली चल रहा है और यह आसाम गवर्नमेंट की तरफ से होता है। आसाम गवर्नमेंट इसको करती है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अप्रेल, 1964 के भारत और पाकिस्तान के गृह मंत्रियों के सम्मेलन के बाद निर्णय लिया गया कि पाकिस्तानी घुसपैटियों को निकालने के लिए न्यायपूर्ण तरीका जारी किया जाये। तदनुसार, 23 सितम्बर, 1964 को एक विदेशी अधिकरण आदेश जारी किया गया जिसके अन्तर्गत उसी वर्ष अक्तूबर में आसाम सरकार द्वारा चार अधिकरण स्थापित किये गये। तब से उनकी संख्या बढ़ा दी गई है (व्यवधान) जो भी हो यह कार्य 1964 में हमारे गृह मंत्री ने पहले निष्कासित किये गये व्यक्तियों की संख्या को पढ़ कर सुनाया है। उन में ये कुछ व्यक्ति वापस आ गये है.....मैं नहीं जानती। मुझे उन कागजात को प्राप्त कर प्रसन्नता होगी जो माननीय सदस्य मेरे पास भेजना चाहते हैं।

हम निश्चय ही उन पर अत्यन्त गम्भीरता से विचार करेंगे। परन्तु कुछ ऐसे मामलो का पता चला है कि निष्कासित हुए व्यक्ति आसाम लौट आये हैं। हमे यही बताया गया है और इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तथा कथित अधिकरणो में हाल ही में वृद्धि हुई है।

(व्यवधान)

श्री मती इन्दिरा गान्धी : उनकी संख्या 4 से बढ़कर 16 हो गई है यह सच है।

(व्यवधान)

कार्य वाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कोई बात नहीं उठाई जाये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वाजपेयी जी —दो पृथक समस्याएँ हैं । एक समस्या यह है । कि भारतीय नागरिको को तंग न किया जाये तथा उन्हें जहां चाहे रहने की स्वतंत्रता हो । दूसरी समस्या यह है यदि कि कोई विदेशी है तो उनके मामले पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

श्री अटलबिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह दावा ठीक नहीं है कि सभी राजनैतिक दलों ने 1971 को स्वीकार किया हैं । इस सम्ब ध में मतभेद है, और सरकार को, आसाम में जो आन्दोलन चला रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके कौन से वर्ष को आधार बनाया जाये, यह तय करना होगा । मगर मैं जानना चाहता हूं कि अगर ट्रिब्यूनल्ज की संख्या बढाई जा रही है, तो इसमें गलत क्या है । आसाम के दौरे में मुझे ऐसे मामले मिले जिनमें बंगला देश से कोई व्यक्ति आता है, उसे पश्चिम बंगाल में नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया जाता है और आसाम में बसने के लिए भेज दिया जाता है । (व्यवधान)

कई मानवीय सदस्य : नहीं नहीं ।

श्री अटल विहारीवाजपेयी : क्या इस मामले की भी जांच की जायेगी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों ने इस पर जोर दिया है कि जो अभी इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें । मैं पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या फैसला किया है । केवल चेकपोस्ट्स बढ़ाने से यह इनफिल्ट्रेशन नहीं रुकेगा । इस बारे में कुछ और कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी । क्या इस सम्बन्ध में गृह मन्त्री महोदय सदन को विश्वास में लेगें ?

श्री जैलसिंह : स्पीकर साहब, इस नेशनल प्राबलम पर हाउस को एंग्जाइटी की मैं एप्रिशिएट करता हूं । सब पार्टियों के नेताओ में जो बात हुई थी, जिसमें यह कानसेन्सस हुआ, उसमें आनरेबल श्री वाजपेयी नहीं थे । उसमें सुन्दरसिंह भंडारी थे ।

वह उनसे पूछ सकते हैं कि क्या फैसला हुआ है ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : मैंने पूछा हुआ है ।

श्री जैलसिंह : उसकी वर्बाटिम रिपोर्ट है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : कोई फैसला नहीं हुआ । अलग-अलग लोगों ने अपनी अलग-अलग राय रखी थी । मैं उस मीटिंग में मौजूद था ।

श्री जैलसिंह : इस बारे में बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री जार्जफर्नान्डिस : अन्य लोग अपनी बात बताते हैं ।

श्री सी० टी० दंडपाणि : सभी पार्टियां सहमत थीं। (व्यवधान) वह भी उपस्थित थे।

श्री जार्ज फर्नांन्डिस : आसाम में छात्रों से अपील करते हुए वक्तव्य जारी किया गया। (व्यवधान) कि आन्दोलन वापस ले लिया जाये। केवल इस बात पर सहमति हुई थी।

श्री जैलसिंह : कुछ बातें अखबार में दी जाती हैं। कुछ नहीं दी जाती हैं लेकिन इन बातों में जो आनरेबल मेम्बर का ख्याल है, उनकी जो ऐंग्जायटी है वह भी मैं समझता हूं। यह जो वहां स्टूडेन्टस की फारेनर्स को निकालने की मूवमेंट चली यह 1979 के अक्तूबर में शुरू हुई। उस वक्त यहां पर लोक दल का राज्य था। किसी ने जाकर उनसे बात नहीं की और न ही किसी ने इस बात का ख्याल किया कि उनको सुना जाय कि उनको शिकायत क्या है। यह बैवी तो है लोक दल का लेकिन हमें सम्भालना पड़ा। हमने उनसे बातचीत शुरू की है।..... (व्यवधान) .....आप सुन लीजिए। बागड़ी जी आप जरा शान्त रहिए..... (व्यवधान)

स्टूडेन्टस यहां आए और उन्होंने आकर एक मेमोरेंडम प्रधान मन्त्री जी को दिया। उस मेमोरेंडम में उनकी आठ मांगें थीं उन मांगों में से मैं आपको दोहरा दूं.....

अध्यक्ष महोदय : खत्म कीजिए, क्वेश्चन अवर खत्म हो गया।

श्री जैलसिंह : क्वेश्चन अवर खत्म हो गया तो ठीक है, वाजपेयी जी हमारे पास आ जायं, मैं उनको समझा दूंगा।

— —

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिहार में हरिजनों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार

***25. श्री के० मालन्ना** :

श्री माधवराव सिंधिया : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार से कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें गत छः महीनों के दौरान उस राज्य में हरिजनों और समाज के कमजोर वर्गों पर किये गये अत्याचारों और ज्यादतियों की घटनाओं के बारें में बताया गया हो; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) बिहार सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अगस्त, 1979 से जनवरी 1980 तक बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर किए गए अपराधों की संख्या इस प्रकार हैं :—

		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	हत्या	18	4
2.	हिंसाएं, जिनके कारण गंभीर चोटें आयीं	87	6
3.	बलात्कार	37	12

		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
4.	आगजनी	143	9
5.	अन्य भा०द० संहिता के मामले	653	59

2. अगस्त, 1979 से आगे की अवधि के दौरान हुई घटनाओं के कुछ मामले नीचे दिए गए हैं :—

(1) बौद्ध गया के महंत और उसके आदमियों द्वारा काफी मात्रा में खेती-भूमि पर तथाकथित गैर कानूनी कब्जे का विरोध करने पर महन्त के नकाबपोशी द्वारा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की तथाकथित हत्या तथा अत्याचार करना ।

(2) अनुसूचित जाति के नेता की तथाकथित हत्या और जिला बेगूसराय के बरौनी पुलिस स्टेशन के ग्राम चकबाल में अन्यों का उत्पीडन ।

(3) जिला समस्तीपुर, पुलिस स्टेशन बरिश नगर के ग्राम सारी में अनुसूचित जातियों के सदस्यों को भूमि से बेदखल करना और सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अन्धाधुन्ध गोली बारी करना ।

(4) जिला बेगूसराय और मुंगेर के गांवों में पुलिस की मिली भगत से अनुसूचित जातियों पर तथाकथित अत्याचार और पुलिस द्वारा श्री त्रिवेणी पासवान की तथाकथित हत्या ।

(5) पारसबीघा में अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों पर किए गए अत्याचार ।

(6) गांव-पिपरा में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार ।

(7) जिला सीतामढ़ी के गांव मणिचोक में श्री बिलत पासवान के घर को आग लगाना, जिसके परिणामस्वरुप श्री पासवान की पत्नी और लड़की की मृत्यु हो गई ।

(8) पुलिस स्टेशन साईलों के ग्राम भादरी में अनुसूचित जाति की नाबालिग लडकी के साथ बलात्कार ।

उपर्युक्त मामलों में बिहार सरकार के साथ कार्रवाई की जा रही है ।

(ख) भारत सरकार इन अत्याचारों पर गहरी चिन्ता प्रकट करती है और इनको समाप्त करने के लिए उत्सुक है । जिन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रो में ऐसे अपराध होते रहे है, उन राज्यों और पंच संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियो, राज्यपालों और उपराज्यपालों को मैंने अपनी चिन्ता और उत्सुकता व्यक्त करने के लिए लिखा है । सामान्य सामाजिक आर्थिक तत्वों जिनके कारण इनमें से काफी अधिक अपराध उत्पन्न होते हैं, के विश्लेषणों पर आधारित अनुसूचित जातियों के सदस्यों पर हो रहे अत्याचारों से निपटने के लिए पूर्वोपाय और निवारक, दंडात्मक और पुनर्वास उपाय करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तो को इस पत्र के साथ राज्य सरकारों को भेजा है ।

पिपरा में हुई घटना

*26. **श्री मूल चन्द डागा :/**

श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1980 में बिहार राज्य में पिपरा गांव के 14 हरिजनों को मार डालने की भयानक घटना किस कारणों से घटी ;

(ख) इस जघन्य अपराध को करने वाले दोषी व्यक्तियों में से अब तक कितने गिरफ्तार किए जा चुके हैं; और

(ग) क्या सरकार का ऐसी जघन्य घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए कुछ ठोस उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) बिहार सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार फरवरी, 1980 में हुई भयानक घटना के पीछे कारणो के बारे में एक निश्चित परिणाम पर अभी पहुंचना है ।

(ख) कुल 77 व्यक्तिों को गिरफतार किया गया था । इस मामले में 62 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

बिहार सरकार ने ऐसी पुणित घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं ।

(i) पिपरा गाँव में सशस्त्र बल के साथ एक मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया था ।

(ii) कलयाणचक, पारथु, सभाजपुर, उपरोल, भावेल और अलाउद्दीन चक गांवों में स्थिर पूलिस टुकडियां तैनात की गई थी ।

(iii) बाकी इलाके में पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों के साथ चलते-फिरते पुलिस दल प्रतिनियुक्त किऐ गऐ थे ।

(iv) इलाके में वडी संख्या में हथियारों के लाइसेन्सों का रदद करने का एक प्रस्ताव जिला प्रशासन के विचाराधीन है ।

2. उपरोक्त कार्रवाही के अतिरिक्त, बिहार सरकार ने राज्य में विधि और व्यवस्था को सामान्य रुप से कड़ा करने के लिए तुरन्त विचार करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं ।

(क) दंगाग्रस्थ क्षेत्रो में अतिरिक्त पुलिस रखना और जहां आवश्यक हो पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अधीन इलाके के निवासियों के खर्च पर प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की व्यवस्था करना ।

(ख) सामुहिक जुमनि अथवा सामुहिक कर तथा गांवो मैं विशेषकर हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गो की सुरक्षा के लिए मुखियों तथा अन्य को उत्तरदायी वनाने के लिए एक अध्यादेश उद्घोषित करना ।

(ग) इस प्रकार के आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पटना न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के परामर्श से विशेष न्यायालय निर्धारित करना ।

(घ) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, न्यूनतम मंजूरी अधिनियम तथा अपराध नियंत्रण अध्यादेश को सख्ती से लागू करना ।

(ङ) आवश्यकता पड़ने पर अग्नेय-अस्त्र के लाइसेन्स जब्त और रदद् करना तथा अवैध हथियारों और उनके बनाने वालों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाना ।

3. मैंने विशेष रूप से, मुख्य मंत्रियों, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के राज्यपालों तथा उप-राज्यपालों जहां अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध होते रहे हैं इन अत्याचारों के बारे में भारत सरकार की गहरी चिन्ता उनसे व्यक्त करने और उन अत्याचारों को खत्म करने के लिए केन्द्रीय सरकार की उत्सुकता के बारे में लिखा है। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों से कारगर ढंग से निपटने के लिए, उन सामान्य सामाजिक आर्थिक तत्वों जो अधिकांशत: इन अपराधो की जड़ है, के विश्लेषण पर आधारित, व्यापक एहतियाती तथा निरोधक, दंडात्मक तथा पुनर्वास उपायों के व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त इस पत्र के साथ राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं ।

23 फरवरी, 1980 को आगरा में भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटना ग्रस्त होना

27. श्री डी.पी. जदेजा :

श्री अहमद एम. पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 फरवरी, 1980 को भारतीय वायु सेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में कोई जाँच की गई है जिसमें आगरा में 46 प्रतिरक्षा कर्मचारी मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो जाँच आयोग के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) मृत तथा घायल कर्मचारियों के निकट संबंधियों को कुल कितना मुआवजा दिया गया ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री.....(श्री सी.पी.एन.सिंह.: (क) और (ख) 22 फरवरी, 1980 को आगरा में हुई विमान दुर्घटना की, जिसमें 47 रक्षा कार्मिक मारे गए, जांच अदालत द्वारा जांच की जा रही है और जांच पूरी होने पर ही अदालत के निष्कर्षों का पता चलेगा ।

(ग) इस दुर्घटना में मारे गए वायुसेना के प्रत्येक कार्मिक के परिवार को तत्काल सहायता के रूप में 950.00 रूपए से 2000.00 रूपए तक की सहायता दी गई है और थल सेना के प्रत्येक मृत कार्मिक के परिवार को 500.00 रूपए की सहायता दी गई है । इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए सभी कार्मिको के आश्रितों को नियमानुसार की जाने वाली अदायगी के बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

परमाणु नीति पर पुनर्विचार

28. **श्री.एन.ई होरो : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) यदि पाकिस्तान परमाणु देशों की श्रेणी में आ जाता है तो क्या परमाणु प्रश्न पर अपने रख पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है ; और

(ख) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है कि उन्हें एक वर्ष के के भीतर 'परिणाम' प्राप्त हो जायेंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य में मंत्री .....(श्री सी. पी. एन. सिंह : (क) और (ख) परमाणु हथियार प्राप्त करने के पाकिस्तान के प्रयासों और वहां के राष्ट्रपति के प्रश्न में उल्लिखित वक्तव्य के बारे के में अखबारों में छपी खबरें सरकार ने देखी हैं। अब तक हमारी हमेशा यही नीति रही है कि हम परमाणु-शक्ति का प्रयोग केवल शान्तिपूर्ण और रचनात्मक कार्यों के लिए करेंगे ।

पारसबीधा घटनाओं के संबंध में रिपोर्ट

*29. **श्री तारीक अनवर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पारसबीधा में हत्या, लूटपाट और आगजनी की कथित घटनाओं के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री श्री जैल सिंह (क) जी हाँ, श्रीमान

(ख) बिहार सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राइफलों, बन्दूकों तथा अन्य घातक हथियारों से लैस एक सशस्त्र भीड़ ने 6 और 7 फरवरी, 1980 की रात को पारसबीधा गाँव को घेर लिया और आगजनी और हत्यायें की जिसके परिणामस्वरूप 11 व्यक्ति घटनास्थल पर मारे गए और नौ व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में से एक व्यक्ति की अपनी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। भारतीय दंड संहिता और सशस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन 7 फरवरी, 1980 को एक मामला दर्ज किया गया। अब तक 26 दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 49 फरार व्यक्तियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जाँच शीघ्र पूरी होने की आशा है।

वारदात के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन समस्त जहानाबाद सब डिवीजन में आदेश उदघोषित किए जा चुके हैं और सशस्त्र बल के साथ मजिस्ट्रेट भी पारसबीधा और 10 निकटवर्ती गाँव में तैनात किए जा चुके है सवेदनशील गाँवों के क्षेत्रों में विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ट मजिस्टेटो और पुलिस अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है। घुड़सवार पुलिस भी तैनात की गई है । राजस्व बोर्ड के एक सदस्य से इस घटना के संबंध में कथित प्रशासनिक गलतियों की जाँच पड़ताल करने के लिए कहा गया है। पुलिस के उप-महा-

निरीक्षक, भगथ रेंज, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, गया, उप मंडल अधिकारी तथा पुलिस सकायक अधीक्षक, जहानाबाद के तबादले कर दिए गए हैं।

राहत कार्य शुरू किए गए हैं और पीड़ितो में भोजन, कपड़े तथा कम्बल बाँटने के लिए प्रबंध किए गए और बेघर हो गए व्यक्तियों को तुरन्त आश्रय प्रदान करने के लिए तम्बुओं की व्यवस्था की गई। पीड़ितों को स्थाई आश्रय प्रदान करने के लिए उपाय किए गए है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5000 रुपए और प्रत्येक घायल व्यक्ति के लिए 1000 रुपए स्वीकृत किए हैं सरकार द्वारा इस घटना में जो पशु नष्ट हो गए थे उनके लिए प्रत्येक भैंस 1500 रुपए और प्रत्येक बकरी 150 रुपए की दर से अनुग्रह-पुर्वक अनुदान का भुगतान करना भी स्वीकृत किया गया है।

बजाज और प्रिया स्कूटरों का वितरण अपने हाथ में लेना

*30. **श्री सतीश प्रसाद सिह :**

श्री आर० एल० पी० वर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या बजाज आटो लिमिटेड तथा उसकी सम्बद्ध कम्पनी द्वारा निर्मित बजाज और प्रिया स्कुटरों की बुकिंग के लिए बहुत व्यक्ति प्रतीक्षारत हैं ;

(ख) क्या ये स्कूटर काले बाजार में बहुत ऊँची दरों पर मिलते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे सरकारी कर्मचारियों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिए जैसा कि पहले किया जाता था इसकी वितरण व्यवस्था अपने हाथ में लेने का है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में निर्णय कब तक किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन : (क) इन स्कूटरों के लिए प्रतीक्षा की अवधि अपेक्षा कृत लम्बी है।

(ख) निर्माताओं ने बताया है कि इच्छुक खरीददारों को अधिकृत विक्रेताओं से स्टकूर खरीदने के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य नहीं देना पड़ता है फिर भी, इन मेकों के स्कूटर सैकिड-हैंड बाजार से अधिक मूल्यों पर बिकते बताये जाते हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास में लघु उदयोग क्षेत्र को भूमिका के बारे में सींधी समिति का प्रतिवेदन.....

*31. **श्री आर०के० महालगी** : क्या प्रधान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दशीने वाले विवरण को सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सीधी समित ने इलेक्ट्रॉनिक उदयोग के विकास में लघु उदयोग क्षेत्र की भूमिका के बारे में अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब और उक्त समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं तथा उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तो निर्णय लिए जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है ?

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी (क) : जी, हाँ ! जनता पार्टी द्वारा श्री सींधी की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में लघु उद्योग क्षेत्र की भूमिक क्या हो, इसका उल्लेख भी इस रिपोर्ट में किया गया है।

(ख) समिति के निष्कर्षों और उसकी सिफारिशों का सारांश सभा पटल पर रख दिया गया है।**

(ग) तथा (घ) : रिपोर्ट के निष्कर्षों का अध्ययन किया जा रहा है।

बिहार के सारन जिले में उद्योगों की स्थापना करना

32. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिहार के सारन जिले में जितने खाद्यान्न का उत्पादन होता है वह वर्ष के केवल 4 महीनों के लिए ही पर्याप्त होता है, इस सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से वहां कोई नया उद्योग स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरनजीत चानना) : (क) बिहार के सारन जिले में सरकारी क्षेत्र में एक नया उद्योग स्थापित करने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर भारत सरकार इस समय विचार नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकारी क्षेत्र में उपक्रम की स्थापना केवल जनसंख्या के घनत्व पर ही नहीं अपितु तकनीकी -आर्थिक पहलुओं पर निर्भर करती है। भारत के राज्यों में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से ही सर्वाधिक विनियोग किया गया है।

परमाणु ऊर्जा के विकास पर योजनाबद्ध व्यय में गिरावट

* 33. **श्री मगन भाई बरोट** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**रिपोर्ट का हिन्दी रुपान्तरण तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही संसद के पुस्तकालय में रख दिया जागगा।

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 से 1979 के दौरान परमाणु ऊर्जा तथा आधार भूत शोधों के तत्संबंधी क्षेत्रों के विकास से संबंधित योजना-बुद्ध व्यय में गिरावट आई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को पता है कि परमाणु ऊर्जा तथा अधार-भूत शोधों के अन्य तत्संबंधी क्षेत्रों के शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये उपयोग हेतु विकास-व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां । यह कमी मुख्य रूप से इन कारणों से आई है --(i) कुछ ऐसी परियोजनाओं पर होने वाले व्यय में कमी लाना, जिनका काम लगभग पूरा (ख) होने वाला था, (ii) विभिन्न कारणों से, जिनमें आपूर्तिकर्ताओं की फेक्टरियों में उत्पन्न समस्यायें भी शामिल हैं, परिष्कृत उपस्करों की प्राप्ति में कठिनाइयाँ आना, (iii) कुछ नई परियोजनाओं पर होने वाले व्यय का अपेक्षित गति से आगे न बढ़ पाना।

(ग) योजनाबद्ध परियोजनाओं को संस्वीकृत कराने और संस्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के काम में तेजी लाने की कारवाई की जा रही है । महत्वपूर्ण उपस्करों की आपूर्ति में होने वाली देरी को कम करने का और ज्यादा प्रयास करना भी इसी कारवाई में शामिल है । आशा है कि वर्ष 1980 --81 में व्यय की मात्रा बढ़ेगी ।

अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट

* 34. **श्री जेनुल बशंर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने भारत सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हाँ, तो किन मामलों के बारे में ; और

(ग) क्या सरकार ने आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में से कोई सिफारिश स्वीकार कर ली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अल्प संख्यक आयोग ने अपने कार्यो का ब्यौरा देते हुए वर्ष 1978 की अपनी पहली रिपोर्ट फरवरी, 1979 में प्रस्तुत की थी । इसकी छपी हुई प्रतियां और हिन्दी रूपान्तर 16 जून, 1979 को उपलब्ध किये गये थे । आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट को संसद के सदनों में रखने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं । यद्यपि मामले पर कार्यवाही की जा रही थी परन्तु जुलाई और अगस्त, 1979 में तत्कालीन मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने और अगस्त, 1979 में लोकसभा के भंग होने के कारण भी ऐसा पहले नहीं किया जा सका । इसके अतिरिक्त आयोग ने निम्नलिखित आठ रिपोर्ट भी प्रस्तुत की हैं । इन रिपोर्टों में प्रत्येक पर की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :—

क्र० सं०	रिपोर्ट के विवरण	की गई कार्यवाही
1	2	3
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1978 संबंधी रिपोर्ट (मई, 1978)	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1978 संबंधी अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित 19-3-1979 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई थी।
2.	जुलाई-सितम्बर, 1978 में हुए पैरनाम्बुत के साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में रिपोर्ट (नम्बर, 1979)	सिफारिशों का तमिलनाडू सरकार से संबंध है। सरकार ने 13-2-1979 को अल्पसंख्यक आयोग को अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं। सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन पर विचार करने के लिये राज्य सरकार आगे कार्यवाही कर रही है।
3.	अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में रिपोर्ट (दिसम्बर, 1978)	आयोग की सिफारिशें उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार से संबंधित है। केन्द्रीय सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में सूचना लोकसभा में 21-2-79 के अतारांकित प्रश्न संख्या 336 के उत्तर में दी गई थी।
4.	गुरुद्वारा मनजी साहिब, करनाल (हरियाणा) के निकट एक शिव मंदिर के निर्माण पर विवाद के संबंध में रिपोर्ट (अप्रैल, 1979)	अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही हरियाणा सरकार द्वारा की जानी है। यह मंत्रालय राज्य सरकार के साथ मामले पर कार्यवाही कर रहा है ताकि वे शीघ्र निर्णय ले सके और आयोग को अपना अन्तिम उत्तर भेज सकें।
5.	जमशेदपुर (बिहार) में हुए साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों के पुनर्वास के संबंध में रिपोर्टें (अप्रैल, 1979)	आयोग की सिफारिशें बिहार सरकार से संबंधित हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने के लिये उससे आग्रह कर रही है।
6.	श्री ओ० पी० त्यागी के धर्म	अल्पसंख्यक आयोग द्वारा यह रिपोर्ट विभिन्न

1	2	3
	स्वातंत्र्य विधेयक, 1978 और अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1978 के बारे में रिपोर्ट (मई, 1979)	क्रिश्चन संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर तैयार की गई थी। रिपोर्ट अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्रथ अधिनियम, 1978 तथा उस राज्य से संबंधित कुछ मामलों से भी संबंधित थी। श्री त्यागी का विधेयक छठी लोकसभा भंग होने के साथ-साथ समाप्त हो गया। इसका और अन्य संगत पहलुओं का उत्तर आयोग को सितम्बर, 1979 में भेजा गया था।
7.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में पंजाबी भाषा के स्तर के संबंध में रिपोर्ट (मई, 1979)	अल्पसंख्यक आयोग को 5 नवम्बर, 1979 को उत्तर भेजा गया था।
8.	उत्तर प्रदेश क्रिश्चिन जनता धार्मिक संस्थान (सम्पति के स्थानान्तरण पर अस्थाई प्रतिबंध (अध्यादेश, 1978 के संबंध में रिपोर्ट (मई/जून, 1979)	उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित अध्यादेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों के लिये गृह मंत्रालय को भेजा था। इस मामले में अल्प-संख्यक आयोग और राज्य सरकार से उनके विचार मांगे गये थे। राज्य सरकार से अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा है।

गोहाटी में गृह मंत्री की राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक

*35. **श्री अटल विहारी वाजपेयी :**

श्री पी० के० कोडियन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 24 फरवरी, 1980 को गोहाटी में, जनता पार्टी को छोड़कर अन्य सभी दलों के राजनैतिक नेताओं की उनके साथ संयुक्त रूप से बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राजनैतिक दलों ने सभी संबंधितों के लिये संतोषजनक हल खोजने के वास्ते भारत सरकार की पहल का स्वागत किया है। विचार विमर्श के दौरान उन्होंने असम के लोगों के विभिन्न वर्गों की आशंकाओं का जिक्र किया और कहा कि इनको शीघ्र दूर किया जाए। उनमें से लगभग सबका विचार था कि विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने के लिये 1971 की मतदाता सूची को आधार माना जाना चाहिए।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग का प्रतिवेदन

*36. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :**

श्री समर मुखर्जी : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुलिस आयोग का द्वितीय प्रतिवेदन इस बीच प्रकाशित हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्त सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उनके कार्यान्वयन के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) तथा (ग) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1 फरवरी, 1980 को अपना तीसरा प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया हैं । प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

एल० पी० सिंह समिति का प्रतिवेदन

*38. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुप्तचर विभाग तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बारे में सुझाव देने के लिये नियुक्ति की गई एल० पी० सिंह समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और उसने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सरकार प्रतिवेदन का अध्ययन कर रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सरकार अभी प्रतिवेदन का अध्ययन कर रही है ।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर का बन्द होना

*39. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :**

श्री जय नारायण : क्या प्रधान मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1980 के दौरान राजस्थान परमाणु बिजली घर बंद हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त बिजलीघर कितनी बार बन्द हुआ है; और

(घ) जबसे इसमें कार्य आरम्भ हुआ है तबसे यह कितने दिन चला है ?

प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) तथा (ख) जी हां । माडरेटर हीट एक्सचेंजर की कुछ ट्यूबों से अत्यंत अल्प मात्रा में रिसाव होने के कारण इस यूनिट को

बन्द करना पड़ा था।

(ग) और (घ) 1973, 74, 75, और 76 के वर्षों में, ग्रिड की और स्वयं यूनिट की खराबियों के कारण बिजली घर को प्रतिमास औसतन 5 बार बन्द करना पड़ा। डिजायन में रही मामूली सी कमी और कनाडा से प्राप्त टर्बाइन ब्लेडों की बनावट का त्रुटियुक्त होना वे मुख्य कारण थे जिनसे इन वर्षों में बिजलीघर को ज्यादा बार बन्द करना पड़ा था। इन कमियों को दूर किया गया और जैसा कि यूनिट के बन्द होने की घटनाओं में तेजी से हुई कमी से स्पष्ट है, उसके बाद बिजलीघर में काम में सुधार हुआ है। 1977, 78, और 79 के वर्षों में बिजलीघर के बन्द होने की घटनाओं की संख्या प्रतिमास औसतन 1 रहा। इन घटनाओं में वे घटनाएं भी शामिल हैं जो ग्रिड की खराबी के कारण हुई थीं।

योजना व्यय में कमी

*40. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष, अर्थात् 1979-80 में सभी राज्यों में और केन्द्रीय योजनाओं में भी योजना-व्यय में भारी कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र और प्रत्येक राज्य के व्यय में कमी का ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) और (ख) : वार्षिक योजना के संबंध में विचार-विमर्श के समय योजना आयोग को राज्यों द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार चालू वर्ष में राज्यों में योजना व्यय में कोई महत्वपूर्ण कमी होने की संभावना नहीं है। केन्द्रीय योजना के संबंध में यह प्रत्याशा है कि कई स्कीमों के असंतोषजनक कार्यान्वयन के कारण लगभग 3 प्रतिशत की कमी हो सकती है।

गत दो महीनों के दौरान अपराध के मामले

138. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दो महीनों के दौरान राज्यवार (संघ क्षेत्रों सहित) दंगों, लूटपाट, कत्ल, बलात्कार, डकैतियों और लूटखसोट की कितनी घटनायें हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

दल-बदल

139. **श्री झारखंडे राय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान गत कुछ महीनों के दौरान बड़े पैमाने पर हुए दल-बदल की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दल-बदल को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : (क) तथा (ख) दल-बदल के बारे में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है। सरकार को अभी तक दल-बदल को रोकने की दृष्टि से उपयुक्त कानून लाने के प्रश्न पर विचार करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है ।

स्कूटरों की चोरी

140. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान राजधानी में स्कूटरों की चोरी के मामलों में भारी वृद्धि हुई है; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान सरोजिनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर और आर० के० पुरम से अलग-अलग कितने स्कूटर चुराये जाने की रिपोर्ट की गई है और उनमें कितने स्कूटर बरामद किये गये हैं; और

(ग) शीघ्र जांच पड़ताल करने और अपराधियों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन महीनों के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में स्कूटरों की चोरी में कमी हुई है। 1-12-79 से 29-2-80 तक की अवधि के दौरान ऐसे 302 मामले सूचित किये गये हैं जबकि 1-12-78 से 28-2-79 की अवधि के दौरान 327 मामले सूचित किए गए थे ।

(ख) बस्ती का नाम	स्कूटरों की संख्या जिनके चोरी किए जाने की रिपोर्ट की गई ।	बरामद किए गए स्कूटरों की संख्या
सरोजनी नगर	6	1
लक्ष्मीबाई नगर	—	—
आर. के. पुरम	12	8

(ग) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) प्रत्येक पुलिस जिले में आटो की चोरी रोकने के दस्ते स्थापित किए गए हैं । इनके कार्य का संचालन मुख्य रूप से अपराध शाखा द्वारा किया जाता है ।

(ii) जब स्कूटर चोरी के किसी मामले की रिपोर्ट की जाती है तो तुरन्त भारत के सभी पुलिस अधीक्षकों को तेतार संदेश भेजे जाते हैं और पुलिस नियंत्रण कक्षों को सावधान किया जाता है;

(iii) सामरिक महत्व के स्थलों पर सादे कपड़ों/वर्दीधारी पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया जाता है :

(iv) ज्ञात स्कूटर उठाईगीरों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है ।

(v) चोरी किए गए और बरामद न हुए वाहनों के संबंध में चौकसी रखने के लिए बीट के गश्ती स्टाफ को चोरी किए गए वाहनों की सूची दी जाती है ।

केन्द्रीय सचिवालय राज भाषा सेवा नियम- 1979 का परिचालन

141. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा ग्रुप 'ग' के पद नियम, 1979 आपत्तियां एवं टिप्पणियां जानने के लिये संघ सरकार के सभी विभागों में परिचालित किये जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय-वार कर्मचारियों से अब तक क्या मुख्य टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) कितने कार्यालय/मंत्रालय अपनी टिप्पणियां नहीं भेज सके हैं; और

(घ) नियमों को अन्तिम रूप किस तारीख तक दे दिया जायेगा ?

गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ): केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के (ग्रुप भाग के पद) के नियमों का प्रारूप सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियां जानने के लिये परिचालित किया गया था। 34 मंत्रालयों/विभागों से अभी उत्तर आने है। टिप्पणियां प्राप्त होने पर नियमों के प्रारूप पर आगे विचार किया जायेगा। कर्मचारी चयन आयोग आदि से परामर्श करके उन्हें शीघ्र अंतिम रूप देने के प्रयत्न किये जायेंगे।

मुरैना में कागज और हार्ड बोर्ड उद्योग की स्थापना

142 **श्री बाबूलाल सोलंकी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कागज निर्माण उद्योग तथा हार्ड बोर्ड एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या मुरैना (म० प्र०) में कागज निर्माण एकक लगाने का प्रस्ताव, विशेषकर वहां कच्चे माल की सहज उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, (अगले वित्तीय वर्ष के) लिये योजना में शामिल किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) से (ग) : मुरैना (मध्य प्रदेश) में कागज व गत्ता बनाने के औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए निम्नलिखित पार्टियों के प्रस्तावों को सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। प्रत्येक के सामने क्षमता दी गई है।

पार्टी का नाम	क्षमता प्रतिवर्ष
1. मैसर्स वर्द्धमान पेपर उद्योग (प्रा०) लिमिटेड मुरैना (म० प्र०)	लिखाई तथा छपाई का कागज 2.250 मी० टन
2. मैसर्स डेकेम इण्डिया लि० मुरैना (म० प्र०)	लिखाई तथा छपाई 3,200 मी० टन कागज, टिशू कागज तथा गत्ता।
3. मैसर्स तारू जे० लालावानी नई दिल्ली-स्थान मुरैना (म० प्र०)	लिखाई का कागज 10,000 मी० टन लुगदी 10,000 मी० टन

अमरीका द्वारा तारापुर संयंत्र के लिये यूरेनियम की सप्लाई

143. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा तारापुर संयंत्र के लिये समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई संबंधी विवाद इस बीच हल हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो तारापुर के लिये परमाणु ईंधन प्राप्त करने के लिये कोई अन्य स्रोत निकाले जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तारापुर संयंत्र के लिए यूरेनियम की दो खेपे पहले ही पहुंच जानी चाहिए थी । भारत सरकार ने अमरीका सरकार के साथ इस उद्देश्य से निकट सम्पर्क बनाए रखा है कि तारापुर बिजलीघर के रिऐक्टरों के पुरे कार्यकाल के लिए ईंधन की सप्लाई सन् 1963 में हुए सहकार करार के प्रावधानों के अनुसार समय पर तथा निरंतर होती रहे ।

(ख) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यकक उपाय करेंगी कि तारापुर परमाणु बिजलीघर निरंतर काम करता रहे ।

साम्प्रदायिक और जातिवादी प्रवृत्तियों में वृद्धि

144. **श्री एड्आर्डो फैनीरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में गत तीन वर्षों के दोरान साम्प्रदायिक और जातिवादी तनाव में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) साम्प्रदायिक तथा जाति तनाव सामाजिक, आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक से उत्पन्न होते है तथा इनसे विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था की स्थितियों पराकाष्ठा पर पहुंच जाती हैं । भारत सरकार ने राज्य सरकारों को जाति तथा साम्प्रदायिक तनावों से निपटने के लिए विभिन्न उपायों के सुझाव दिये हैं ।

भारत सरकार अल्पसंख्यकों को समान रोजगार अवसर प्रदान करके तथा राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों मे उनके द्वारा सक्रिय रुप से भाग लेने को सुनिश्चित करके, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं । विभिन्न प्रकार की उत्पन्न हो रही प्रवृत्तियों के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है ताकि साम्प्रदायिक और जाति तनावों को उनके उत्पन्न होते ही समाप्त किया जा सके ।

साम्प्रदायिक दंगों का प्रभावी और समयोचित नियंत्रण सीधा जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व होगा और उनकी असफलता पर तुरन्त उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी । अपराधियों को शीघ्र तथा कडी सजा देने के लिये विशेष उपाय किये जाएंगे ।

राज्यों के ग्रुप के साथ अधिकारी स्तर और साम्प्रदायिक रुप से संवेदनशील जिलों के अधिकारियों के साथ राज्य स्तर पर इसी प्रकार की बैठक करने की एक प्रणाली, वर्तमान स्थिति का पुनरीक्षण करने और साम्प्रदायिक सदभाव प्राप्त करने और उसे बढाने के लिए अपेक्षित उपाय करने के लिए आरंभ की गई हैं। इससे निरन्तर पुनरीक्षण की प्रणाली उपलब्ध होगी और साम्प्रदायिक और जाति तनावों के विषय पर ध्यान बना रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक प्रबंधों का समन्वय करने के विचार से साम्प्रदायिक रुप से संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की एक विस्तृत योजना हाथ में ली गई है। वर्तमान आसूचना तंत्र को भी फैलते हुए तनावों के सम्बन्ध में अग्रिम सूचना एकत्र करने और विघटनकारी तत्वों पर निरन्तर नजर रखने के लिए चुस्त बनाया जा रहा है। साम्प्रदायिक स्थिति पर विशिष्ट ध्यान देने के लिए गृह मंत्रालय में भी एक कक्ष स्थापित किया गया है ।

अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों समेत कमजोर वर्गो के हितों के रक्षोपाय के संबंध में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अतीत में विभिन्न सुझाव दिए हैं। दिए गए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :– शीघ्र और प्रभावशाली कार्रवाई करने के जिलाधिशों और पुलिस अधिक्षकों को सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए ऐसे क्षेत्रों में, जहां कमजोर वर्गो पर अत्याचार किए गए हैं, अपराधियो के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करने के लिए विशेष पुलिस दस्ते स्थापित किए जाने चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों की जांच पडताल करने के लिए मुख्य मंत्री की व्यक्तिगत निगरानी में राज्य स्तर पर विशेष कक्ष गठित किए जाए और कमजोर वर्गों के उत्पीडन और अन्य शिकायतों को दर्ज करने के लिए जिला स्तर पर उचित संस्थागत प्रबंध किए जाने चाहिए और ऐसी शिकायतों पर की गई कार्रवाई का नियमित आधार पर प्रबोधन किया जाना चाहिए। कमजोर वर्गो से संबंधित सभी शिकायतों की जांच, चाहे उसमें जात पात के विचार का सन्देह हो या नहीं शीघ्र और पर्याप्त रूप से पर्यवेपण किया जाना चाहिए और अत्याचारों में पर्याप्त रूप से संदिग्ध अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि शीघ्र न्याय करने और अत्याचारों और नागरिक अधिकारों से वंचित किए जाने के मामलों में अपराधियों के लिए दंड सुनिश्चित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता और नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। इन उपायों के उचित कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

उन प्रवृत्तियों से निपटने के लिए जो राष्ट्रीय एकता की जड़ पर प्रहार करती है राष्ट्रीय एकता परिषद में पुनः चालू करने का प्रश्न विचाराधीन हैं ।

नारियल रेशे तथा नारियल के धागे की कमी

45. **श्री जी० बाई० कृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषतया दक्षिणी राज्यों में, नारियल रेशों तथा नारियल के धागों की कमी है, और

(ख) यदि हां, तो छोटे पैमाने के नारियल जटा उत्पादक एककों को नारियल रेशो तथा नारियल के धागे उपलब्ध कराने के बारे में सरकार का प्रस्ताव क्या प्रयास करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) (क) तथा (ख) : बाजारों कयर के रेशे/धागे प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कयर बोर्ड तथा केरल सरकार के साथ परामर्श करके मामले की जाँच की जा रही है।

'जेरवास' द्वारा किये गये हमले

श्री मनोरंजन भरत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गत तीन वर्षों से अब तक 'जेरवास' ने गाँवो, बुश पुलिस कैम्प और फारेस्ट-कैम्पों पर कई हमले किये हैं ; और यदि हाँ तो ऐसे हमलों का विवरण क्या है ;

(ख) ऐसे हमलों से हताहतों की संख्या कितनी है ;

(ग) कितने सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर मारे गये अथवा घायल हुए और क्या पीड़ितों के लिए सरकार ने कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है और ओर यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) जनता के जान और माल की रक्षा के लिये क्या उपाय किये जाने का विचार हैं ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों में अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जेरवासों ने किसी गॉव, बुश पुलिस कैम्प और फारेस्ट कैम्प पर हमले नहीं किये हैं। किन्तु उन्होंने ऐसे व्यक्तियों पर हमले किए हैं जिन्होंने उनके आरक्षित क्षेत्रों में शिकार अथवा अन्य प्रयोजनों के लिये प्रवेश किया था ऐसी घटनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	घटनाएँ	मारे गये व्यक्तियों की संख्या	घायल हुए व्यक्यिों की संख्या	अपहृत
1977		7	1	—
1978	6	4	5	—
1979	1	1	—	—
1980 (अद्तयन)	3	2	2	1

1979 में उन्होंने बुश पुलिस कैम्प और फारेस्ट कैम्पों से कुछ चीजों जैसे कपडे, खाना पकाने के बर्तन तथा लोहे के उपकरणों की एक बार चोरी की।

2. इस प्रकार अब तक हताहतों की कुल संख्या 14 है। मारे गये ता घायल हुए व्यक्तियों में पांच और एक अपहृत व्यक्ति सरकारी कर्मचारी थे। ड्यूटी पर तैनात मरने वाले सरकारी कर्मचारियों को नियमों के अधीन स्वीकार्य लाभ दिये जाते हैं। अपहृत सरकारी कर्म-

चारी के परिवार को तुरन्त राहत के रूप में 250 रु0 भी स्वीकृत किए गए थे। एक मकान स्थल आवंटित करने तथा उसके पुत्र को नौकरी देने का भी निर्णय किया गया है। फारेस्ट कर्मचारियों के मामले में कामगार क्षतिपूर्ति अधीनियम के अधीन क्षतिपूर्ति प्रदान की जा रही है।

3. अंडेमान तथा निकोबार प्रशासन लोगों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये गहन बीट गश्त लगाना लागू कर रहा है। जब भी स्थिति के अनुसार आवश्यकता होती है वे बसाफत वाले क्षेत्रों के साथ पुलिस बल को भी तैनात करते हैं।

गंभीर किस्म के अपराध

147. श्री एन०के० शेजवलकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों के दौरान किये गये गंभीर किस्म के अपराधों की राज्यवार संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (योगेन्द्र मकवाना) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही हैं और उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

बेरोजगार तकनीकी तथा गैर-तकनीकी व्यक्तियों की संख्या

148. श्री विजय कुमार यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1966 से 1980 तक की अवधि के दौरान बेरोजगार तकनीकी तथा गैर-तकनीकी शिक्षित व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी रही;

(ख) क्या यह सच है कि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त (ख) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु तुरन्त ही प्रभावी कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) तक : वर्ष 1966 से 1979 (जून) तक के वर्षों के लिए रोजगार दफ्तरों के रिक्त रजिस्टरों में रोजगार की तलाश करने वाले शिक्षित व्यक्तियों की संख्या का विवरण दिया गया है। इसे देखने से यह मालूम होगा कि रोजगार दफ्तरों के रिक्त रजिस्टर में रोजगार तलाश करने वाले शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में काफी विस्तार हुआ है। नई सरकार शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के प्रति जागरूक है। उनकी योजना पर नये सिरे से विचार करने का प्रस्ताव है और ऐसा करते समय वे इस सम्बन्ध में किए जाने वाले विशिष्ट उपायों पर विचार करेंगे।

विवरण

रोजगार दफ्तरों के रिक्त रजिस्टर में दर्ज रोजगार तलाश करने वाले शिक्षित (मैट्रिक और उससे ऊपर) व्यक्तियों की संख्या और उनमें (इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि और पशु

चिकित्सा विषयों में स्नातक और उससे ऊपर) रोजगार तलाश करने वाले तकनीकी व्यक्तियों की संख्या ।

(आंकड़े हजार में)

समाप्त वर्ष	तकनीकी	अन्य	कुल शिक्षित व्यक्ति
1	2	3	4
1966	4,9	912,6	917,5
1967	11,0	1076,4	1087,4
1968	16,0	1293,3	1309,3
1969	20,5	1505,7	1526,2
1970	26,5	1795,1	1821,6
1971	31,4	2264,2	2295,6
1972	38,2	3236,0	3274,2
1973	39,2	3862,4	3901,6
1974	34,7	4140,0	4174,7
1975	34,4	4770,8	4805,2
1976	36,7	5067,4	5104,1
1977	40,3	5694,3	5734,6
1978	42,5	6405,5	6448,0
1979 (जून)	45,0	6891,8	6936,8

आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण नीति लागू किया जाना

149. **श्री के० सी० पाण्डे :** क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्र के सर्वाधिक हित में जाति के आधार पर आरक्षण के स्थान पर आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की नीति लागू करने का है जिससे राष्ट्र सभी प्रकार के वर्ग संघर्ष से मुक्त रहे; और

(ख) यदि हां, तो यह नीति कब लागू की जायेगी ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) . (क) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण जाति पर आधारित नहीं है अपितु अस्पृश्यता की पारम्परिक प्रथा से उत्पन्न सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित है और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उनके आदिम लक्षणों, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, समुदाय के साथ मुक्त रूप से सम्पर्क स्थापित करने में संकोच करने और पिछड़ेपन पर आधारित है । आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में सरकारी क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना स्थापित करना

150. **श्री आर० पी० यादव :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशेष स्थान पर सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के क्या आधार हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सीमेंट के लिए कच्चा माल बिहार में बहुतायत से उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो बिहार में सरकारी क्षेत्र में एक भी सीमेंट का कारखाना न होने के क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) सीमेन्ट के कारखानों सहित किसी भी कारखाने को स्थापित करने के लिए आधारभूत कच्चे माल की उपलब्धता तथा अन्य सम्बद्ध अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं जैसे परिवहन, कोयला, बिजली आदि की उपलब्धता तथा आर्थिक जीव्यता पर विचार किया जाता है ।

(ख) जी, हां । बिहार में चूने के पत्थर के निक्षेप मौजूद हैं ।

(ग) बिहार में चूने के पत्थर के निक्षेपों का निजी क्षेत्र के सीमेन्ट कारखानों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है । बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम का भी सरकारी क्षेत्र में एक मिनी-सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने का विचार है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये पदों का आरक्षण

151. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कितने पद 1 फरवरी, 1980 को रिक्त थे; और

(ख) इन पदों पर नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं तथा क्या इस वित्तीय वर्ष में इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को छोड़कर मुख्य मंत्रालय में 97 पद ।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों के न मिलने के कारण इन पदों को भरा नहीं जा सका । पदों को अनारक्षित कर दिया गया है और आगे लाया गया है आगे लाए गए पदों से, जब भी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध होंगे, भरा जाएगा ।

20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

152. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बीस-सूत्री कार्यक्रम को और अधिक गतिशीलता के साथ कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किए जाने वाले हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : गतिशील 20–सूची कार्यक्रम द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक नीति के निदेशक सिद्धान्तों के भीतर, अर्थ-व्यवस्था वर्ष 1976-77 तक गतिशीलता के चरण में पहुंच गई थी। परन्तु जनता पार्टी के शासन के 33 महीनों की अवधि में, हमारे सतत् प्रयत्नों से निर्मित अर्थ-व्यवस्था का मार्ग बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया। सरकार अर्थ-व्यवस्था को पुनः गतिशील करने और उसके विभिन्न संघटकों को नवीकृत शक्ति देने के उद्देश्य से 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के काम में लग चुकी है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ हमारे द्वारा परिकल्पित कार्यक्रमों को प्रभावी रूप में कार्यरूप में परिणत करने के लिए मूल आधारिक संरचना को ठीक करना निहित है।

हमारा विश्वास है कि यह 20–सूत्री कार्यक्रम ही एकमात्र कार्य-प्रधान संपुटित योजना है जिससे इस देश के लोगों विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के जीवनस्तर को उन्नत किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीमेंट संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

153. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978, 1979 और 1980 (जनवरी 1980) के दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में सीमेंट संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता की उपयोगिता की क्या प्रतिशतता रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : उत्तर प्रदेश में सभी सीमेन्ट संयंत्र सरकारी क्षेत्र में है, जबकि राजस्थान में ये सीमेंट संयंत्र निजी क्षेत्र में हैं। किन्तु, मध्य प्रदेश में सीमेन्ट संयंत्र निजी तथा सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में हैं। अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

राज्य	1978	1979	1980 (जनवरी)
उत्तर प्रदेश	70	54	63
राजस्थान	90	84	58
मध्य प्रदेश			
–निजी क्षेत्र	103	102	90
–सरकारी क्षेत्र	91	69	86

रानीखेत के सिविलियन क्षेत्र को नगर क्षेत्र के रूप में घोषित करना

154. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीखेत शहर के सिविलियन क्षेत्र को नगर क्षेत्र के रूप में घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक घोषित किये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

23 फरवरी 1980 को आगरा में भारतीय वायुसेना के विमान दुर्घटनाग्रस्थ होना

155. **श्री फारूक अब्दुल्ला** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 फरवरी, 1980 को भारतीय वायुसेना के पैराशूट से उतरने के अभ्यास के इतिहास में हुई एक भीषण दुर्घटना में आगरा में 46 प्रतिरक्षा कर्मचारी मारे गये थे;

(ख) क्या सरकार "फेयर चाइल्ड पैकट" विमान को, जो कि विश्व में सबसे पुराना विमान है, के स्थान पर दूसरा विमान लाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) 22 फरवरी 1980 को आगरा में एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद विमान दुर्घटना हुई जिसमें 47 रक्षा कार्मिक मारे गए।

(ख) और (ग) सरकार ने पैकट विमानों सहित वर्तमान परिवहन बेड़े को बदलने का निर्णय किया है। इन्हें कार्यक्रम के अनुसार उत्तरोत्तर बदला जाएगा।

भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को प्राप्त पेंशन सम्बन्धी लाभ और उसमें की जाने वाली वृद्धि

156. **श्री पी.जे. कुरियन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों को इस समय प्राप्त विभिन्न पेंशन-लाभों और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या जीवन-निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार को इनमें वृद्धि किये जाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) यदि भूतपूर्व सैनिको को अतिरिक्त/अधिक लाभ देने का कोई प्रस्ताव है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.पी.एन.सिंह) : (क) भूतपूर्व सैनिकों को निम्नलिखित पेंशन-लाभ अथवा अन्य सुविधाएँ दी जाती हैं :

(1) जिन सेवा अफसरों और अफसर पद से नीचे के कार्मिकों ने क्रमश : 20 वर्ष और 15 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी करली है वे सेवानिवृत्ति पेंशन पाने के हकदार हैं, जबकि जिनकी अर्हक सेवा उपर्युक्त सीमा से कम हैं, परन्तु कमीशन प्राप्त अफसरों के मामले में कम से कम 10 वर्ष और अफसर पद से नीचे के कार्मिकों के मामले में 5 वर्ष है वे सर्विस उपदान पाने के हकदार हैं।

(2) जिन व्यक्तियों को स्वास्थ्य के आधार पर सेवा मुक्त किया जाता है उन्हें अशक्तता अथवा अपंगता पेंशन/उपदान दिया जाता है चाहे अशक्तता सैनिक सेवा के कारण हुई हो अथवा नहीं।

(3) सेवानिवृत्ति/अशक्तता/अपंगता/पेंशन/उपदान के अतिरिक्त, उन्हें उनकी हर छः मास की पूरी सेवा के लिए सेवानिवृत्ति के समय उसकी परिलब्धियों की 1/4 की दर पर मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 16½ मास की परिलब्धियां अथवा 30,000 रुपए, जो भी कम हो, है। पेंशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों को सरकार द्वारा पेंशन पर समय-समय पर मंजूर राहत भी दी जाती है

(4) भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाले अन्य लाभ इस प्रकार हैं नौकरियों में आरक्षण, रोजगार में अग्रता/प्राथमिकता, ग्रुप 'ग' और ग्रुप 'घ' में नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हता और आयु में रियायत, संघ लोक सेवा अयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित श्रेणी -3 और श्रेणी- 2 पदों (अराजपत्रित) के लिए परीक्षा/आवेदन-पत्र शुल्क में छूट, स्वनियोजन में सहायता, चिकित्सा और कैन्टीन सुविधाएँ।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जीवन-निर्वाह खर्च बढ़ जाने के कारण पेंशन पाने वालों को राहत देने के विचार से तृतीय वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि मूल्य सूची की 12 माम की औसत में 16 अंश की वृद्धि हो जाने पर पेंशन पाने वालों को पेंशन के 5 प्रतिशत के बराबर राहत मंजूर की जाए जो न्यूनतम 5 रुपए और अधिकतम 25 रुपए प्रति माह है। तदनुसार, सरकार ने पेंशन पाने वालों को समय-समय पर राहत की 8 किस्तें मंजूर की हैं। अन्तिम किस्त पहली दिसम्बर 1978 से मंजूर की गई थी। इस समय मिल रही कुल राहत पेंशन का 40 प्रतिशत है जो न्यूनतम 40 रुपए और अधिकतम 200 रुपए प्रति मास है। (जिन व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति-लाभ पाने के लिए वेतन में मंहगाई भत्ते का कुछ अंश मिला कर संशोधित पेंशन मिल रही हैं उन्हें इस समय कुल 20 प्रतिशत राहत मिलती है जो न्यूनतम 20 रुपए और अधिकतम 100 रुपए प्रतिमास है)

पहली नवम्बर, 1979 से राहत की एक और किस्त देय हो गई है और इस बारे में आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएँगे।

पेंशन पाने वाले जो व्यक्ति 1-1-1973 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं वे उपर्युक्त राहत की 8 किस्तों के अतिरिक्त 15 रुपए से 36 रुपए प्रतिमास तदर्थ राहत पाने के भी हकदार हैं।

केरल में नौसेना आयुध कारखाना

157. **श्री ई.बालानन्दन : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल में एक नौसेना आयुध कारखाने की स्थापना के लिये केरल के मुख्य मंत्री द्वारा किये गए अनुरोध की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.पी.एन.सिंह) : (क) और (ख) केरल के मुख्य मंत्री से अक्तूबर 1977 में प्राप्त अनुरोध के उत्तर में उन्हें यह सूचित कर दिया गया था कि कोई नई रक्षा उत्पादन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है और भविष्य में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करते समय केरल राज्य के आग्रह पर पूरी तरह विचार किया जाएगा ।

पांचला के बन्द हुए इंडस्ट्रियल प्लांट्स लिमिटेड कारखाने का अधिग्रहण

158 **श्री हन्नानमोल्लाह :**

श्री समर मुखर्जी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में पांचला के बन्द हुए कारखाने इण्डस्ट्रियल प्लांट्स लिमिटेड का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी अद्यतन स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) (क), (ख) तथा (ग) : अभ्यावेदन मुख्यत : उस एकक को फिर से खोलने के बारे में प्राप्त हुए हैं जिसमें दिसम्बर, 1974 से तालाबन्दी है । नवम्बर, 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मंत्रालय को पत्र लिखा था जिसमें सुझाव दिया गया था कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अन्तर्गत मे० इंडस्ट्रियल प्लांट्स लिमिटेड, हावड़ा के कार्यकलापों की जांच की जाये । जनवरी, 1978 में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह सलाह दे कि क्या वह इस उपक्रम को चलाने के लिए वित्तीय तथा प्रबन्धकीय उत्तरदायित्व संभालने के लिए तैयार है । राज्य सरकार ने हाल ही में उत्तर भेजा है कि इस एकक को पुन : चालू करने के लिए अनेक विकल्प अभी भी उनके विचाराधीन हैं ।

उत्तरी कामरूप, असम में अत्याचार

159. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** . क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1980 के दूसरे सप्ताह के दौरान भारतीय सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों द्वारा उत्तरी कामरूप (असम) के गाँवों में गंभीर अत्याचार किये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्यवाई के आदेश एक विशेष भाषा समुदाय के कमान अधिकारी ने दिये थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) ये आरोप लगाये गये हैं कि सेना के कुछ जवानों ने उत्तरी कामरूप के गांवों में अत्याचार किए थे और राज्य सरकार के अनुसार 11 मामलों की जांच की जा रही है । सेना के प्राधिकारियों ने अलग से अपनी जांच की थी और आरोपों को बेबुनियाद पाया ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कार्मिकों के विरुद्ध ऐसे कोई आरोप नहीं है।

हमारी सेनाएं भाषा और साम्प्रदायिक भावनाओं से ऊपर हैं और निष्पक्ष रूप से कार्य करती हैं।

"सोवियत न्युक्लियर वैपन्स इन एशिया एलेज्ड" शीर्षक समाचार

160. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "सोवियत न्युक्लियर वैपन्स इन एशिया एलेज्ड" (एशिया में सोवियत परमाणु अस्त्रों के होने का आरोप) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र को बड़ी शक्तियों के संघर्ष से मुक्त रखने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार के पास कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है।

योजना बनाने की गति धीमी रखने के लिए अनवरत योजना का आरंभ

161. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता सरकार ने अनवरत योजना आरंभ की थी और यह अनुपयुक्त सावित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस आवर्ती योजना को समाप्त करने का है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) नई सरकार के योजना पर नए सिरे से विचार करने के समय ऐसा किया जाएगा।

काम चलाऊ सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस

162. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी लोक सभा के भंग होने के पश्चात् काम चलाऊ सरकार के द्वारा जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है तथा वे किन-किन पार्टियों को दिये गये, और

(ख) ये लाइसेंस किस-किस आधार पर जारी किये गये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) 22 अगस्त से 13 जनवरी, 1980 तक 313 आशय-पत्र तथा 29 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे, जबकि पहले जारी किये गये 127 आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया गया था। इनके ब्यौरे "वीकली बुलेटिन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसेज", "एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एण्ड इण्डस्ट्रियल

लाइसेंसेज" में प्रकाशित किये जाते हैं और ये संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस सरकार द्वारा घोषित चालू औद्योगिक नीति के अनुसार जारी किये जाते हैं। इसके अलावा, सरकार तकनीकी आर्थिक आकलन, क्षमता का विचार आवेदक का अनुभव एवं योग्यता, विदेशी सहयोग (यदि कोई अपेक्षित हो), प्रस्ताव के विदेशी मुद्रा संबंधी सन्तुलन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, स्थापना स्थल संबंधी दृष्टिकोण तथा संभावित मांग आदि को भी ध्यान में रखती है।

रुग्ण एककों का राष्ट्रीयकरण करने की नई योजना

163. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने रुग्ण एककों का राष्ट्रीयकरण करने की एक नई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान में अमरीकी सैनिकों की मौजूदगी

164. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान के साथ लगने वाली पाकिस्तान की सीमा के उस ओर अमरीका के सैनिक मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रयत्न किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : सरकार ने इस आशय के के समाचार देखे हैं परन्तु उपलब्ध सूचना से रिपोर्ट की पुष्टि नहीं होती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अवर सचिवों के रुप में नियुक्तियों के लिए सूचियां तैयार करना।

165. **श्री के० लकप्पा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवर सचिवों के रूप में नियुक्तियों के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग-एक में शामिल करने हेतु वर्ष 1978 तथा 1979 के लिए सूचियां तैयार करने में अकारण विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सूचियां शीघ्रता से तैयार कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) वर्ष 1978 तथा 1979 की सूचियां कब तक प्रकाशित हो जाने की आशा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां श्रीमान् । कुछ विलम्ब हुआ था ।

(ख) वर्ष 1978 के लिए पेनल जारी करने में देरी का मुख्य कारण 1977 के लिए पेनल के जारी करने में हुई देरी था, क्योंकि कर्मचारी पक्ष ने जोर दिया था कि पेनल को इस बात की व्यवस्था करने के लिए सांविधिक नियम में संशोधन करने के बाद ही जारी किया जाना चाहिए कि यदि अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त किसी व्यक्ति पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 12 के उपनियम (2) के अधीन ग्रेड-I में पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो अनुभाग अधिकारी ग्रेड में उससे वरिष्ठ ऐसे सभी व्यक्तियों पर भी जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पर विचार किया जाएगा, इस बात के बावजूद कि उन्होंने उस ग्रेड में 10 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी न भी की हो । इसके अलावा चूंकि ग्रेड-II में पदोन्नति के लिए जोन के भीतर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं था, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक विशेष सीमित विभागीय परीक्षा आयोजित करने के लिए मामले पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से निर्णय करना पड़ा, जिसमें काफी समय लग गया ।

(ग) तथा (घ)

वर्ष, 1978 के लिए सामान्य उम्मीदवारों का पेनल 14–12–1979 को जारी किया गया था और वर्ष 1977 तथा 1978 के लिए पेनलों में शामिल किए जाने वाले सीमित विभागीय परीक्षा में सफल घोषित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की पूरक सूचियां 8-1-1980 को जारी की गई थी ।

जहां तक वर्ष 1979 के लिए पेनल तैयार करने का प्रश्न है , मामले पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कार्रवाई की जा रही है और पेनल को अप्रैल, 1980 की समाप्ति से पहले जारी करने के प्रयत्न किए जाएगें ।

फाइलों का निपटान करने के लिये राज्यों को निर्देश

166. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975–1976 में केन्द्र ने फाइलों के शीघ्र निपटान हेतु विभिन्न राज्यों को कुछ निर्देश जारी किए थे ; और

(ख) यदि हां , तो क्या ऐसे निदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) कोई निदेश जारी नहीं किया गया था । किन्तु, प्रधान मंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखे गए एक पत्र में प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए कुछ सुझाव दिए थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम द्वारा नई दिल्ली तथा दिल्ली को सुन्दर बनाने का कार्यक्रम आरंभ किया जाना।

167. **श्री चित्त महाटा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम ने नई दिल्ली और दिल्ली को सुन्दर बनाने का कार्यक्रम आरंभ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम द्वारा क्रमशः अब तक कितनी कितना व्यय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख):– नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने सुन्दरता कार्यक्रम के नाम से ज्ञात कोई विशिष्ट कार्यक्रम आरंभ नहीं किया था। दिल्ली नगर निगम ने यह भी सूचित किया है कि अतिरिक्त नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करके तथा उन्हें बनाए रख कर शहर को स्वच्छ तथा सुन्दर बनाए रखने का प्रयास किया गया था परन्तु उनके द्वारा ऐसी सुविधाओं पर किए गए खर्च का कोई अलग लेखा नहीं रखा गया है जहां तक नई दिल्ली नगर पालिका का संबंध है, कुछ विकास और सुधार परियोजनाओं में, जो उन्होंने आरंभ की थी उनके क्षेत्राधिकार में शहर को सुन्दर बनाने के कुछ तत्व शामिल थे। इन परियोजनाओं पर नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा किया गया व्यय 6,37,800रु0 तथा 9,17,200 रु० क्रमशः वर्ष 1978–79 तथा 1979–80 के लिये हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका का विघटन

168. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका का विघटन कर दिया गया है और इसके प्रेजिडेंट को नई दिल्ली नगर पालिका के काम करने के लिए सभी शक्तियां दे दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका के नये प्रेजिडेंट की नियुक्ति के तुरन्त बाद यह कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि नये प्रेजिडेंट द्वारा कार्यभार संभाले जाने के तुरन्त बाद ही यह कार्यवाही करने की आवश्यकता समझी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका का अधिक्रमण किया गया है और दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा उसी तारीख से श्री पी० एन० बहल को उसका प्रशासक नियुक्त किया गया है जो नई दि०न० पा० के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका को असक्षम पाया गया है। इसने कानून के अधीन इसको

सौंपे गये कार्यों को पूरा करने में लगातार गलतियों की तथा शक्तियों का दुरुपयोग किया जिसके परिणामस्वरूप नगर पालिका के धन का दुरुपयोग हुआ।

(ग) तथा (घ) नये अध्यक्ष को 25-2-1980 को नियुक्त किया गया था तथा न० दि० न० पा० का अधिक्रमण 27-2-1980 को किया गया था क्योंकि यह देखा गया था कि 4-10-1979 से गठित पालिका ने प्रशासनिक/वित्तीय मामलों में गंभीर अनियमितताएं की हैं और इस प्रकार पालिका का अधिक्रमण करने के लिये तुरन्त कार्यवाही आवश्यक थी।

दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति

169. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति किन विशेष बातों को विचार में रखते हुए की गई है ;

(ख) उक्त अधिकारी ने अपनी ही सेवा के कितने अधिकारियों का अधिक्रमण किया है ; और

(ग) उक्त अधिक्रमण की अनुमति किन कारणों से दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) श्री पी० एस० भिंडर को इस पद के लिए उनकी समस्त उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनका संबंध भारतीय पुलिस सेवा के हरियाणा संवर्ग से है और इस पद पर वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए हैं, जो संघशासित क्षेत्र के संवर्ग का हैं। संघ शासित क्षेत्र संवर्ग में 7 अधिकारी श्री भिंडर से वरिष्ठ हैं।

भारत और श्रीलंका के बीच अवैध आव्रजन

170. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच अवैध आव्रजन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेडियो संचार उपकरण

श्री नीरेन घोष : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि फिलिप्स (इण्डिया) लिमिटेड को रेडियो संचार उपकरणों का उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी जो कि सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आरक्षित था;

(ख) यदि हां, तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस आरक्षित मद का उत्पादन करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने तथा दी गई अनुमति को रद्द करने का है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) और (ख) : 1962 में हुए चीन के आक्रमण के फलस्वरूप राष्ट्र की संचार उपस्कर विषयक तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिलिप्स (इण्डिया) लिमिटेड को 1963 में रक्षा सेवाओं द्वारा विशिष्ट रूप से दिए गए आर्डर पर एक विशेष प्रकार के रेडियो संचार उपस्कर का उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी, किन्तु यह कार्यकलाप किसी नियमित औद्योगिक कार्यकलाप के रूप में नहीं था।

वर्ष 1974 में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को रेडियो संचार उपस्करों के एक रेंज का निर्माण करने के लिये आशय-पत्र जारी किया गया था। जून, 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि इस आशय-पत्र का कार्यान्वयन मैसर्स फिलिप्स (इण्डिया) लिमिटेड के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र में एक सहउद्यम कम्पनी द्वारा किया जाय। तदनुसार जनता सरकार ने एकाधिकार और प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत, मैसर्स फिलिप्स (इण्डिया) लिमिटेड को इस सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी में जारी की गई इक्विटी शेयर-पूंजी के 40 प्रतिशत की सीमा तक पूंजी निवेश करने की अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात फिलिप्स (इण्डिया) लिमिटेड ने अपने आपको पीको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रूप में परिवर्तित कर लिया, जो विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनी नहीं है।

(ग) वर्तमान सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

सिलचर-एजवल मार्ग पर घात लगाकर मारे गए व्यक्ति

172. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 27 फरवरी, 1980 को सिलचर-एजवल मार्ग पर दुस्साहसपूर्ण घात लगाकर हमला करने से छः व्यक्ति मार डाले गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 27 फरबरी, 1980 को असम राईफल के ट्रक पर, जो एजबल से सिलचर को 27 व्यक्तियों को लेकर जा रहा था, एजवल सिलचर सड़क पर क्वानपुई स्थान के नजदीक संदिग्ध एम.एन.एफ. के भूमिगतों द्वारा घात लगा कर आक्रमण किया जिसके परिणामस्वरूप ट्रक में यात्रा कर रहे 6 व्यक्तियों की तत्काल मृत्यु हो गई। असम राईफल के 4 जवान भी जख्मी हुए।

नागालैंड तथा आसाम के बीच सीमा विवाद

173. **श्री चिंग वांग कोन्यक**: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नागालैंड तथा आसाम राज्य सरकारों के बीच सीमा विवाद है; और

(ख) यदि हां. तो क्या सरकार का विचार एक सीमा आयोग की स्थापना करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

नव-बौद्धों को लाभ प्रदान करना

174. **श्री आर०आर० भोले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में अन्य स्थानों पर नव-बौद्धों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के समान नौकरी, शिक्षा और वित्तपोषण सम्बन्धी लाभ तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी सुविधायें कब तक प्रदान की जायेंगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)(क) और (ख) : जहां तक सेवा, शिक्ष, शैक्षित, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाओं का संबंध है, राज्यों में नव बौद्धों को ये लाभ प्रदान करना अलग-अलग राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है । महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना अनुसार नव बौद्धों को ट्यूशन फीस, परीक्षा शुल्क से छूट दे दी गई है और उन्हें शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित स्थानों में प्रवेश के लिए पात्र बना दिया गया है । उन्हें अनुसूचित जातियों को ग्राह्य छात्रावास सुविधाओं, छात्रवृत्तियों तथा अन्य रिआयतों के लिए भी पात्र बना दिया गया है ।

आर्थिक क्षेत्र में उन्हें खेती और आवास के लिए सरकारी गैर-आबाद भूमि प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाती है । वे व्यापार करने तथा भूमि को विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त, उन्हें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सरकारी सेवा में पदों के लिए पात्र बना दिया गया है । संक्षेप में, बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों को, संविधान के अधीन कानूनी रिआयतों तथा अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कुछ योजनाओं कों छोड़ कर, उपलब्ध सभी रिआयतों तथा सुविधाओं के लिए 1 मई, 1960 से पात्र बना दिया गया है ।

बिना परमिट के चलने वाली बिजली के करघों की संख्या

175 : **श्री नरसिह मकवाना** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिना परमिट के चल रही बिजली के करघों की संख्या कितनी है,

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने फार्म "एल" देकर 30 नवम्बर, 1978 तक परमिट प्राप्त कर लिये थे,

(ग) क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों को कुछ रियायत देने का है जिन्हें अभी परमिट नहीं मिल सका है, और

(घ) क्या सरकार उन व्यक्तियों को और रियायत देने का विचार कर रही है जो अपने बिजली के करघे स्वयं चला रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) और (ख) अनुमान किया जाता है कि देश में लगभग 1.73 लाख अनधिकृत विद्युत करघे चल रहे हैं। अक्तुबर, 1979 से विनियमन योजना के अन्तर्गत 15,000 करघों को विनयमित करने हेतु नए परमिट जारी कर दिये गये हैं। इससे पूर्व कोई परमिट जारी नहीं किए गए थे।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

महाराष्ट्र राज्य की वार्षिक योजना

176. **श्री विजय एन॰ पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य की वार्षिक योजना का ब्यौरा क्या है और राज्य की समृद्धि के लिये केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि की सहायता दी गई है ; और

(ख) भारत सरकार द्वारा दी गई राशि में से राज्य सरकार द्वारा किये गये खर्च का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) वर्ष 1979-80 के लिए महाराष्ट्र का अनुमोदित योजना परिव्यय 788.13 करोड़ रु॰ था। इसमें केन्द्रीय सहायता के रूप में 170.96 करोड़ रु॰ शामिल थे।

(ख) राज्य सरकार ने 813.26 करोड़ रु॰ का प्रत्याशित व्यय सूचित किया है। क्षेत्रकीय वितरण में दिया गया है। केन्द्रीय सहायता समग्र राज्य योजना के लिए सामान्य ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती हैं, विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के रूप में नहीं दी जाती, इसलिए अलग से केन्द्रीय सहायता से व्यय के बारे में सूचना नहीं दी जा सकती।

विवरण

(करोड़ रु॰)

विकास का शीर्ष	वार्षिक योजना 1979-80 प्रत्याशित व्यय
कृषि और संबद्ध सेवाएँ	143.43
सहकारिता	4.80
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	140.00
विद्युत	299.71
उद्योग और खनिज	30.13
परिवहन और संचार	55.82
शिक्षा	13.95
स्वास्थ्य	12.68
मल व्यवस्था और जल पूर्ति	60.78
आवास और शहरी विकास	39.12
अन्य	12.84
जोड :	813.26

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा ट्रांसफार्मरों का निर्माण

177. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा 0 एच० पी० और 100 एच० पी० के कितने ट्रांसफार्मरों का निर्माण किया गया;

(ख) ताम्बे की तार से कितने ट्रांसफार्मर तैयार किये गये और एल्युमिनियम की तार ा प्रयोग करके कितने ट्रांसफार्मरों का निर्माण किया गया;

(ग) क्या एल्युमिनियम की तार से बने ट्रांसफार्मर ताम्बे की तार से बने ट्रांसफार्मरों काफी घटिया है;

(घ) क्या एल्युमिनियम ट्रांसफार्मरों में वोल्टेज का विनियमन भली-भांति नहीं हो पाता ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे खराब उपकरणों में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कदम ठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) 50 के०वी० ए० और 00 के० वी० के वितरण ट्रांसफार्मर बी० एच० ई० एल० की निर्माण श्रेणी में नहीं आते हैं।

(ख) बी० एच० ई० एल० केवल विद्युत ट्रांसफार्मरों का निर्माण करता है जिनकी ामता 1600 के० वी० ए० से अधिक होती है, जिनमें वह तांबे के न कि एल्युमिनियम के न्डक्टरों को प्रयोग में ला रहा है। बी० एच० ई० एल० द्वारा गत दो वर्षों में निर्मित विद्युत ट्रांसफार्मरों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	1977-78	1978-79
संख्या	70	97

(ग) तथा (घ) तकनीकी दृष्टि से, एल्युमिनियम कन्डक्टरों से निर्मित ट्रांसफार्मर उ तने ही अच्छे और विश्वसनीय (वोल्टेज रेगुलेशन के संबंध में उनके कार्य सहित) होते है जितने तांबे के तारों से बने ट्रांसफार्मर होते हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में राहत

178. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भूतपूर्व सैनिकों को, जो सक्रिय सेवा से 31 दिसम्बर, 1979 से पहले सेवानिवृत्त हो गये थे, पेंशन में राहत और अन्य लाभ प्रदान किये गये हैं; यदि हां, तो अधिकारियों तथा अन्य रैंकों में से प्रत्येक श्रेणी को राहत प्रदान किये जाने की तारीखों सहित उन्हें दी गई राहत की राशि क्या है और वह किस रूप में दी गई;

(ख) क्या दी गई राशि कीमतों में वृद्धि पूरी करने के लिए पर्याप्त है और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये गए महंगाई भत्ते में वृद्धि आदि के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन के मामले में मूल्य-सूचकांक में हुई अत्यधिक वृद्धि और मूल्यवृद्धि का प्रभाव दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जिन भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन मिल रही हैं उनको मिलने वाली राहत का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) तीसरे वेतन आयोग ने सेवारत कर्मचारियों के लिए जब पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय श्रमिक श्रेणी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) में 8 अंकों की औसत वृद्धि हो, तब महगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी। पेंसनरों के मामले में इसने पिछले 12 महीनों में 16 अंकों की औसत वृद्धि होने पर पेंशन के 5 प्रतिशत की दर से राहत देने की सिफारिश की थी जो कम से कम 5.00 रुपए प्रतिमाह ओर अधिक से अधिक 25.00 रुपए प्रति माह होगी। उपरोक्त सिफारिशो के अनुसार सिविलियन और रक्षा दोनों के ही सेवारत कर्मचारियों और पेशनरों को क्रमशः मंहगाई भत्ता और पेंशन में राहत दी जाती है। पेंशनरों को कीमतों में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए अब तक समय-समय पर पेंशन में राहत की 8 किस्तें दी गई हैं। नवम्बर, 1979 से एक ओर किस्त देय हो गई है जिसके आदेश शीघ्र जारी होने की सभावना है।

मूल्यों में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति के अंतर्गत पेंसनरों को राहत देने की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1979 से पहले सेवानिवृत हुए और पेंशन पा रहे भूतपूर्व सैनिकों को निम्नलिखित राहत दी जाती है :

(1) 1 जून, 1953 से पूर्व स्वीकृत पेंशनों पर ग्राह्य अस्थायी वृद्धि

पेंशन की श्रेणी	पेंशन में अस्थायी वृद्धि की दर
50.00 रुपए प्रतिमाह तक	10.00 रुपए प्रतिमाह
50.00 रुपए प्रतिमाह से अधिक लेकिन 100.00 रुपए प्रतिमाह से कम	12.50 रुपए प्रति माह
100.00 रुपए प्रति माह	वह राशि जिससे कुल पेंशन की राशि 112.50 रुपए हो जाए।

(2) 30-11-1968 तक स्वीकृत पेंशनों पर ग्राह्य

तदर्थ वद्धि पेंशन की श्रेणी	पेंशन में अस्थायी वृद्धि की दर
(1)	(2)
30.00 रुपए प्रति माह तक	15.00 रुपए प्रति माह
30.00 रुपए प्रति माह से अधिक लेकिन 75.00 रुपए प्रति माह से कम	17.50 रुपए प्रति माह

(1)	(2)
75.00 रुपए प्रति माह से अधिक लेकिन 200.00 रुपए प्रति माह से कम	20.00 रुपए प्रति माह
200.00 रुपए प्रति माह से अधिक	वह राशि जिससे कुल पेंशन की राशि 220.00 रुपए प्रति माह हो जाए।

(3) जहां पर न्यूनतम पेंशन (तदर्थ/अस्थायी वृद्धि सहित) 40.00 रुपए प्रति माह से कम थी उसको 1 मार्च, 1970 से बढ़ाकर 40.00 रुपए प्रतिमाह (तदर्थ/अस्थायी वृद्धि सहित) कर दिया गया है।

(4) 1-1-73 से पहले सेवानिवृत्त तथा पेंशन ले रहे पेंशनरों की तदर्थ राहत

पेंशन की श्रेणी	तदर्थ वृद्धि की राशि
85.00 रुपए प्रति माह से कम	15.00 रुपए प्रति माह
85.00 रुपए प्रति माह से अधिक लेकिन 210.00 रुपए प्रति माह से कम	21.00 रुपए प्रतिमाह
210.00 रुपए प्रति माह से अधिक लेकिन 500.00 रुपए प्रति माह से कम	25.00 रुपए प्रति माह
500.00 रुपए प्रति माह और उससे अधिक	35.00 रुपए प्रति माह

(5) अतिरिक्त राहत :

राहत की मंजूरी की तारीख	राहत की दर
(1)	(2)
1 अगस्त, 1973 से	पेंशन के 5 प्रतिशत की दर से जो कम से कम 5.00 रुपए प्रति माह और अधिक से अधिक 250.00 रुपए प्रति माह होगा।
1 जनवरी, 1974	पेंशन के 10 प्रतिशत की दर से जो कम से कम 10.00 रुपये और अधिक से अधिक 50.00 रुपए प्रति माह होगा।
1 अप्रैल, 1974 से	पेंशन के 15 प्रतिशत की दर से जो कम से कम 15.00 रुपए और अधिक से अधिक 75.00 रुपए प्रति माह होगा।
1 अक्तूबर, 1975 से	पेंशन के 25 प्रतिशत की दर से जो कम से कम 25.00 रुपए प्रति माह और अधिक से अधिक 125.00 रुपये प्रति माह होगा।

(1)	(2)
1 अप्रैल, 1977 से	पेंशन के 30 प्रतिशत की दर से जो कम से कम 30.00 रुपए और अधिक से अधिक 150.00 रुपए प्रति माह होगा ।
1 सितम्बर, 1977 से	पेंशन के 35 प्रतिशत की दर से जो कम से कम 35.00 रुपए प्रति माह और अधिक से अधिक 175.00 रुपए प्रति माह होगा ।
1 दिसंबर, 1978 से	पेंशन के 40 प्रतिशत की दर से जो कम से कम 40.00 रुपए प्रति माह और अधिक से अधिक 200.00 रुपए प्रति माह होगा ।

लेकिन सेवानिवृत्ति लाभों के लिए महंगाई भत्ते के एक भाग को वेतन में मिलाने के फलस्वरूप जिनको संशोधित दरों पर पेंशन मिल रही है उन्हें पेंशन के 20 प्रतिशत की दर से राहत, जो कम से कम 20.00 रुपए प्रति माह और अधिक से अधिक 100.00 रुपए प्रति माह होगी, पाने के हकदार होंगे ।

हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए सहकारी कैन्टीनें

179. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां भूतपूर्व सैनिकों को कम मूल्यों पर उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई के लिये सहकारी कैंटीनें हैं;

(ख) क्या दूर-दराज क्षेत्रों में नई कैंटीनें खोलकर तथा शहरों में इनकी संख्या बढ़ा कर इनकी संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कार्यक्रम अथवा योजना की रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना हिमाचल प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और सूचना प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये सैल

180. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक पृथक सैल योजना आयोग स्थापित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सैल किस तारीख को स्थापित किया गया था उसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसकी स्थापना के बाद से इसकी संरचना संबंधी क्या परिवर्तन किये गये हैं;

(ग) इस सैल द्वारा किए गए कार्य विशेषतः इसके द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदनों/प्रकाशनों आदि का सारांश क्या है;

(घ) क्या सैल द्वारा की गई किसी सिफारिश को सरकार ने स्वीकार किया है; और

(ङ) पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ाने पर इस सैल के कार्यकरण का क्या प्रभाव पड़ा है ?

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी : (क) जी हाँ ।

(ख) यह एकक जुलाई, 1972 में स्थापित किया गया था । इस एकक के गठन के समय इसमें 1 विशेष कार्य अधिकारी, 1 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, 1 अनुसंधान अधिकारी और 2 आर्थिक अन्वेषक थे । बाद में इसे बहु-स्तरीय आयोजन अनुभाग में मिला दिया गया जिसकी क्षेत्र, जिला, आदि जैसे विभिन्न स्तरों पर एकीकृत क्षेत्र आयोजन के लिए पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों जैसे विशेष प्रकार के क्षेत्रों के लिए विस्तारित जिम्मेदारियां हैं । इस समय इस बहु-स्तरीय आयोजन अनुभाग के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :–

उप सलाहकार	1
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	2
अनुसंधान अधिकारी	4
अन्वेषक ग्रेड 1	2
अन्वेषक ग्रेड 2	1

(ग) यह एकक प्राथमिक रूप से तकनीकी सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए नीति और कार्यक्रमों के निर्माण में योजना आयोग की सहायता कर रहा है और उनके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के प्रशासन के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य कर रहा है । इसने कुछ कृतिक दलों और कार्यकारी दलों की (उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए निदेश सम्बन्धी समिति के कहने पर) रिपोर्टें तैयार करने में उनकी सहायता की है ।

(घ) कार्यकारी दलों ने कुछ सिफारिशें की हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वयन के समय ध्यान में रखा गया है ।

(ङ) यह एकक देश में संबंधित राज्यों को योजना आयोग में राष्ट्रीय स्तर पर सेवा उपलब्ध करा रहा है । इस एकक के कार्य के परिणामस्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के संबंध में उपयोजना दृष्टिकोण सुस्पष्ट हो गया है । इससे राज्य योजना की धन राशियों में से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए धनराशि की निश्चित रूप में व्यवस्था करना सुनिश्चित हुआ है ।

रक्षा मंत्रालय द्वारा अपने अधिकार में ली जाने वाली सड़कें और उन पर होने वाला व्यय

181. **श्री विर्धी चन्द जैन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभा पटल पर एक ऐसी सूची रखी जायेगी जिनमें चालू वर्ष के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा सरकारों से अपने अधिकार में ली गई या ली जाने वाली सामारिक महत्व की सड़कों को दर्शाया गया हो ;

(ख) मंत्रालय द्वारा अगले पांच वर्षों में राज्यों से अपने अधिकार में ली जाने वाली प्रस्तावित सड़कों के नाम क्या हैं तथा सड़क-वार उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है;

(ग) रक्षा मंत्रालय ने चालू वर्ष के दौरान इन सड़कों के लिये कितनी धन-राशि स्वीकृत की है और उन पर वास्तव में कितना व्यय हुआ है ; और

(घ) इन सड़कों को पूरा करने की क्या निर्धारित समय अनुसूची है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) से (घ) चालू वर्ष के दौरान या अगले पांच वर्षों के राज्य सरकारों से अपने अधिकार में ली जाने वाली सामरिक महत्व की सड़कों की सूची तथा उन से संबंधित ब्यौरे सभा पटल पर रखना लोक-हित में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।

राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम में संगलन संस्थाओं को अनुदान

182. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम के संवर्द्धन में संलग्न उन संस्थाओं के नाम क्या है जिन्हें गए तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार से अनुदान मिले थे और प्रत्येक को कितनी राशि का अनुदान मिला ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या है जिन को केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम के लिये एकमुश्त राशि की अदायगी की थी और प्रत्येक राज्य को कितनी राशि का अनुदान दिया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एक विवरण संगलन है।

(ख) इस प्रसंग में किसी राज्य को कोई अनुदान नहीं दिया गया था ।

विवरण

वर्ष 1976–77, 1977–78 और 1978–79 के दौरान राष्ट्रीय अखण्डता के प्रयोजन के लिए गृह मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाली स्वयंसेवी संगठनों। संस्थाओं के नाम का विवरण।

क्रम सं०	संगठन संस्थान का नाम और पता 1976–77	स्वीकृत अनुदान की राशि
1.	बंगाल संघ, नई दिल्ली	1,500 रुपये
2.	अंजुमन सायरे-गुल फरोशान, नई दिल्ली	2,500 रुपये
3.	बाल-कल्याण, भारतीय परिषद, नई दिल्ली	4,000 रुपये
4.	त्रिपुरा आदिमजाति सेवक संघ, अगरतला	4,000 रुपये
5.	बाजाली प्रगति संघ कामरुप, असम	1,000 रुपये
6.	डा० राजेन्द्र प्रसाद पुस्तकालय,कानपुर	2,000 रुपये
7.	भारतीय युवक छात्रावास संघ, नई दिल्ली	5,000 रुपये

8. कलकत्ता विश्वविद्यालय राष्ट्रीय अखंडता परिषद, कलकत्ता	2,000 रुपये
9. युवक भारती, लखनऊ	2,500 रुपये
1977–78	
10. बंगाल संघ, नई दिल्ली	2,500 रुपये
11. अंजुमन सायरे–गुल फरोशान, नई दिल्ली	2,500 रुपये
12. डा० राजेन्द्र प्रसाद पुस्तकालय, कानपुर	2,000 रुपये
13. बाल कल्याण भारतीय परिषद, नई दिल्ली	2,500 रुपये
14. सामदुओ असम मेंणा पारिजात गोहाटी, असम	4,000 रुपये
1978–79	
15. अंजुमन शायरे गुल फरोशन, नई दिल्ली	2,500 रुपये
16. बाजाली प्रगति संघ, कामरुप, असम	1,500 रुपये
17. बाल कल्याण भारतीय परिषद, नई दिल्ली	3,000 रुपये

महाराष्ट्र के भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी संघ द्वारा अभ्यावेदन

183. **श्री आर०के० महालगी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जुलाई, 1979 में पूर्ण (महाराष्ट्र) के भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी संघ के सचिव से उनकी शिकायतों और मांगों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन की मांगे क्या हैं ;

(घ) यदि कोई कार्यवाही की गई हैं तो उसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.पी. एन. सिंह): (क) से (घ) इस विषय पर सूचना एकत्र की जा रही हैं और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

कपड़ा मशीन उद्योग पर गोष्ठी

184. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या हाल ही में राजधानी में "टैक्सटाइल मशीनरी इंडस्ट्री" (कपड़ा मशीन उद्योग) पर आयोजित एक गोष्ठी में देश में कपड़ा मशीन यूनिटों का आधुनिकीकरण करने के संबंध में कई सुझाव दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिला क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) (क) जी, हां

(ख) तथा (ग) इस सेमिनार में कई सुझाव दिये गये थे जिनमें कताई मशीनों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आलेखन तथा अन्य हिस्से-पुर्जो का आयात, कपड़ा मशीनों की अतिरिक्त वस्तुओं के लिए स्टेनलैस स्टील के आयात पर रियायती शुल्क के समय में वृद्धि, उदार ऋण सुविधाए तथा कपड़ा उद्योग के लिए आसान ऋण योजना को जारी रखना शामिल

हैं। इनमें से कई सुझावों पर कपड़ा मशीन उद्योग विकास परिषद की 7 दिसम्बर, 1979 को हुई बैठक में विचार किया गया था। इन सुझावों पर कार्यवाही शुरु हो चुकी है।

सौराष्ट्र में ऊन–एकक का विस्तार

185 : **श्री डी०पी०जदेजा : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ऊन–उद्योग के विस्तार की भारत सरकार की योजना के अधीन सबसे पहले गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में विस्तार हेतु ऊन–एकक का चयन किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि उक्त एकक के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने भी सिफारिश की थीं;

(ग) क्या यह भी सच हैं कि गुजरात सरकार जिसके सरकारी वित्तीय संस्थान के साथ मिलकर 55 प्रतिशत शेयर हैं, उक्त विस्तार के लिए सरकार पर दवाव डाल रही हैं,

(घ) सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों को रोक लिए जाने के क्या कारण है, और

(ङ) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य में ऊन–उद्योग के विस्तार संबंधी इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने का हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) से (ङ)–सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के मैसर्स श्री दिग्विजय बूलेन मिल्स लि०, जामनगर द्वारा वर्स्टेड की कताई तथा विद्युतकरघों का अपनी क्षमता में विस्तार करने के लिए किए गए अनुरोध से है। यह सच है कि वर्स्टेड की कताई तथा बुनाई क्षमता का पर्याप्त विस्तार करने के लिए अन्य एककों के साथ इस एकक को भी प्राथमिकता दिए जाने के लिए सिफारिश की गई थी। इस अनुरोध पर विगत में विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया था परन्तु विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में सरकार इस पर सहमत नहीं हुई थी। गुजरात सरकार तथा पार्टी ने भी आवेदन पत्र पर फिर से विचार करने के लिए पुनः अनुरोध किया हैं। मामला सरकार के विचाराधीन है।

विधान सभाओं, राज्य सभा में और लोक सभा में दल-बदल

186. **श्री एन०ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र में नई सरकार बनने के बाद से विधान–सभाओं में दल-वार तथा विधान सभा–वार और लोक-सभा तथा राज्य सभा में हुये दल–बदल का विवरण क्या है ?

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : चूंकि ऐसा कोई केन्द्रीय कानून नहीं हैं जिसके अधीन इस संघर्ष में शब्द दल–बदल की परिभाषा अब तक की गई हो, अतः यह सूचना प्रस्तुत करनी संभव नहीं है।

स्कूटर इंडिया लिमिटेड को हुआ घाटा

187. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों से भारी घाटा हो रहा है ; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या इस कम्पनी के शेयरों के बाजार-मूल्यों में भारी गिरावट आ गई है और इस कम्पनी में कुप्रबंध के कारण इसमें धन लगाने वाली जनता को हानि हो रही है ; और

(ग) शेयरधारियों/निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है और क्या इस सरकारी उपक्रम के शेयर धारियों को कोई क्षतिपूर्ति देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरण जीत चानना): (क) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को गत तीन वर्षों में हानियां हुई हैं। हानियों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

	(रु० लाख में)
1976–77	266.05
1977–78	357.18
1978–79	419.00

हानियाँ मुख्यत : कम मात्रा में उत्पादन होने के कारण हुई हैं ।

(ख) बताया जाता है कि 10रु० अंकित मूल्य का कम्पनी का इक्विटी शेयर 1978 में सामान्यत: 4.25 रु० मूल्य का उद्धृत किया गया था। विभिन्न उपाय किए जाने के परिणाम स्वरुप कम्पनीं का उत्पादन अब बढ़ रहा। अप्रैल–दिसम्बर, 1979 की अवधि में 35,366 पावर पैक बनाये गए थे जबकि 1978 की इसी अवधि में 27,527 पावर पैक बनाए गए थे। हाल के वर्षों में उत्पाद की उपभोक्ता मांग में वृद्धि हो रही हैं। जों विभिन्न उपाय किए हैं, उनके परिणामस्वरुप कम्पनी के कार्य में और अधिक सुधार होने की आशा है । यह बताया जाता हैं कि कम्पनी के ईक्विटी शेयर का बाजर मूल्य, जो 1979–80 में दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में उद्धृत किया गया था, 4.87 रू० और 6.50 रू० के बीच था ।

(ग) कम्पनी के शेयर होल्डरो की क्षतिपूर्ति का कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

राज्यों में अपराधियों को नजरबन्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन

188. **श्री मगन भाई बरोट :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अवधि के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया है जिसके दौरान अपराधियों को आरोप–पत्र दायर करने से पूर्व नजरबन्द रखा जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों को 60 दिनों से अधिक अवधि तक नजरबन्द रखने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) ऐसे अपराधियों की संख्या क्या है और राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रत्येक राज्य में निर्धारित अवधि से अधिक कितनी अवधि के लिए उन्हें नजरबन्द किया जाता है ; और

(घ) ऐसे कितने अपराधी जमानत प्राप्त कर सकने के कारण जेलों में है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) :(क) तथा (ख) : दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 45) द्वारा यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 मैजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों मे, जहां जांच पड़ताल मृत्यु, जीवन कारावास अथवा कम से कम दस वर्ष के कारावास जैसे दण्डनीय अपराधियों से संबंधित होती है, कुल मिलाकर 90 दिन की अवधि और जहां जांच पड़ताल किसी अन्य अपराध से संबंधित होती है, 60 दिन की अवधि के लिए किसी अभियुक्त व्यक्ति को नजरबन्द करने का अधिकार देती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 में मूलतः सभी अपराधों के लिए 60 दिन की व्यवस्था थी। 90 / 60 दिन समाप्त होने के बाद नजरबन्द व्यक्ति यदि जमानत के लिए तैयार है और जमानत प्रस्तुत करता है तो उसे जमानत पर रिहा करना पड़ता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1978 के अधिनियमन के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी राज्य को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा की 167 में निहित नजरबन्दी की अवधि से संबंधित उपबंधों के बारे में कोई स्थानीय संशोधन करने की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ग) तथा (घ) : राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर की स्थापना

189. **श्री मगन भाई बरोट** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर स्थापित करके परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने की मांग की जा रही हैं ;

(ख) क्या कोयले की कमी और हाइड्रो प्लांट उपलब्ध न होने के कारण सरकार उस क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने की मंजूरी देने पर विचार कर रहीं है ; और

(ग) क्या सरकार कच्छ में बिजली पैदा करने के लिए लिग्नाइट का उपयोग करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो किस प्रकार ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिमी विद्युत क्षेत्र में, जिसमें गुजरात भी आता हैं, दूसरा परमाणु बिजली संयंत्र लगाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) सरकार गुजरात विद्युत बोर्ड के इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि लिग्नाइट से चलने वाला एक ताप बिजलीघर 1978–83 की पंचवर्षीय योजना की अवधि में कच्छ में लगाया जाए।

उत्तरी राज्यों और दिल्ली में डकैतियां

190. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हत्या, डकैती तथा लूटमार के कितने मामले घटित हुए;

(ख) क्या यह सच है कि हाल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस (आई) के भारी बहुमत से विजयी होने के बाद देश के उत्तरी राज्यों में हत्या, डकैती और लूटमार के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो जनता में अधिक सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से इन अपराधों का रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) तक : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

नियुक्तियां करने में सरकार की नीति

191. **श्री टी. आर. शमन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कारखानों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों में नियुक्तियां करने में सरकार की नीति क्या है; और

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कारखानों तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों को निदेश देगी कि वे नियुक्तियां करते समय स्थानीय उम्मीदवारों (अर्थात् राज्य के निवासियों) को प्राथमिकता दें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) संविधान के अनुच्छेद 16 में यह व्यवस्था है कि राज्य के अधीन किसी भी पद से संबंधित मामलों में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी तथा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी अथवा पद के संबंध में न अपात्रता होगी न विभेद किया जाएगा। इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को किसी पिछड़े वर्ग अथवा नागरिकों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिए उपबन्ध करने में कोई बाधा नहीं होगी। केन्द्रीय सरकार के विभागों में नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए किसी विशिष्ट सेवा/पद के लिए भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है।

(ख) संविधान के उपर्युक्त उपबन्धों के ढांचे के भीतर सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि वह स्थानीय उम्मीदवारों को अधिकतम अवसर प्रदान करें।

परमाणु ऊर्जा के विकास और उपयोग की नीति

193. **श्री टी. आर. शमन्ना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की परमाणु ऊर्जा के विकास और उपयोग नीति में कोई परिवर्तन हुआ है विशेषतः जबकि बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण हमारे कुछ पड़ोसी देशों में राजनीतिक स्थिति बदल रही है; और

(ख) यूरेनियम आदि की सप्लाई के प्रति अमेरिका के उदासीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत में परमाणु खनिज सर्वेक्षण की क्या स्थिति है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1963 के करार के अनुसार, अमरीका केवल तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम देगा । अन्य सभी मौजूदा परमाणु बिजलीघरो के लिए और ऐसे बिजलीघरों के लिए जिन्हें स्थापित करने की योजना है, ईंधन के रूप में आवश्यक प्राकृतिक यूरेनियम तैयार करने के वास्ते भारत के पास यूरेनियम अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं ।

राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रति व्यक्ति आय को आधार मानना

194. **श्री भिलूभाई गामित :**

श्री के० प्रधानी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों को विकास हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए उनको प्रति व्यक्ति आय को आधार माना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार राज्यों को पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आधार पर उन्हें वित्तीय सहायता की मात्रा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) योजना के विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने में ध्यान में रखे जाने वाले कारकों में से प्रति व्यक्ति आय एक कारक है ।

(ख) और (ग) इस समय यथा प्रचलित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत, विशेष श्रेणी के 8 राज्यों के लिए (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए) एक मुश्त धनराशि निर्धारित करने के बाद उपलब्ध कुल राशि के नवें भाग को उन राज्यों के बीच में वितरित किया जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है ।

आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूले के अन्तर्गत, जो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के आशोधन समाप्त करने से बचाई गई राशि के लिए लागू होता है, यह राशि विशेष श्रेणी से इतर चौदह राज्यों के बीच में हर एक राज्य को जनसंख्या द्वारा गुणित उस राज्य कीप्रति व्यक्ति आय के विलोम के आधार पर वितरित की जाती है ।

राज्यों के पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रधान मन्त्री की उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के नारायणपुर गांव की यात्रा

195. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारायणपुर के ग्रामवासियों पर पुलिस द्वारा फरवरी 1980 में किए गए अत्याचार से सबंधित स्थिति के मूल्यांकन के लिए प्रधान मन्त्री ने उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के नारायणपुर गांव की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने 7 फरवरी, 1980 को नारायणपुर का दौरा किया था और उस क्षेत्र और मकानों में गईं थी जहां पर अत्याचार किये गये थे। उन्होंने पुरुष, महिलायें और बच्चों से जो शिकार हुए थे बातचीत की थी। उन्होंने विशेष कर महिलाओं की विपदा की कहानी सुनी और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने स्थानीय नेताओं और अधिकारियों से विचार विमर्श किया था। उन्होंने गांव वालों से जो कुछ सुना उससे उनका हृदय द्रवित हो गया।

प्रधान मंत्री को अत्याचारों से पीड़ित स्थानीय लोगों की अनेक याचिकायें प्राप्त हुई थीं। इनकी प्रतिलिपियां उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

कृषि क्षेत्र से लोगों का औद्योगिक क्षेत्र में जाना

196. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यथा संभव अधिक से अधिक लोगों को कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में भेजने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वास्तव में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को फैलाने पर बल दिया जा रहा है, ताकि समस्त आर्थिक व्यवस्था का सन्तुलित एवं समन्वित विकास करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान किये जा सकें।

मारुति आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

197. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मारुति आयोग की सिफारिशों और निष्कर्षों को क्रियान्वित करने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वर्तमान सरकार रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों पर विचार कर रही है।

कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद

198. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों ने उनके बीच सीमा विवादों के संबंध में महाजन आयोग की सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवादों के मामले में क्षेत्रों के हस्तान्तरण के संबंध में अन्तर्राज्य सीमा विवादों का निपटरा केवल संसदीय कानून द्वारा किया जा सकता है। महाजन आयोग की सिफारिशों के संबंध में दोनों राज्य सरकारों के बीच मतभेद होने के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई करना संभव नहीं हुआ है।

पारसबिघा और दोहिया में जातीय-उन्माद से उत्पन्न खतरा

199. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि 6 और 8 फरवरी, 1980 के बीच जहानाबाद थाने के अधीन पारसबिघा और दोहिया में की गई नृशंस हत्याओं से उत्पन्न जातीय-उन्माद से पूरे गया जिले के ग्रसित होने का खतरा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को भी कोई शिकायत भेजी गई है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने समाचार को देखा है।

(ख) जी हाँ, श्रीमान। ये शिकायतें पारसबिघा और दोहिया की घटनाओं को रोकने में प्रशासन की असफलता से संबंधित हैं और इसमें तत्कालीन राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई थी।

(ग) राज्य सरकार ने राजस्व बोर्ड के एक सदस्य को पारसबिघा की घटना के संबंध में तथाकथित प्रशासनिक गलतियों की जांच करने के लिए कहा है। पारसबिघा की घटना के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता और शस्त्र अधिनियम के उपबंधों के अधीन 7-2-80 को एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 49 व्यक्ति फरार हैं। दोहिया की घटना के संबंध भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अधीन 8-2-80 को एक अन्य मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 102 व्यक्ति फरार हैं। दोनों मामलों की जांच चल रही है और शीघ्र ही पूरी होने की आशा है। राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए उपाय किए हैं।

पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करना

200. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा और प्रारूप तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख तक सभा पटल पर रखा जाएगा और सदन में इस पर चर्चा होगी;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए योजना के ढांचे में परिवर्तन के लिए तैयार है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक और संशोधित योजना के अन्तर्गत राजस्थान के लिए कितनी धन राशि निश्चित करने का विचार है; और

(च) योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (च) तक नई सरकार का योजना पर नए सिरे से विचार करने का प्रस्ताव है ।

पहाड़ी पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना

201 : **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पहाड़ी, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कोई उपाय किये है, और

(ख) यदि हां, तो किस तरह के उपाय किये गये हैं और इस प्रयोजन के लिए कौन से प्रोत्साहन निर्धारित किये गये है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी हां ।

(ख) देश के 246 जिलों (विवरण-I में दिए अनुसार) को रियायती वित्त तथा अन्य सुविधाएँ पाने की पात्रता के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है । इनमें से 101 जिलों क्षेत्रों (विवरण-II में दिए अनुसार) को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अंतर्गत सहायता पाने का हकदार अधिसूचित किया गया है । 13 राज्य केन्द्रशासित प्रदेशों में कुछ पहाड़ी क्षेत्र (विवरण–III में दिए अनुसार) का परिवहन राजसहायता योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए निर्धारित किए गए हैं ।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए हैं :

(1) निवेशराजसहायता की केन्द्रीय योजना !

(2) अखिलभारतीय सावधिक ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएँ

(3) परिवहन राजसहायता ।

(4) कर सम्बन्धी रियायतें ।

(5) लघु उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग मशीनरी की किराया खरीद ।

(6) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श ।
(7) ब्याज राजसहायता ।
(8) कच्चे माल के आपात के लिए विशेष सुविधाएँ ।
(9) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम ।
(10) ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम ।
(11) जिला उद्योग केन्द्र ।

गुजरात को सीमेंट की सप्लाई

202 : **श्री डी.पी. जदेजा :**
श्री अहमद एम. पटेल :
श्री अमरसिंह वी. राठवा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान गुजरात राज्य की सीमेंट के लिए प्रतिवर्ष कुल कितनी मांग रही है, और उसे कितनी सीमेंट भेजी गई .

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी सीमेंट सप्लाई की गई,

(ग) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में सीमेंट की भारी मांग है और उसकी सप्लाई मांग से कहीं कम है, और

(घ) उक्त भाग को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) (क) और (ख) : राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1977-78, 1978-79 व 1979-80 में सीमेंट की बताई गई मांग, तथा गुजरात राज्य आबंटित व भेजी गई सीमेंट की मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं ।

(ग) और (घ) : जी हां । गुजरात राज्य को उसकी मांग की तुलना में कम आबंटन किए गए हैं । तथापित, सरकार विद्यमान क्षमता के अधिक उपयोग, नई क्षमता स्वीकृत करके और आयात के माध्यम से सीमेंट की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु सभी प्रयास कर रही है । सीमेंट की उपलब्धता स्थिति में सुधार आने पर गुजरात सहित सभी राज्यों को अधिक आबंटन करना संभव हो सकेगा ।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1977-78, 1978-1979 व 1979-80 में सीमेंट की बताई गई मांग तथा गुजरात राज्य को आबंटित व भेजी गई सीमेंट की मात्रा को देर्शाने वाला विवरण ।

(लाख मी.टनों में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा सीमेंट की बताई गई मांग	किया गया आबंटन	की गई पूर्ति
1977-78	17	13.7	13.4
1978-79	18	14.6	15.3
1979-80	24	16.9	13.1(15.2.1980 तक)

आसाम में विदेशियों के बड़ी संख्या में आगमन के बारे में अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

203. **श्री एन०ई० होरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे अधिकारियों के बारे में शिकायतें मिली हैं जो आसाम में विदेशियों को बड़ी संख्या में आगमन को रोकने में ढील-ढाल के दोषी है अथवा जो मतदाता सूचियों में गैर-भारतीयो के नामों को शामिल किये जाने को रोकने में असफल रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार ने चौकियों को सुदृढ़ बनाने के लिये उपयुक्त व्यवस्था कर ली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस संबंध में सामान्य प्रकार के आरोप लगाये गये हैं।

(ख) जी हाँ, श्रीमान्

भारत-पाकिस्तान सीमा में सशस्त्र सेनाओं का जमा होना

204. **श्री तारिक अनवर:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित भारत पाकिस्तान सीमा पर सशस्त्र सेना के जमा होने और चीन तथा अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के परिणामस्वरूप तनाव में वृद्धि होने के समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस उप-महाद्वीप में बड़ी शक्तियों को दूर रखने के लिये स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) (क) और (ख) : सरकार ने भारत पाक सीमा पर सशस्त्र सेनाओं के जमाव के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरें देखी हैं, लेकिन सरकार के पास उपलब्ध सूचना से इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं होती है ! फिर भी सरकार को चीन और अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले हथियारों के परिणामस्वरूप होने वाले तनाव के बारे में मालूम है और इन घटनाओं से हमारे पड़ोस में होने वाले तनाव को कम करने के लिए उसने राजनयिक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

हरिजनों का शोषण

205. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :**

श्री के० लक्प्पा :

श्री माधवराव सिंधिया . क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरिजनों का शोषण किया जा रहा है उनकी हत्याएँ की जा रही हैं और उनकी सम्पत्ति लूटी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी जान और माल की रक्षा के लिए सरकार का क्या ठोस उपाय करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) गृह मंत्री ने राज्यों और संघ शामिल क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों, राज्यपालों तथा उप राज्यपालों, जहां अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध होते रहे हैं इन अत्याचारों के बारे में भारत सरकार की गहरी चिन्ता उनसे व्यक्त करने और उन अत्याचारों को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार की उत्सुकता के बारे में लिखा है। अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों से कारगर ढंग से निपटने के लिए उन सामान्य सामाजिक आर्थिक तत्वों जो इन अपराधों की जड़ हैं विश्लेण पर आधारित, व्यापक एहतियाती तथा निरोधक, दण्डात्मक तथा पुनवासि उपायों के व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त इस पत्र के साथ राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानान्तरण

206. **श्री आर.के. महालगी :**

श्री के. एम. मधुकर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कुपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा पुलिस के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो 15 जनवरी, 1980 से अब तक किये गये तबादलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में तबादले के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सभी तबादले प्रशासनिक कारणों से किए गए हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	नियुक्ति/तबादले के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1.	श्री जे. एन. चतुर्वेदी, पुलिस आयुक्त, दिल्ली ।	वह 24-1-1980 से छुट्टी पर चले गए ।
2.	श्री एस. एन. माथुर, निदेशक, आसूचना ब्यूरो ।	उन्हें 8-2-1980 को पंजाब सरकार को संप्रत्यावर्तित किया गया गया था ।
3.	श्री आई. सी. द्विवेदी, उप महा निरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ।	दिनांक 15-2-1980 से उत्तर प्रदेश सरकार को संप्रत्यावर्तित ।

(1) (2)	(3)
4. श्री वी. पाण्डेय, उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।	दिनांक 21-2.1980 से बिहार सरकार को संप्रत्यावर्तित।
5. श्री एन. के. सिंह, उप महानिरक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।	दिनांक 28-2-1980 से उड़ीसा सरकार को संप्रत्यावर्तित।
6. श्री वी. टी. शाह, विशेष कार्य अधिकारी, गृह मंत्रालय।	दिनांक 29-2-1980 से मूल मंत्रालय में मानिटरिंग सेल समाप्त किए जाने के फलस्वरूप, वह दिनांक 1-3-1980 से 92 दिनों की छुट्टी पर चले गए।
7. श्री पी. आर. राजगोपाल, महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।	उन्हें 3-3-1980 कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने 3 महीने की अर्धवेतन छुट्टी की मंजूरी के लिए अनुरोध किया है तथा उन्होंने 7-6-1980 से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का नोटिस दे दिया है।
8. श्री वी. आर. लक्ष्मीनारायणन, अपर निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।	वह 18-1-1980 से 19 दिनों की छुट्टी पर चले गए। किन्तु 2 मार्च, 1980 को रविवार होने के कारण छुट्टी के बाद जोड़े जाने की अनुमति सहित, उन्होंने 1-3-1980 तक छुट्टी बढ़ाए जाने के लिए आवेदन किया। तमिलनाडु सरकार के अधीन कार्य-भार ग्रहण करने के लिये उन्हें 3-3-1980 को केन्द्रीय अन्वेंषण ब्यूरो से कार्य मुक्त किया गया था।
9. श्री आर. डी. सिंह निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।	वह 25-1-1980 से 58 दिनों की छुट्टी पर चले चले गये हैं। गृह मंत्रालय के दिनांक 23-2-80 जारी किये गये आदेशों द्वारा उनकी छुट्टी कम करते हुए उनकी सेवाएं बिहार सरकार को सौंप दी गई हैं।
10. श्री के. पी. मेघेकर अपर निदेशक, आसूचना ब्यूरो।	महाराष्ट्र सरकार को संप्रत्यावर्तन के आदेश 8 मार्च, 1980 को जारी किये गये थे।
11. श्री एस. एन. शुक्ल संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो।	आन्ध्र प्रदेश सरकार को संप्रत्यावर्तन के आदेश 8 मार्च, 1980 को जारी किये गये थे।

(1)	(2)	(3)
12.	श्री आर. के. खण्डेलवाल संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो ।	उत्तर प्रदेश सरकार को संप्रत्यावर्तन के आदेश 8 मार्च, 1980 को जारी किये गये थे ।
13.	श्री डी. के. अग्रवाल उप-निदेशक आसूचना ब्यूरो ।	उत्तर प्रदेश सरकार को संप्रत्यावर्तन के आदेश 8 मार्च, 1980 को जारी किये गये थे ।

मांडला, मध्य प्रदेश में एक राज्यस्व अधिकारी की मृत्यु

207. **श्री बाबू लाल सोलंकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1980 के अन्तिम सप्ताह में मध्य प्रदेश के मांडला जिले में एक राजस्व निरीक्षक की सहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी;

(ख) क्या उस मामले को रफा-दफा करने के लिये उक्त कत्ल को आत्महत्या दिखाया गया था; और

(ग) क्या इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किये जाने के आदेश दिये जायेंगे ताकि दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) तथा (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) मृत्यु के मामले में केन्द्रीय अन्वेषणा ब्यूरो द्वारा जांच किये जाने के प्रश्न पर मामले की परिस्थतियों और संबंधित राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता है ।

लाजपत नगन, नई दिल्ली में एक जौहरी की दुकान में डकैती

208. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस अब तक उन फरार डाकुओं को गिरफतार नहीं कर सकी है जिन्होंने लाजपत नगर में एक जौहरी की दुकान पर डाका डाला था, जिसमें दुकान मालिकों ने एक डाकू को पकड़ लिया था, जबकि पुलिस उनके नाम जानती है और उनके फोटो की पहचान भी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) : तीन अभियुक्त में से एक को मौके पर ही गिरफतार कर लिया गया था । लाजपत नगर में एक जौहरी की दुकान में डाले गये डाके में जो दो अभियुक्तयों को पकड़ने के सख्त प्रयास किये जा रहे हैं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त का 25 वां प्रतिवेदन

209. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :**

श्री सोमनाथ चटर्जी :

श्री चित्त महाटा : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 25 वें प्रतिवेदन में सरकार द्वारा तत्काल उठाये जाने वाले किन उपायों की सिफारिश की गई है; और

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) तथा (ख) : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त का पच्चीसवां प्रतिवेदन (1977-78) 1 फरवरी, 1980 को लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है। प्रतिवेदन की प्रतियां राज्य सरकारों। संघ शासित क्षेत्रों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों। विभागों को आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों पर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये भेज दी गई हैं।

आसाम में आन्दोलन में जान और माल की हुई हानि

210. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :**

श्री एन.ई. होरी : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी नागरिकों के मामले को लेकर आसाम में हुये आन्दोलनों और दंगों में अब तक कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए तथा अनुमानतः कितने व्यक्ति बेघर हो गए हैं;

(ख) इनके कारण कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हो गई और पीड़ितों तथा उनके परिवारों को यदि मुआवजा दिया गया तो वह कितना है; और

(ग) सरकार ने आसाम की समस्या सुलझाने के लिए अब तक क्या ठोस और प्रभावी कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जिला सीतामढ़ी, बिहार में 2 महिलाओं का जीवित जलाया जाना

211. **श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति की दो महिलाओं को जिनके नाम थगानी देवी तथा शैल कुमारी हैं, बिहार में जिला सीतामढ़ी के रहनी सैदपुर खंड के अन्तर्गत मण चौक गांव में 16 जनवरी, 1980 की रात को कुछ जमींदारों द्वार जीवित जला दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान

बिहार सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 16/17 जनवरी, 1980 की रात को लगभग 11.30 बजे जिला सीतावढ़ी के रूनीरौदपुर खंड के अन्तर्गत मनीचौक गांव के प्रधान श्री विलात पासवान के घर को कुछ कथित स्थानीय व्यक्तियों ने आग लगा दी थी, जिसमें श्री पासवान की पत्नी श्रीमती थगानी देवी और उनकी लड़की कुमारी शैल की, जो सो रही थी, जलकर मृत्यु हो गई।

(ख) बताया गया है कि यह घटना दो दलों, एक तरफ श्री बुद्ध पासवान और दूसरी तरफ श्री नन्दलाल शाह, श्री राजेन्द्र मण्डल और अन्य के मध्य के दुश्मनाई के कारण घटित हुई। और व्योरों की राज्य सरकार के प्राधिकारी जांच कर रहे हैं।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मुख्य अभियुक्त सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की अभी जांच-पड़ताल की जा रही है।

वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में मुख्या मन्त्रीयों का सहयोग

212. **श्री झगड़ खंडे राय :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री पी0के0कोडियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से इस वर्ष की वार्षिक को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में मुख्य को शामिल न करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी मुख्य मंत्री ने अथवा राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मती इन्दिरा गांधी) : (क) : 1980-81 की वार्षिक योजना के संबंध में राज्यों से अधिकारी स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : मुख्य मंत्रियों में से केवल एक अर्थात् केरल के मुख्य मन्त्री ने इस अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया है। प्रधान मंत्री को इस संबंध में केरल के मुख्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा सुझाई गई कार्यप्रणाली के परिणाम-स्वरूप 1980-81 की वार्षिक योजना की अंतिम रूप देने में देरी हो जाती और इसलिए उसे अपनाया नहीं जा सकता।

जासूसी करने के आरोप में सरकारी कर्नचारियों की गिरफतारी

213. **श्री निहाल सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जासूसी करने के अरोपों में कितने स कारी कर्मचारी गिरफतार किये गए ओर वें किन-किन मंत्रालयों में किन-किन पदों पर आसीन थे ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय कपडा निगम के अधीन कपड़ा मिलें और जनता कपड़े का उत्पादन

214. **श्री निहाल सिह** : क्या उद्योग यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड के अन्तर्गत कितनी कपड़ा मिलें हैं और उनके नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं और प्रत्येक मिल में कितने श्रमिक काम में लगे हुये हैं; और

(ख) जनवरी, 1978 से 31 जनवरी, 1980 की अवधि मे उनमें से प्रत्येक मिल द्वारा वर्षवार कितनी मात्रा में जनता कपड़े का उत्पादन किया गया ।

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री चरनजीत चानना) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कपड़ा मिलों के नाम, उनके स्थापना स्थल तथा कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जनवरी, 1978 से 31 जनवरी, 1980 की अवधि में इन मिलों द्वारा बनाये गये नियंत्रित कपड़े की जानकारी वर्षवार इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

क्रम सं०	मिल का नाम	स्थापना स्थल	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
	1. एन टी० सी० (दिल्ली, पंजाब व राजस्थान) लि०, नई दिल्ली		
1.	अजुद्धिया टैक्सटाइल मिल्स	दिल्ली	2696
2.	महालक्ष्मी मिल्स	ब्यावर, राजस्थान	1045
3.	एडवर्ड मिल्स	ब्यावर, राजस्थान	1092
4.	पानीपत वूलन मिल्स	पानीपत, पंजाब	369
	2. एन• टी० सी• (उत्तर प्रदेश) लि०, कानपुर		
5.	लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स	सहारनपुर, उ० प्र०	1898
6.	म्यूर मिल्स	कानपुर, उ० प्र०	4204
7.	न्यू विक्टोरिया मिल्स	कानपुर, उ० प्र०	4408
	3. एन• टी० सी० (प० बंगाल, असम, विहार, उड़ीसा) लिमिटेड ।		
8.	सैन्ट्रल काटन मिल्स	कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	3070
9.	बंगाल फाइन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स नं०–1	कोननगर जिला हुगली	967

1	2	3	4
10.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स	सेरामपुर जिला हुगली	2116
11.	श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स	पालता, पश्चिम बंगाल, सेरामपुर	1714 1714
12.	रामपुरिया काटन मिल्स	सेरामपुर	1890
13.	आरती काटन मिल्स	हावड़ा पश्चिम बंगाल	612
14.	बाँगसरी काटन मिल्स	सोदपुर, पश्चिम बंगाल	1090
15.	गया काटन एण्ड जूट मिल्स	गया, बिहार	989
16.	ज्योति विविंग फैक्ट्री	कलकत्ता (प० बंगाल)	459
	4. एन० टी० सी० (टी० एन० एण्ड पी) लि० कवयम्तूर,		
17.	कोयम्बतूर मुरुगन मिल्स	कोयम्बतूर, तमिलनाडु	935
18.	सोमासुन्दरम् मिल्स	वही	1080
19.	कालैसवरर मिल्स, "ए" यूनिट	वही	1516
20.	कौयम्बतूर पी० एण्ड वीविंग मिल्स	वही	1797
21.	श्री शारदा मिल्स	वही	1971
22.	श्री भारती मिल्स	पाण्डेचरी	1418
	5. एन० टी० सी० (ए० पी० के० के० एण्ड एम०) लि०, बंगलौर		
23.	अजाम जाही मिल्स	हैदराबाद, अ० प्र०	3435
24.	मैसूर स्पी. एण्ड. मैन्यु. मिल्स	बंगलौर कर्नाटक	3039
25.	मिनर्वा मिल्स	बंगलौर कर्नाटक	2305
26.	महबूब साहनीं गुलबर्गा मिल्स	गुलबुर्गा, कर्नाटक	1935
27.	पार्वती सिल्स	कुलोन, केरल	972
	6. एल० टी० सी० (एस० एम०) लि० बम्बई		
28.	औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स	औरंगाबाद	795
29.	दिग्विजय टैक्सटाइल मिल्स	बम्बई	1885
30.	चाली नगाँव टैक्सटाइल मिल्स	चाली सगांव, महाराष्ट्र	1693
31.	जुपीटर टैक्सटाइल मिल्स	बम्बई	2689
32.	अपोलो टैक्सटाइल मिल्स	बम्बई	1630
33.	भारत टैक्सटाइल मिल्स	बम्बई	1433
34.	न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल्स	बम्बई	1825
35.	दुल्ही टैक्सटाइल मिल्स	दुल्ही, महाराष्ट्र	2545
36.	ननडीड टैक्सटाइल मिल्स	ननडीड	3355
37.	मुम्बाई ठैक्सटाइल मिल्स	बम्बई	2782

1	2	3	4
		7. एन. टी० सी० (एम० एन०) लि०, बम्बई	
38.	मौडेल मिल्स, नागपुर,	नागपुर, महाराष्ट्र	3298
39.	आर० एस. आर. जी. मोहता अकोला मिल्स	वही	1365
40.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स नं० 1,	बम्बई	5272
41.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स नं० 2,	बम्बई	4928
42.	इण्डिया यूनादटेढ मिल्स नं० 3,	नम्बई	
43.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स नं० 4,	बम्बई	1461
44.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स नं० 5,	बम्बई	1497
45.	आर. बी. बी. ए. स्पिनिंग एण्ड वेविग मिल्स	हिगनढाट, महाराष्ट्र	1721
46.	शवतराम रामप्रसाद मिल्स,	अकोला, महाराष्ट्र	934
47.	विदर्भा मिल्स, (बरार),	आचीपुर, वही	1483
		8. उन. टी. सी. (गुजरात) लि., अहमदाबाद	
48.	अहमदाबाद जुपितेर टेक्सटाइल मि.,	अहमदाबाद	2377
49.	अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स,	वही	2290
50.	हिमाद्री टेक्सटाइल मि.	वही	1246
51.	जहांगीर टेक्सटाइल मिल्स,	वही	1975
52.	पेटियाद टेक्सटाइल मि.	पेटियाद, गुजरात	1158
53.	महालक्ष्मी टेक्सटाइल मि.,	भावनगर, वही	1562
54.	न्यू मानक चौक टेक्सटाइल मि.,	अहमदाबाद	1712
55.	विरामगाम टेक्सटाइल,	विरामगाम, गुजरात	1372
56.	राजनगर टेक्सटाइल मिल्स, यूनिट नं० 1,	अहमदाबाद	3201
57.	राजनगर टेक्सटाइल मि., यूनिट नं० 2,	अहमदाबाद	
58.	राजकोट टेक्सटाइल मिल्स	राजकोट	674
		9. एन. टी. सी. (एम. पी. (लि. इन्दौर	
59.	बंगाल नागपुर काटन मिल्स	राजनन्दगांव, म. प्र.	3168
60.	बुरहानपुर ताप्ती मि.,	बुरहानपुर, म. प्र.	2071
61.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मि.,	भोपाल, म. प्र.	1205
62.	हीरा मि..	उज्जैन, म. प्र.,	2659
63.	स्वदेशी काटन एंड फिगर मि,,	उज्जैन, म. प्र.	2801
64.	इन्दौर मालवा यूनाइटेड मि.,	इन्दौर, म. प्र.	4491
65.	कल्याणमल मि..	इन्दौर, म. प्र.	2694

1	2	3	4

मेनेज्ड मिल्स

67.	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स,	कानपुर, यू. पी.	3077
68.	अथरटन मिल्स,	कानपुर, यू. पी.	1496
69.	स्वदेशी काटन मिल्स,	कानपुर, यू. पी.	6953
70.	स्वदेशी काटन मिल्स,	पांडिचेरी	2388

टिप्पण : नेशनलाइज्ड मिल्स प्रोड्यूसिंग क्लाथ — 66

मेनेज्ड मिल्स प्रोड्यूसिंग क्लाथ — 4

योग 70

अल्प संख्यक आयोग को सांविधिक और संवैधानिक दर्जा दिया

215. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अल्पसंख्यक आयोग सांविधिक और संवैधानिक दर्जा दिये जाने की जोरदार मांग के बारे में जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये कोई विधान लाने का है और यदि हां, तो कब ।

गृह मन्त्री श्री (जैल सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

भारी जल संयंत्रों का कार्यकरण

216. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी जल संयंत्रों का कार्यकरण संतोषजनक रहा हैं ;

(ख) यदि नहीं तो इसके कारण हैं ; और

(ग) उनके चालू होने पर कुल क्षमता कितनी थी और अप्रैल, 1977 से उन्होंने वस्तुतः कितना उत्पादन किया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) वर्तमान 5 भारी पानी संयंत्रों में से जिनमें निर्माणाधीन संयंत्र भी शामिल हैं, नांगल, बड़ोदा और तूतीकोरिन स्थित तीन संयंत्रों में उत्पादन आरम्भ हो चुका है । नांगल स्थित संयंत्र तो संतोषजनक रुप से कार्य कर रहा है, किन्तु तूतीकोरिन स्थित संयंत्र में भारी पानी का उत्पादन बिजली के बार-बार बंद होते रहने तथा सदर्न पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, जिससे यह संयंत्र जुड़ा हुआ हैं, के उर्वरक संयंत्र से सिंथेसिस गैस और अमोनिया मिलने में रुकावट आने के कारण कम हो पाया है । बड़ोदा स्थित संयंत्र की मरम्मत का काम पूरा किया जा चूका हैं तथा आशा है कि यह संयंत्र अप्रैल, 1980

तक नियमित रूप से उत्पादन करने लगेगा । तलचर स्थित भारी पानी संयंत्र का यांत्रिक पक्ष पूरा हो चूका है; किन्तु उड़ीसा में बिजली की जबरदस्त कमी रहने तथा परिणामतः भारतीय उर्वरक निगम के तलचर स्थित उर्वरक संयंत्र और भारी पानी संयंत्र को बिजली की सप्लाई पूर्णतः बंद कर दी जाने के कारण इस संयंत्र को चालू करने का काम आस्थगित रखा गया है। कोटा स्थित भारी पानी संयंत्र में यंत्र लगाने काम नवम्बर, 1980 तक पूरा कर लिया जाएगा ।

(ग) 3 चालू संयंत्रों की अभिकल्पित वार्षिक क्षमता 152.6 टन भारी पानी तैयार करने की है । भारी पानी का वास्तविक उत्पादन बताना देश के हित में नहीं रहेगा ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पुर्नगठन

217 : **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री मगन भाई बारोट : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी प्रयोगशालाओं को शामिल करने के लिए जो पहले कुछ मंत्रालयों को दी गई थी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को पुर्नगठित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्द्रा गांधी)

(क) और (ख) : मामला विचाराधीन है ।

उड़ीसा के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

218. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980–81 के लिए उड़ीसा के वार्षिक योजना परिव्यय को अन्तिम रुप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना योजना परिव्यय स्वीकृत किया गया है और इस परिव्यय में राज्य का अंश कितना है ; और

(ग) अलग-अलग क्षेत्रों (सेक्टोरल) के कुल परिव्यय का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां,

(ख) उड़ीसा को वर्ष 1980–81 को वार्षिक योजना के लिए सहमत कुल परिव्यय 221.05 करोड रु० हैं। इस परिव्यय की वित्त-व्यवस्था करने में राज्य का भाग 84.15 करोड़ रु० है ।

(ग) परिव्यय के क्षेत्रकीय आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

विकास का शीर्ष	(लाख रु०) सहमत परिव्यय
(1)	(2)
अनुसंधान और शिक्षा	
फसल विकास	1480.00
भूमि सुधार	533.35
छोटी सिंचाई	1450.00
भू और जल संरक्षण	121.00
नियंत्रण क्षेत्र विकास	326.00
पशु पालन और डेरी विकास	183.00
मीन उद्योग	170.00
वन	220.65
कृषि वित्त संस्थाओं में निवेश	90.00
विपर्णन	*
भंडारण और माल गोदाम	*
सामुदायिक विकास और पंचायत	75.00
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	*
1. **कृषि और सम्बद्ध सेवाएं**	4649.00
2. सहकारिता	520.00
सिंचाई	4700.00
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	300.00
विद्युत	7245.00
3. **सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण और विद्युत**	12245.00
ग्राम और लघु उद्योग	390.00
मझोले और बड़े उद्योग	257.50
खनन	70.00
4. उद्योग और खनिज	717.50
पत्तन, प्रकाश स्तंभ और नौवहन	86.00
सड़के और पुल	875.00
सड़क परिवहन	150.00
जल परिवहन	**
पर्यटन	40.00

विकास का शीर्ष	(लाख रू०) सहमत परिव्यय
(1)	(2)
5. **परिवहन और संचार**	1151.00
सामान्य शिक्षा	670.50
कला और संस्कृति	34.00
तकनीकी शिक्षा	35.00
चिकित्सा (कर्मचारी राज्य बीमा को छोड़कर)	
कर्मचारी राज्य बीमा योजना	507.00
लोक स्वास्थ्य और सफाई	
मल व्यवस्था और जल पूर्ति	650.00
आवास (पुलिस आवास को छोड़कर)	402.00
शहरी विकास	61.00
सूचना और प्रचार	8.00
श्रम और श्रमिक कल्याण	37.50
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और	
अन्य पिछड़े नर्गो का कल्याण	160.00
समाज कल्याण	25.00
पोषाहार	50.00
अन्य	1.00
6. **सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं**	2660.50
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	12.00
आर्थिक सूचना और सांख्यिकी	40.00
7. **आर्थिक सेवाएं**	52.00
लेखन-सामग्री और मुद्रण	10.00
पुलिस आवास सहित लोक निर्माण कार्य	100.00
8. **सामान्य सेवाएं**	110.00
कुल जोड़	22105.00

* फसल विकास के अंतर्गत शामिल ।

** पत्तन और नौवहन के अंतर्गत शामिल ।

कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम' की समीक्षा करने के लिए समिति

219. श्री तारीक अनवर :

श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या प्रधान मंत्री यह की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ किये गये 'कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम' की प्रगति की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : योजना आयोग ने 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए ऐसी कोई समिति स्थापित नहीं की है। तथापि योजना आयोग के वर्तमान कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इस कार्यक्रम का त्वरित मूल्यांकन अध्ययन किया है। इस मूल्यांकन अध्ययन की अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दिसंबर, 1979 में प्रस्तुत की गई थी। मुख्य निष्कर्शो और सिफारिशों के सारांश की प्रति विवरण में संलग्न हैं। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण पुनर्निर्माण मत्रालय ने राज्यों को उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं।

विवरण

काम के बदले अनाज कार्यक्रम का त्वरित मूल्यांकन अध्ययन (अगस्त – अक्टूबर, 1979)

अन्तरिम रिपोर्ट

मुख्य निष्कर्षो और सिफारिशों का सारांश

सामान्य निष्कर्ष

1. **लाभग्राहियों का वर्गीकरण :**

(1) कुल लाभग्राहियों में से 50.6 प्रतिशत खेतिहर मजदूर थे, 22.4 प्रतिशत काश्तकार थे, 19.7 प्रतिशत गैर–खेतिहर मजदूर थे और 7.3 प्रतिशत अन्य थे।

(2) कुल लाभग्राहियों में से 42 प्रतिशत अनुसूचित जाति के थे' 13 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के थे और 45 प्रतिशत अन्य थे।

(3) काम के बदले अनाज कार्यक्रम में लगे हुए व्यक्तियों में 80 प्रतिशत पुरुष थे और 20 प्रतिशत महिलाएं थी ।

2. **कार्यक्रम का आयोजन और प्रशासन :**

(1) सभी राज्यों में राज्य स्तर संचालन समितियां बनाई गई थी। लेकिन कुछ राज्यों में यथा अपेक्षित अधिक बार बैठकें नहीं की गई थी।

(2) 20 जिलों में से, केवल 7 जिलों में विशिष्ट रुप से जिला स्तर संचालन समितियाँ बनाई गई थी। अन्य जिलों में पहले से ही मौजूद जिला स्तर समितियां यह कार्य करती थीं।

(3) आयोजन और कार्यान्वयन के मामले में जहा ग्राम पंचायतों को इनसे पूरी तरह सम्बद्ध किया गया था, वहां परियोजनाओं का आयोजन सामान्यतः ग्रामीणसमुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया था। तकनीकी विभाग अन्य विभागों से अलग काम कर रहे थे और वे खाद्यान्न का उपयोग अपने सामान्य कार्यकलापों को जारी रखने के लिए कर रहे थे जिला स्तर पर परियोजनाओं के चयन, प्राथमिकताओं के निर्धारण और उनके सम्बन्ध में प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए समन्वय की आवश्यकता है।

(4) रोजगार के लिए मजदूरों के पंजीकरण की प्रणाली केवल 5 जिलों में पाई गई। शेष 15 जिलों में, मजदूरों के चयन के लिए किसी विशिष्ट प्रणाली को नहीं अपनाया गया था।

(5) 8 जिलों में कार्यक्रम के आयोजन और कार्यन्वयन में कुछ कठिनाइयां बताई गई। उदाहरण के रूप में इनमें से कुछ कठिनाइयां विभिन्न विभागों के मध्य आयोजन और समन्वय न होने, भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न के समय पर उपलब्ध न होने, स्थानीय व्यक्तियों के असहयोग, उपकरणों तथा तकनीकी जानकारी, आदि की उपलब्धता न होने से संबंधित थी। सामयिक और निर्बाध पूर्ति से दिहाड़ी मजदूरों को खाद्यान्न के वितरण में कदाचार कम हो जाएगा।

(6) अधिकांश राज्यों में विभिन्न निर्माण–कार्य चलाने के लिए कोई वित्तीय सीमाएं निर्धारित नहीं की गई थी। लेकिन, विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा मंजूरी देने के लिए सीमाएं निर्धारित की गई है। इसलिए, उच्च स्तरों से वित्तीय मंजूरियां प्राप्त करने में कठिनाइयां अनुभव की गई। मंजूरी के लिए उच्च स्तर के अधिकारियों को न लिखने के लिए पंचायतों ने या तो ऐसी परिसम्पत्तियां बनाई जो मानव स्तरों के अनुरूप नहीं थी या उन्होंने परियोजनाओं के खण्ड बना दिए थे और वे हर खण्ड को अलग परियोजना के रूप में मानती थी। इसलिए परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए कार्य प्रणाली को सुचारु और सरल बनाना वांछनीय है।

3. कार्यक्रम की प्रगति :

(1) वर्ष 1978-79 में पिछले वर्ष की तुलना में नमूने के गांवों में चुने हुए हरेक परिवार के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम के जरिए सृजित अतिरिक्त रोजगार 3 श्रम-दिवस से लेकर 167 श्रम-दिवस तक था। पिछले वर्ष की तुलना में सृजित अतिरिक्त रोजगार 0.7 प्रतिशत से 76.1 प्रतिशत था। जिन गांवों में अन्वेषण किया गया है, उन सभी में चुने हुए सभी लाभग्राहियों के लिए कुल मिलाकर रोजगार वृद्धि का प्रतिशत 10.9 था।

(2) वर्ष 1978-79 में पिछले वर्ष की तुलना में नमूने के गांवों में सृजित अतिरिक्त आय में प्रति चुने हुए परिवार के लिए 23 रु० से लेकर 1569 रु० तक थी। पिछले वर्ष की तुलना में सृजित अतिरिक्त आय 1.4 प्रतिशत से लेकर 97 प्रतिशत तक थी। गांवों में सभी चुने हुए परिवारों के लिए वृद्धि कुल मिलाकर 17.7 प्रतिशत थी।

(3) इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सामुदायिक परिसम्पत्तियां उत्पन्न की गई, तथापि जिनमें से कुछ टिकाऊ नहीं थी, जैसे संपर्क सड़कों का निर्माण और तटबंध का निर्माण-कार्य। व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के उत्पन्न करने के संबंध में ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय, योजना आयोग की नीति को ध्यान में रखते हुए इन मामलों की जांच करे।

(4) चुने हुए गांवों में 3.7 लाख श्रम-दिवस रोजगार उत्पन्न किया गया। अलग-अलग जिलों में यह अलग-अलग था ; रायसेन (मध्य प्रदेश) में 535 श्रम-दिवस से लेकर भोजपुर (बिहार) में 46879 श्रम-दिवस तक था।

(5) चुने हुए गांवों में वर्ष 1978-79 में 24 लाख रू० की सामुदायिक परिसम्पत्तियां उत्पन्न की गई।

(6) इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना और योजनेतर दोनों ही तरह के निर्माण-कार्य शुरू किए गए।

(7) बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सम्पर्क सड़कों के रखरखाव के लिए कोई अभिकरण नहीं था।

4. कठिनाइयां और सदाचार :

(1) 5 राज्यों में पूर्ति में देरी और भंडारण की सुविधाओं की कमी के बारे में बताया गया।

(2) कुछ राज्यों में दिहाड़ी की अदायगी पूरी तरह से नकदी में की गई बताई गई जिसके कारण ठेकेदारों ने खाद्यान्न खुले बाजार में बेचा।

(3) कुछ चुने हुए गांवों में उपस्थिति नामावली में ठेकेदारों और पंचायतों द्वारा फर्जी नाम दर्ज करके फेरबदल करने के बारे में बताया गया।

(4) लाभग्राहियों को खाद्यान्न के वितरण के समय दो राज्यों में पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा अनुग्रह अनुदान की मांग की गई। दो राज्यों में सरकारी अभिकरणों और पंचायतों ने झोपड़ियों, स्कूल के भवनों, औषधालयों, पंचायत घरों, आदि जैसे निर्माण-कार्यों की लागत वहन करने के लिए खाद्यान्न को रोकड़ में परिवर्तित किया।

(5) ठेकेदारों ने खुले बाजार में कुछ खाद्यान्न बेचा ।

(6) दो जिलों मे दिहाड़ी की कम अदायगी करने के बारे में बताया गया ।

(7) खाद्यान्न की पूर्ति में देरी होने के कारण लाभग्राहियों को कूपन बेचने पड़े ।

(8) एक राज्य में खाद्यान्न का उपयोग क्राकरी और फर्नीचर की खरीद के लिए और सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए किया गया ।

5. **कार्यक्रम का प्रभाव :**

(1) 20 जिलों में से 13 जिलों में इसका दिहाड़ी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन 7 जिलों में इसका वास्तविक प्रभाव हुआ ।

(2) इस कार्यक्रम से चुने हुए 20 जिलों में से 8 जिलों में खाद्यान्न (गेहूं और चावल) की कीमतें स्थिर हो गई । 6 जिलों में गेहूं की स्थानीय कीमतों में कुछ गिरावट आई ।

(3) रोजगार और आय के रूप में गामीण समुदाय के जीवन और रहन-सहन की दशाओं पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा । लेकिन अधिकांश लाभग्राहियों ने यह बताया कि ये लाभ केवल अल्पकालिक और मौसमी हैं ।

भविष्य के लिए सुझाव :

(1) ठेकेदारों, उचितदर-दुकानों आदि जैसे वितरण अभिकरणों द्वारा इस समय रखी जाने वाली खाली बोरियों को ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि वे इनसे अपने संसाधनों को बढ़ा सकें ।

(2) लाभग्राहियों द्वारा अधिक पसंद किए जाने वाले खाद्यान्न उन्हें दिए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

(3) लाभग्राहियों की पसंद को ध्यान में रखते हुए उन्हें दिहाड़ी आंशिक रूप में नकद और आंशिक रूप में वस्तुओं के रूप में दी जानी चाहिए ।

(4) अधिकांश लाभग्राही साप्ताहिक भुगतान अधिक पसंद करते हैं । इसलिए सभी क्षेत्रों में साप्ताहिक और समय पर भुगतान करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।

(5) ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कारगर पर्यवेक्षण और कार्यान्वियन के लिए निरीक्षण और प्रबोधन के प्रबन्ध बहुत ही कमजोर हैं । इसलिए पर्यवेक्षण को बढ़ाने और व्यवस्थित करने की जरूरत है ताकि गैर-टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन न हो ।

(6) ग्रामीण जनता के विभिन्न वर्गों के लिए इसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभों के बारे में और अधिक अनुसंधान तथा मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है ।

बम्बई के भांडुप गांव में सड़क के निर्माण हेतु साल्ट आयुक्त को जमीन दिया जाना

220 : **श्री सुब्रहमण्यम स्वामी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई में भांडुप गांव तक पहुंच सड़क का निर्माण करने के लिए साल्ट आयुक्त को जमीन देने के संबंध में अपनी नीति को अब अन्तिम रुप दे दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इसका सही ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ;

उद्योग मंत्रालय में उद्योग राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चन्नना) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार बम्बई में भान्डुप ग्राम स्थित नमक की भूमि बम्बई नगर निगम को इस शर्त पर हस्तांतरित करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है कि, भूमि का हस्तान्तरण किए जाने की तारीख को निश्चित किए गए बाजार मूल्य का भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा तथा साल्ट वर्क्स के लाइसेंसधारियों को देय मुआवजे की रकम का भुगतान भी बम्बई नगर निगम द्वारा ही किया जायगा ।

सोवियत संघ से आयतित भारी जल का उपयोग

221. **श्री सुब्रहमण्यम स्वामी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से आयात किये गये भारी जल का हाल ही में भारत के किसी रियक्टर में उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह उपयोग किस सही तारीख से प्रारम्भ किया गया ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों में असन्तोष

222. **श्री झारखण्डे राय** :

श्री के० एम० मधुकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में व्याप्त असंतोष और बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों द्वारा अपनी समस्याओं के बारे में विरोध प्रकट किए जाने के विषय में समाचार पत्रों में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समस्याओं का सही रूप क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कर्मचारियों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में छपी कुछ रिपोर्टें सरकार की

जानकारी में आई हैं। जून, 79 में पहले की रिपोर्टों का सम्बन्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार लाने के सम्बन्ध में उनकी अभिलाषा तथा प्रत्याशा से था। बाद की रिपोर्टों का संबंध दिनांक 29-1-80 की घटना के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अन्वेषक अधिकारियों के बीच व्याप्त आशंका से था जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के भूतपूर्व उप महानिरीक्षक, श्री एन० के० सिंह अन्तर्ग्रस्त थे।

2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उनके लिए अधिक सरकारी आवास की व्यवस्था करने, कुछ वर्गों के अधिकारियों को विशेष वेतन की मंजूरी देने, वर्दी भत्ते में बढ़ोत्तरी करने आदि जैसे उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। लिपिकीय कर्मचारियों तथा कान्स्टेबुलों के लिए अधिक पद सृजित करके हाल ही में पदोन्नति के अवसर बढ़ा दिए गए हैं। कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार लाने के लिए कुछ और उपाय विचाराधीन हैं।

3. जहां तक दिनांक 29-1-80 की घटना के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अन्वेषक अधिकारियों में व्याप्त बताई गई आशंका का संबंध है, उन्हें ब्यूरो के निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, जिसने अपना कार्य सद्भाव पूर्ण ढंग से पूरा किया हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

औद्योगिक विकास की दर

223 : **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र के संबंध में अलग-अलग, गत 6 महीनों के दौरान औद्योगिक विकास की दर में हुई वृद्धि अथवा ह्रास का तुलनात्मक विवरण क्या है !

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी० एस० ओ०) जो औद्योगिक उत्पादन संबंधी सूचकांक एकत्रित करता है, केवल समन्वित सूचकांक ही तैयार करता है। सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों के औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक अलग से उपलब्ध नहीं है।

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्तूबर, 1979 तक हुए औद्योगिक उत्पादन तथा प्राप्त विकास के सूचकांक नीचे दिए गए है :

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक
(1970 = 100)

माह	1978-79	1979-80	विकास दर मासिक
अप्रैल	143.0	146.0	+2.1
मई	149.0	146.4	−1.7
जून	141.7	141.3	−0.3
जुलाई	146.5	144.4	−1.4
अगस्त	145.2	147.4	+ 1.5
सितम्बर	145.7	146.3	+ 0.4
अक्तूबर	142.1	144.9	+ 2.0

स्त्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

परमाणु बिजलीघरों को ईंधन सप्लाई की व्यवस्था

224. **श्री एन०के०शेजवलकर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में चल रहे विभिन्न परमाणु बिजलीघरों को ईंधन सप्लाई करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है और कितनी अवधि के लिए व्यवस्था की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : इस समय देश में दो परमाणु बिजलीघर काम कर रहे हैं - तारापुर परमाणु बिजलीघर और राजस्थान परमाणु बिजलीघर (यूनिट I) । राजस्थान परमाणु बिजलीघर में ईंधन के रुप में प्राकृतिक यूरेनियम काम में आता है । हमारे देश में उपलब्ध प्राकृतिक यूरेनियम इस बिजलीघर के सम्पूर्ण कार्य-काल के लिए पर्याप्त है । तारापुर परमाणु बिजलीघर ही एकमात्र ऐसा बिजलीघर है जिसमें समृद्ध यूरेनियम को ईंधन के रुप में काम में लाया जाता है । 1963 के सहकार-करार के अनुसार, अमरीकी सरकार तारापूर परमाणु बिजलीघर के वास्ते सन् 1993 तक आवश्यक सारा समृद्ध यूरेनियम देने के लिए बाध्य है ।

अन्तरिक्ष अनुसंधान में प्रगति

225. **श्री एन०के० शैजवलकर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के दौरान अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई और भविष्य के लिए क्या अनुसंधान योजनाएं हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : तीन प्रमुख कार्यक्रम लक्ष्यों अर्थात सुदूर संवेदन, अन्तरिक्ष -आधारित संचार एंव उपग्रह प्रमोचक राकेटों के स्वदेशी विकास की दिशा में अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति जारी रही । गत वर्ष के दौरान उपलब्ध किए गए दो महत्वपूर्ण मील-स्तंभ इस प्रकार रहे :

(1) प्रायोगिक भू-प्रेक्षण उपग्रह–"भास्कर" का प्रमोचन ।

(2) उपग्रह प्रमोचक राकेट (एस. एल. वी.–3) की प्रथम प्रायोगिक उड़ान ।

2. भविष्य के लिए अनुसंधान योजनाए उपर्युक्त कार्यक्रम लक्ष्यों के इर्द-गिर्द केन्द्रित हैं । इनका विवरण अन्तरिक्ष विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाएगा ।

अफगानिस्तान में सोवियत रूस के हस्तक्षेप को देखते हुए भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के लिए की गई कार्यवाही

226. **श्री एन.के.शेजवलकर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान में हाल के सोवियत रूस के हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए भारतीय सीमाओं की रक्षा करने हेतु कोई विशेष कदम उठाये गए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.पी.एन.सिंह) : (क) और (ख) हमारे विचार से अफगानिस्तान में रूस की उपस्थिति से भारतीय सीमाओं को कोई खतरा नहीं है । फिर भी

हम घटनाओं के प्रति पूरी निगरानी रखे हुए हैं और भारत की सुरक्षा और अखन्डता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं ।

अशोक बिहार (दिल्ली) में डकैतियां

227. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1980 के दौरान अशोक बिहार, दिल्ली के निवासियों को बार-बार डकैतियों की वारदातों को झेलना पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से एक डकैती दिन दहाड़े की गई थी ; और

(ग) क्या गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली की अन्य बस्तियों से भी ऐसी ही घटनाओं के घटित होने की रिपोर्ट मिली है और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और स्थिति में आमुलचूल परिवर्तन लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहें है;

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) तथा (ख) : एक दिसम्बर, 1979 से 29 फरवरी, 1980 तक की अवधि के दौरान डकैती के दो मामलों और लूट पाट के तीन मामलों की अशोक बिहार थाने में सूचना दी गई थी । उनमें से एक लूट मार का मामला दिन के समय हुआ था ।

(ग) पिछले तीन महीनों में अर्थात एक दिस्मबर, 1979 से 29 फरवरी, 1980 तक सारे दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में डकैती के पन्द्रह मामले सूचित किए गए थे ।

ऐसे अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) शस्त्र तथा गहन पैदल चलती फिरती, गश्त, वाकीटाकी सैट और वायरलेस युक्त मोटर-साईकल गश्त आरंभ की गई है। रात्रि गश्त के लिए जिलों को दिल्ली शस्त्र पुलिस केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 अतिरिक्त कम्पनियां दी गई हैं और इस उद्देश्य के लिए केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बल की अतिरिक्त बटालियन भी उपलब्ध करायी गई है । गश्त का वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जा रहा है ।

(ii) रात्रि और प्रातः तड़के गश्त के लिए दिल्ली पुलिस को लगभग 2000 होम गार्ड दिए गए है । पार्कों और अति संवेदनशील रिहायशी बस्तियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

(iii) अपराध करने में ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए वाहनों की आकस्मिक जांच ।

(iv) ठीकरी पहरा और स्थानीय निवासियों और निजी चौकीदारों द्वारा पुलिन गश्ती दल और टुकड़ीयों के सहयोग से गश्त लगाना ।

(v) कुछ संवेदनशील स्थानों में नियमित स्वीकृति होने तक अस्थाई पुलिस चौकियों की स्थापना करना ।

(vi) निष्कासन कार्यवाहियों को तेज करना, 450 से अधिक अपराधी तथा बदमाश दिल्ली से निष्कासित किए जा चुके हैं ।

(vii) आसूचना की वृद्धि से, डाकुओं, आटो वाहनों चोरों, लूटपाट करने वाले, छीना झपटी करने वाले, जेब काटने वाले, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले तथा अन्य बदमाशों का पता लगाने के लिए जिलों के विशेष दस्तों द्वारा निरन्तर अभियान चलाना ।

(viii) पुलिस उपायुक्तों/सहायक आयुक्तों की मोहल्लों के निवासियों के साथ बैठकें करना और उन्हें यह बताना कि क्या उपाय किए गए हैं और उनसे सुझाव लेना ।

(ix) महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के अपराध को रोकने के लिए महिला कालेजों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करना ।

(x) 1978 में स्थापित पुलिस थानों में और अधिक कर्मचारियों की स्वीकृति देने पर सरकार द्वारा सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है ।

(xi) ड्यूटी पर तैनात पुलिस की गतिशीलता में सुधार करने के लिए हाल ही में पुराने वाहनों कों बदलने के लिए 57 नये वाहनों की स्वीकृति दी गई है । 8 नई जीपों की भी स्वीकृति दी गई है ।

(xii) यह भी निर्णय किया गया है कि अपराध रिकार्ड कार्यालय पहले की भांति एक पाली में कार्य करने की बजाय चौबीस घंटे कार्य करेगा ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आयोग का वर्ष 1978-79 तथा हरिजनों के प्रति अत्याचारों के बारे में प्रतिवेदन

228. **श्री के० पी० सिह देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आयोग ने वर्ष 1978-79 के लिए अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचार जारी है ओर पिछले वर्षो की तुलना में इस अवधि में उनमें वृद्धि हुई है;

(ख) क्या आयोग ने इस सामाजिक धब्बे को मिटाने के लिए कुछ ठोस उपायों का भी सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और केन्द्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है कि प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में इन समुदायों को संरक्षण प्रदान किया जाये ।'

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग का वर्ष 1978-79 का प्रतिवेदन केवल पिछले महीने प्रस्तुत किया गया था । आयोग की स्थापना से संबंधित संकल्प की शर्तो के अनुसार प्रतिवेदन संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखना पड़ता है और आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

बिहार में हरिजनों पर हमले

229. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान बिहार में हरिजनों पर हमलों की कितनी घटनाओं का समाचार मिला और इसके क्या कारण है;

(ख) ऐसी प्रत्येक घटना में कितने व्यक्ति मारे गये, कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ आदि;

(ग) क्या सरकार ने पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया है;

(घ) कितने घरों को क्षति पहुंची और सरकार ने उनकी मरम्मत के लिए कितनी सहायता दी है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये अपराधियों को दंड देने हेतु क्या उपाय किये गये है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी और फरवरी, 1980 के महीनों के दौरान राज्य में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के प्रति गैर-अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध निम्नलिखित है :—

महीना	हत्या	हिंसा जिसके कारण गंभीर चोटें आईं	बलात्कार	सम्पत्ति के के सम्बन्ध में आगजनी या गम्भीर शरारत	अन्य भा०क०सं० अपराध
जनवरी, 1980	5	13	5	19	72
फरवरी, 1980	2	5	1	4	25

राज्य सरकार ने आगे सूचित किया है कि उक्त सूचना अधूरी हैं क्योंकि उनके द्वारा कुछ जिलों से सूचनायें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। उन्होंने बताया है कि ये घटनाएं विभिन्न कारणों जैसे भूमि विवाद, न्यूनतम वेतनों के बारे में विवाद, दलीय प्रतिद्वन्द्विता आदि के परिणामस्वरूप हुई।

(ख) इन घटनाओं में 21 व्यक्ति मारे गए थे। 45 मकान नष्ट हुए थे। घरेलू वस्तुयें जैसे कपड़े और लकड़ी का फर्नीचर जला दिए गए और कुछ घरेलू पशु भी आगजनी में मारे गए।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वस्तुओं और नकद रूप में तुरन्त राहत दी गई थी। नए मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता तथा कपड़े और राशन भी दिया गया।

(ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सभी पुलिस और सिविल अधिकारियों को अनुसूचित जातियों के व्यक्तितों की समस्याओं पर अत्याधिक ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। दोषी व्यक्तियों को पकड़ने और मामलों की जांच शीघ्र पूरी करने के लिए उपाए किए गए हैं।

आसाम में आन्दोलन तथा हिसात्मक घटनाओ के पीछे विदेशी षड़यंत्र

230. **श्री के. सी. पाण्डेय : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में आन्दोलन तथा हिसात्मक घटनाओं के पीछे किसी बाहर के देश का षड़यंत्र है;

(ख) क्या यह भी सच है कि षड़यंत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को नष्ट करना है जिसको जनता तथा लोकदल सरकारों द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था;

(ग) क्या सरकार इसको सीमित रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख), (ग) और (घ) इस संबंध में आरोप लगाए गए हैं। किन्तु ऐसे मामलों में निर्णायक सबूत प्राप्त करना आसान नहीं है। सरकार स्थिति की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा वस्ती जिला में उद्योगों की स्थापना

231. **श्री के. सी. पांडेय , क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से उद्योग लगाने का विचार है,

(ग) क्या वस्ती पिछड़ा जिला है और यदि हां, तो वहां कौन-कौन से उद्योग लगाने का विचार है, और

(घ) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिये क्या-क्या सुविधाएं देने का विचार है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) से (घ) पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, बहराइच, बलिया वस्ती, देवरिया, फैजाबाद, गाजीपुर, गौड़ा और जौनपुर को उद्योग स्थापित करने के लिए रियायती वित्त तथा अन्य सुविधाएं पाने की पात्रता हेतु औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र समझा गया है। इन जिलों में से, बलिया, वस्ती तथा फैजाबाद को केन्दीय निवेश राज सहायता योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए चुना गया है। केन्द्र सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रदान करती हैं :—

(1) निवेश राज सहायता की केन्द्रीय योजना।

(2) अखिल भारतीय सांवधिक ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों से निर्धारित किए गए हैं।

(3) कर संबंधी रियायतें।

(4) लघु उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से मशीनरी की किराया खरीद।

(5) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।

(6) ब्याज राज सहायता।

(7) कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं।

(8) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम।

(9) ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम।

(10) जिला उद्योग के-द्र।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1978 में आशय पत्र और 6 औद्योगिक लाइसेंस तथा 1979 में 3 आशय पत्र और 2 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। किन्तु बस्ती में उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1978-79 में कोई आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। किसी क्षेत्र का विकास करना राज्य सरकार का विषय है तथा यह बात जनता पर निर्भर करती है कि वह केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए आगे आये।

पार्टी का नाम, बनाई जाने वाली वस्तु, क्षमता, एकक के स्थान आदि सहित उन सभी आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा "बीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट, लाइसेंसेज, एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज् में तथा इण्डियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर द्वारा प्रकाशित "मन्थली न्यूज लेटर" के परिशिष्ट में प्रकाशित किया जाता हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

धागे के मूल्यों में वृद्धि

232. **श्री के० सी० पान्डेय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता पार्टी तथा लोकदल के शासन के दौरान धागे के मूल्यों में वृद्धि हुई थी जिसके फलस्वरूप हथकरघा तथा विद्युत-करघा बुनकरों को भारी हानि हुई थी,

(ख) क्या सरकार का विचार धागे के मूल्यों में कमी कराने का है, यदि हां, तो कब तक,

(ग) वर्ष 1965 में धागे का मूल्य प्रति बंडल कितना था और अब कितना है, और

(घ) इस समय सरकार बुनकरों से किस दर पर खरीद कर रही है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी हां, धागे के मूल्य अक्तूबर, 1978 से बढ़ने शुरू हो गए थे और 1979 की गर्मियों में कताई मिलों में व्यापक वस्त्र उद्योग हड़ताल तथा बिजली की कटौती और डीजल की कमी के कारण स्थिति और अधिक बिगड़ गई।

(ख) सितम्बर, 1979 में चल रहे मूल्यों को ध्यान में रखकर सितम्बर, 1979 में एक स्वच्छिक मूल्य नियंत्रण योजना शुरू की गई थी। जो जनवरी, 1980 तक चलती रही। इस योजना को 1980 में समाप्त कर दिया गया था क्योंकि इस समय बाजार मूल्य स्वैच्छिक योजना के संगत मूल्यों से भी नीचे स्तर तक पहुंच गए थे। इसके अलावा निर्दिष्ट मिलों से उनके मिल से निकलते समय के मूल्य पर हथकरघा सहकारी समितियों/संघों द्वारा सीधे माल खरीदने की एक योजना भीं चलाई गई थी। यह योजना अभी भी चल रही है यह एक विचारणीय बात है कि सूती धागे का सूचकांक जो सितम्बर, 1979 में 235.9 था उससे घटकर अब (1.2.1980 को समाप्त सप्ताह में) 220.5 हो गया है। यह स्थिति सभी वस्तुओं के थोक बिक्री मुल्यों की स्थिति से जो सितम्बर, 1979 के 220.7 थे और 2.2.1980 को समाप्त सप्ताह में बढ़कर 225.2 तक पहुंच गए, एकदम विपरीत हैं।

(ग) प्रति बण्डल धागे के वर्ष 1965-66 के अधिकतम/न्यूनतम मूल्यों की जानकारी सलंगन न अनुबंध में दी गई है।

(घ) सरकार बुनकरों से कोई सीधी खरीद नहीं कर रही है। किन्तु, सरकार एक ऐसी योजना के लिए राजसहायता देती है जिसके अधीन हथकरघा क्षेत्र में कम कीमत वाली साड़िया और धोतियों का उत्पादन किया जाता है और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। अनुमान है कि इस योजना के अधीन वर्ष के दौरान लगभग 1750 लाख मीटर कपड़ें का उत्पादन किया गया।

विवरण

जनवरी, 1966		1.3.1980		
(प्रति 5 किलों का मूल्य रुपयों में)		(प्रति 4.54 किलो का मूल्य रुपयों में)		
10.6 एस	न्यूनतम 21.08	10 एस	नयूनतम	64.00
(एन एभ)	अधिकतम 23.54		अधिकतम	70.00
20.1 एस	न्यूनतम 25.28	20 एस	न्यूनतम	76.00
(एन एफ 17)	अधिकतम 26.21		अधिकतम	32.00
40.2 एस	न्यूनतम 36.71	40 एस	न्यूनतम	120.00
(एन एफ 34)	अधिकतम 37.99		अधिकतम	128.00
61.4 एस	न्यूनतम 48.29	60 एस	न्यूनतम	163.00
(धुनी हुई)	अधिकतम 51.23		अधिकतम	167.00
(एन एफ 52)				
80.3 एस	न्यूनतम 76.79	80 एस	न्यूनतम	203.00
(धुनी हुई 7	अधिकतम 78.46	(धुनी हुई)	अधिकतम	210.00
(एन एफ 68)				

जनता/लोकदल की सरकारों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित किया जाना।

233. **श्री के० सी० पाण्डेय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनता और लोकदल की सरकारों के शासन के दौरान कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया था क्योंकि वे गलत काम करने को तैयार नहीं थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या, नाम और पदनाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे अधिकारियों के साथ न्याय करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) (ख) तथा (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

यूरेनियम संसाधनों का अनुमान

234, **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में यूरेनियम संसाधनों का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो यू 308 के वर्तमान अनुमानित संसाधनों का ब्योरा क्या है और इसमें से कितनी मात्रा उपयोग के लिए उपलब्ध है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के क्रिस्टेलाइन (स्फटीय) क्षेत्रों में नये लक्ष्य क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में अनुमानतः कितना यूरेनियम पाया गया है और उसके उपयोग का क्या कार्यक्रम है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी हां। यूरेनियम के ऐसे भंडारों में, जिनमें विद्यमान खनिज की मात्रा या तो हमें विदित है या जिसका हम अनुमान लगा चुके है, इस समय 63876 मीटरिक टन यूरेनियम आक्साइड (यू 308) है। यद्यपि इन भंडारों में उपलब्ध धातुक अपेक्षाकृत नीचे ग्रेड का है, तथापि उनका दोहन किया जा सकता है और यूरेनियम का उत्पादन ऐसी लागत पर किया जा सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य-वृद्धि के वर्तमान रूप को ध्यान में रखते हुए ज्यादा न हो। बिहार के सिंहभूम जिले में जादूगोडा स्थित एक खान से खनिज निकाला भी जा रहा है।

(ग) तथा (घ) दुमहाट–जजवाल–डोकी–दूवे–गारिया आदि में, सरगुजा जिले में अपरूपण क्षेत्रो के साथ–साथ मध्य प्रदेश के राजनंदगांव जिले के बोडल–भंडारीटोला नामक स्थान पर यूरेनियम के महत्वपूर्ण भंडार मिले है। हाल ही में, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कुर्री–क्योंटी-चिहरा भू–पट्टी के साथ–साथ भी यूरेनियम के महत्वपूर्ण भंडार मिले हैं।

ऐसा अनुमान है कि बोडल स्थिर भंडारों में 1,800 मीटरिक टन से भी अधिक यूरेनियम आक्साइड विद्यमान है तथा वहां यूरेनियम निकालने की योजनाओं का अध्ययन तकनीकी दृष्टि

से किया जा रहा है। सरगुजा जिले में पाये गये भंडारों में विद्यमान खनिज की मात्रा का पता लगाने के लिए, भूमि के नीचे समन्वेषी विकाश–कार्य तथा भू–वेधन किये जा रहे हैं। बस्तर में भी पारम्भिक कार्य शुरू किया जा चुका है।

45 वर्ष की आयु पर राष्ट्रीय केडेट कोर के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति

235. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर संगठन ने 26 अगस्त, 1979 को 45 वर्ष की आयु पूरा कर लेने पर राष्ट्रीय केडेट कोर के सभी अंशकालिक अधिकारियों को अनियार्य रूप से सेवा निवृत्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) आगामी पाँच वर्षों के लिए अंशकालिक अधिकारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रीय केडेट कोर संगठन की परियोजनायें क्या हैं ;

(ग) राष्ट्रीय केडिट कोर के अंशकालिक अधिकारियो की वर्तमान संख्या क्या है ; 27 अगस्त 1979 तक कितने अधिकारी सेवा-निवृत हुए हैं ; देश में राष्ट्रीय केडेट कोर के नए यूनिटों का विस्तार क्या हैं और क्या राष्ट्री केडेट कोर के अधिकारियों की कमी के कारण इस समय अनेक यूनिट बन्द हैं ; और

(घ) राष्ट्रीय केडेट कोर संगठन के मामले पर सरकार की समग्र नीति, इसका व्यापी और भावी कार्यक्रम क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) 45 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्ति के नियम राष्ट्रीय केडेट कोर में अंशकालिक कमीशन वाले पुरुष अफसरों पर लागू होते हैं। उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु 50 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है बशर्ते कि वे शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हों और सेवा में इस तरह की वृद्धि करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन हो। अंशकालिक महिला अफसरों के मामले में सेवा निवृत्ति की आयु 52 वर्ष हैं 55 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(ख) और (ग) इस समय राष्ट्रीय केडेट कोर में अंशकालिक अफसरों की स्वीकृत संख्या 11,513 जिनमें 10,146 पुरुष और 1,367 महिला अफसर हैं।

27 अगस्त, 1977 से 27 अगस्त 1979 तक 928 अफसर सेवा मुक्त कर दिए गए इनमें वे अफसर भी शामिल हैं जो उस समय लागू नियमों के अनुसार 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेवा निवृत्त हुए हैं।

1978–79 और 1979–80 के दौरान 24 नई यूनिटें खोली गई। 1980–81 के दौरान 26 नई युनिटें खोलने का प्रस्ताव है। अपेक्षित स्थितियां नई नियुक्तियों और सेवा की अवधि में वृद्धि करके भरी जायेंगी।

अंशकालिक अफसरों की कमी के कारण 1979 में राष्ट्रीय केडेट कोर की कोई भी यूनिट बन्द नहीं की गई।

(घ) राष्ट्रीय केडिट कोर देश की प्रमुख युवा संघटनों में से एक है और हमारा प्रयास अपने वर्तमान वित्तीय साधनों के अधीन इसका विस्तार करने का है।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की देखरेख के लिए पृथक मंत्रालय

236. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री पाधवराव सिंधिया : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की देखरेख करने के लिए पृथक मंत्रालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कब तक स्थापना किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में बड़े उद्योगों की स्थापना करना

237 : **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े उद्योगों की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० चरनजीत चानना) : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य कृपया छटी पंच वर्षीय योजन के संशोधित मसौदे, (1978-83) के अध्याय 23 के अनुबंध-2 को देखें, जो दिसम्बर, 1979 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें वर्ष 1978-83 में केन्द्रीय क्षेत्र में बड़े तथा मझोले उद्योग एवं खनिज परियोजनाएं स्थापित किये जाने के बारे में जानकारी दी गई है, किन्तु यह प्रलेख अभी राष्ट्रीय विकास परिषद को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

कानून-और व्यवस्था की स्थिति

238. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री शिव कुमार सिंह :

श्री के० लक्कप्पा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य रूप से देश में और विशेष रूप से दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए सकरार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति असंतोषजनक थी। केन्द्र में नई सरकार के सत्ता में आने और 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के पश्चात दिल्ली सहित कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।

(ख) हत्याओं, डकैतियों, लूटपाट, चैन छीनने आदि जैसे ध्रपित सनसनी खेज अपराधों में वृद्धि के कारण जनता के मन में भय तथा चिन्ता की भावना उत्पन्न हो गई थी। नारायणपुर, पारसवीधा और पिपरा में हाल की गंभीर घटनाओं के पश्चात संबंधित राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक तंत्र को चुस्त करने तथा कानून और व्यवस्था की सभी स्थितियों से कठोर तथा कारगर ढंग से निपटने और अपराधियों को तुरन्त दंड देने के लिए कहा गया है।

दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त जनशक्ति, उपकरण और वाहन देकर पुर्नगठित और सुदृढ़ करने के लिये कदम उठाए गए है। दिल्ली पुलिस ने गश्त तेज कर दी है, ज्ञात अपराधियों पर निगरानी कड़ी की है और बदमाशों के निष्कासन के कार्य को बढ़ा दिया है।
कानून और व्यवस्था के सभी पहलुओं पर मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों के सम्मेलन में विचार विमर्श करने का प्रस्ताव भी है।

सस्ते कपड़े की योजना

239 : **श्री रामावतार शास्त्री** :

श्री के० एम० मधुकर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सस्ते कपड़े की योजना को जारी रखने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो निजी और सरकारी दोनों प्रकार के क्षेत्रों में सस्ते कपड़े के उत्पादन की वर्तमान दर क्या है,

(ग) कपड़े की विभिन्न किस्मों का प्रति मीटर अधिकतम खुदरा मूल्य क्या है, और

(घ) इसकी प्रभावी आपूर्ति के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरन जीत चानना) (क) से (घ) : सितम्बर, 1979 में चालू की गई सस्ते कपड़े की योजना के अंतर्गत कुल बनाए जाने वाले कपड़े की वार्षिक कुल मात्रा 10,000 लाख मीटर होने की आशा है। योजना के अंतर्गत आने वाले कपड़े का कारखाने से निकलते समय का अधिकतम मूल्य 4.75 रुपये प्रतिमीटर है, जिसका अधिकतम उपभोक्ता मूल्य 6.36 रुपये होगा। जिसमें 25 प्रतिशत व्यापार लाभ, उत्पादन शुल्क चुगी आदि भी शामिल है मिलों को कपड़े पर अधिकतम उपभोक्ता मूल्य छापने के निदेश दे दिए गए हैं। सितम्बर, 1979 से दिसम्बर, 1979 तक रा० व० नि० की मिलने द्वारा 990 लाख मीटर तथा निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा 1480 लाख मीटर सस्ते कपड़े का उत्पादन किया गया था। सहकारी क्षेत्र का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त कर सस्ते कपड़े का संभरण वितरण के सामान्य व्यापारिक माध्यमों से ही किया जा रहा है। चूंकि योजना सितम्बर, 1979 में ही चालू की गई है, इस-

लिए इसे जारी रखने सम्बन्धी संवीक्षा योजना के पहले वर्ष के कार्य को देखने के पश्चात ही की जायेगी ।

दिल्ली में विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार व्यक्ति

श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

श्री नीरज घोष : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान, महीनेवार, विभिन्न अपराधों के आरोपों में कितने व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है और कितने व्यक्ति अभी तक न्यायिक हिरासत में हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के कुछ पुलिस कर्मचारी भी है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) गिरफ्तार किए गए, जमानत पर रिहा किए गए और जो अभी तक न्यायिक हिरासत में हैं, उन व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

महीने का नाम	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	जमानत पर	न्यायिक सिरासत
अप्रैल, 79	2785	2733	52
मई, 79	2980	2889	91
जून, 79	2824	2759	65
जुलाई,79	5262	5188	74
अगस्त, 79	3612	3533	79
सितम्बर, 79	3061	2988	73
अक्तूबर, 79	3406	3323	83
नवम्बर, 79	2838	2717	121
दिसम्बर,79	3118	3025	93
जनवरी, 80	2442	2221	221
फरवरी, 80	2223	1880	343

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में 7 उप-निरीक्षक, तीन सहायक उप-निरीक्षक, 8 हैड कांस्टेबल और 18 कांस्टेबल थे ।

आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए सभी पुलिस कर्मचारी मुअत्तल है । 18 के विरुद्ध मामलों की जांच की जा रही है, 14 के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं, दो को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है और दो को दोष शिद्ध ठहराया गया है ।

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

241 : **श्री जय नारायण :**

श्री चित्त महाता : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) (क) और (ख) । राजस्थान के निम्नलिखित 16 जिलें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े समझे गये हैं वे रियायती दर पर वित्त तथा अन्य सुविधाएं पाने के पात्र है :

अलवर, बांसवाड़ा, बाडमेर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुन, झालावाड, जोधपुर, नागौर, सीकर, सिरोही, टोंक तथा उदयपुर

इन 16 जिलों में से निम्नलिखित 6 जिलों केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अंतंगत और भी लाभ उठाये जाने योग्य होने समझे गये हैं :

अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, चूरू, नागौर तथा उदयपुर । उपयुक्त रियायतों के अलावा निम्नलिखित प्रोत्साहन भी उपलब्ध हैं :

(1) प्रारम्भिक/मार्जिन धनराशि की सहायता ।
(2) आयकर राहत
(3) राष्ट्रीयलघु उद्योग निगम द्वारा रियायती शर्तों पर मशीनों की सप्लाई
(4) तकनी की सेवाओं के लिए परामर्श
(5) ब्याज राजसहायता
(6) कच्चा माल आयात करने हेतु विशेष सुविधाएं
(7) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम
(8) ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम
(9) जिला उद्योग केन्द्र

राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तंगत उद्योगों की स्थापना करने के लिए 1978 की अवधि में 19 आशय पत्र तथा 5 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गए थे व 1979 में 20 आशय पत्र तथा 5 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गए थे । पार्टी का नाम, बनाई जाने वाली वस्तु, क्षमता, एकक के स्थान आदि सहित इन सभी आशयपत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसेज, एक्सपोर्ट लाइसेंज एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज में तथा इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर द्वारा प्रकासित "मन्थली न्यूज लेटर" के परिशिष्ट में प्रकाशित किये जाने हैं । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

राजस्थान में उद्योगों में उत्पादन

242 : **श्री जय नारायण** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य में बिजली की कमी के कारण वहां के उद्योगों/फैक्ट्रियों के उत्पादन में गिरावट आई है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डां० चरनजीत चानना) (क) और (ख) : किसी भी औद्योगिक उत्पादन/कारखाने का उत्पादन स्तर बिजली सहित अनेक कारणों पर निर्भर करता है । अत : केवल विद्युत संकट के कारण औद्योगिक उत्पादन में होने वाली हानि का ठीक-ठीक निर्धारण करना बहुत कठिन है । फिर भी, चूंकि सूखे की स्थिति के परिणामस्वरूप जलविद्युत कम उत्पन्न होने, और पोंग के दो जेनरेटिंग एककों व कोटा के आर० ए० वी० पी० एकक के व्यवहार में न लाये जाने के कारण इस समय राजस्थान में बिजली की अत्यधिक कमी चल रही हैं । 2/3 मार्च, 1980 से पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश से लगभग 4 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से (11 बजे रात्रि से अगले दिन 6 बजे प्रात : तक) अधिक आवश्यकता वाले समय के अलावा बिजली की राहत पहुंचाये जाने की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन से भी राजस्थान के लिए लगभग 5 से 6 लाख यूनिट तक बिजली उपलब्ध कराई जा रही है ।

एकाधिकार गृहों को जारी किए गए लाइसेंस

243 : **श्री बालासाहिब विरखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से 1979 के दौरान प्रत्येक वर्ष एकाधिकार गृहों तथा अन्य बड़े औद्योगिक गृहों से, अलग-अलग जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या तथा उनका ब्यौरा क्या है, और

(ख) इन लाइसेंसो को जारी करने में किन बातों को ध्यान में रखा गया था और इनमें से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए कितने लाइसेंस थे तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० चरनजीत चानना) . (क) तथा (ख) औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय की स्थापना औद्योगिक विकास विभाग में नवम्बर, 1973 में की गई थी तब से औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में केन्द्रीकृत आंकड़े रखे जा रहे हैं । 1 नवम्बर 1973 से पहले के औद्योगिक लाइसेंसों के आंकड़े नहीं रखे गए हैं ।

2 फरवरी, 1973 के औद्योगिक नीति विवरण में सरकार ने बड़े औद्योगिक घरानों की परिभाषा में संशोधन करके उसे एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 में अपनाई गई परिभाषा के अनुरूप कर दिया है । कम्पनी कार्य विभाग के कथनानुसार इस संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में बड़े औद्योगिक घरानों को दी जाने वाली सहायता अथवा दिए जाने वाले लाइसेंसों के सांख्यिकीय आंकड़े का एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 में अपनाई गई परिभाषा के अनुसार विनियमन किया जाना चाहिए ।

इसके अनुसार एकाधिकार प्राप्त गृहों तथा अन्य बड़े घरानों के बारे में औद्योगिक लाइसेंसों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। किन्तु 12 नवम्बर, 1973 से 31 दिसम्बर, 1979 की अवधि में एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों के उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन 496 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। इनमें से 10 औद्योगिक लाइसेंस एम आर टी पी उपक्रमों को पिछड़े क्षेत्रों में एकक स्थापित करने के लिए जारी किए गए थे।

जहां तक इन 496 औद्योगिक लाइसेंसों को जारी करने के बारे में आधार का संबंध है प्रत्येक मामले से संबंधित कागजातों की जांचकर सकना और विशिष्ट औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए आधार निश्चित करना कठिन होगा। आमतौर पर औद्योगिक लाइसेंस आवेदकों को समय-समय पर घोषित सरकार की नीतियों विशेषकर बड़े औद्योगिक गृहों के बारे में औद्योगिक लाइसेंस नीतियों के अनुसार एम आर टी पी के अधीन जारी किए जाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि उनसे अपने परिशिष्ट-1 (प्रतिलिपि तत्काल संदर्भ हेतु संलग्न है) में दिए गए उद्योगों तक ही सीमित रहने की आशा की जाती है। जिन मामलों में उत्पादन मुख्य रूप से निर्यात के लिए होता अथवा उसमें उन्नत औद्योगिकी अन्तर्ग्रस्त होती है या पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाना होता है उन मामलों में कुछ लाइसेंस प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर इस सूची से बाहर के उद्योगों के लिए भी जारी किये जाते हैं।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए सभी औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसेज एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज तथा मन्थली न्यूज लैटर के परिशिष्ट में प्रकाशित किए जाते हैं जो इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संगद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

विवरण-I

1. धातु कार्मिक उद्योग
   (1) लौह मिश्रित धातुएं
   (2) स्टील कास्टिंग और फोजिंग
   (3) विशेष इस्पात
   (4) अलौह धातुएं और उनके मिश्रण
2. बॉयलर्सस और भाप जनित्रण संयंत्र
3. प्राइम मूवर्स (विद्युत जनित्रणों को छोड़कर)
   (1) औद्योगिक टर्बाइन
   (2) आंतरिक कम्बश्चन इंजन

4. विद्युत उपकरण

(1) बिजली के पारेषण तथा वितरण के लिए उपकरण
(2) बिजली की मोटरें
(3) बिजली की भट्टियाँ
(4) एक्सरे उपकरण
(5) इलैक्ट्रानिक उपकरण तथा उपस्कर

5. परिवहन

(1) 1000 डी डब्ल्यू टी तक के यंत्रीकृत सेलिंग वेसल्स
(2) जहाज का सहायक साज समान
(3) वाणिज्यिक गाड़ियाँ

6. औद्योगिक मशीनरी

7. मशीन टूल्स

7क. जिग्स, फिक्सचर्स, विशेष प्रकार के औजार और साँचे

8. कृषि संबंधी मशीनें, ट्रैक्टर बिजली से चलने वाले हल

9. मिट्टी हटाने की मशीनें ।

10. औद्योगिक यंत्र जिसमें प्रैसर तापमान, प्रवाह की गति, भार स्तर तथा इनके लिए एरिकार्ड करने एवं विनियमित करने वाले यंत्र

11. वैज्ञानिक यंत्र

12. उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम सूची में "18 उर्वरक" के अंतर्गत आने वाले (1) अकार्बनिक उर्वरकों के अधीन आने वाले नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेट युक्त उर्वरक ।

13. रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)

(1) अकार्बनिक भारी रसायन ।
(2) कार्बनिक भारी रसायन ।
(3) बढ़िया रसायनें जिनमें फोटोग्राफी के रसायन शामिल हैं ।
(4) संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक
(5) संश्लिष्ट रबड़
(6) मानव निर्मित रेशा
(7) औद्योगिक विस्फोटक सामग्री
(8) कीटनाशी, फफूंदनाशी, घासपातनाशी तथा इस प्रकार के रसायन ।
(9) सिंथेटिक डिटर्जेंट
(10) विविध रसायन (केवल औद्योगिक इस्तेमाल के लिए)

14. भेषज तथा औषधियां

(क) उच्च प्रौद्योगिकीवाली इकट्ठी औषधियां तैयार करने के लिए आधार शुत स्तर से भेषज मध्यवर्ती पदार्थ

(ख) उच्च प्रौद्योगिकी वाली अधिकांश औषधियों और उनके आधार पर तैयार की जाने वाली दवाईयों में कुल दवाइयों (स्वयं निर्मित) का सम्पूर्ण औसत सभी सूत्रों से निर्माण की जाने वाली औषधियों की खपत का 1 : 5 होगा ।

15. कागज तथा लुगदी जिसमें कागज के उत्पाद शामिल है ।

16. मोटरगाड़ियों के टायर ता ट्यूबें

17. प्लेट ग्लास

18. चीनी मिट्टी का सामान

(1) तापसह वस्तुएं

(2) फरनेस लाईनिग ब्रिक्स, तेजावी, बेसिक तथा न्यूट्रल ।

19. सीमेंट उत्पाद

(1) पोर्टलैंड सीमेंट

(2) एस्बेस्टस सीमेंट

बेरोजगार व्यक्तियों को संख्या में वृद्धि

244. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बेरोजगार व्यक्तियो की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो बेरोजगार व्यक्तियों को राज्य वार संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों को संख्या में कमी करने के लिए कोई योजना तैयार कि है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन द्वारा बेरोजगारी के सम्बन्ध में किए गए विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर, वर्ष 1972-73 से 1977-78 की अवधि में औसत दैनिक बेरोजगारी की व्यापकता 15-59 वर्ष आयु-वर्ग के लिए लगभग वही बनी रही है ।

(ख) परिशिष्ट में वर्ष 1977-78 में, जो राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन से उपलब्ध सूचना का अद्यतन वर्ष है, दैनिक स्थिति के आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों की राज्यवार संख्या के अनुमान के सम्बन्ध में विवरण में सूचना दी गई है ।

(ग) और (घ) : बेरोजगारी की समस्या को आर्थिक वृद्धि के प्रभावी कार्यक्रम द्वारा हल किया जायगा जिसके समर्थक कार्यक्रमों के रूप में 20-सूत्री कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और लघु कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम जैसे विशेष लाभ का ही प्रधान कार्यक्रम होंगे।

विवरण

राज्यों में बेरोजगारों की दैनिक स्थिति

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयु वर्ग—15 से 59 वर्ष बेरोजगारी श्रम वर्षों में
1	2	3
		(दस लाख)
1.	तमिलनाडु	2.80
2.	आंध्र प्रदेश	2.00
3.	केरल	1.96
4.	महाराष्ट्र	1.72
5.	पश्चिम बंगाल	1-58
6.	बिहार	1.48
7.	उत्तर प्रदेश	1.18
8.	कर्नाटक	1.09
9.	गुजरात	0.66
10.	उड़ीसा	0.62
11.	मध्य प्रदेश	0.53
12.	राजस्थान	0.32
13.	पंजाब	0.22
14.	हरियाणा	0.21
15.	दिल्ली	0.20
16.	जम्मू और कश्मीर	0.09
17.	असम	0.08
18.	गोआ	0.05
19.	पांडीचेरी	0.04
20.	हिमाचल प्रदेश	0.03
21.	चण्डीगढ़	*
22.	मेघालय	*
23.	नागालैंड	*
	अखिल भारत	16.85

(1)* 5 हजार से कम (2) मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर
स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, बत्तीसवांदौर

रक्षा कर्मचारियों को बोनस देने के लिए फार्मूला

245. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा विभाग में कार्य कर रहे कमचारियों को बोनस देने के लिए एक फार्मूला तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार का विचार इसे कब तक लागू करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

बिहार में औद्योगिक विकास

246. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के औद्योगिक विकास के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) और (ख) माननीय सदस्य कृपया दिसम्बर, 1979 में प्रकाशित छठी पंचवर्षीय योजना (1979-83) के संशोधित मसौदे को देखें, जिसमें 1978-83 के दौरान बिहार में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित उद्योगों का ब्यौरा दिया गया है । किन्तु दस्तावेज अभी राष्ट्रीय विकास परिषद को विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाना है ।

बिहार सरकार ने भी बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, बिहार राज्य चीनी निगम, बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार राज्य ऋण तथा विनियोजना निगम, बिहार राज्य वस्त्र निगम, बिहार राज्य भेषज एवं रसायन विकास निगम को सम्मिलित कर विभिन्न अभिकरणों के कार्यकलापों और योजनाओं के माध्यम से बिहार में उद्योग स्थापित करने व उनका संवर्द्धन करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और रुग्ण एवं बन्द एककों को पुनः चलाने, तकनीकी प्रशिक्षण संबन्धी सुविधाएं बढ़ाने एवं अनुसंधान तथा विकास आदि के लिए एक पंचवर्षीय योजना 1978-83 तैयार की है ।

सीमेंट का आयात

247. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों के दौरान बिजली की कमी और कोयले की कमी और कोयले की अनुपलब्धता के कारण सीमेंट के उत्पादन में भारी कमी हुई है;

(ख) क्या सरकार ने जुलाई, 1979 से जनवरी, 1980 तक स्वदेशी सीमेंट के उत्पादन की लागत से अनुमानतया दुगुनी लागत पर सीमेंट की भारी मात्रा का आयात किया है, यदि हां, तो इसकी मात्रा कितनी है और किन-किन देशों से इसका आयात किया गया है ।

(ग) देश में निर्मित सीमेंट और आयातित सीमेंट की यहां उतरने पर आई लागत का प्रति टन मूल्य कितना है; और

(घ) इस पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा की राशि कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरन जीत चानना) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई, 1979 से जनवरी, 1980 की अवधि में उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया, जापान एवं इण्डोनेशिया से लगभग 4.72 लाख मी० टन सीमेंट भारतीय बन्दरगाहों पर पहुंच गया है। इसमें जहाजों से माल उतारना तथा उसे सुविधाजसक स्थान तक पहुंचाना शामिल है।

(ग) आयात किये गए सीमेंट का लागत मूल्य जिसमें उसे उतारने के प्रभार एवं अन्य प्रासंगिकी खर्च भी शामिल हैं, लगभग 820 रु० प्रति मी० टन है, जबकि देशी सीमेंट का गंतव्य स्थान तक का रेल पर्यन्त विद्यमान निःशुल्क मूल्य 454.13 रु० प्रति मी० टन है।

(घ) लगभग 346 लाख अमरीकी डालर।

सोंधी समिति की इलेक्ट्रानिकी आयोग समाप्त करने के बारे में सिफारिश

248. **श्री के० ए० राजन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोंधी समिति ने इलेक्ट्रानिकीं आयोग को समाप्त करने की शिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इलेक्टानिकी निभाग को साइंटिफिक एण्ड टेक्नीकल आफीसर्स एसोसिएशन के के सदस्यों ने इस सम्बन्ध में गम्भीर चिन्ता व्यत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) श्री मंतोष सोंधी की अध्यक्षता में गठित इलेक्ट्रॉनिकी समीक्षा समिति ने सिफारिश की है कि इलेक्ट्रॉनिकी आयोग जो एक नीति निर्धारण करने वाला निकाय है, के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉनिकी विकास आयोग बनाया जाए, जिसका स्वरूप विशुद्धतः परामर्शदाता निकाय के रूप में होगा।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार का इलेक्ट्रॉनिकी आयोग वर्तमान स्वरूप के मूलभूत ढांचे अथवा उसके उत्तरदायित्व में किसी प्रकार के परिरर्तन करने का कोई विचार नहीं हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा उन्नत 'एयरबार्न सिस्टम' उपकरणों का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव

249. **श्री के० ए० राजन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का उन्नत 'एयरबार्न सिस्टम' उपकरणों का निर्माण करने हेतु एक कारखाने की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केरल सरकार ने नये कारखाने की स्थापना के लिए राज्य में कुछ स्थानों का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकार ने अंगामाली एडायर और पुडुस्सेरी में स्थान देने की पेशकश की है । नया कारखाना स्थापित करने और उसके स्थान के बारे में सरकार विचार कर रही है ।

जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना

250. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में वर्तमान जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चन्नना) : (क) और (ख) जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये जिला उद्योग केन्द्रों की समीक्षा योजना के प्रारम्भ से उनके कार्य के आधार पर की जायेगी । अत: जिला उद्योगों केन्द्रों में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार करने का अभी समय नहीं आया है ।

"मध्य प्रदेश की हवालातों में प्रति मास एक मौत "शीर्षक सम्बन्धी समाचार"

251. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 22 फरवरी, 1980 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "एडेथ ग्रन्थ इन एम० पी लाक अप्स" (मध्य प्रदेश की हवालातों में एक महीने में एक मौत), शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इसकी कोई जांच-पड़ताल की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) : तथ्यों का मध्य प्रदेश सरकार से पता लगाया जा रहा है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे ।

मिजोरम में विद्रोह के सम्बन्ध में विचार विमर्श

252. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मिजोरम में विद्रोह के सम्बन्ध में मिजोरम और मिजो-नेताओं से कई बार विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या निर्णय लिये गये ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) : उप-राज्यपाल, मुख्य मन्त्री, लोक सभा के सदस्य और मिजोरम के अन्य राजनैतिक दलों के नेता गृह मंत्री से मिल चुके हैं। उन्होंने मिजोरम में व्याप्त स्थिति से उनको अवगत कराया और सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए अपने सुझाव दिए।

मीसा के अन्तर्गतनजर बन्द किए गए व्यक्तियों को मुआवजा

253. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपात काल के दौरान मीसा के अन्तर्गत नजर बन्द व्यक्तियों को दी जाने वाली पेंशन तथा अन्य प्रकार के मुआवजे पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनका आगे भुगतान रोकने पर कार्यवाही करने का है जिससे कर दाताओं का धन बचाया जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) : मामले पर पुन : विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में सीमेन्ट का वितरण

254 : **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सीमेन्ट के वितरण का काम जिन समितियों को सौंपा गया था उन्होंने समुचित रूप से कार्य नहीं किया और महाराष्ट्र की अनेक तहसील एवं जिलों में सीमेन्ट के वितरण के लिए निश्चित समयों पर होने वाली बैठकें नहीं की गई,

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त समितियों द्वारा जारी किये जाने वाले परमिटों के जारी न किए जाने के कारण व्यापारियों के पास सीमेन्ट की बोरियां महीनों तक बिना बिकी पड़ी रही, और

(ग) यदि हां, तो क्या विधायकों की अनुपस्थिति में सरकार का विचार तहसीलदारों को निदेश देने का है कि वे भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में संसद सदस्यों के परामर्श के साथ जरुरतमन्द लोगों को सीमेन्ट दें ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क), (ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव

255. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) : सरकार को मामले पर अभी विचार करना है ।

नीति बाग, नई दिल्ली में "काल गर्ल गिरोह

256. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1980 में नीति बाग, नई दिल्ली में किसी "काल गर्ल" गिरोह को समाप्त किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्तियों का हाथ और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा उनकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) : नीति बाग में हुई हत्या के मामले की जांच पड़ताल से यह तथ्य सामने आया है कि मृतक अन्य सहअपराधी के साथ हाल ही में किराए पर लिए गए मकान में "काल गर्ल" गिरोह का संचालन कर रहा था । जांच से यह भी पता चला है कि मृतक को तीन लड़कियों के साथ जुलाई 1979 में अनैतिक व्यापार उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत पहले भी अशोक बिहार क्षेत्र के थाने में गिरफ्तार किया गया था । 24 जनवरी, 1980 को अनैतिक व्यापार उन्मूलन अधिनियम के अन्तगत हजरत निजामुद्दीन क्षेत्र के थाने में गिरफ्तार की गई 2 लड़कियों के भी उपर्युक्त गिरोह के साथ संबंध पाए गए थे ।

इस हत्या के संबंध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । उपर्युक्त गिरोह की कार्यप्रणाली यह थीं कि वे टेलीफोन की सुविधा वाले फ्लेट को किराय पर लिया करते थे और अपने ग्राहकों से टेलीफोन पर व्यापार करते थे और होटल और रेस्तराओं आदि सहित विभिन्न स्थानों सर मांगो गई लड़कियाँ को भेजते थे ।

हरिजनों पर अत्याचार के मामले

257. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 फरवरी, 1980 से पिछले तीन वर्षों तक प्रत्येक राज्य में पुलिस को प्राप्त समाचार के अनुसार हरिजनों और समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के साथ की गई लूट-पाट और हत्या के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने मामलों में पूरी जांच की गई है और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया है और उन्हें किसी प्रकार की सजा दी गई है तथा उन मामलों की क्या स्थिति है जिनकी जांच पूरी नहीं हुई है; और

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि हरिजनों, आदिवासियो और कमजोर वर्गों के व्यक्तियों पर किए गए अत्याचारों की रिपोर्ट थाने द्वारा दर्ज नहीं की जाती है और ऐसे अत्याचारों की रिपोर्ट देने वाले व्यक्तियों को गंभीर परिणामों की धमकी दी जाती है; और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क), (ख) और (ग) : राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा उत्पादन के मामले में गैर-सरकारी उद्योग द्वारा भाग लिया जाना

258. **श्रीमती गीता मुकर्जी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार श्री राजा-रामन्ना ने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया है जिसमें रक्षा उत्पादन के मामले में गैर-सरकारी उद्योग द्वारा व्यापक रूप से भाग लिये जाने की सिफारिश कीगई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नेहरु युग के मूलनीति ढांचे का पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

रक्षा सैनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को सिविलियन नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करने संबंधी योजना

259. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रक्षा सैनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को, उनकी सेवा-निवृत्ति के बाद, सिविलियन नौकरियों के लिये प्रशिक्षित करने संबंधी कुछ योजनायें बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) और (क) सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा सरकार के विचारधीन विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा का विवरण संलग्न है।

विवरण

रक्षा सेवाकार्मिकों के लिए पुनर्वास प्रशिक्षण योजनाएं

(1) सेवामुक्ति पूर्व प्रशिक्षण योजना

(2) सेवामुक्ति पूर्व और बाद में प्रशिक्षण की योजना।

(3) कार्य करते हुए प्रशिक्षण

1. सेवामुक्ति पूर्व प्रशिक्षण योजना :

इस योजना के अन्तर्गत कार्मिकों को उनकी सेवा के अन्तिम वर्ष में ड्यूटी पर रहते हुए ही प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण सारे देश में विभिन्न संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों में दिया जाता है। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि 12 मास है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है--

(क) तकनीकी प्रशिक्षण

(ख) कृषि और फार्म पर आधारित प्रशिक्षण

(ग) स्वनियोजन के लिए प्रशिक्षण

(घ) नौकरी के लिए प्रशिक्षण

2. सेवा मुक्ति पूर्व और उसके बाद प्रशिक्षण ।

इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण अवधि को दो भागों में बांटा गया है अर्थात सेवामुक्ति से पूर्व और सेवामुक्ति के बाद प्रशिक्षण । इस प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि दो वर्ष होती है। यह प्रशिक्षण रक्षा कार्मिक के सेवा में रहते ही प्रारम्भ हो जाता है परन्तु यह उसकी सेवा-निवृत्ति के बाद पूरा होता हैं । इस प्रशिक्षण में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है—

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तकनीकी और गैर- तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण ।

(ख) जूनियर और सीनियर बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ;

(ग) बी. एड. पाठ्यक्रम ।

3. कार्म प्रशिक्षण योजना :

यह एक नई योजना है । यह योजना रक्षा कार्मिकों को उनकी सेवा के अन्तिम वर्ष में अधिकतम 9 महीने का प्रशिक्षण देने के लिए महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय के साथ परामर्श कर के बनाई जा रही है । रक्षा कार्मिकों को विभिन्न सरकार उपक्रमों में कार्य प्रशिक्षण के लिए भेजने का प्रस्ताव है । इन योजना के अन्तर्गत मशीनों पर काम करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए विशेष पाठ्यक्रम बनाने का प्रस्ताव है । ऐसी आशा की जाती है कि इस योजना से सेवानिवृत्ति होने वाले सेवा कार्मिक उनके लिए सरकारी उपक्रमों में आरक्षित स्थानों पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से योग्य हो जायेंगे । इस योजना पर सरकार सक्रियरूप से विचार कर रही है और इस पर शीर्ष ही निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए टी. वी. प्रौद्योगिक आदि जैसी तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण देने के लिए कुछ पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है । यदि काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिक किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उन्हें केन्द्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्डों की कल्याण निधियों से वित्तीय सहायता दी जाती है ।

विदेशों से प्रोद्योगिकी के आयात के बारे में "यूनिडो" अध्ययन द्वारा चेतावनी

260. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में 'यूनिडो' द्वारा हाल में किए गए उस अध्ययन की ओर दिलाया गया है जिसमें विकासशील देशों को विदेशों से प्रोद्योगिकी का आयात करने से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ चेतावनी दी गई है,

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अध्ययन का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) इस बारे में सरकार का ध्यान हाल की समाचारपत्र रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ।

(ख) सरकार को यूनिडो संबंधी इस प्रकार का कोई दस्तायेज सरकारी तौर पर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) सरकार का विचार है कि बहुराष्ट्रिक निगमों को मेजबान देश के कानून और क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना चाहिए इन्हें मेजबान देश के आंतरिक व बाह्य मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

आसाम की समस्या के कारण कच्चे माल का रोका जाना

261. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री नीरेन घोष : क्या क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, जैसा कि 15 फरवरी, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के नई दिल्ली संस्करण में समाचार आया है, आसाम के उद्यमियों की ओर से एक शिष्टमंडल के केन्द्र को चेतावनी दी है कि जब तक वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक राज्य से कच्चा माल बाहर नहीं ले जाने दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

वैगन निर्माता संयंत्र तथा उनकी क्षमता

262. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने वैगन-निर्माता संयंत्र हैं;

(ख) वर्ष 1967 से 1979 के दौरान उनकी कुल वार्षिक स्थापित क्षमता कितनी-कितनी रही;

(ग) वर्ष 1967 से 1979 के दौरान, प्रति वर्ष की कुल स्थापित क्षमता में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों का कितना-कितना अंशदान रहा;

(घ) 1967 से 1979 के दौरान प्रतिवर्ष कितने वैगनों का उत्पादन हुआ और वस्तुतः कितने वैगन सप्लाई किये गये; और

(ङ) क्षमता का कम उपयोग किये जाने के क्या कारण थे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) देश में वैगन निर्माता संयंत्रों (रेलवे के पास उपलब्ध क्षमता को छोड़कर) की राज्यवार सूची निम्न प्रकार है :—

बिहार : मोकामा तथा मुजफ्फरपुर स्थित एककों सहित मे० भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर ।

दिल्ली : मे० हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नांगलोई, दिल्ली ।

राजस्थान : मे० सेंट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (लिमिटेड, सिमको लिमिटेड), भरतपुर ।

यू० पी० : मे० मार्डन इण्डस्ट्रीज, साहिबाबाद, गाजियाबाद ।

पश्चिम : मे. ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ।

बंगाल : मे० बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ।

मे. टैक्समाको लिमिटेड, कलकत्ता ।

(ख) तथा (ग) उपर्यूक्त एककों की कुल लाइसैंस प्राप्त संख्या 22,781 वैगन (चार पहिये वाले) हैं । सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों का आवंटन निम्न प्रकार है :—

सरकारी क्षेत्र के एकक

भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पगी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर,	1,000 वैगन
भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, मोकामा	1,500 ,,
ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	3,000 ,,
बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा यूनिट	4,750 ,,
बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर यूनिट	3,911 ,,
	14,161 वैगन

गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक

सिमको लिमिटेड, भरतपुर	2,000 वैगन
हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नांगलोई	1,000 ,,
मार्डन इंडस्ट्रीज. साहिबाबाद, गाजियाबाद	2,000 ,,
टैक्समाको लिमिटेड, कलकत्ता	3,600 ,,
	8,600 वैगन

अधिष्ठापित क्षमता तथा लाइसेंस प्राप्त क्षमता सालाना आधार पर संशोधित नहीं की जाती है।

(घ) 1967-68 से 1978-79 तक भारतीय रेलों के लिये इन संयंत्रों में वैगनों का वर्षवार वास्तविक उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	वास्तविक उत्पादन चार पहियों वाले
1967-68	13,956
1969-68	13,998
1969-70	12,001.5
1970-71	8,964.5
1971-72	6 ,543.5
1972-73	8,987
1973-74	10,279
1974-75	9,286.5
1975-76	10,976.5
1976-77	10,676
1977-78	10,842.5
1978-79	10,470

1967-68 से 1977-78 की अवधि में वास्तविक उत्पादन तथा वास्तविक कुल क्रय के आंकड़े समान हैं ।

(ङ) उद्योग द्वारा वैगनों का उत्पादन रेलवे द्वारा वैगनों की खरीद हेतु बजट आवंटन के अनुसार किया जाता है । इसलिए वैगन निर्माण क्षमता के उपयोग का रेलवे द्वारा उद्योग को दिये गये आर्डरों से सीधा संबंध है ।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस

263 : **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 से 1979 तक, वर्ष-वार पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस और आशय पत्र दिए गए ,

(ख) जो कुल लाइसेंस और आशय पत्र दिए गए थे उनमें सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र का अंश कितना है,

(ग) जो कुल लाइसेंस और आशय पत्र जारी किए गए थे उसमें कुल पूंजी कितनी लगी थी और सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र के शेयर कितने-कितने थे ,

(घ) क्या इस अवधि में पश्चिम बंगाल से पूंजी बाहर ले जाये जाने के कोई मामले हुए थे, और,

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) तथा (ख) : वर्ष 1976 से 1979 के दौरान सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना

करने हेतु उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951, के अन्तर्गत जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों तथा आशय–पत्रों की संख्या निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	औद्योगिक लाइसेंस			आशय पत्र		
	सरकारी क्षेत्र	गैर सरकारी क्षेत्र	योग	सरकारी क्षेत्र	गैर सरकारी क्षेत्र	योग
1976	5	51	56	5	33	38
1977	6	34	40	6	35	41
1978	2	21	23	2	29	31
1979	2	27	29	7	21	28

(ग) सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में निहित कुल पूंजी तथा उनके योगदान के अंश से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी केन्द्रीय ढंग से औद्योगिक स्वीकृतियों के सांचेवालय में नहीं रखी जाती हैं।

(घ) तथा (ङ) : "केपिटल फ्लाइट" को ठीक-ठीक परिभाषा दी जानी कठिन है। इसका तात्पर्य प्राय: कुल औद्योगिक उपक्रमों से है जो उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत उनको स्वीकृत किए गए लाइसेंसों के अन्तर्गत प्रारम्भिक रूप से स्वीकृत अपनी अचल सम्पतियों अथवा स्थापना–स्थलों को स्थानान्तरित कर रहे हैं। अचल परिसम्पतियों अथवा स्थापना–स्थल सम्बन्धी ऐसा कोई भी स्थानान्तरण केवल तत्सम्बन्धी राज्य सरकार की सहमति से ही किया जाता है। अतएव, स्पष्ट है कि बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के न तो अचल पूंजी सम्बन्धी परिसम्पतियों का अन्तरण हो सकता है और न ही इसकी अनुमति दी गई है।

वर्ष 1976 से 1979 तक की अवधि में औद्योगिक विकास विभाग से उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल से हटाकर स्थापना स्थल अन्य राज्यों में करने के लिए केवल दो मामलों में अनुमति दी है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है : –

क्रम सं०	पार्टी का नाम	उत्पादन की वस्तु	विद्यमान स्थापना स्थल	प्रस्तावित स्थापना स्थल	स्वीकृति की तारीख
1.	मैसर्स ऊषा टेलिहायस्ट लि०, 14, प्रिंसेस स्ट्रीट, कलकत्ता–700024	ट्रक-माउन्टेड लोड लगर्स	चांद नगर पश्चिम बंगाल	तहसील साहिबाबाद जिला गाजियाबाद (उ० प्र०)	6-9-1978
2.	मैसर्स गार्डन रीच शिप विल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लि० 43/46, गार्डन रिच, कलकत्ता।	रोड रोलर्स (कुल क्षमता का स्थानान्तरण)	कलकत्ता (प० बंगाल)	नागपुर (महाराष्ट्र)	17-12-1979

जगुआर सौदे का पुनर्विलोकन

264. **श्री पी. के कोडियन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के साथ हुये जगुआर सौदे का पुनर्विलोकन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो पुनर्विलोकन के क्या कारण हैं ;

(ग) जगुआर सौदे के क्रियान्वयन की अद्यतन प्रगति क्या है ; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने जगुआर कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने के बारे में अभी कोई आदेश नहीं हैं ।

(ग) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की अब तक की प्रगति समझोते में तय योजना के अनुसार हैं ।

(घ) इस तरह के ब्यौरे देना लोकहित में नहीं है ।

भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों तथा कर्मचारी संघ केबीच समझौता

265. **श्री नीरेन घोष :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978 में भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों और कर्मचारी संघ के बीच समझौते का कोई ज्ञापन जारी किया गया था ;

(ख) यदि हां तो उस समझौते की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उसका अनुमोदन कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी, हा । समझौता 24-8-1978 को हुआ था ।

(ख) समझौते की शर्तें इस संबंध में सरकार के मार्गदर्शी-सिद्धान्तों के अनुरूप हैं, जो लाभ दिया गया है वह वर्तमान वेतन पर लगभग 10 से 11 प्रतिशत है तथा इसमें अन्य लाभ जैसे अवकाश यात्रा रियायत, छुट्टी का नकदीकरण, त्यौहारों पर मिलने वाला एडवांस तथा बोनस एडवांस भी शामिल है ।

(ग) जी, हां । इसे 3-9-1979 को अनुमोदित किया गया था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली में आयोजित युवा वैज्ञानिकों की अखिल भारतीय संगोष्ठी

266. **श्री नीरेन घोष :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1980 के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित युवा वैज्ञानिकों की चार-दिवसीय अखिल भारतीय संगोष्टी के निर्णय और सिफारिशें क्या थीं, और

(ख) इन सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) युवा वैज्ञानिकों की सोसाइटी द्वारा आयोजित विकास और आत्मनिर्भरता के भारतीय विज्ञान के प्रबन्ध पर चार-दिवसीय अखिल भारतीय संगोष्ठी द्वारा सुझाए गए निष्कर्ष और भावी कार्य, जिस रूप में वे भारत सरकार को प्राप्त हुए हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सुझावों का स्वरूप बहुत अधिक सामान्य हैं और इसे ध्यान में रखा गया हैं। संगोष्ठी के उद्देश्यों के आधार पर, युवा वैज्ञानिकों के वर्गों द्वारा के आधार पर, युवा वैज्ञानिकों के वर्गों द्वारा कई और अध्ययन किए जाने हैं ताकि ठोस प्रस्ताव तैयार किये जा सकें। ये प्रस्ताव अभी भारत सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं।

विवरण

विकास और आत्मनिर्भरता के लिए

भारतीय विज्ञान के प्रबन्ध

पर

अखिल भारतीय सिम्पोजियम

6-9 फरवरी, 1980

नई दिल्ली

निष्कर्ष और भावी कार्य

संयोजक : युवा वैज्ञानिकों की सोसाइटी

स्थान : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
नई दिल्ली

युवा वैज्ञानिकों की सोसाइटी द्वारा "विकास और आत्मसिर्भरता के लिए भारतीय विज्ञान का प्रबन्ध" पर चार दिन का सिम्पोजियम शनिवार, नौ फरवरी, 1980 को समाप्त हुआ। 200 से अधिक वैज्ञानिकों, योजनाकारों, प्रशासकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने अपनी विज्ञान और प्राद्योगिकी की वस्तु स्थिति पर और विकास में इसके योगदान के बारे में सक्रिय रूप से चर्चा की। यद्यपि वैज्ञानिकों ने कई क्षेत्रों में विज्ञान और प्राद्योगिकी के विकास पर बहुत अधिक सन्तोष और गर्व अनुभव किया, फिर भी यह महसूस किया गया कि कई कारणों से इस विकास से लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। विज्ञान नीति, विकास के लिए योजना-कार्य, प्राकृतिक सोतों को न्यायोचित उपयोग, स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली, अनुसंधान और विकास संस्थाओं में अनुसंधान का प्रबंध और सभी स्तरों पर नीति निर्माण प्रक्रिया के लोकतांत्रीकरण जैसे विषयों पर कोई 90 से अधिक लेख पढ़े गए। वैज्ञानिकों ने समस्याओं के वैज्ञानिक रूप से

विश्लेषण करने और उनके समाधान ढूंढने के प्रयास में इन विषयों के बारे में सकारात्मक रूप से विचार विमर्श किया।

युवा वैज्ञानिकों ने स्वातंत्र्योत्तर युग में विकास के मौजूदा प्रतिमान पर आपत्ति की। इस बात पर आम तौर पर सहमति थी कि वर्तमान प्रतिमान स्वतंत्रता पूर्व के युग के उपनिवेशी प्रतिमान की आवश्यक रूप से विरासत है जिसमें की उपनिवेशी स्वामियों के हितों को प्राथमिकता प्रदान की जाती थी। यह महसूस किया गया था कि हमें स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, न्यायपालिका और उद्योग आदि के सभी क्षेत्रों में विकास के वैकल्पिक प्रतिमानों का पुनर्निर्माण करना है।

इस सन्दर्भ में हमारी विज्ञान और प्राद्योगिकी नीति में और योजना कार्य में गम्भीर विकृतियों का गहन अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। इसे विज्ञान नीति योजना प्रक्रिया के लोकतांत्रीकरण के माध्यम से ही किया जा सकता है, जिसके द्वारा काम करने वाले युवा वैज्ञानिकों को विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए ताकि उन क्षेत्रों के गहन विश्लेषण से वैकल्पिक विज्ञान नीति योजनाओं और प्रस्तावों का विकास करने में सहायता हो सके। इस प्रयास में विभिन्न सस्थाओं और विश्वविद्यालयों के युवा वैज्ञानिक इनमें से कुछ क्षेत्रों पर विशिष्ठ अध्ययन कार्य करेंगे।

ये विभिन्न संगठन इस सविस्तार प्रयास में अपने युवा वैज्ञानिकों को शामिल करके प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं। अपने अनुवर्ती कार्य में यह दल ठोस प्रस्ताव पेश करेगा और वैकल्पिक क्षेत्रक विनिधानों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपायों की व्यवस्था करेगा।

देश के विकास का आयोजना कार्य हमारे देश की बुनियादी आवश्यकताओं का अभिनिर्धारण करके और उन आवश्वकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्रोतों का अभिनिर्धारण करके नहीं किया गया है। अनवीकरणीय स्वदेशी स्रोतों के अंधाधुंध उपयोग हेय है और नवीकरणीय स्वदेशी स्रोतों के उपयोग को अपनाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिएं। इनका विकास किया जाना चाहिए और पारिस्थितिकीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए इनके इष्टतम उपयोगीकरण के लिए प्राद्योगिकी का विकास किया जाना चाहिए। ऊर्जा और कृषि उत्पादों की कठिन समस्याओं की ओर विशेष तौर पर निर्देश किये गए थे। इन विषयों के बारे में लोगों में जागरूकता लाना भी आवश्यक है जिनसे ऐसे क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने में सहायता मिलेगी, जहां उपलब्ध नवीकरणीय स्रोतों को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल में लाया जा सकता हैं। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक वैकल्पिक प्राद्योगिकियों का विकास करना आवश्यक है। अंधाधुंध निर्यात को रोकने के लिए तुरन्त उपाय करने के लिए कच्चे माल के निर्यात पर सविस्तार अध्ययन किया जाना चाहिए।

इस तथ्य पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई थी कि एक ओर जहां उद्योग अपनी समस्यायें अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के समक्ष नहीं रखते हैं, दूसरी ओर ये हमारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विकसित प्राद्योगिकी का भी उपयोग नहीं करते हैं और अंधाधुन्ध प्रोद्योगिकी का आयात करते जाते हैं। इससे न केवल राष्ट्रीय तार पर स्वीकृत आत्मनिर्भरता का लक्ष्य ही पराजित हो जाता है और इससे निहित स्वार्थ हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा पाते हैं,

बल्कि यह हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रयासों को भी अवरूद्ध कर देता है। अनुसंधान के उस क्षेत्र में वैज्ञानिक समुदाय को प्रभावी ढंग से सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त तंत्र का विकास किया जाना चाहिए जहां विशेष प्रौद्योगिकी के विकास का सुझाव दिया गया है। आयात करने वाले अभिकरण के लिए यह प्रमाणित करना आवश्यक होना चाहिए कि इस प्रयोजन के लिए देश में प्रौद्योगिकी विद्यमान नहीं है अथवा उसे निर्धारित अवधि में तैयार नहीं किया जा सकता है।

हमारे अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने डिजाइनों को अद्यतन कर सकें और नई वस्तुओं को बाजार में पेश कर सकें न कि प्रौद्योगिकी के आयात का सहारा ले सकें। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों, दोनों के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वे अनुसंधान और विकास प्रयास के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन जुटा सकें।

सामान्य मतैव्य यह था कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सी० एच० डब्ल्यू०) की योजना का आरम्भ एक स्वागत योग्य कदम था। लेकिन चयन, प्रशिक्षण और निरन्तर पर्यवेक्षण के विभिन्न पक्षों का आयोजन और कार्यान्वयन बड़ी सावधानी-पूर्वक किया जाना चाहिए। इसके अभाव में यह योजना अवश्य ही घातक असफलता सिद्ध होगी। बहर हाल, सी० एच० डब्ल्यू०, को अपने आप में ही एक विकल्प नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि इसे ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों परा चिकित्सा कार्मिकों, दवाइयों और अन्य निवेशों के व्यापक रूप से काम पर लगाने और उनके पुन : विन्यास का अंग समझा जाना चाहिए। साथ ही चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं को ग्रामीण गरीबों के लिए सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था करने, पर्याप्त भोजन आदि जैसे पक्षों से अलग नहीं किया जा सकता है।

अत : यह डाक्टरों और योजनाकारों के लिए आवश्यक है कि वे गहन रूप से चिकित्सा प्रणाली के विभिन्न पक्षों का आलोचनात्मक रूप रे विश्लेषण करें और एक वैकल्पिक नीति का निर्माण करें।

अधिकांश सहभागी स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली के सिद्धांतों और व्यवहारों से अनिभिज्ञ थे और स्वतंत्रता के पश्चात इस क्षेत्र में किए गए अनुसंधान कार्य से तो और भी कम परिचित थे। अत : यह अनुभव किया गया है कि आलोचक युवा वैज्ञानिक इस विषय पर उपलब्ध सारी जानकारी का व्यवस्थाबद्ध रूप से प्रलेखन करें तभी इस विषय पर कोई सार्थक चर्चा की जा सकती है।

यह अनुभव किया गया था कि चिकित्सा सम्बन्धी अनुसंधान ही समस्याएं अन्य क्षेत्रों की अनुसंधान समस्याओं के समान हैं जहां प्राथमिकताओं को या तो परिभाषित नहीं किया गया है या उनका गलत ढंग से अनुसरण किया गया है। चिकित्सा अनुसंधान के लिए सामूहिक दृष्टि कोण की आवश्यकता होती है जहां रोग लक्षणाविदों, चिकित्सेत्तर वैज्ञानिकों और पराचिकित्सा और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की भूमिका का उनके उपयुक्त परिप्रेक्षय में अवलोकन किया जाना होता है।

यह स्वीकार किया गया था कि हमारी अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयो की संरचना अभी भी वही है जो कि उपनिवेशी मांडल की विरासत है और इससे हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। कुछ ही लोगों के हाथों में निर्णय निर्माण करने की शक्ति का केन्द्रीकरण एक सोपान का विकास कर देता है जहां वैज्ञानिक जिज्ञासा का भी दमन कर दिया जाता है और परिणाम स्वरुप जो वातावरण उत्पन्न होता है वह सृजनशीलता को प्रोत्साहित नहीं नहीं करता है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता कम करने और लोकतांत्रिक आन्दोलन के प्रति प्राधिकारियों के बदले की भावनापूर्ण रवैये के बारे में अनुसंधान और विकास संस्थाओं के मामले में चिंता व्यक्त की गई, जिसके कारण लोगों को बिना किसी कारण के अपने आक्रोश का निशान बनाया गया है। इस दल ने यह राय व्यक्त की कि इस प्रकार की कार्रवाइयों को समाप्त किया जाए और इन वैज्ञानिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की गारन्टी दी जाए। इस दल ने यह भी अनुभव किया कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया को भी लोकतांत्रिक बनाया जाए जहां विज्ञान नीति और संस्थाओं के विकास के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो।

दल ने जोरदार शब्दों में यह अनुभव किया कि गुप्त रिपोर्टें और गोपनीय रिपोर्टों की प्रणाली को फोरन समाप्त किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को प्रगति रिपोर्टें हर वर्ष के अंत में प्रकट कर दी जानी चाहिए। इस समय कई स्वायत्तशासी अनुसंधान सस्थानों में ऐसी कोई विधान विधि नहीं है जिससे उनके वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं को अपनी शिकायतों का कोई कानूनी समाधान मिल सके। इस असंगतता का तुरन्त परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि ये वैज्ञानिक कार्यकर्त्ता भी अपना विहीत प्राकृतिक न्याय प्राप्त कर सकें।

यह भी विचार व्यक्त किया गया था कि सार्वजनिक प्राथमिकता शिक्षा लोगों को प्रदान की जाए जिनके बिना उत्तमता के केन्द्रों का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा।

विज्ञान और इससे भी अधिक प्रौद्योगिकी तटस्थ नहीं है और यह हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को रचनात्मक ढंग से प्रभावित नहीं कर पाई है। वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक जानकारी को लोकप्रिय बना कर समाज में अन्य लोगों को भी अपने कार्य में शामिल करना चाहिए। विभिन्न स्नातकोत्तर स्तरों पर समाविष्ट सामाजिक समस्याओं से सम्बद्ध परियोजनाएं छात्र/अनुसंधानकर्त्ता में शीघ्रता से जागरुकता का विकास करने में सहायक होगी और रोजमर्रा की समस्याओं के व्यावसायिक अनुभव से उन्हें भावी कार्य भावी कार्य के अवसरों को अमली जामा पहनाने में सहायता मिलेगी।

यह विचार भी व्यक्त किया गया था कि ऐसे सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक मूल्यों को बदलने के लिए आन्दोलन के रूप में प्रयास किए जाने होंगे जो कि वैज्ञानिक समुदाय के भीतर नारियों का दमन करते हैं।

सिम्पोजियम के केन्द्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ दलों ने कुछ ठोस परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। वे इस प्रकार हैं :

1. विश्वविद्यालयों और अनुसंधान और विकास संस्थाओं में उपकरणों का न्यायोचित उपयोग-डा० एस० के० दुबे वौर ओ० पी० शुक्ला ।
2. विभिन्न सोपानों और संस्थाओं, यथा राष्ट्रीय, महानगरीय और परिधीय, संस्थाओं के वैज्ञनिकों की विदेश यात्राओं का प्रयोजन और आवृत्ति ।
3. लोगों के लिए विज्ञान को लोकप्रिय बनाना—

   (क) रीटा मुकर्जी, के० घोष और अन्य

   (ख) ग्रामीणों के लिए विज्ञान केन्द्र, वर्धा एम० मणिवेल-तामिलनाडु साइंस फोरम ।
4. उपयुक्त प्रौद्योगिकी, वाई० पी० सत्या, डा० बी० प्रकाश, वी० एस० के० आदि ।
5. स्वास्थ्य परिचर्या के विकल्प आर० फड़के, लुई बरेट्टो ओर अत्र० नरायण ।
6. देश के विभिन्न भागों में काम करने वाले ऐसे दलों के बारे में सविस्तार जानकारी का अभिनिर्धारण और संग्रह जो कि वैकल्पिक उपागमों के माध्यम से विकास और आत्म निर्भरता के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी निवेशों का उपयोग करते हैं । आर० वामेंजाई ।
7. भारत की चिकित्सा प्रणालियों का एकीकरण-एन० एन० मेहरोत्रा

   (आयुर्वेद के भेषज कोष का आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के अनुरुप रुपांतरण)
8. सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के आयात के विरुद्ध-अरुण देशपांडे ।
9. खाद्यान्न के निर्यात के विरुद्ध ।
10. पोजोलोनी सामग्री और उनका निर्माण में उपयोग-वी० काले ।
11. विज्ञान का दर्शन-ए० अलीम
12. पादप प्रजनन और बीज प्रौद्योगिको में अनुसंधान के परिणामों का उपयोग—अजयकुमार ।
13. संस्थानों में लोकतांत्रीकरण और वैज्ञानिक रीति विधान ।
14. ओषधों और सम्बध सामग्री के उपयोग पर जन सम्पर्क के माध्यमों के जरिये अत्याधिक विज्ञापन, जिसके परिणामस्वरुप इनका दुरुपयोग होता है । एस० के० शर्मा ।
15. 200 मैगावाट से अधिक के ट्रांस्फार्मों के आयात के विरुद्ध जनमत तैयार करना —राम ।

यह उन परियोजनाओं की एक उदाहरणात्मक सूची है जिनके बारे में प्रस्ताव किया गया है । यह सुझाव दिया गया है कि अन्य दलों को भी ठोस परियोजनाओं पर युवा वैज्ञानिकों के साथ अपनी अपनी संस्थाओं में कार्य करना चाहिए । विभिन्न दलों द्वारा हाथ में ली गई इन

परियोजनाओं की प्रगति का समन्वय और उसकी समीक्षा करना सम्भव है। इसे सिम्पोजियम के परिणाम स्वरुप निर्मित युवा वैज्ञानिकों के सम्प्रेषण द्वारा समन्वय और समीक्षा की जानी चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि वर्तमान सिम्पोजियम अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसका श्रीगणेश ही हुआ है। सिम्पोजियम की अनुवर्ती योजना के रूप में इन ठोस परिजोनाओं के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय और संस्थागत बैठकें करना सम्भव होना चाहिए।

ट्रॉलर डेवलमेंट सपोर्ट फण्ड (ट्रालर विकास समर्थन निधि)

267. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री जर्नादन पुजारी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ट्रालरों के निर्माता को प्रोत्साहन करने के लिए एक ट्रालर विकास समर्थन निधि की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) 200 मील की दूरी तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र के घोषित हो जाने से मछली पकड़ने के लिए अतिरिक्त क्षमता का विदोहन करने के उद्देश्य से सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में लगे उद्योग के विकास के लिए अपेक्षित मत्स्यनौकाओं के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के अभ्युपायों के बारे में निर्णय किया है। एक परिचालन डांचे के माध्यम से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये अभ्युपाय निम्नलिखित हैं :

(1) आयातित मत्स्यनौकाओं की तुलना में लागत में अन्तर्निहित असुविधा को दुर करन की दृष्टि से स्वदेशी मत्स्यनौका निर्माण उद्योग को कस्टम प्रशुल्क में किसी प्रकार का संरक्षण न मिलने पर स्वदेशी मत्स्यनौका निर्माताओं को मत्स्यनौका की कीमत के 33 प्रतिशत की समान दर से राज सहायता प्रदान की जायेगी अत : स्वदेशी उद्योग इस आधार पर एक निश्चित कीमत बता सकता है। मूल्य अनुशासन के अभ्युपाय के रूप में स्वदेशी मत्स्यनौकाओं के लिए 10 प्रतिशत तक मूल्यों में परिवर्तन करने की अनुमति देने का विचार है।

(2) इन प्रयोजनों के लिए भारी उद्योग विभाग में एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा ट्रालर डेवलपमेंट सपोर्ट फण्ड (टी डी एस एफ) संचालित किया जाएगा।

(3) उद्योग के विकास के मानीटरिंग के हित में मत्स्यनौका निर्माताओं को विशेष रूप से पंजीकृत/प्रमाणित किया जाएगा, जिसके लिए भारी उद्योग विभाग में मत्स्य-नौकाओं के लिए अधिकार प्राप्त समिति के सचिवालय को आवेदन दिए जाने चाहिए। ऐसे यार्ड जिन्होंने अपेक्षित स्तरों की कार्यकुशलताओं और सुविधाओं का विकास कर लिया है, योजना के अन्तर्गत प्रमाणित किए जायेंगे और वे मत्स्यनौका विकास सहायता के पात्र होंगे।

(4) छोटे तथा बड़े यार्डों की सम्पूरकताओं को अत्याधिक बड़ा बनाने के लिए मत्स्य-नौका निर्माण उद्योग को एक "कन्सोर्टियम" दृष्टिकोण के आधार पर संगठित किया जाएगा। कन्सोर्टियम को पश्चिमी तट पर मझगांव डाक लिमिटेड और पूर्वी तट पर गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा चलाया जाएगा। डिजाइन दक्षता के विकास को बढ़ाने के लिए अपेक्षित मत्स्यग्रहण प्रौद्योगिकियों के लिए ड्राइंगों और डिजाइनों का चयनात्मक आधार पर आयात करने की अनुमति दी जाएगी।

(5) डिजाइन, गुणवत्त, डिलीवरी की तालिकाओं, कारीगरी और कार्य के रूप में स्वदेशी उद्योग की योग्यताओं के बारे में मत्स्यनौकाओं के भावी खरीददारों को पूर्णरूप से अवगत कराने के लिए मत्स्यनौका निर्माता एक कारगर विपणन कार्य-क्रम शुरू करेंगे।

(6) ग्राहकों को अपनी पसन्द के आयातित उपकरण प्राप्त करने की सुविधा देने की दृष्टि से **स्वदेशी दृष्टि कोण** से जाँच लिए बिना मत्स्यनौका की लागत से 20 प्रतिशत मूल्य तक विनिर्दिष्ट सूची में से मत्स्यनौका निर्माताओं को हिस्से पुर्जो और उपकरणों के आयात की अनुमति दी जाएगी। इन उपकरणों और हिस्से-पुर्जो की ऐसे यार्डों को भी बिना शुल्क के आयात की अनुमति दी जायेगी जिनके पास बन्धक गोदामों का प्रबंध नहीं है।

(7) मत्स्यनौकाओं के आयात की अनुमति चयनात्मक आधार पर लागत, डिलीवरी और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान मे रख कर दी जाएगी ताकि स्वदेशी मत्स्यनौका निर्माण उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग के अनुरूप समुद्री मत्स्यग्रहण उद्योग का तेजी से विकास करने का सुनिश्चय हो सके। आयात की आवश्यकताओं का निर्धारण सूचियों की समिति द्वारा किया जाएगा, यद्यपि आयात के अलग-अलग मामलों पर कृषि विभाग में फिशिंग वेसल्स एक्विजिशन कमेटी (एफ० वी ए सी) द्वारा विचार किया जाएगा।

अधिकार-प्राप्त समित मत्स्यनौका निर्माण उद्योग की प्रगति और सहायक उद्योगों के विकास की समय-समय पर समीक्षा करेगी। मत्स्यनौकाओं पर लगाने के लिए आयात किए जाने वाले उपकरणों और हिस्से-पुर्जो की सुची को यह समिति समय-समय पर संशोधित करेगी।

इस आशय की एक अधिसूचना 25 फरवरी, 1980 को जारी की गई थी।

पुलिस आयुक्त अधिनियम, दिल्ली का निरसन

268. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि दिल्ली पुलिस की वर्तमान व्यवस्था कारगर नहीं है और पुरानी व्यवस्था बेहतर थी, दिल्ली का पुलिस आयुक्त अधिनियम समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में ग्रेड चार तथा पांच में पदों के लिए अनुवादकों के लिए अर्हताएं

269. श्री टी. एस. नेगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के नियमों के प्रारूप में (ग्रुप "ग" पदों) के ग्रेड चार तथा पांच में पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एम ए० है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्रालयों और उनसे सम्बद्ध कार्यालयों में काम करने वाले हिन्दी अनुवादकों की भरती न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हिन्दी और अंग्रेजी में डिग्री के आधार पर की गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि न्यूनतम अर्हता एम. ए. डिग्री निर्धारित करने के कारण बहुत से अनुवादक दो प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद प्रतियोगिता में नहीं बैठ सकेंगे और प्रस्तावित न्यूनतम अर्हता का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इन अनवादकों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार का क्या प्रबंध करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : (क), (ख), (ग), तथा (घ) नियमों के प्रारूप से सामान्यतः यह सुझाव दिया गया है कि ग्रेड चार तथा पांच में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं एम. ए. होगी। परन्तु इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस समय केन्द्रीय सरकार में हिन्दी अनुवादकों का कार्य करने वाले कुछ कर्मचारियों के पास सिर्फ बी. ए. की डिग्री है, यह प्रस्ताव किया गया है कि केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों समेत केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए स्नातक की डिग्री पर्याप्त होगी। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे कर्मचारी इन नियमों के लागू होने के बाद होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दो बार बैठ सकते हैं। समझा जाता है कि इन प्रावधानों से ऐसे कर्मचारियों के हितों का पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा।

हिन्दी अधिकारियों की भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताओं का पुनरीक्षण

270. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री हिन्दी अधिकारियों की भर्ती के बारे में 20 दिसम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4263 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'ग' पद) नियम, 1979 के लिए निर्धारित की जा रही शैक्षणिक अर्हताएं हिन्दी अधिकारियों के लिए 1969 में निर्धारित अर्हताओं की तुलना में अधिक है; और

(ख) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि केन्द्रीय सचिवालय में इस समय कार्यरत अधिकांश हिन्दी अनुवादक हिन्दी अथवा अंग्रेजी में स्नातक है, प्रारूप नियमों में निर्धारित उच्च अर्हताओं को जुलाई, 1969 में आयोजित हिन्दी अधिकारी परीक्षा के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुरूप पुनरीक्षित करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री जैलसिंह) : (क) तथा (ख) हिन्दी सुपरवाइजरों और हिन्दी अधिकारियों के पदों की 1969 की भर्ती के लिए प्रस्तावित शैक्षणिक अर्हताएं तीन वर्ष के अनुभव के साथ एम ए. अथवा पांच वर्ष के अनुभव के साथ बी.ए. थी । केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधीन ग्रुप' पदों की भर्ती के लिए अब तैयार किये गये नियमों के प्रारूप में यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय/राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में कार्य कर रहे विभागीय उम्मीदवारों के लिए स्नातक की उपाधि पर्याप्त होगी, बशर्ते कि ऐसे अधिकारियों को अनुवाद कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो । मंत्रालयों/सरकार के विभागों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रख कर नियमों के प्रारूप की आगे जांच की जाएगी ।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा से सम्बन्धित नियमों का संशोधन

271. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री केन्द्रीय हिन्दी सचिवालय सेवा के संवर्ग के बारे में 16 अगस्त 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 445 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नियम 1 (2) और 2 (ग) (एक) को ध्यान में रखते हुए नियम 6 (ख) (दो) में उल्लिखित तारीख अर्थात 7-2-1977 को केन्द्रीय सचिवालय राज भाषा सेवा (ग्रुप 'ग' के पद) से सम्बन्धित अन्तिम नियमों में से निकाल देने का विचार है जिससे नियम 2 (ग) (एक) में आने वाले सभी विभागीय उम्मीदवार केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के प्रारम्भिक गठन में शामिल हो सके ?

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह): केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (ग्रुप 'ग' के पद) के नियमों का प्रारूप विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है । इनकी प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखकर आगे जांच की जायेगी । सदस्य महोदय द्वारा उठाये गये प्रश्न पर भी उसी समय विचार किया जायेगा ।

कर्मचारियों को नियमित किया जाना

272 **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सलाहकारी संगठन ने सिफारिश की थी कि मंत्रालयों/अधीनस्थ कार्यालयों/संबद्ध कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाये; और (ख) यदि हां, तो भर्ती किए जा चुके कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बेकटा सुब्बय्या) : (क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की समस्या पर संयुक्त परामर्श तन्त्र (जे० सी० एम०) की अगस्त, 1978 की बैठक में और राष्ट्रीय परिषद् की अस्थायी समिति की अप्रैल, 1979 की बैठक में विचार किया गया था ।

(ख) (1) सरकार ने दिनांक 17-9-79 को अनुदेश जारी किए हैं कि ऐसे कर्मचारियों को जिनकी 1-7-76 अर्थात् कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना की तारीख से पूर्व, पूर्णतया भर्ती नियमों तथा स्थापित कार्य-विधि के अनुसार भर्ती की गई थी, उन पदों पर नियमित माना जाए जिन पर उन्हें कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया को अपनाए जाने की आवश्यकता के बिना नियुक्त किया गया था। किन्तु ये अनुदेश केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा तथा उन सबद्ध कार्यालयों में कर्मचारी चयन आयोग (एस० एस० सी०) के जरिए भरे जाने वाले पदों पर लागू नहीं होते थे, जो आरंभ से ही संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान/कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती करते रहे हैं।

(2) दिसम्बर, 1978 में सरकार द्वारा अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि समूह 'ग' के गैर-तकनीकी पदों के ऐसे तदर्थ कर्मचारियों को जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार के भीतर आते हैं और जिन्हें दिनांक 31-12-1977 तक भर्ती किया गया था, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए प्राधिकृत अवसरों का लाभ उठाने के लिए 31-12-78 तक आयु में छूट दी जाएगी। इस लागू आदेश के अधीन दी गई आयु में छूट से तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए ऐसे सभी व्यक्तियों को कर्मचारी चयन आयोग की उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाती है, चाहे वे छटनीशुदा हों अथवा वे अभी तक सेवा कर रहे हों, बशर्ते कि वे अपनी प्रारम्भिक तदर्थ नियुक्ति के समय आयु सीमा के भीतर आते थे। नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी इस मामले में समुचित कार्यवाही के लिए सक्षम होंगे।

राज्य विधान सभाओं का विघटन

273. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्री आर० के० महालगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत नौ विधान सभाओं को भंग करते हुए एक उद्घोषणा जारी की थी;

(ख) क्या राष्ट्रपति को ऐसे राज्यों के राज्यपालों से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई थी;

(ग) क्या राष्ट्रपति ने उद्घोषणा के साथ इन रिपोर्टों को भी जारी कर दिया था;

(घ) यदि हां, तो इन रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह): (क) राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश प्रत्येक राज्य के संबंध में उसमें राष्ट्रपति शासन लागू करते हुए और उनकी विधान सभाओं को भंग करते हुए 17.2.80 को जो उद्घोषणा जारी की थी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वैद्यलिंगम आयोग का प्रतिवेदन

274. **श्री के. पी. सिंह देव :**

श्री फारुख अब्दुल्ला :

श्री चित्त महाटा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैद्यलिंगम आयोग ने दो भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों के नजदीकी सम्बन्धियों को सत्ता के निकट होने के कारण निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिये अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने और प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिये दोषी पाया है;

(ख) यदि हां, तो इन भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों के प्रत्येक ऐसे संबंधी के बारे में आयोग के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के परिवार के सदस्यों तथा भूतपूर्व गृह मंत्री के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध आरोपों की जाँच के संबंध में विशेष न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री सी० ए० वैद्यलिंगम की दिनांक 25-1-80 की रिपोर्ट 11 मार्च, 1980 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी ।

(ग) इस रिपोर्ट पर सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुवर्ती कार्यवाही के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है ।

योजना आयोग के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

275. **श्री फारुख अब्दुल्ला :**

श्री एन. ई. होरी :

श्री चन्द्रपाल सैलानी :

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री नारायण चौबे :

श्री टी० आर० शमन्ना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के सभी सदस्यों ने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उनके स्थान पर नए सदस्यों की नियुक्तियां कर दी हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने छठी योजना पर जो कि पिछले आयोग का कार्य था पुनर्विचार करने और उसका प्रारूप पुनः तैयार करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो योजना पर कब तक पुनर्विचार किए जाने की आशा है;

(ङ) क्या योजना आयोग के पुनर्गठन से छठी पंच वर्षीय योजना में विलम्ब हो जायेगा; और

(च) नई योजना के कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी. हां ।

(ख) अभी तक नहीं ।

(ग) से (च) तक : नई सरकार का योजना पर नए सिरे से विचार करने का प्रस्ताव है ।

नारायणपुर के लिए एक दल भेजने के संबंध में विपक्षी दलों के विरुद्ध प्रधान मंत्री द्वारा आरोप ।

276. **श्री मधु दण्डवते** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया था कि नारायणपुर उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों पर किय गये कथित पुलिस अत्याचारों के बारे में स्थल पर जाकर अध्ययन करने हेतु वहां संसद् सदस्यों का एक दल ले जाने के संबंध में विपक्षी दलों ने सहयोग नहीं दिया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने प्रधान मंत्री द्वारा लगाये गये असहयोग के इस आरोप का सार्वजनिक रूप से खण्डन किया है, और

(ग) क्या दूसरे भी कोई ऐसे दल हैं जिनसे प्रधान मंत्री ने सहयोग के लिए अपील की थी और उन्होंने सहयोग देने से इंकार किया ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ग) : प्रधान मंत्री ने कहा था कि जब कुछ दलों के सदस्यों से इस बारे में सम्पर्क किया गया तो उन्होंने नारायणपुर जाने में अपनी असमर्थता प्रकट की ।

(ख) जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के प्रवक्ताओं द्वारा असहयोग के आरोप का खण्डन किए जाने के सबध में कुछ समाचार-पत्रों में खबर छपी थी । ये दो पार्टियां उन विपक्षी दलों में नहीं थीं जिनके सदस्यों से सम्पर्क किया गया था ।

सौर–उर्जा का उपयोग

277. **श्री मधु दण्डवते :**

श्री रामलाल राही : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त ईधन उपलब्ध न होने के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार का सौर-उर्जा के अधिक व्यापक उपयोग की संभाव्यता का पता लगाने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए जाने वाले ठोस उपाय क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरागांधी): (क) और (ख) जी हां । ऊर्जा पर एक मंत्रिमण्डल

समिति का संगठन किया गया है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के पूर्णतर उपयोग में की गई प्रगति का मानीटरन करेगी । एक विवरण संलग्न है जिसमें इस संबंध में उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा दिया गया है ।

सौर ऊर्जा का उपयोग

मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपुर्ण नवीकरणीय उर्जा का स्रोत हैं सूर्य-विशेषकर भारत के लिए जहां धूप प्रचूर मात्रा में उपलब्ध होती है । अत : भारत सरकार का, सौर ऊर्जा के ग्रामीण क्षेत्रो में उपयोग पर विशेष बल देते हुए इसके विभिन्न अप्रनुयोगों में उपयोगों के लिए प्रोद्योगिकी के विकास के लिए उच्च प्राथमिकता प्रदान करने का प्रस्ताव है । विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग ने प्रौद्योगिकी संस्थानों, सी० एस० आई० आर० की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, बी०एच०ई०एल० के अनुसंधान और विकास प्रभाग, सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि० और अन्य ऐसी देश की विभिन्न संस्थाओं में विद्यमान अवसंरचनात्मक सुविधाओं और विशेष ज्ञान का उपतोग करते हुए सौर ऊर्जा में व्यवस्थावद्ध अनुसंधान और विकास के समन्वित कार्यक्रम को हाथ में लिया है ।

विभाग की वर्तमान गतिविधियों का उद्देश्य सौर प्रोद्योगिक के निम्नलिखित तीन मुख्य क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए इस कार्यक्रम का विस्तार करना हैं ।

(क) सौर किरणन का निवेश ऊर्जा के रुप में उपयोग करते हुए सौर तापीय युक्तियों और प्रणालियों का विकास,

(ख) सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में रुपांतरित करने के लिए प्रकाश वोल्टीय युक्तियों और प्रणालियों का विकास,

(ग) जीव भार और जीव रूपांतरण प्रोद्योगिकी ।

सौर तापीय युक्तियां :

सौर तापीय युक्तियों के क्षेत्र में सौर संग्राहक प्रौद्योगिकी के विकास को सक्रिय रुप से आगे बढ़या जा रहा है । व्यापारिक उपयोग करने के उद्देश्य से फ्लैट प्लेट कलेक्टरों के लिए बुनियादि प्रोद्योगिकी का विकास किया गया है ।

विभिन्न क्षमताओं के अनाज शुष्ककों के आदि प्ररुपों का पहले से ही विकास किया जा चुका है ओर इस समय इनके क्षेत्रीय परीक्षण किए जा रहे हैं । प्रतिदिन 10 टन की क्षमता का अनाज शुष्कक एन०आई०डी०सी० द्वारा लुधियना के पास सैन्ट्रल स्टेट फार्म में डी०एस०टी० के तत्वावधान में प्रतिष्ठापित किया गया है । 500 किलोग्राम प्रतिदिन की कम क्षमता वाला एक सौर शुष्क गोहाटी में लगाया गया है जिसे अदरक,सुपारी हल्दी आदि जैसी रोकड़ फसलों के सुखाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा । तम्बाकू सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक परियोजना का आंध्रप्रदेश में श्रीगणेश किया गया है । सौर शुष्ककों के व्यापक उपयोग के साथ-साथ कृषि और खाद्य उत्पादों के लिये इनके विकास की और अधिक अपेक्षा की जा सकती है ।

कई प्रकार की सौर जल तापन प्रणालियों का विकास किया जा रहा हैं। दिल्ली में कुतुब होटल और हरिद्वार में एक अतिथि ग्रह में बी०एच०ई०एल० द्वारा लगाई गई प्रयोगात्मक सौर जल तापन प्रणालियों का निष्पादन मुल्यांकन किया जा रहा हैं। इस बीच अब तक प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर पुणे में कुष्ट रोग चिकित्सालय में एक सौर जल तापन संयंत्र लगाया जा रहा है मौर वारंगल में आंध्र प्रदेश डेरी डिवलपमेन्ट कारपोरेशन के लिए एक और यूनिट की योजना तैयार की जा रहीं है। अब घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक स्थापनाओं में व्यापक उपयोग के लिए सौर जल तापन प्रणालियों के संवद्र्धन करने का प्रस्ताव है।

अवशोषण प्रशीतन प्रणालियों सहित एक सौर शक्ति चालित कोल्ड स्टोरेज संयंत्र, आई. आई.टी., बम्बई में पूरा कर लिया गया है और उसका कार्य निष्पादन मूल्यांकन किया जा रहा है। इंजीनियरी प्राचलों के इष्टतमीकरण के लिए डी०एस० टी० के कार्यक्रम के अधीन कुछ और सौर शक्ति चालित प्रशीतन संयत्रों के डिजाइन, विकास और संविरचना करने की योजना तैयार की जा रही है।

बी०एच०ई०एल० के साथ संयुक्त रूप से आई०आई०टी०, मद्रास में पहले से लगाए गए 10 किलोवाट सौर तापीय विद्युत संयंत्र का अल्प कालीन और दीर्घकालीन परीक्षण कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। विभिन्न प्रणाली विन्यासों और संग्राहकों के आधार पर सौर तापीय शक्ति संयंत्रों की योजना तैयार की जा रही है। विकेन्द्री कृत अनुप्रयोगों के लिए प्रदर्शन शक्ति संयंत्रों के अगले तीन वर्षों में प्रतिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव है।

शक्ति संयंत्रों, शुष्ककों, जल और वायु तापन प्रणाली, प्रशीतन एककों आदि में विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए कुशलता और लागत प्रभाविता की दृष्टि से सौर संग्राहक प्रौद्योगिकी के विकास को इस कार्यक्रम के अधीन उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत अवशोपक प्लेटों के लिए संक्षारण प्रतिरोधी सामग्रियों का विकास, सिलेक्टिव कोटिंगों और रोगन का उपयोग, ताकि संग्राहकों की कुशलता में सुधार किया जा सके परवलयिक पृष्ठों और परवलयाम तश्तरियों और ट्रैकिंग प्रणालियों का विकास आएगा।

सौर तापीय पौद्योगिकी के बड़े पैमाने और व्यापरिक अनुप्रयोगों की दिशा में गतिशील प्रभाव प्रदान करने के लिए विभाग ने सौर तापीय युक्तियों प्रणालियों के ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्रीय परिक्षण और प्रदर्शन सहित आदि प्रारूप और उत्पाद विकास केन्द्र की स्थापना करने के लिए एक रुपये और विशद परियोजना का प्रणयन किया है। इस परियोजना पर पांच वर्षों में 6 करोड़ रूपए खर्च आने का अनुमान है।

प्रकाश वोल्टीय युक्तियां और प्रणालियां :

प्रकाश वोल्टीय सैलों से सौर ऊर्जा के बिजली में सीधे रुपान्तरण के लिए बुनियादी प्रौद्योगिकी का पहले ही विकास किया जा चुका है। अब मुख्य समस्या है इस तरीके से बिजली के प्रति परम वाट की लागत को न्यायोचित स्तर पर लाकर कम करना, और इस क्षेत्र में वर्तमान डी०एस०टी० के कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य यही है। इसे निम्नलिखित से प्राप्त

किया जा सकता है : (क) कम लागत के सौर ग्रेड सिलिकान सामग्री और संविरचना की कम लागत की तकनीकी का विकास करके, और (ख) सौर सैलों और पैनलों की कुशलता में सुधार करके इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरुप सी.ई.एल. द्वारा प्रयोगशाला स्तर पर सिंगल क्रिस्टल सिलिकान सैलों की संविरचना की गई है---सी.ई.एल. डी.एस.टी. के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इस कार्य में आई.आई.टी, राष्ट्रीय प्रयोगशालों और विश्व-विद्यालयों के अनुसंधान वर्गों का भी सहयोग है। सी.ई.एल. में तैयार किए गए और प्रकाश वोल्टीय माडयूलों को इस समय जहाज़ जालन के लिए द्वारीका पत्तन पर प्रकाश स्तम्भ बीकन में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसे गुजरात अवानिया गांव में सौर आसवन संयंत्र में जल पम्पन कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही कुछ प्रदर्शन पम्पन प्रणालियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। भावी कार्यक्रम सें सिलिकान सौर सैलों ओर पैनलों के लिए संविरचना तकनीकों को ऊपर उठाना, पेय जल के पम्पन, लघु सिंचाई, सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था, शिक्षा संबंधी रेडियों कार्यक्रमी और दूरदर्शन सैटों के लिए, तेल की पाइपलाइनों के घनाग्रवचाव के लिए और दूर दराज़ के क्षेत्रों में संचार उपकरणों में ईस्तेमाल के लिए माडयूलों का विकास करना शामिल है। 5 वर्षों में 9.5 करोड़ रुपये की लागत की एक मुख्य परियोजना जिसमें कइ प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए (इसमें पीने और लघु सिंचाई के लिए जल पम्पन पर अधिक बल दिया गया है) तैयार की कई है। इसके साथ-साथ पीली क्रिस्टालीन सिलिकान सैलों, एम.ओ.एस. सैलों, कैडमियम सल्फाईड सैलों, आदि जैसे विभिन्न प्रकार के सौर सैलों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास कार्य को हाथ में याया गया है और साथ ही सौर पैनलों के लिए संकेन्द्रक प्रणाली का विकास भी किया गया है ताकि लागत प्रभाविता और कुशलता में सुधार किया जा सके। प्रस्ताव है कि इस वर्ष से आरम्भ करके पेय जल, सिंचाई आदि के लिए प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाए ।

जीव भार का ऊर्जा में परिवर्तन

जीव गैस प्रणलियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के महत्व को स्वीकार करते हुए कुछ वर्ष पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक अखिल भारतीय समन्वित कार्यक्रम आरम्भ किया गया था जिसमें लखनऊ, स्थित उत्तर प्रदेश शासन के योजना अनुसंधान और कार्य पभाग, खादी ग्रामोद्योग आयोग, रुड़की स्थित स्ट्रवचरल इजीनिरिंग रिसर्च सैन्टर बिल्डिंग रिसर्च इन्टीट्यूट और अन्य संगठनों जैसे कई अतः विषय शास्त्रीय अनुसंधान केन्द्रों को शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम के पहले चरण में प्राथमिक रुप से पशुओं की विष्ट सहिय जैव अपपिण्टों के उपयोग में पर्याप्त सफलता प्राप्त की गई है और परिवार स्तर के जैव गैस संयंत्रों के कुछ किफायती डिजाइन तैयार किए गए हैं। 'जतता' ढोल रहित संयंत्रों और लोह-सीमेन्ट गैस होल्डरों का विकास किया गया है और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक पक्षों में अनुसंधान के आशावान परिणम देखने को मिले हैं।

अब डी॰ एल॰ टी॰ का मुख्य और गतिशील बल इस बात पर है कि ग्रामीण उर्जा

आधात्री में महत्वपूर्ण तत्व के रूप में एक एक परिवार और सामुदायिक जैव गैस का विकास किया जाए। इस कार्यक्रम के भावी चरण में, जिसका श्रीगणेश इस वर्ष हुआ है अधिक बल इस बात पर दिया जा रहा है कि सामुदायिक आकार और परिवार टाइप के जैव गैस संयंत्र की प्रतिष्ठापना का विस्तार किया जाए और शाक भाजी अपशिष्टों और कृषि अपशिष्टों जैसे घन अपशिष्टों/सामग्रियों के अन्य प्रकारों का विस्तार किया जाए। शुरू में कुछ चुने हुए गांव में पी० आर० ए० डी०, लखनऊ और खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 6 सामुदायिक जैव गैस संयंत्र तैयार किए जायेंगे। इस समन्वित परियोजना के समर्थन में सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक पक्षों, किण्वन प्रौद्योगिकी, कम लागत के मकान बनाने के तरीकों और सामग्रियों और जैव गैस उपयोगीकरण के लिए कम लागत की युक्तियों और इंजनों से सम्बंधित अन्य तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य चल रहा है।

भविष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की व्यवस्था करने के लिए कृषि अवशिष्टों या जीवभार के उपयोगीकरण के अन्वेषण के लिए कई कार्यक्रमों पर कार्य किया जा रहा है। यह सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण और जीव वैज्ञानिक शृंखला के माध्यम से किया जाता है। डी० एस० टी० ने सौर ऊर्जा के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण जीव भार के उत्पादन और जीव भार के ईंधन/पशु आहार के रुप में रुपांतरण से सम्बंधित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का परीक्षण, अभिनिर्धारण और निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का संघटन किया है। आई० आई० टी०, दिल्ली में दो परियोजनाओं को हाथ मे लिया गया है। इनमें से एक मीथेन के मीथानोल में जैव परिवर्तन से सम्बंधित है और दूसरी का सम्बन्ध सैल्यूलोसी सामग्री के इथानोल में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए। साथ ही डी० एस० टी० द्वारा इन्स्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम, देहरादून के साथ सहयोग से नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट में सम्भावी पैट्रो फसलों के समावेश, संवीक्षा और कृषि और उनके पैट्रोलियम हाइड्रो कार्बनों में रुपांतरण के लिए एक परियोजना का समारम्भ किया गया है। यद्यपि इस क्षेत्र में समस्त अनुसंधान और विकास का दूरगामी प्रभाव होगा, फिर भी इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि प्रौद्योगिकी को तुरन्त उपलब्ध कराया जाए। जीव वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा सौर ऊर्जा को उपयोग में लाना पर्यावरणीय प्रदूषण, स्रोत अपघटन और विकेन्द्रीकृत ऊर्जा आपूर्ति का सम्वर्द्धन करने के लिए अत्यधिक प्रभावी और उपयोगी माध्यम हो सकता है।

सामान्य रुप से अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जाओं को विकसित करने और इनको उपयोग में लाने के लिए और उनके व्यापक पैमाने पर उपयोग करने के लिए इन कार्यक्रमों को नया प्रोत्साहन और नई प्राथमिकता प्रदान की जाए।

औद्योगिक विकास की दर

278. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977–78, 1978–79 के दौरान औद्योगिक विकास की क्या दर थी,

(ख) 1975–76, 1976–77 वर्षों की तुलना में विकास की दर किस प्रकार तुलनीय है,

(ग) यदि उसमें कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) 1977–78 और 1978–79 के वर्षों में दरें क्रमशः 3.9 प्रतिशत तथा 7.6 प्रतिशत थी ।

(ख) 1975–76 और 1976–77 के वर्षों में औद्योगिक विका की दरें क्रमशः 6.0 प्रतिशत तथा 9.5 प्रतिशत रही ।

(ग) अन्य वर्षों की तुलना में वर्ष 1977–78 में औद्योगिक विकास में गिरावट आने का कारण बिजली की कमी का होना, औद्योगिक असंतोष तथा कुछ उपायों पर प्रभाव डालने वाली मांग सम्बन्धी बाधाओं का होना है ।

(घ) औद्योगिक विकास दर बढ़ाने सम्बन्धी कुछ प्रस्तावित कदम विद्यमान क्षमता का अधिक उपयोग करना, श्रमिक-प्रबन्धकों के सम्बन्धों में सुधार करना तथा अवस्थापना-सम्बन्धी सुविधाओं का बढ़ाना है ।

राज्यों में केन्द्रीय मंत्रियों के लिए साइरन लगी हुई पाइलट जीपों की व्यवस्था

279. **श्री के० ए० राजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि जब कभी केन्द्रीय मंत्री विशिष्ट राज्यों से जायें तो वे उनके लिये साइरन लगी हुई पाइलट जीपों की व्यवस्था करे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां राज्य सरकारों द्वारा नीति के रुप में साइरन लगी हुई पाइलट जीपों की व्यवस्था की जाती है ; और

(घ) क्या उन राज्यों में ऐसी प्रथा बन्द करदी गई है जहां राष्ट्रपति का शासन है ?

(गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री) (श्री योनेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय मंत्रियों के राज्य में दौरे के साथ उनके लिए साईरन लगी हुई पाइलट जीपों की व्यवस्था के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं ।

(ग) पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्बू तथा कशमीर और कर्नाटक राज्यों द्वारा साईरन लगी हुई जीपों की व्यवस्था नहीं की जाती है । हरियाणा में केन्द्रीय मंत्रियों की यात्राओं के दौरान उनके लिए भीड़ वाले क्षेत्रों में यातायात ड्यूटी के लिए कभी–कभी एक पायलट की व्यवस्था की जाती है । हरियाणा में सभी जीपों में साईरन लगे हुए हैं । शेष राज्यों के संबंध में सूचना एकत्र हो जाएगी तो सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों में पायलट जीपों की व्यवस्था करने की प्रथा नहीं नहीं है । शेष राज्यों जहां राष्ट्रपति शासन लागू है, के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने के पश्चात सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

1977–79 की अवधि में आवर्ती योजना का आरम्भ किया जाना

280. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1977–79 में देश के लिए आवर्ती योजना आरम्भ की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सकल्पना की सही परिभाषा क्या है और इसमें नियमित पंचवर्षीय योजना से क्या अन्तर है तथा यह योजना बनाने वाले का क्या नाम है ; और

(ग) इस योजना का देश पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ग) : पंचवर्षीय योजना के प्रारुप (1978–83) में अनवरत योजना प्रणाली का उल्लेख किया गया था। इसमें यह परिकल्पना की गई है कि पंचवर्षीय योजना के भीतर प्रमुख क्षेत्रकों के लिए क्षेत्रक परिव्ययों और उत्पादनों के लिए वर्षानुवर्ष लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे और प्रत्येक वर्ष के अन्त में अतिरिक्त वर्ष के लिए इन क्षेत्रकों के लक्ष्यों को तय करके पंचवर्षीय योजना की समयावधि का विस्तार किया जाएगा। जनता सरकार के कहने पर इस प्रणाली को योजना में शामिल किया गया था।

(ग) इस योजना के प्रारुप को अन्तिम रुप नहीं दिया गया है, इसलिए इस अनवरत योजना प्रणाली के कार्यन्वियन का कोई अवसर नहीं आया हैं।

1980–81 के दौरान कर्नाटक राज्य के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय

281. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1980–81 के दौरान कर्नाटक राज्य के लिए कुल कितना योजना परिव्यय अनुमोदित किया गया तथा राज्य सरकार ने कितने आवंटन का सुझाव दिया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : राज्य के 385 करोड़ रु० के प्रस्ताव की तुलना में वर्ष 1980–81 में कर्नाटक के लिए अनुमोदित कुल योजना परिव्यत 352 करोड़ रुपये हैं।

विदेशी ट्रेड - मार्कों के नाम

282. **श्री दया राम शादय**

श्री चन्द गाल मणी तिवारी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के लागू किये जाने के बाद से भारत में व्यापार के लिए किन-किन विदेशी ट्रेड–मार्कों के लिए रजिस्टर्ड यूजर्स एग्रीमेंट की अनुमति दी गई,

(ख) रजिस्टर्ड यूजर्स एग्रीमेंट (विदेशी ट्रेड मार्क के लिए) के नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है और

(ग) उन्हें मंजूर करने अथवा मंजूर न करने के लिए क्या कसौटी अपनाई गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० चरनजीत चानना) (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है सभापटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक राज्य के नांन "कंडीगेस" के कर्यचारियों में असंतोष

283. **श्री आर० के० महालगी :**

श्री के० ए० राजन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान कर्नाटक के मुख्य मंत्री की हाल ही में की गई इस कथित घोषणा की ओर दिलाया गया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की नई परियोजनाओं में कर्मचारी "कंडीगेस" रखे जाने चाहिए, एक कानून लाने पर विचार करेगी ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कर्नाटक के लोखों "गैर-कंडीगेस" व्यक्तियों, जिनमें से कई तो वर्षों पहले से राज्य में बसे हुये हैं, में काफी असंतोष व्याप्त हो रहा है ; और

(ग) इस चिंताजनक स्थिति और भारती संविधान की धाराओं को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दिखाई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को 8.2.1980 को वेलगांव में अखिल- भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कर्नाटक के मुख्य द्वारा कथित कंडीगेसों को रोजगार देने के विषय से संबंधित समाचार की जानकारी है । कर्नाटक सरकार के माध्यम से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है ।

सड़क परिवहन द्वारा ऊर्जा का उपयोग

284. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सड़क परिवहन द्वारा ऊर्जा का उपभोग रेल परिवहन से छः गुना अधिक होता है ।

(ख) क्या सरकार द्वारा रेल तथा जल यातायात प्रणाली में सुधार करने के लिए कोई तत्काल उपाय किए गए है ताकि यातायात क्षेत्र में पेट्रोल पदार्थों के उपभोग को कम किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो किए गए ऐसे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क): सरकार को यह मालूम है कि सड़क परिवहन द्वारा ऊर्जा की खपत रेलों द्वारा ऊर्जा की खपत से काफी अधिक है । तथापि, परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच में परिवहन किए गए माल की प्रति इकाई के लिए ऊर्जा की खपत के निश्चित अनुपात में, उपयोग में लाए गए वाहन के प्रकार, निहीत दूरी, आदि के अनुसार भिन्नता होगी है ।

(ख) : जी, हाँ ।

(ग) : (1) रेलों से यह कहा गया है कि वे विशेष रूप से बड़े माल को लंबी दूरी के

लिए लाने-ले जाने के लिए, जिसके लिए रेल परिवहन अधिक उपयुक्त है, यथासंभव अधिक से अधिक माल यातायात का लदान करें ।

(2) रेलवे प्रणाली के द्विुतीकरण की गति को अधिकतम करने के प्रयत्न किए जा रहे है;

(3) देश के विभिन्न भागों में अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली को बढ़रने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

राज्यवार ऐसे लोगों की प्रतिशतता जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं

285. **श्री बाबूलाल सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार ऐसे लोगों की प्रतिशतता क्या है जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं ;

(क) राज्यवार प्रति व्यक्ति आय क्या है; और

(ग) मुद्रा स्फीति, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी और बढ़ते मूल्यों से उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रधानमंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सूचना विवरण 1 में दी गई है ।

(क) सूचना विवरण 2 में दी गई है ।

(ग) सरकार का विचार निम्नलिखित उपाय करने का है :

(1) कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक उत्पादन को बढावा देना;

(2) वर्तमान कमियों को दूर करने के लिए उत्पादन को बढ़ा करके, जमाखोरी को कम करके और आवश्यक वस्तुओं का आयात करके व्यवस्थित और पर्याप्त पूर्ति की व्यवस्था तैयार करना ;

(3) अर्थ-व्यवस्था को अति मुद्रास्फीति से बचाना और कीमतों को स्थिर बनाए रखना;

(4) सार्वजनिक वितरण की प्रभावी प्रणाली के जरिए अंतिम उपभोक्ता तक आवश्यक वस्तुओं की साम्पिक पूर्ति सुनिश्चित करना ;

(5) अधिक लोगों को गरीबी के स्तर से उपर उठाने के लिए एक आन्दोलन शुरू करने के उद्देश्य से काम करने वाली जनसंख्या के अधिकाधिक लोगों के लिए लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था करना ;

(6) जनशक्ति के ईष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करते हुए आधारिक संरचनात्मक परियोजनाओं को बढ़ावा देना; और

(7) समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जीवन-स्तर को उन्नत करने में सहायता करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को प्रचालित करना ।

विवरण-1

1972-73 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग राज्यों में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत

क्र० सं०	राज्य	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	3
1.	आंध्र प्रदेश	56.67	43.75
2.	असम	48.24	33.78
3.	बिहार	55.82	43.45
4.	गुजरात	43.88	34.03
5.	हरियाणा	21.52	29.94
6.	हिमाचल प्रदेश	+	+
7.	जम्मू और कश्मीर	36.07	51.63
8.	कर्नाटक	52.33	45.79
9.	केरल	57.76	52.69
10.	मध्य प्रदेश	61.35	44.83
11.	महाराष्ट्र	53.94	34.32
12.	मणिपुर	24.73	24.25
13.	मेघालय	20.64	10.76
14.	नागालैंड	उ० न०	3.33
15.	उड़ीसा	71.01	43.38
16.	पंजाब	21,47	21.84
17.	राजस्थान	47.47	39.26
18.	तमिलनाडु	62.98	52.22
19.	त्रिपुरा	42.62	18.70
20.	उत्तर प्रदेश	52.96	51.59
21.	पश्चिम बंगाल	64.00	35.86
22.	सभी संघ राज्य क्षेत्र	37.55	26.73
	अखिल भारत (भारित)	54.09	41.22

*जांज की जा रही है

टिप्पणी—उपर्युक्त अनुमान निम्नलिखित आधार पर लगाए गए हैं :—

(1) 1978-83 की अवधि के लिए योजना के प्रारूप में संकलिपत ग्रामीण क्षेत्रों में 2400

कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति द्वारा लिए जाने को मान कर अखिल भारत स्तर पर गरीबी के स्तर का अनुमान लगाया गया हैं। 1977-78 की कीमतों के आधार पर यह ग्रामीण क्षेत्रों में 65 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमास और शहरी क्षेत्रों में 75 रु० प्रतिव्यक्ति प्रति मास आता है। उसी के अनुरूप, 1972-73 की कीमतों के आधार पर प्रतिव्यक्ति मासिक व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 41 रु० और शहरी क्षेत्रों में 47 रु० आता है। हरेक राज्य में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 27 वें दौर (अक्तूबर, 1972 से सितम्बर, 1973) में घरेलू उपभोक्ता व्यय से संबंधित आंकड़ों में बताए गए इन विभेदक बिन्दुओं का उपयोग किया गया है।

(2) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में सकल अखिल भारत निजी उपभोग व्यय के लगाए गए अनुमानों और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा व्यय के लगाए गए आँकड़े के अनुमानों के बीच अंतर को, राज्यों और संघ राज्यों के संबंध में इस अंतर के आवंटन के बारे में किसी सूचना के अभाव में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यथानुपात समायोजित किया गया है।

विवरण-12

प्रति व्यक्ति आय: 1975-76

चालू कीमतों पर रुपयों में

	राज्य	
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	897
2.	असम	848
3.	बिहार	669
4.	गुजरात	1236
5.	हरियाणा	1514
6.	हिमाचल प्रदेश	1165
7.	जम्मू और कश्मीर	825
8.	कर्नाटक	1038
9.	केरल	1000
10.	मध्य प्रदेश	790
11.	महाराष्ट्र	1455
12.	मणिपुर	904
13.	मेघालय	899

14.	नागालैंड	949
15.	उड़ीसा	834
16.	पंजाब	1688
17.	राजस्थान	873
18.	तमिलनाडु	997
19.	त्रिपुरा	872
20.	उत्तर प्रदेश	727
21.	पश्चिम बंगाल	1100

मारुति लिमिटेड को पुनः चालू करना

286. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड को दिया गया 'छोटी मोटरकार का निर्माण करने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह परियोजना उसी पार्टी द्वारा पुनः आरम्भ की जायगी और इसकी क्षमता तथा निर्माण अनुसूची क्या है; और

(ग) भारत में और कितनी पार्टियों की 'छोटी मोटरकारें बनाने का लाइसेंस दिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) भारत में यात्री कारों के निर्माण के लिए निम्नलिखित पार्टियों को लाइसेंस दिया गया है :—

(1) मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता ।
(2) मै० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई ।
(3) मै० स्टैंडर्ड मोटर्स प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड, मद्रास ।
(4) मै० मारुति लिमिटेड, हरियाणा ।
(5) श्री मनुभाई एच० ठक्कर, बड़ौदा ।

इनके अलावा, मै० सनराइज आटो इंडस्ट्रीज, बंगलौर तीन पहिए वाली यात्री कारों के निर्माण के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास पंजीकृत है ।

परमाणु प्रौद्योगिकी के वितरण पर रोक लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय में प्रबंध

287. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि परमाणु प्रौद्योगिकी वितरण पर प्रतिबंध लगाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधों में भारत तथा अन्य विकासशील देशों के प्रति भेदभाव किया गया है;

(ख) क्या वर्तमान प्रबंधों के अंतर्गत कुछ देशों द्वारा परमाणु अस्त्र रखे जाने को न

केवल वैध करार दिया गया है बल्कि शेष देशों के मुकाबले उन्हें स्थायी प्रौद्योगिकी संबंधी और आर्थिक लाभ भी दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी: (क) न्यूक्लीय प्रौद्योगिकी आदि सप्लाई करने वाले देश परमाणु अस्त्रों का प्रसार रोकने की बात कहकर, परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों के लिए न्यूक्लीय सामग्री, उपस्कर और प्रौद्योगिकी देने पर अलग-अलग और संयुक्त रूप से लगातार ज्यादा और भेदभाव पूर्ण प्रतिबंध लगाते रहे हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारत सरकार ऐसे सभी कदमों का लगातार विरोध करती रही है जिनका उद्देश्य विकासशील देशों के अपने इन अहार्य अधिकारों का प्रयोग करने के मार्ग में बाधाएं पैदा करना हो कि वे अपने आर्थिक और सामाजिक विकास में परमाणु ऊर्जा का शांतिमय उपयोग अपनी-अपनी प्राथमिकताओं, अपने हितों और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करें ।

पाकिस्तान द्वारा पनडुब्बियों की खरीद

288. **श्री मगन भाई बरोट** :क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि पाकिस्तान ने हाल ही में पनडुब्बियां खरीदी; हैं; और

(ख) क्या इससे भारत के लिये कोई समस्या पैदा हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सुरक्षा की दृष्टि से पनडुब्बियां खरीदने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सुरक्षा के संदर्भ में भारत की रक्षा क्षमता की लगातार समीक्षा की जाती है और समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए जाते हैं । इन उपायों के बारे में ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

हिन्द महासागर के ऊपर अमरीकी बम-वर्षक विमानों की उड़ान

289. **श्री फारुक अब्दुल्ला** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 फरवरी को अशान्त फारस की खाड़ी क्षेत्र में अपनी शक्ति की क्षमता दिखाने के लिए दूसरी बार अमरीकी बी-52 बम.वर्षक विमानों ने हिन्द महासागर के ऊपर उड़ान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सोवियत रूस ने अब हिन्द महासागर में 31 युद्ध पोत लगा दिये हैं जो अमरीका से 11 अधिक हैं;

(ग) यदि हां तो अफगानिस्तान की लड़ाई के पश्चात् हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों के जमाव की सूचना मिली है;

(घ) यदि हां. तो क्या हिन्द महासागर में इस जमाव से भारत की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो हमारी नौ सेना को बेहतर बनाने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाये गये हैं; और

(च) इस खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सरकार ने इस वर्ष जनवरी, फरवरी में हिन्द महासागर के ऊपर से अमरीकी बी-52 एस की उड़ान नोट की है।

(ख) और (ग) सरकार को इसकी जानकारी है कि हिन्द महासागर में अमेरिकी और सोवियत नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई है।

(घ) हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों का नौसैनिक जमाव भारत की सुरक्षा के लिए चिन्ता का विषय हो सकता है।

(ङ) और (च) इस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जिसका हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए काफी महत्व है. भारतीय नौ सेना को उत्तरोत्तर आधुनिक बनाया जा रहा है।

सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषणा को कार्यान्वित करने के बारे में भी जोर दिया है कि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाया जाए और इस संबंध में आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाई की जाए।

कमानी ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज, बम्बई का बंद होना

290. **श्री के० लकप्पा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोपराइटरों में झगड़े के कारण कम्पनी ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज, बम्बई बंद होने की स्थिति में है,

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रमिकों को उनकी मंजूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है और उनकी छंटनी का खतरा है,

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार स्थिति पर नियंत्रण करने लिये कमानी ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करने का है; ओर

(घ) यदि नहीं, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) महाराष्ट्र राज्य ने सरकार को सूचित किया है कि कमानी परिवार में पारवारिक झगड़ों से उत्पन्न हुई वित्तीय कठिनाइयों

कारण कमानी मैटेलिक आक्साइड्स लि० ने 20.4.1979 से अपना काम करना बन्द कर दिया है। सितम्बर, 1978 से कामगारों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया था। कमानी ट्यूब्स लि० नामक दूसरा एकक भी गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है।

(ग) और (घ) इस समय कमानी कम्पनी ग्रुप आफ बम्बई के किसी भी औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : आप सभी बोल रहे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सब लोगों को बोलने का समय मिलेगा।

व्यवधान*

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : स्थगन प्रस्ताव का क्या बना ?

व्यवधान*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपकी चर्चा के लिए समय दिया जायेगा। आप मुझे चर्चा के लिए नोटिस दे।

व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : अभी बजट सेशन में आप बजट पर चर्चा करिए, उस के बाद में कुछ रहेगा तो आप मुझे नोटिस दीजिएगा में कंसीडर करूंगा।

व्यवधान*

श्री इन्द्रजीज गुप्त : क्या आप हरिजनों पर चर्चा की अनुमति देगें ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर कल कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा की जायेंगी।

व्यवधान**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही है।

व्यवधान**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): क्या हरिजन इस देश के नागरिक नहीं हैं ? (व्यवधान) आपने हरिजन का नारा दिया है। फिर हरिजनों की हत्या क्यों हो नही है ?

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

व्यवधान*

अध्यक्ष महोदय : मैने आपको काफी हद तक सुन लिया है। माननीय सदस्य अब अपने स्थान ग्रहण करें। सभा की कार्यवाही चलाने का यह सही ढंग नहीं है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय नहीं दूंगा। आप सभा को कार्य नहीं करने दे रहे। यदि माननीय सदस्य इसी प्रकार का व्यवहार करते है तो में उन्हें अनुमति नहीं दूंगा।

व्यवधान

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमन्, में एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आज दो सवाल पारसबीघा और पिपरा के सम्बन्ध में थे। आप जानते हैं इनमें 14 आदमियों को जिन्दा जला दिया गया – 6 औरतें हरिजनों की और 4 बच्चे दो–दो साल के। (व्यवधान) इसमें किसी पर दोष देने की बात नहीं है लेकिन इस तरह की घटनायें सारे देश में हो रही हैं। अभीं आंध्र प्रदेश में एक कमेटी ने जाकर एक हफते का दौरा किया और उसने कहा कि इस तरह की सैंरड़ों घटनायें-हो रही हैं। (व्यवधान) हमने एक कामरोको प्रस्ताव दिया है।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब मेरी और ध्यान दे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा की भावनाओं की जानकारी है। इस पर एक तारांकित प्रश्न था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दो प्रश्न थे, एक नहीं। परन्तु क्या हम उस पर चर्चा कर सकते है? मन्त्री महोदय ने एक घण्टे तक उत्तर दिया है।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : हम इसे दूसरा प्रस्ताव मान सकते हैं। हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार करूंगा। मैं सरकारी पक्ष तथा विपक्ष को सुनूंगा। आप दूसरा प्रस्ताव रख सकते है।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान मुझे एक बात कहनी है। इसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया है। क्या यह विशेष रूप से आवश्यक मामला नहीं है। नियम 358 में उल्लेख है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। हम इस पर चर्चा करेंगे। बजट पर चर्चा के समय आपको पर्याप्त समय मिलेगा और यदि आवश्यक होगा तो इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास इस मामले में बहुत से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया नियमों का उल्लंघन न करें।

अध्यक्ष महदोय : हम ऐसा नहीं करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बारे में नियम स्पष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। (व्यवधान) इस बारे में दोनों पक्ष उत्तेजित है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कल आपने मूल्य वृद्धि के मामले पर अनुमति नहीं दी। आज आप हरिजनों के प्रश्न पर चर्चा से मना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बजट पर चर्चा के दौरान आप इन मामलों को ले सकते हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली हैं। मैं इस पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करूंगा। मैं और क्या कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि व्यवधान होते। तो उसे कार्य वृतान्त से निकाल दिया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सागर दिशा तोप अभ्यास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं सागर दिशा तोप अभ्यास अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अन्तर्गत सागर दिशा तोप अभ्यास करने के लिए तटीय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० (1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती है जो दिनांक 9 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रन्थालय में रखी गयी देखिये संख्या एल. टी. 370/80)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1977-78 के लेखा परीक्षित लेखे, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद और राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, के अन्तर्गत अधिसूचनाएं भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा की पुनरीक्षा और वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन और लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन।

वित्त और उद्योग मंत्री श्री वी. आर. वेंकटरामन : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) केन्द्रिय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रिय रेशम बोर्ड के वर्ष 1977-78 के लेखापरीक्षित लेखों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग्रंथालय में रखा गया ; देखिये संख्या एल. टी. 371/80)

(2) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 372/80)

(3) राष्ट्रीर उत्पादिता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978 79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 373/80)

(4) केन्द्रिय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रिय रेशम बोर्ड (अनुसंधान तथा सेवा स्टेशन) समेकित भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सा. नि. 479 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सख्या एल. टी. 374/80)

(5) उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योग (उत्पादन विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना) नियम, 1979 (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 मई, 1979 के भारत के राज्यपत्र में अधिसूचना संख्या सां. आ. 328 (ड) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 375/80)

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति : –

(क) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित खे तथा उन पर नियन्त्रक-महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 376/80)

(ख) (एक) इन्सट्रुमैन्टेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इन्सट्रुमैन्टेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 377/80)

(7) लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी*संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 378/80)

औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों (लोक उद्यम सर्वेक्षण) खण्ड I से 3 वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन श्री आर० वेंकटरमन : मैं श्री जगन्नाथ पहाडिया की ओर से केन्द्रिय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्कि उपक्रमों (लोक उद्यम सर्वेक्षण) के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (खण्ड 1 से 3) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 379/80)

अखिय भारतीय सेवा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं गृह संत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)

मैं निम्नलिखित पत्रसभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 19 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सा. नि. 45 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 380/80)

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवग में पद संख्या निर्धारण) पहला संशोधन विनियम 1980, जों दिनांक 26 जनवरी, 1980 के भारत कै राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा. सां. नि. 76 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 381/80)

(तीन) भरतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 26 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 77 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 382/80)

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन

* प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 30 जनवरी, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

बिनियम, 1980, जो दिनांक 30 जनतरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 23 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 383/80)

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 30 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 24 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 384/80)

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1980 जो दिनांक 9 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 158 में प्रकासित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी० 385/ 80)

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 9 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 159 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 386/80)

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1980, जो दिनांक 16 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 176 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 387/80)

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पांचवा संशोधन बिनियम, 1980, जो दिनांक 23 फरवरी, 1980 से राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 202 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 388/ 80)

(2) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श छूट) संशोधन विनियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 2 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 740 में प्रकाशित हुए थे तथा उन शुद्धि पत्र जो दिनांक 14 जुलाई 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 441 (ङ) में प्रकाशित हुआ था तथा गक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 390/80)

विधेयकों पर अनुमति

सचिव मैं गत सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गए और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयक सभा पटल पर रखता हुं :

(1) विनियोग विधेयक, 1980

(2) विनियोग (रेल) विधेयक, 1980

(3) भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980

(4) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1980

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1980

श्रीमान् जी, मैं गत सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों की प्रतियां राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत रूप में भी सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1980

(2) चोरबाजारी रोकना और आवश्यक वस्तु प्रदाय विधेयक, 1980

(3) लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, (संशोधन) विधेयक, 1980

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 389/90)

समिति के लिये निर्वाचन

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : स्पीकर सर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं : "कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा संबंधी समिति में सदस्यो के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसार राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन दें जिसमें उसके संबंध में सिफारिशें की गई हो।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य एकल संक्रोमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा सम्बन्धी समिति में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसार राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन, दें जिसमें उसके सम्बन्ध में सिफारिशें की गई हों।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संघ उत्पाद शुल्क (बिजली) वितरण विधेयक)

वित्त तथा उद्योग मंत्री श्री आर० वेंकटरमन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से उन राज्यों को जिन पर शुल्क अधिरोपित करने वाली विधि का विस्तार है विद्युत पर संघ उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगमों के समतुल्य राशि संदत्त करने का तथा वित्त आयोग द्वारा 28 अक्तूबर, 1978 की रिपोर्ट में सिफारिशों के अनुसार उन राज्यों में उक्त राशियों के वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर-स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस पर चर्चा की जायेगी और मैं इस बारे में आप से बात करूंगा । आपको इस का विश्वास नहीं है । मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

प्रश्न यह है : "कि भारत की संचित निधि में से उन राज्यों को जिन पर शुल्क अधिरोपित करने वाली विधि का विस्तार है विद्युत पर संघ उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगमों के समतुल्य राशि संदत्त करने का तथा वित्त आयोग द्वारा 28 अक्तूबर, 1978 की रिपोर्ट में शिफारिशों के अनुसार उन राज्यों में उक्त राशियों के वितरण का प्रबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० वेंकटरमन : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते नहीं हैं । मैंने आप से अर्ज किया है कि काल —एटेन्शन मोशन भी मेरे पास है जब अध्यक्ष बोलने के लिए खडा होता है, तो उस समय आप को बैठ जाना चाहिए । आप खड़े क्यों हैं ? प्रश्न यह है कि क्या कुछ बातों पर चर्चा करने हेतु, हमें इस की कार्यवाही को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चलाना होता है । मैं स्थिति की गम्भीरता यहां के लोगों के विचारों को जानता हूं । मैं जानता हूं कि माननीय सदस्यों का ध्यान देश में सभी स्थानों पर हो रहे अत्याचारों पर केन्द्रित है । मेरा विचार है कि प्रत्येक दल से संबंधित हर सदस्य इस बारे में चिन्तित है । (व्यवधान) । कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें किसी विशेष ढंग से करना होता है । मैंने इस से संबंधित तारांकित प्रश्नों को स्वीकार किया था । किन्तु उन पर विचार नहीं हुआ हैं । अब हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार करेंगे । इसके अतिरिक्त मैं यह चाहूंगा कि इस पर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में विचार किया जाए । मैं यही बात करूंगा । ऐसा कल किया जाएगा । हम इस पर विचार करेंगे । ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इस पर विचार करने में कोई बाधा पड़ती है । सरकारी पक्ष भी किसी बात पर विचार करने के लिए रोक लगाने या कोई बात छिपाने पर प्रसन्न नहीं हैं । वे भी चाहते है कि इस पर विचार किया जाये । आप भी यही कुछ चाहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कब इस पर विचार किया जायेगा ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिर हार) : क्या मैं कार्य संबंधी कार्यक्रम के बारे में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता हूं। कल संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा था। इस पर चर्चा पूरी नहीं हुई थी। आप इस बारे में निर्णय कर सकते हैं कि बाद में शेष चर्चा के लिये समय दिया जाए। किन्तु सदस्यों को इस बारे में समाचार के द्वारा अथवा किसी और ढंग से सूचना नहीं दी गयी है। इस बारे में क्या हुआ है? इसे ऐसे ही समाप्त नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : इसे पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के, जिस पर कल विचार किया जा रहा था, अन्तर्चित अंश का उल्लेख कर रहा था। इसके शेष रहे अंश के बारे में क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रीजात गुप्त : मैं जानता हूं कि इस पर विचार किया जाएगा इसे ऐसे ही समाप्त नहीं किया जा सकता। किन्तु सदस्यों को इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए। समान्तर पत्र में इस को कुछ न कुछ उल्लेख किया जाना चाहिए।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। घर मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है जिससे देश में सिविलवार और अराजकता को बढ़ावा मिलेगा।.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप के ध्याना कर्षण प्रस्ताव की सूचना मिली है। में इस पर बाद में विचार करूंगा। मैं इस बारे में तथ्यों को देख कर निर्णय करूंगा।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों ओलावृष्टि से फसलों को हुई हानी के समाचार और किसानों को तुरन्त राहत देने की आवश्यकता

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय अध्यक्ष जी, 5 मार्च की रात को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों भयंकर औलावृष्टि हुई जिसके कारण रबी की फसल चौपट हो गई और करोड़ों रुपये का नुक्सान हुआ है। खरीफ की फसल को सूखे ने खा लिया और इस फसल को ओलों ने मार दिया। किसान के ऊपर यह दोहरी मार पड़ी है जिसे बर्दाश्त करना उस के बस की बात नहीं। गेंहू, जौ और मटर के अलावा बेर और आम के बागों को भी काफी नुक्सान पहुंचा है। किसान की जब एक फसल मारी जाती है तो वर्षों तक होश में नहीं आता। इस वर्ष तो उसकी दोनों फसलें स्वाह हो गई, उस पर क्या बीतेगी भविष्य ही बतायेगा।

मेरे क्षेत्र के करीब 150 गांव औलावृष्टि की चपेट में आये हैं। मैंने स्वयं गांवों में जाकर उजड़े हुए खेतों को देखा। कई जगह पर तो किसानों की बीबी, बच्चे बिलख-बिलख

कर रो रहे थे और एक किसान तो इस गम को सह नहीं सका और खेत की मेड पर ही मर गया। बड़ी भयानक स्थिति है। सरकार को तुरन्त पीड़ित किसानों की मदद करनी चाहिए। बीज और खाद जो किसान ने कर्ज ले कर लगाया है पूरा माफ किया जाना चाहिए और उस की अनुमानित पैदावार का कुछ भाग नकद अथवा अनाज के रूप में उस को दिया जाना चाहिए तथा आगे की फसल के लिए बीज और खाद की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिये। इसके अलावा लगान और आबपाशी तो माफ होनी ही चाहिये।

(दो) राजस्थान में बिजली की अत्यन्त कमी के फलस्वरुप उद्योग और कृषि को होने वाली भारी हानि का समाचार

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में ऊर्जा की भारी कमी ने तबाही मचा दी है। 26 जनवरी 1980 से 330 उद्योग ठप्प हो गये है, दो लाख से तीन लाख मजदूर बेकार हो गये हैं, करोड़ो का उत्पादन ठप्प हो गया है, बिजली के अभाव में किसान बरबाद हो रहा है। कोटा अणु बिजली घर (एटौमिक पावर स्टेशन) जिसकी विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता 220 एम डबल्यू है, ठप्प पड़ा है, 20 प्रतिशत भी उत्पादन नहीं हुआ। राज्यपाल ने प्रधान मन्त्री को लिखा है। बिजली मध्यप्रदेश, पंजाब, आदि से शीघ्र दिलाने की व्यवस्था की जावे।

(तीन) बिहार में इसाई संस्थाओं को पादरियों पर होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता

श्री पी० ए० संगमा (तुरा) : शुक्रवार, 7 मार्च, 1980 को लगभग 10.00 बजे मध्याह्न पश्चात सासाराम जिला रोहतास, बिहार के 42 वर्षीय पादरी फादर मैथ्यु मानापराम्बिल, एस० जे० को घसीटकर उनके घर में ले जाया गया और उनको गोली मार कर हत्या कर दी गयी। इन दिनों गिरजा घरों में आक्रमण तथा गिरजाघरो के कर्मचारियों की हत्याये करने की इस प्रकार की घटनायें आम हो गयी हैं। मोकामा, जिला पटना, बिहार के गिरजाघर के फादर फ्रांसीस मार्टिन सेक, एस० जे० का मामला तो एक वर्ष पहले ही का है। घटना के पश्चात एक वर्ष बीत जाने पर भी आजतक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है और इस बात में भी संदेह है कि क्या इस बारे में कोई मामला दायर भी किया गया हैं अथवा नहीं।

सासाराम चर्च पर, जहां फादर मैथ्युमानापाराम्बिल, की हत्या की गई, गत दशंक में कई बार आक्रमण किया गया है। तो मास से भी कम समय बीता है। जबकी उक्त गिरजाघर की सम्पत्ति पर कथित आक्रमण हुआ था। 29 मार्च, 1979 को सासाराम स्थित कानवेंट में एक सिस्टर मुक्ति तथा दूसरों को बुरी तरह पीटा गया था। लगभग छः महीने पूर्व बाराहमान नगर, जिला गया बिहार के फादर अयोसिन्स सिक्यीरा को हथकड़ी लगायी तथा अत्यन्त अशोभनीय तथा अपमानजनक ढंग से नगर में घुमाया गया।

मुंघेर जिला में 16 अप्रैल. 1979 की खड़गपुर की घटना अभी तक हमारे मन में ताजा है, जिसमें फादर फ्रांसिस माटाथीलेरो तथा उनके साथियों को बुरी तरह पीटा गया था,

गिरजाघर की सम्पत्ति को लूट लिया गया था और घर को आग लगा दी गयी थी । क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गयी है ?

मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह विशेषकर विहार तथा सामान्य रूप से देश के अन्य भागो में ईसाई संस्थाओं, गिरजाघर के कर्मचारियों तथा अन्य अल्प संख्यक समुदाओं पर आक्रमणों की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करें ।

(चार) काजू की कमी

श्री बी० के० नायर (क्विलोन) : श्रीमान जी, केरल में काजू परिशोधन उद्योग में नियुक्त लगभग 150000 कर्मचारी अत्यन्त दयनीय स्थिति में हैं । वे आवश्यक कच्ची सामग्री तथा कच्चे काजू की कमी के कारण अब लगभग गत कई मासों से अधिकांशतः बेरोजगार रहे है। वर्षो से यह उद्योग 1 लाख टन से अधिक की हमारी सामान्य आवश्यकता के होते हुये देशीय उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिये अधिकांशत : इस वस्तु के आयात पर निर्भर रहा है । भारतीय काजू निगम काजू का निर्यात करते तथा योग्यता प्राप्त एकको के लिए समान विवरण को सुनिश्चित करने की अधिकृत संस्था के रूप में कार्य कर रहा है । किन्तु अभी हाल ही में काजू का आयात तेजी से कम होना जा रहा है और इस वर्ष अज्ञात कारणों से भारतीय काजू निगम ने अभी तक बाजार से काजू खरीदना आरम्भ नहीं किया है यद्यपि इस का मौसम काफी पहले से शुरू हो चुका है । इस से पहले से अच्छे आकार न होने के बारे में सभी संबंधित व्यक्तियों, विशेषकर कि कर्मचारियों के मध्य गलत फहमी पैदा हो गयी है क्योंकि आने वाले लम्बे समय तक कारखानों के बन्द रहने की सम्भावना है ।

अत : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अति शीघ्रतापूर्ण ढंग से यथासम्भव अधिक से अधिक काजू का आयात करने के कार्य को शुरू करने हेतु, भारतीय काजू निगम को आवश्यक निर्देश जारी करें ।

(पांच) आयुध डिपो को कलकत्ता से हटाये जाने के बारे में

श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर (दुर्गा पुर) : श्रीमान जी, कलकत्ता स्थित आयुध डिपो के, जोकि रक्षा प्रतिष्ठान (कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयकृत है) लगभग 600 कर्मचारियों को यह जानकर दुख पहुंचा है कि 1765 में कलकत्ता में स्थापित सेना आयुध कोर के सब से पुराने सगंठन को 30.6. 1980 तक विघटित करने के आदेश दे दिये गये हैं । इस डिपो को विघटन करने तथा इसे कलकत्ता से बाहर स्थानांन्तरित करने से 600 कर्मचारी तथा उनके परिवार काफी कठिनाई तथा दुखमयी स्थिति में पड़ जायेगें, उनको मकान किराया भत्ते तथा प्रतिपूरक भत्ते के रूप में आर्थिक हानि के साथ-साथ उन्हें दो स्थानों का व्यय भी उठाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा श्रम मंत्री ने पहले ही इस मामले को रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया हुआ है । स्वंय अपने को तथा डिपों को नष्ट होने से बचाने हेतु कर्मचारी समय-समय पर टोलियों में धरना देकर और ड्यूटी पर सामूहिक भूख हड़ताल करके शांन्तिपूर्ण आन्दोलन करते रहे हैं । यह डिपो रेलों, पोतो हवाई अड्डों, राजमार्गों के बहुत ही निकट होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में है । कलकत्ता तथा उसके आस पास काफी मात्रा में सैनिक

टुकड़िया लगायी हुयी हैं और उनकी आवश्यकता केवल कलकत्ता से पूरी होनी सम्भव है । इस डिपों को कलकत्ता से बाहर स्थानान्तरित करना अलाभप्रद होगा । अतीत में भी यह डिपो सैनिक टुकड़ियो की आवश्यकताएं पर्याप्त प्रभावी रुप से पूरी करता रहा है ।

रेल बजट 1980–81 सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (रेल) 1980-81

और

अनुदानों की अनूपूरक मांगें (रेल) 1979-80

अध्यक्ष महोदय : अब रेलवे बजट तथा रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों से सम्बद्ध मद संख्या 10, 11 तथा 12 पर विचार किया जायेगा । वह माननीय सदस्य जिनके अनुदानों की मांगों से सम्बद्ध कटौती प्रस्तावों को परिचालित किया जा चुका है; यदि वह अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहे, तो वह अपने कटौती प्रस्ताव की क्रमांक संख्या दर्शाते हुये 15 मिनट के अन्दर स्लिप सभापटल पर भेज सकते है । केवल ऐसे कटौती प्रस्तावों को ही [illegible] किया माना जायेगा जिनकी सूचना प्राप्त होगी ।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला (मोन्नानी) : श्रीमान जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने आपको भी लिखा है कि मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । अभी आपने घोषणा की है कि चर्चा के लिए मद संख्या 10, 11 तथा 12 को चर्चा के लिए इकठ्ठा लिया जायेगा । मैं इस सम्बन्ध में तीन बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनका सम्बन्ध नियम संख्या 207, 208 (1) तथा (2) और 212 तथा इस गरिमापूर्ण सदन की आवाज को कम करने से है जिससे कि माननीय सदस्यों को इस सभा में उपयुक्त समय तक वित्त सम्बन्धी कार्यवाही पर उपयुक्त विचार करने सम्बन्धी अवसरों को कम किया जा रहा है ।

श्रीमान जी, नियम 207 (1) में कहा गया है :

"जिस दिन आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाये उसके बाद अध्यक्ष द्वारा किये जाने वाले दिन, और उतने समय के लिये, जितना कि अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिये नियत करे, सभा आय-व्ययक पर संपूर्ण रूप से या उसमें अंतर्निहित सिद्धांत के किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिये स्वतंत्र होगी, किन्तु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा और न ही आय-व्ययक सभा में मतदान के लिये रखा जायेगा ।" परन्तु इस आशय का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जिसमें कहा जाये कि बजट को सभा के मतदान के लिए रखा जाये; अतः इसलिए मेरा प्रथम निवेदन इसके बारे में है । मैं तीन निवेदन करना चाहता हूं । पहला निवेदन तो यह है कि रेलवे के इस बजट पर सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा मतदान को एक साथ नहीं लिया जा सकता । यह बात पूर्णतय स्पष्ट है क्योंकि जिस नियम को मैंने उद्दत किया है उसमें कहा गया है, कि बजट पर चर्चा करते समय जैसे कि वर्तमान रेलवे बजट है; उस पर कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा और आपने हमें अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने

के लिए कहा है। अतः यह ऐसी स्थिति नहीं है जबकि किसी प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता हो। हमें पहले इस पर सामान्य चर्चा करनी चाहिये। सामान्य चर्चा को समाप्त होने दीजिये। उसके बाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने की स्थिति आयेगी जैसे कि नियम 208 (1) में हमारे कटौती प्रस्तावों के बारे है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि बजट पर सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर मतदान जिसमें कि कटौती प्रस्ताव भी आते है, यह दोनों अलग अलग प्रक्रियायें है। इस समय तो नियम 207 के अनुसार इस पर केवल सामान्य चर्चा ही हो सकती है और इस चर्चा के अन्तर्गत किसी अन्य प्रस्ताव यदि वह कटौती प्रस्ताव ही क्यों न हो, को शामिल नहीं किया जा सकता। यह बात नियम 207 में काफी स्पष्ट कर दी गई है। यह मेरा पहला निवेदन है जिसे मैंने आपके विचारार्थ प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने काफी समय ले लिया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप लह विनिर्णय दे दीजिये कि आप मेरे दूसरे तथा तीसरे निवेदन को नहीं सुनना चाहते। आप हमें इतनी जल्दी करने के लिए क्यों कह रहे है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरा दूसरा निवेदन नियम 208 (1) और नियम 208 (2) से सम्बंधित है। नियम 208 के उप-नियम (1) में कहा गया है :

"अध्यक्ष, सभा-नेता के परामर्श से, अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये उतने दिन नियत करेगा जो लोक हित से सुसंगत हों।"

श्रीमान जी, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चर्चा तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगों के लिए अलग से एक दिन से अधिक समय दे। आपने केवल चर्चा तथा मांगों पर मतदान को मिला दिया है अपितु आप सम्पूर्ण प्रक्रिया जैसे कि सामान्य चर्चा, अनुदानों की मांगों पर मतदान और अनुपूरक बजटों आदि सभी कार्यों को केवल कुछ ही घंटों के समय में समाप्त करवाना चाहते है। इसीलिए मेरा कहना है कि सदन की आवाज बंद की जा रही है और लोगों की आवाज के बुलंद करने के सदस्यों के अधिकार में अनुचित ढंग से कटौती की जा रही है।

नियम 208 के बारे में तो स्थिति और भी गंभीर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई बातचीत न कीजिये, कोई चर्चा न कीजिये।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : नियम 208 (2) में कहा गया है :

"अध्यक्ष नियत दिनों के अंतिम दिन 17.00 बजे अथवा किसी ऐसे अन्य समय पर जो वह पहले से निश्चित कर दे। अनुदानों की मांगों के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निबटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।" यही नियम अनुदानों की मांगों तथा लेखानुदान पर भी लागू होता है। इसलिए आपको चर्चा अनुदानों की मांगों पर मतदान तथा लेखानुदान के

लिए अलग-अलग दिन निर्धारित करने चाहिये । अन्तिम दिन को केवल 17.00 बजे ही सभी अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है । इस प्रकार से इस नियम का ही उल्लघंन किया जाता है ।

मेरा अंतिम तथा तीसरा निवेदन, जिसे मैं आपके शांत तथा सहानूभूति विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका सम्बन्ध नियम 212 से है, जिसमें कहा गया है :

"यदि किसी मांग के अनुदान को कम करने के प्रस्ताव की उस दिन से एक दिन पूर्व सूचना न दी गई हो जिस दिन किवह मांग विचाराधीन हो, तो कोई भी सदस्य प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और, यदि अध्यक्ष प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दे तो, ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी ।"

इस नियम का तात्पर्य यही है कि सभी कटौती प्रस्ताव आपको चर्चा से एक दिन पूर्व दिये जायेंगे । रेलवे बजट कल ही प्रस्तुत किया गया है और हमें इसके लिए प्रर्याप्त समय नहीं दिया गया । इसका तात्पर्य यह हुआ कि रेलवे बजट पर अगले ही दिन चर्चा नहीं की जा सकती हमारे पास इतना समय कहां से रह जाता है कि हम आपको अपने कटौती प्रस्ताव भेज सके ताकि वह आपके पास रेलवे बजट पर होने वाली चर्चा से एक दिन पूर्व पहुंच सके ? इस नियम से यही बात सामने आती है कि रेलवे बजट पर उसे प्रस्तुत किय जाने के अगले दिन चर्चा के लिए नहीं लिया जा सकता । अतः मेरा निवेदन है कि इन सभी विजीय मामलों को प्रस्तुत कर उन्हें पारित करवाने में अनावश्यक शीघ्रता की जा रही है जोकि अनुचित है । मैं नहीं समझ पा रहा सम्भवतः कुछ कारणों से सरकार ''

अध्यक्ष महोदय : आप कारण जानते है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : फिर भी यह कोई तरीका नहीं है । रात 2 बजे तक हम बजट पत्रों को पढ़ते रहे है । कटौती-प्रस्ताव तैयार करने के लिए हमारे पास समय ही कहां बचा॥ नोटिस देने के लिए हमें समय नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास तो बहुत से कटौती प्रस्ताव पहुंच गये है ।

श्री जी० एम० बनातनाला : आपके पास बहुत संख्या में कटौती प्रस्ताव आये होंगे परन्तु आप सदन की आवाज दबा रहे है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने जिन नियमों को पढ़ा है, उनमें निहित भावना का उल्लघन किया जा रहा है ।इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिये कि एक दिन बजट प्रस्तुत किया जाये और उसके अगले ही दिन बजट से सम्बद्ध हर विषय को समाप्त कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जब पूर्ण बजट आयेंगा तो आपको काफी समय मिल जायेगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला : उस ससय भले हमें काफी समय मिल जाये परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अब हमारे अधिकारों को कम किया जाये ।

आप इस पर शांतिपूर्वक विचार कीजिये । अपना विनिर्णय स्थगित रखिये । अभी सदन को स्थगित होने दीजिये । यह सदस्यों के अधिकारो का मामला है । एक ही दिन में सामान्य

चर्चा, अनुदानों पर चर्चा मतदान तथा अनुदानों की अनुपूरक मागों पर चर्चा करना, यह सब ऐसे लगता है मानों आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई हो। में अत्याधिक सम्मानपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये। हम संसद सदस्यों को इसका अध्ययन करने के लिए प्रर्याप्त समय दिया जाना चाहिये (व्यवधान)··· मैं सरकार या किसी दल पर आक्षेप करने नहीं जा रहा हूं। मैं तो केवल इस सदन की गरिमा को दृष्टिगत रखते हुये, उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह निवेदन कर रहा हूं ताकि जनता की भावनाओं को सदस्यों द्वारा उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत करने के अधिकार में कटौती न की जाये। मुझे आशा है कि आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को न्यायोचित मानेगें।

अध्यक्ष महोदय : श्री जी० एम० बनातवाला ने रेलवे बजट से सम्बद्ध मद संख्या 10, 11 तथा 12 के बारे में जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसे मैंने पढ़ लिया है।

जहां तक इन तीनों मदो को एक साथ लेने का प्रश्न है उसके बारे मैं सदन को सूचित कर चूका हूं कि मैंने उस मामले पर विचार कर लिया है। इससे पहले भी अनेक अवसरों पर ऐसा होता रहा है कि परस्पर सम्बन्धित विषयों पर एक ही साथ चर्चा की जाती रही है। वर्ष 1971 में भी रेलवे बजट से सम्बद्ध मदों पर इसी प्रकार चर्चा की गई थी। पिछले वर्षों में भी बजट से सम्बद्ध मदों पर एक साथ विचार किया गया था।

जहां तक इन मामलों पर चर्चा करने के लिए समय निर्धारित करने का प्रश्न है, उसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 10 मार्च 1980 को नेताओं की बैठक हुई थी मेरी बैठक में यह बात मान ली गई थी कि इन मदो के लिए 3 घंटे का समय दिया जाये।

अब हमें चर्चा आरम्भ करनी चाहिये।

श्री जी० एम० बनातवाला : किन नेताओं के साथ? जहां तक मुझे याद है उसमें मुस्लिम लीग के नेता को आमंत्रित नहीं किया गया था। हम उस निर्णय से सम्बद्ध नहीं है। वह नेता हमारे अधिकार को कैसे कम कर सकते है?

अध्यक्ष महोदय : जिन दलों के सदस्यों की संख्या इस सभा में 5 से अधिक है, उन्हें बुलाया गया था।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह नेता सदस्यों के अधिकारों को कैसे कम कर सकते है? क्या सदस्यों के अधिकारों से सम्बद्ध मामलों के बारे में भी नेता निर्णय कर सकते है?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बुलाऊँगा। मैंने निर्धारित नियमों तथा विनियमों के अनुसार ही नेताओं को बुलाया है। इस पर पूर्ण रूपेण तथा स्वतंत्र चर्चा हुई थी तथा पूर्ण मतैक्य के साथ ही यह निर्णय किया गया था। सदन में अब चर्चा आरम्भ की जायेगी।

श्री जगपालसिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री ने जिस तरीके से रेलवे बजट को रखा है, उससे पता लगता है कि उन्होंने कुछ राजनैतिक कारणों से प्रेरित हो कर ऐसा किया है। अब तक हाउस में जितने भी रेलवे या जेनरल बजट रखे गये हैं। उन्हें नियमित रुप से रखा गया है। लेकिन मंत्री महोदय ने हाउस की पिछली ट्रेडीशन्ज को उलट कर उस बजट को जिस

तरीके से रखा गया है, उससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि उन्होंने नौ प्रदेश में होने वाले चुनावों को प्रभावित करने के लिए नियमित रूप से यह बजट नहीं रखा है मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं।

इस बजट में रेल मंत्री ने किराये और भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की है। अगर वह इस बात की गारंटी दें कि इन प्रदेशों में चुनावों के बाद वह यात्रियों पर नये टक्सों का भार नहीं थोपेंगे, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर इन चुनावों के बाद उन्होंने यात्री-करों को बढ़ा दिया, तो हम उसका विरोध करेंगे।

यह बजट बहुत निराशाजनक है। आज हमारे मूल्य में यात्री-गाड़ियों की जो दुर्दशा है, उसके सम्बन्ध में कदम उठाना बहुत आवश्यक है। मंत्री महोदय ने इस बजट को रखते हुए जनता की आवश्यकताओं की अवहेलना की हैं और गाड़ियों के डिब्बे बढ़ाने की कोई बात नहीं कही है और न ही कोई सालिड प्रोग्राम रखा है कि डिब्बों के निर्माण के लिए कोई नया कारखाना लगाया जायेगा। आज स्थिति यह है कि फ़र्स्ट क्लास के डिब्बे तो खाली होते हैं और सैकंड क्लास के डिब्बों में सांस लेना भी मुश्किल होता है। इसलिए सैकंड क्लास के यात्रियों को सुविधा देने के लिए डिब्बों की संख्य ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी चाहिए।

जब तक माल ढोने के लिए वैगन्ज़ की संख्या नहीं बढ़ाई जायेगी, तब तक सरकार पूरे मूल्य में कोयला, अनाज या चीनी की सप्लाई नहीं कर पायेगी। मूल्य की हालत में सुधार करने के लिए डिब्बों को बढ़ाना बहुत जरूरी है।

जहां तक रेल कर्मचारियों के रहने लिए मकान बनाने का सम्बन्ध है, मैं क्लास वन और क्लास टू को छोड़ देता हूं, लेकिन क्लास थ्री और क्लास फोर के कर्मचारियों के मकान बनाने के लिए जो पैसा बढ़ाया गया है, वह बहुत कम हैं। थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के कर्मचारियों के लिए फ्लैट्स के निर्माण के लिए ज्यादापैसे की व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरी बात-जो उन्होंने उत्पादकता से सम्बन्धित बोनस की नीति रखी है रेलवे कर्मचारियों के लिए उस में 50 करोड़ 30 लाख रुपये का जो प्राविजन है उस के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि जब तक आप नियमित बजट नहीं रख पा रहे हैं तब तक यह आप ने कैसे एस्टीमेट बना लिया कि 50 करोड़ 30 लाख रुपये बोनस के तौर पर देंगे ? मेरा यह कहना हैं कि जब आप अपना बिल रखें तो उस में कम से कम 100 करोड़ रूपया कर्मचारियों के बोनस के लिए रखें 100 करोड़ रूपये के बगैर आप उनकों यह बोनस नहीं दे पाएंगे। यह रकम उसके लिए बहुत हीं कम है।

क्राइम्स के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं, रेलों में जो क्राइम्स होते हैं उन की स्थिति पहले यह होती थी कि औरतों को लूटने की बात होती थी। आज तो पूरी की पूरी गाड़ी लूटी जाती है। अभी गोमती एक्सप्रेस के अंदर जो कुछ हुआ है वह आप के सामने है। इन चीजों को देखते हुए, आज चाहें आदमी हों, बच्चे हों या औरतें हों जब तक उन की सुरक्षा की व्यवस्था रेल मंत्री जीं नहीं बढ़ाएंगे तब तक उन की-सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इस बजट के अनुसार हमारे रेल मंत्री जी ट्रेनों के अंदर सुरक्षा की कोई व्यवस्था कर पाएंगे, इस में सन्देह है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे राष्ट्रीय व्यापार हो या अन्तरराष्ट्रीय व्यापार हो तब तक आप कन्टेनर व्यवस्था नहीं करेंगे व्यापारी वर्ग के लिए तब तक व्यापार नहीं बढ़ पाएगा। इस लिए आप इस तरह के कटेनर डिब्बों की व्यवस्था करें, तभी आप का राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ सकेगा।

यह बजट जिस तरह से रखा गया है उसमें हमारे जो बैकवर्ड इलाके हैं जिनमें आज तक सड़कें भी नहीं पहुंच पाई हैं उनमें नई लाइन बिछाने की व्यवस्था नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा रेल मन्त्री जी से कि वह उन पिछड़े इलाकों में नई लाइने बिछाने को प्राथमिकता दें, ऐसे इलाकों कों बिल्कुल न दें जहां पर आलरेडी लाइन बिछी हुई है और उनको डबल करने की योजना है। मैं उसका विरोध करता हूं जहां सिंगल लाइन है वहां डबल लाइन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हमारे बैकवर्ड इलाकों के अन्दर नई लाइनें न बिछ जाएँ। सड़कें भी जिन इलाको के अन्दर हैं उनको भी प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। जो बैकवर्ड इलाके हैं चाहे वह तराई के इलाके हों या साउथ इण्डिया केट्राइगल इलाके हों उनको प्राथमिकता देनी चाहिए उन लाइनों के बिछाने के लिए। इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

अन्त में फिर एक बात कहता हूं कि जिन करों कों हमारे मुल्क के ऊपर नहीं थोपा है मैं यह नहीं चाहूंगा कि हमारे रेल मन्त्री जी विधान सभाओं के चुनावों के बाद उन करों को फिर से बढ़ाएं। हाउस को यह गारण्टी मिलनी चाहिए कि विधान सभाओं के चुनावों के बाद हमारे मुल्क घालों पर यात्री कर या दूसरे करों को रेल मन्त्री जी नहीं थोपेंगे।

श्री जी. एम. बनातवाला : श्रीमान जी, मेरे अनेक कटौती प्रस्तावों को परिचालित नहीं किया गया है। मैं उन्हें कैसे पेश कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने चूंकि इतने अच्छे ढंग से कटौती प्रस्तावों के बारे में जिरह की की है, अतः आपको विशेष रूप से यह प्रस्ताव 1 बजे तक पेश करने की अनुमति दी जाती है।

श्री जी. एम. बनातवाला : उन्हें पेश किये गये ही मान लिया जाये। क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि उन्हें क्या क्रमांक संख्या दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, आप 2 बजे तक उन्हें पेश कर दीजिये।

लेखानुदानों की मांगों में बारे में प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।" पूर्वी रेलवे के बर्दवान आसनसोल को उपनगरीय सेक्शन घोषित करने और बर्दवान आसनसोल सेक्शन पर ई. एम, यू. सेवाएं चालू करने में असफलता। (1)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।" रानीगंज से मेजिया कोल फील्ड होकर बांधपुरा तक नई रेल लाइन का निर्माण करने और दामोदर नदी पर रेल और सड़क पुल बनाने में असफलता। (2)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।" बर्दवान कटवा और अहमदपुर कटवा रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने और अन्य रेलों के सामान बी० के० और ए० के० रेलवे लाइनों पर यात्री किरायों की दरें समान करने के आदेश देने में असफलता। (3)

"कि रेलवें बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।" बांकुरा-दामोदर (कटवा से बांकुरा तक) रेल लाईन को बड़ी लाईन में बदलने में असफलता। (4)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।" सीमित स्टेशनों वाली हावड़ा से सवेरे चलकर हावड़ा-आसनसोल एक्सप्रैस गाड़ियां चलाने में असफलता जो आसनसोल कार्यालय के समय से काफी पहले पहुंचे और वापस आते समय कार्यालय के समय से काफी समय बाद आसनसोल से चले। (5)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।" खारा-सेंतिया और बंडेल-कटवा सेक्शन पर दोहरी लाइनों का निर्माण करने और पूर्वी रेलवे के बंडेल-कटवा सेक्शन को उपनगरीय सेक्शन घोषित करने में असफलता। (6)

श्री जी. एम. बनातवाला : (पोन्नानी) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।" न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन के रूप में मानने में असफलता। (7)

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।" न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन मानने में असफलता। (14)

"कि सामान्य परीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग कों कम करके 1 रूपया किया जाये।" न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन मानने में असफलता। (15)

"कि रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रूपया किया जाये।" न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन मानने में सफलता। (16)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया किया जाए।" (रेलवे द्वारा बम्बई में उपनगरीय रेलों के किराये में हाल में की गई आकस्मिक तथा दुर्भाग्यपूर्ण वृद्धि। (137)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

शोरानुर और कालीकट (दक्षिण रेलवे) के बीच लोगों की मांग के बावजूद गाड़ी संख्या 65 और 66 को पुनः चालू करने में सफलता। (138)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

ओलवाकोट डिवीजन, दक्षिण रेलवे में विशेषरूप से शोरानूर और मंगलौर के बीच स्टेशनों पर पर्याप्त यात्री सुविधायें उपलब्ध कराने में उदासीनता। (139)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कुट्टीपुरम, गोनानी, गुरुवायूर, कुन्नाकुलम और त्रिचूर के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता। (140)

"कि स्थायी मार्ग और कार्यचालन सम्बन्धी मरम्मत तथा अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन त्रिजूर (ओलावाकोट डिवीजन, दक्षिण रेलवे) पर दूसरे प्लेटफार्म की तात्कालिक आवश्यकता (141)

"कि स्थाई मार्ग और कार्यचालन सम्बन्धी मरम्मत तथा अनुरक्षण शीर्षक अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ?

केरल में जहाँ पर कि भारी वर्षा होती है रेलवे प्लेटफार्मों पर पर्याप्त छतों की व्यवस्था करने में असफलता। (142)

"कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

शोरानूर और मंगलौर दक्षिण रेलवे के बीच और अधिक एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलाने की आवश्यकता। (143)

"कि परिचालन व्यय–यातायात शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

मद्रास -- मंगलौर मेल 'दक्षिण रेलवे' का निरन्तर समय पर न चलना। (144)

"कि परिचालन व्यय–यातायात शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

शोरनूर और मंगलूर दक्षिण रेलवे के बीच गाड़ियों का निरन्तर समय पर न चलना (145)

"कि परिचालन व्यय–यातायात शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

केरल में गाड़ियों के यात्री डिब्बों का बड़ा संख्या में खराब होना (146)

"कि परिचालन व्यय–यातायात शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

मद्रास—मंगलौर मेल में सामान्य सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (147)

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसम्पत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बरनीपुर–लक्ष्मीकान्तपुर इकहरी लाइन वाले सैक्शन की दुहरी लाइन में बदलने की आवश्यकता (17)

"कि परिसम्पत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बरनीपुर–डायमंड हारबर लाइन में इकहरी लाइन वाले भाग को दुहरी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (18)

"कि परिसम्पत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

सियालदह–लक्ष्मीकान्तपुर सैक्शन को कुलपी तक बढ़ाने की आवश्यकता। (19)

"कि परिसम्पत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण, तथा बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

सोनारपुर–कैनिंग इकहरी लाइन वाले सैक्शन को दुहरी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (20)

"कि परिसम्पत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सियालदह डिवीजन में मथुरापुर से रायदिघी तक नई रेल लाइन बनाने की आवश्यकता। (21)

"कि परिसम्पत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग म 100 रुपये कम किये आयें।"

सियालदह डिवीजन में मथुरापुर से पत्थर प्रतिमा तक नई लाइन बनाने की आवश्यकता। (22)

"कि परिसम्पत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

सियालदह–लक्ष्मीकान्तपुर सैक्शन में मथुरापुर और घापधापी स्टेशनों का विद्युतीकरण करने की आनश्यकता (23)

"कि परिसम्पत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

सियालदह दक्षिण सैक्शन में सूर्यपुर और मथुरापुर स्टेशनों के निकट पुलों का पुन-निर्माण मरम्मत करने की आवश्यकता (24)

"रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

सूर्यपुर और मथुरापुर स्टेशनों के निकट पुलों की मुरम्मत करने की आवश्यकता। (45)

"कि परिचालन व्यय–यातायात शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपऐ कम किये जायें"

सियालदह लक्ष्मीकान्तपुर सैक्शन पर दक्षिण बारासाट स्टेशन के डाउन प्लेटफार्म पर शेड के निर्माण में विफलता। (46)

"कि परिचालन व्यय–यातायात शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

सियालदह साऊथ सैक्शन पर अधिकांश स्टेशनों पर यात्रियों को पेयजल की सप्लाई में विफलता। (47)

(सांकेतिक)

"कि परिसम्पत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 10 रुपये कम किये जायें।"

बज बज से नामखाना तक नई रेल लाइन बिछाने में असफलता। (49)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवें बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे लाइनों में वृद्धि में असफलता। (50)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

रेलों में असन्तोषजनक विस्तार। (51)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

पिछड़ें राज्यों में रेलों के विस्तार की और विशेष ध्यान न देना। (52)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

आगरा–सहसाराम और फतुहा–इस्लामपूर लाइट रेलवे को बड़ी रेलवे में बदलने की आवश्यकता। (53)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

"रेलों में विस्तार के विरोधी अधिकारियों की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता। (54)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

रेलवे बोर्ड पर नोकरशाही के नियन्त्रण की समाप्ति में असफलता (55)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक से अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

रेलवे बोर्ड का सार्वजनिक सेवा को माध्यम बनाने में असफलता (56)

"कि रेलवे वोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सरकार की रेल कर्मचारी विरोधी नीति समाप्त करने में असफलता (57)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अंतर्गत लेखानुदान की मांग को करके 1 रुपया किया जायें।"

रेल कर्मचारियों को आस्थगित वेतन के रूप में बोनस देने की आवश्यकता। (58)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

रेल कर्मचारियों को बिना शर्त 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस देने की आवश्यकता। (59)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

रेल कर्मचारियों की उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस देने की शर्त समाप्त करने की आवश्यकता। (60)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

भारतीय रेल कर्मचारी संघ की आठ सूत्री मांगों को स्वीकार करने में असफलता (61)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सभी रेल कर्मचारियों की यूनियनों को मिलाकर एक यूनियन बनाने में असफलता। (62)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

1974 की हड़ताल के दौरान पेश की गई 6 सूत्री मांगों को स्वीकार करने में असफलता। (63)

"कि रेलवे वोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

समय-समय पर रेल कर्मचारी संघों के साथ परामर्श करके श्रमिक समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता ।(64)

"कि रेलवे वोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत सेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

इण्डियन रेलवेज वर्कर्स फेडरेशन को मान्यता देने की आवश्यकता (65)

"कि रेलवे योर्ड शीर्षक के लन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

एवजी प्रणाली को समान्त करके एवजी कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने में असफलता ((66)

"कि रेलवे शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके । रूपया किया लाये ।"

रेलवे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की बाकी दो किश्तें शीघ्र देने की आवश्यकता। (67)

"कि रेलवे वोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

रेल माल डिब्बों के आवंटन में मनमाना रवैया तथा अनियमितितायें (68)

"कि रेलवे वोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रूपया किया जाये ।"

सभी रेल कर्मचारियों की आयास की सुविधायें प्रदान करने में असफलता। (69)

"कि रेलवे वोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रूपया किया जाए ।

रेल माल डिब्बों के आवंटन में पूंजीपतियों के साथ रेलवे प्रशासन की सांठगांठ । (70)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

बड़े उद्योगपतियों को रेल माल डिब्बों को काफी देर तक रोकने और उन्हें गोदामों के रूप में इस्तेमाल करने की प्रथा को रोकने में असफलता । (71)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रूपया किया जाये।"

आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता। (72)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

रेल माल डिब्बों के आवंटन में अनियमितताओं को दूर करने में असफलता। (73)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

1974 की रेलवे हड़ताल में भाग लेने वाले जिन कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया था। उन्हें बहाल करने तथा बाद में उनके खिलाफ की गई कार्यवाही को वापस लेने की आवश्यकता। (74)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

नैमित्तिक मजदूर प्रथा को समाप्त करके नैमित्तिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने में असफलता। (75)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

रेल कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित मजदूरी देने में असफलता। (76)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

रेलवे कर्मचारियों को सरकारी फैक्टरियों में लगे मजदूरों को दिये जाने वाले वेतनमान के बराबर वेतनमान देने की आवश्यकता। (77)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पूर्वी रेलवे के दयां जंकशन को मुगल सराय डिवीजन से निकाल कर इसे दानापुर डिवीजन में शामिल करने की आवश्यकता। (78)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बिहार में क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय बनाने में असफलता। (79)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

क्षेत्रीय रेलों का पूनर्गठन करके उनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (80)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये आयें।"

जमालपुर रेलवे फैक्टरी का विस्तार करने की आवश्यकता। (81)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।" जमालपुर रेलवे फैक्टरी की वर्कशाप में अनियमितताएं रोकने में असफलता। (82)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।" पटना में एक रेलवे फैक्टरी स्थापित करने की आवश्यकता। (83)

कटौती प्रस्तावों की सूचना

"कि रेलवे बोर्ड शीर्शक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जायें" रेलवे में भोजन की खराब व्यवस्था को सुधार करने में असफलता। (86)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक क अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।" रेल खान पान सेवा के अन्तगंत काम करने वाले वेटरों को स्थायी बनाने में असफलता। (87)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें" रेल कर्मचारी के कम से कम एक पुत्र/पुत्री को रोजगार देने की नीति बनाने में असफलता। (88)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपए कम किये जाए" ठेका पद्धति को रेलों में सदा के लिए समाप्त करने में असफलता। (89)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जाए" रेलों के अन्य कर्मचारियों के समान रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को बोनस देने की आवश्यकता। (90)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किए जाएँ" गंगा नदी पर पटना में दिगा घाट (सदाकत आश्रम के पास) रेल पुल का निर्माण करने में वि अनावश्यक विलम्ब और टालमटोल। (91)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जाएँ" ठिकट चैकिंग कर्मचारियों को संघ चल कर्मचारी घोषित करने में असफलता। (92)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।" रेलवे में खान पान व्यवस्था को पूर्णतया विभागीय आधार पर चलाने में असफलता। (93)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।" पूर्वी रेलवे के पटना जंक्शन के अहाते को साफ रखने में असफलता। (98)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।" पटना रेलवे जंक्शन स्टेशन का विस्तार करने की आवश्यकता। (99)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पटना से दिल्ली तक एक तेज गाड़ी चलाने की आश्यकता। (100)

"कि रेलवें बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पटना से कलकत्ता तक एक तेज गाड़ी चलाने की आवश्यकता। (101)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पटना से रांची तक एक ओर तेज गाड़ी चलाने की आवश्यकता। (102)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

तिनसुखिया मेल में पटना के यात्रियों के लिए शायिकाओं के आरक्षण की आवश्यकता। (103)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

डीलक्स गाड़ी को सप्ताह में दो बार से अधिक बरास्ता पटना चलाने की आवश्यकता। (104)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

जयंन्ती जनता एक्सप्रेस को मुजप-फरपुर और दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार से अधिक चलाने की आवश्यकता। (105)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

जयन्ती जनता एक्सप्रेस को बरास्ता नई दिल्ली चलाने की आवश्यकता। (106)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पटना गया लाइन, पूर्वी रेलवे को दोहरा करने में असफलता। (107)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पूर्वी रेलवे में राजगीर से गया तक एक नई रेलवे लाइने बनाने में असफलता। (108)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पूर्वी रेलवे पर बिहता से अनुग्रह नारायण रोड तक बरास्ता विक्रम पालीगंज एक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता। (109)

"कि रेल पथ तथा निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

गैंगमेनों को सेवायें स्थायी करने में असफलता। (122)

"कि रेल पथ तथा निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

ईस्टर्न रेलवे इंजीनियरिंग कामगार संघ की 21-सूत्री मांगें स्वीकार करने में असफलता। (123)

"कि रेल पथ तथा निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

सभी गेंगमेनों को सी० पी० सी० स्थान प्रदान करने की आवश्यकता। (124)

"कि रेल पथ तथा निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

गेंगमेनों की वर्दियां देने में असफलता। (125)

"कि रेल पथ तथा निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

गेंगमेनों को दयनीय स्थिति सुधारने की आवश्यकता। (126)

"कि रेल पथ तथा निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

गेंगमेनों को दबाने और परेशान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता। (127)

"कि रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम दिए जायें।"

पुराने वाष्प इंजनों को बदल कर नए इंजन लगाने में असफलता। (128)

"कि रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

इंजनों की मरम्मत करने के लिए आवश्यक सामान मोहैया करने में असफलता। (129)

"कि रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

गाड़ियों को चलाने में दुर्यः व्यवस्था के लिए। जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता। (130)

"कि संचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रेलवे को घटिया कोयले की सप्लाई। (131)

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पूर्व रेलवे में दानापुर रेलवे अस्पताल में पुरुष तथा महिला डाक्टरों की कमी । (133)

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें । "

दानापुर रेलवे अस्पताल में आवश्यक दवाईयों की कमी । (134)

श्री के० टी० कोसलराम : (तिदबेड्डूर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए । "

इस आश्वासन को कि नागरकोयल-तिरूनेवेली–तूतीकोरिन बड़ी रेल लाईन को त्रिवेन्द्रम–नागरकोयल–कन्याकुमारी बड़ी रेल लाईन के साथ पूरा किया जाएगा, क्रियान्वित करने में असफलता । (148)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए । "

ततीकोरिन और तिरचिरापल्ली के बीच बड़ी रेल लाईन का निर्माण करने में असफलता । (149)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए । "

दक्षिण रेलवे में छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने में असफलता । (150)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए । "

मद्रास महानगर में द्रत परिवहन पद्धति के आश्वासन को पूरा करने में असफलता । (151)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए । "

मद्रास और तिरूनेलवेली के बीच और अधिक गाड़ियां चलाने में असफलता । (152)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए । "

दक्षिण रेलवे में विना चौकीदार वाले फाटकों पर दरवाजे लगाने में असफलता जिससे वार-वार घातक दुर्घटनायें होती हैं, उदाहरण स्वरूप तिरूलनेवेंली जिले में नालूमावदी पर दरवाजे की बहुत अधिक आवश्यकता है । (153)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए । "

दक्षिण रेलवे के स्टेशनों पर छत वाले शेड तथा पीने का पानी जैसी यात्री सुविधायें उपलब्ध कराने में असफलता । (154)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए । "

दक्षिणी रेलवे के अरूमुधनेरी स्टेशन पर छत वाला शेड, भार तोलक मशीनें आदि उपलब्ध कराने में असफलता यह स्टेशन नमक के लादान के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेशन है । (155)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए । "

मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन की विस्तार योजना को पूरा करने में असफलता (156)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें । "

चलती गाड़ियों में माल की चोरी जारी रहना । (157)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें । "

दक्षिण रेलवे में छोटी लाईन से बड़ी लाईन तक माल ढोने में अत्याधिक विलम्ब । (158)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षकके अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें । "

बिना चौकीदार वाले फाटकों पर निम्न पुल और ऊपरी पुल तथा दरवाजे भी लगाने की आवश्यकता । (159)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें । "

दक्षिण रेलवे में अनेक स्टेशनों पर असंतोषजनक सेवा तथा घटिया भोजन का दिया जाना । (160)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें । "

तूतीकोरिन से पूर्वी क्षेत्रों की नमक ले जाने के लिए और अधिक माल डिब्बे उपलब्ध कराने की आवश्यकता । (161)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें । "

टिकट परीक्षकों को चालक कर्मचारी घोषित करने में असफलता । (162)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें । "

दक्षिण रेलवे में पुराने भाप वाले इंजनों के स्थान पर नए इंजन उपलब्ध कराने में असफलता । (163)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें । "

गैंगमेनों को वर्दी देने की आवश्यकता । (164)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

सब रेल श्रमिक संघो को मलाकर एक श्रमिक संघ बनाने की आवश्यकता। (165)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

रेलवे कर्मकारों को न्यूनतम 8.33 प्रतिशत बोनस देने की आवश्यकता। (166)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की माग में 100 रुपए कम किए जायें।"

दक्षिण रेलवे में मीटर गेज इंजनों की मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने में विफलता। (167)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

रेलवे में ठेका पद्धति को उत्पादन करने में असफलता। (168)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

जैमित्तिक कर्मकारों को उनके जौनों में खपाने में असफलता। (169)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

दूर जाने वाली रेलगाड़ियों, विशेषकर दिल्ली से मद्रास, दिल्ली से त्रिवेन्द्रम, दिल्ली से बंगलौर, में आरक्षण पद्धति को सूचारू बनाने में असफलता। (170)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

दूर जाने वाली रेल गाड़ियों में डकैतियों को रोकने में असफलता। (171)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

दूर जाने वाली गाड़ियों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में असफलता। (172)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

दूर जाने वाली गाड़ियों में ए० सी० और प्रथम श्रेणी में आपात चिकित्सा किटें उपलब्ध कराने में असफलता। (173)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

उद्योगपतियों द्वारा माल डिब्बों का गोदामों के रूप में इस्तेमाल करने की पद्धति को को रोकने में असफलता। (174)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

दूर जाने वाली गाड़ियों के सवारी डिब्बों को स्वच्छ और सही हालत में रखने में असफलता। (175)

श्री मूल चन्द डागा : (पाली) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवें बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जाएँ"

पुराना रेलवे अधिनियम लागू होने के कारण रेलवे बोर्ड द्वारा अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफलता । (192)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जाए"

रेलवे बोर्ड द्वारा किए जाने वाले फालतू व्यय में काफी कमी की संभावना । (193)

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

कर्मचारियों की अधिक संख्या संबंधी समस्या की जांच और फालतु व्यय में कमी की आवश्यकता । (194)

श्री विरधी चन्द जैन: (बाडमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरन में नमक उत्पादन करने वाले लघु उद्योगपतियों को अधिक वैगन सप्लाई करने की आवश्यकता । क्योंकि वहां नमक उद्योग बन्द होने की स्थिति में है और मजदूर बेकार हो रहे हैं । (195)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम कर 1 रुपया किया जाए ।"

उत्तर रेलवे द्वारा प्रस्तावित एक नई गाड़ी जोधपुर से जयपुर स्वेरे छः बजे से दोपहर और जयपुर से जोधपुर दोपहर 2.30 बजे से रात को 9.30 बजे के बीच चलाने की आवश्यकता । (196)

"कि परिसम्पित्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 1) को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

दिल्ली अहमदाबाद लाईन को बड़ी लाईन में बदलने की आवश्यकता । (197)

श्री एन. ई. होरो : (खून्टी) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

राची से लुहारडागा और भुरी से पुरूलिया तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता । (198)

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

रांची और नई दिल्ली के बीच दूरी को कम करने के लिये लुहारडागा स्टेशन को टोरी स्टेशन से मिलाने में असफलता । (199)

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

दक्षिण-पूर्व रेलवे में बानों स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालय की आवश्यकता । (200)

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रेल सेवा में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सभी स्थान भरने का प्रश्न। (201)

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

मध्य-पूर्व भारत के जनजाति के लोगों के लिये रांची में रेल सेवा आयोग की स्थापना। (202)

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

"मध्य पूर्व रेलवे" नामक क्षेत्रीय रेलवे की स्थापना करना जिसका मुख्यालय रांची में हो और जिसमें दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधारपुर और आसनसोल डिवीजन तथा पूर्व रेलवे का धनवाद डिविजन हो। (203)

"कि रेलवे इन्जनों की मरम्मत और संरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

दक्षिण पूर्व रेलवे में भाप के पुराने इंजनों के स्थान पर नये इंजन खरीदने में असफलता। (204)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हतिया रूरकेला सैक्शन पर दक्षिण पूर्व रेलवे में गोविन्दपुर रोड़ स्टेशन पर एक यात्री शैड का निर्माण करने में असफलता। (205)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

दक्षिण पूर्व रेलवे में हतिया-रूरकेला सैक्शन पर पोकला, कुरकुरा, करौं, लोघना और बानो स्टेशनों पर एक यात्री शैड की व्यवस्था करने में असफलता। (206)

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

दक्षिण पूर्व रेलवे में रांची में एक पूर्ण रेल अस्पताल की आवश्यकता। (207)

"कि विविध संचालन व्यय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें"

अनुसूचित जनजातियों की सहकारी समितियों को काम का दिया जाना। (208)

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रांची से गया बरास्ता हजारीबाग, के बीच एक नई रेलवे लाईन बनाने में असफलता। (209)

अनुदानों की पूरक मांगों 1979-80 के बारे में प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें के सम्बन्ध में 3, 24, 33, 000 रुपये से अनधिक राशि से पूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन मानने में असफलता। (1)

"कि रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण के सम्बन्ध में 9, 28, 24, 000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन मानने में असफलता। (2)

"कि संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण के सम्बन्ध में 4, 04, 93, 000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन मानने में असफलता। (3)

"कि परिचालन व्यय-चल स्टॉक और उपस्कर के संबंध में 6, 26, 87, 000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन मानने में असफलता। (4)

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें के सम्बन्ध में 2, 02, 96, 000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन मानने में असफलता। (5)

"कि विविध संचालन व्यय के संबध में 3, 15, 90, 000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन मानने में असफलता। (6)

श्री शंकर राव भाऊ राव चव्हाण (नांदेड़) : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री ने कल जो रेलवे का बजट इस सदन के अन्दर पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं। जो फिगर्स रेलवे मंत्री के भाषण के अन्दर दी गई हैं उन को देखा जाय तो पेज नं० 6 पर ग्रास ट्रैफिक रिसीट्स 2545 35 करोड़ और एक्सपेंडीचर 3583.47 करोड़ दिया गया है। यानी नेट डेफिसिट 38 करोड़ 12 लाख रुपये का 1980-81 साल जब खत्म होगा उस के लिए उन्होंने बताया है। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि यह वोट आन एकाउंट का डिस्कशन होने के कारण इस की बहुत ज्यादा तफसील में जाने का मौका नहीं है। लेकिन फिर भी तीन चार चीजों की तरफ मैं खास तौर पर मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहूंगा। उन्होंने यह सारा कारोबार संभालने के बाद जिस ढंग से इस के अन्दर बहुत तेजी के साथ सुधार करना शुरू किया है उस के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। एक तो थर्मल पावर एटेंशन के पास कोयले की बहुत जबर्दस्त

कमी है। जिसका असर पूरी इण्डस्ट्री पर होना लाजमी बात है। मुझे खूशी है कि रेल मन्त्री ने अपनी स्पीच में कोयले के ट्रांसपोर्ट को बहुत बड़ी प्रायटी देकर बहुत बड़ी संख्या में वैगन्स की उपलब्धि इस काम के लिए कर दी है जिससे थर्मल पावर स्टेशन के लिए जो कोयला चाहिए वह वहां पर पहुंच सकेगा। इसका असर यह होगा कि इण्डस्ट्री और एग्रीकल्चर, दोनों के काम के लिए बिजली की जो जरूरत है उसको पूरा करने में बड़ी आसानी होगी।

पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए भी जो उन्होंने प्रबन्ध किया है उसका भी हम स्वागत करते हैं। रेलों में पंक्चुअलिटी के सम्बन्ध में जो उन्होंने कहा है कि यह 84 प्रतिशत तक पहुंच गई थी लेकिन वे इसको 95 प्रतिशत तक लाना चाहते हैं यह प्रोजेक्शन जो उन्होंने किया है इसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं। जो ट्रेन्स कैंसिल की गई थी उनको रेस्टोर करने की बात भी उन्होंने कही है लेकिन 65 पेयर ट्रेन्स को ही उन्होंने रेस्टोर करने की बात की है जबकि कुछ और ट्रेन्स भी हैं। मंत्री जी ने इस महीने के आखिर तक सारी ट्रेन्स को फिर से शुरू करने का वायदा किया है जो स्वागत-योग्य है। लांग डिस्टेंस ट्रेन्स के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन इससे ज्यादा बधाई उनको इस बात के लिए देनी चाहिए कि नाईजीरिया, बंगलादेश और ईराक में रेलवे की तरफ से जो काम किया गया है वह बहुत अच्छा है जिसकी दूसरे देशों ने भी सराहना की है। इसके लिए जितनी भी बधाई दी जाये वह कम है।

मैं मन्त्री जी का ध्यान खास तौर पर इस बात की ओर खींचना चाहूंगा कि रेल बजट में रेवेन्यु अर्निंग्ज की जो प्रोजेक्शन्स दी गई हैं वह बहुत ही डिसरवायट हैं, जिनको हम अच्छा नहीं समझते हैं। 1976-77 के बाद बजट में जो प्रोजेक्शन्स दिए गए उनमें अगर 222 मिलियन टन की जगह पर रिवाइज्ड एस्टीमेट 194 मिलियन टन का रहता है तो फिर रेलवे मिनिस्टर चाहे दण्डवते साहब हों या त्रिपाठी जी हों, यह फीगर्स तो रेलवे बोर्ड की तरफ से आती हैं और अगर इसमें इस तरह से कमी होती है तो उसका मतलब है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ है और उनकी तरफ से ठीक ढंग से एस्टीमेट नहीं किया जाता है। मैं समझता हूं यह बहुत सीरियस किस्म की बात है। रेलवे बोर्ड को प्रापर असेस्मेन्ट करना चाहिए। अगर दो-चार मिलियन टन की भी कमी हो तो भी उनके कैलकुलेशन्स ठीक नहीं हैं लेकिन यहां पर तो भारी फर्क नजर आता है जो बहुत सीरियस बात है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि रेवेन्यु अर्निंग्ज ट्रेफिक ले जाने की कैपेसिटी कितनी है, उनके मुकाबले में बजट में क्या प्रोजेक्शन था और उसका कितना रियलाईजेशन हुआ अगर यह तीनों फीगर्स हमारे सामने हों तभी हम ठीक ढंग से अंदाज लगा सकते हैं। आज रेलवे का इतना बड़ा इस्टैबलिशमेन्ट होते हुए भी 1980-81 के बजट में 38 करोड़ का डेफिसिट दिखाया गया है जोकि एक सीरियस किस्म की बात है जिसपर विचार करना बहुत जरूरी है।

एक चीज की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। रेल मन्त्री ने कहा है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट पालिसी कमेटी की रेकमेंडेशन्स आने के बाद नयी रेल लाइनें और कन्वर्जन के बारे में अगले बजट में तफसील के साथ हाउस को बता सकेंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस सदन में रेग्युलर बजट पेश करने से पहले उनको इस बात की जानकारी

होनी चाहिए कि कौन–कौन सी चीजें हैं जिनके लिए काफी दिनों से लोगों में मांग है और उसके लिए जितना होना चाहिए था उसको वे नहीं कर पाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर पर उनका ध्यान रेलवे बजट के भाषण के 11 पेज के ऊपर "न्यू लाइन्स, गेज कन्वर्शन्स एंड सर्वेज" की ओर खींचना चाहता हूं। इसके अन्दर उन्होंने यह कहा कि जिन लाइन्स का काम शुरू हुआ है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की ओर वह ध्यान देने वाले हैं। मेरी उनसे यह प्रार्थना है कि इसको प्रायोरिटी देकर जो काम 1971-72 में शुरू हुआ है उसको पहले से पहले पूरा किया जाए। यह एक अच्छी पालिसी है, जिसके बारे में दो रायें नहीं हो सकती हैं। लेकिन उस स्पीच के अन्दर यह कहा गया कि मनमाद प्रमाणी तथा प्ररली–विजनाथ लाइन को बदलने का कार्य भी चल रहा है। उनसे मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यह काम जब शुरू हुआ था, उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से और रेलवे बोर्ड की तरफ से यह कहा गया था कि हम दो साल के अन्दर इस काम को पूरा कर रहे हैं। यह कोई मंत्री की घोषणा थी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। उन्होंने सारी जानकारी लेकर ही यह घोषणा वहां पर की होगी कि दो या तीन साल के अन्दर इस काम को, जो मनमाड से लेकर औरंगाबाद तक का हिस्सा है, हम पूरा करेंगे और आज हम देखते हैं कि पहले तो अखबारों में खबर आई कि 87 लाख रु० का जिसका प्रोविजन किया गया था, की बहुत जबरदस्त करटेलमेंट हुआ और वहां का काम बन्द होने जा रहा है और यह बात कही गई कि वहां का पूरा स्टाफ ट्रांसफर किया गया है और 87 लाख रु० करन्ट इयर का प्रोविजन है और नैक्स्ट इयर का प्राविजन सिर्फ 47 लाख का है और उसका एस्टीमेंटेड एक्सपैंडीचर 10 करोड़ का है। दस करोड़ के मुकाबले में 87 लाख उसके बाद 47 लाख, इसके मायने यह हुए कि यह काम 10-20 साल तक पूरा होने वाला नहीं है। अगर सरकार की तरफ से यह कमिटमेंट किया जाता है तो मैं समझता हूं कि सारी जिम्मेदारी के साथ, सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद, इसके बारे में कमिटमेंट किया जाता होगा। जिस बात का वायदा दो साल पहले किया गया था, अगर इस तरह से उसको 10-20 साल लगें तो मैं ममझता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर किस्म की बात है, जिसके ऊपर रेल मंत्री साहब को खास तौर पर ध्यान देना होगा।

एक बात जिसके बारे में मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा –वह है बोनस के सिलसिले में। जो मांग रेलवे के मजदूरों की तरफ से चल रही थी, उसको सरकार ने फौरन मन्जूर किया और उस के लिए प्रोविजन किया ताकि रेलवे मजदूर एक अच्छी हालत में काम कर सकें। इस प्रकार का महौल पैदा करने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मुझे आपसे यह जरूर कहना है कि यह काम होते हुए भी रेलवे मजदूरों की तरफ से और रेलवे आफिसर्स की तरफ से, जिस काम की उम्मीद रेलवे मंत्री साहब ने अपने भाषण के अखिरी फैराग्राफ में की है; अगर वह पूरी नहीं होगी तो बहुत ही सीरियस बात होगी।

हम उनसे यह इल्तला और प्रार्थना जरूर करेंगे कि उन की जो जायज मांगे हैं, उनको पूरा करना हम लोगों का काम है। और साथ–ही–साथ जो सारे देश की जिम्मेदारी है, उस बात

को निभाने की जिम्मेदारी भी वह उठायेंगे, अगर मैं उनसे ऐसी उम्मीद करूं तो यह नजायज बात नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन चीजें और यहां कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा :

एक तो यह कि रेलवे मंत्री साहब को एक और चीज के लिए मुझे बधाई देनी है। उन्होंने कल्याण पावर हाउस स्टेशन के लिए 100 मेगावाट का प्रोविजन रखा है, जिसकी मांग बहुत दिनों से वहां पर चल रही थी, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन बजट के अंदर प्रोविजन इतना कम है कि 110 मेगावाट का पावर स्टेशन बनाने में मुझे लगता है कि 10 या 20 साल लग जायेंगे। इस किस्म के प्रोविजन को जो आपने इननशिएट किया है, उसको फौरन पूरा करना चाहिए। मेरा कहना है कि काम तो अच्छा है, उसको किया जाए, लेकिन प्रोविजन इतना कम रखा है कि जिसकी वजह से उस काम के होने में बहुत देरी होने वाली है। यह काम बहुत अहम है और उस अहम काम को करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस के अन्दर कुछ और बढ़ोतरी करके जल्दी से जल्दी पावर स्टेशन लगाया जाए ताकि पूरी रेलवे लाइनों के लिए जितनी इलैक्ट्रिसिटी की जरूरत है, उसको पूरा करने में आपको मदद मिल सके।

मैं एक-दो बातें और रखना चाहता हूं। मनमाड-परमनी-परली लाइन के बारे में. जब प्रो० दण्डवते रेल मंत्री थे, हम एक डेपूटेशन लेकर उनके पास गये थे और उन से अनुरोध किया था कि यदि इस लाइन को मनमाड-परमनी-घुगुस व्हाया आदिलाबाद ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वहां पर वर्धा-बैली का जो कोल सर्क्यूटस रूट से यानी परली-बैजनाथ हो कर आता है और उस के कारण मेन-लाइन पर जो प्रेशर रहता है, उस को कम नहीं कर सकेंगे। इस लाइन के बना देने से यह कोयला शार्ट-रूट से आ सकेगा और परली, बैजनाथ, नासिक और उझनी के पावर-स्टेशन्ज के लिये, जिन का प्रपोजल प्लानिंग कमीशन के पास है, उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही कोयले के ट्रांस्पोर्टेशन का खर्च भी कम हो सकेगा। इस लिये जरूरी है कि जब आप रेगुलर बजट पेश करें तो इस के बारे में भी उस में प्रावीजन होना चाहिये। इस लाइन का सर्वे हो चुका है और उस सर्वे में इस लाइन को काफी अच्छी और प्रमामिजिंग कह गया है, इस किस्म का कान्वलूजन उस में निकाला गया है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस की व्यवस्था अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से कोयला तथा सीमेंट, जो चन्द्रपुर से मिल सकता है, उस को लाने में कामयाबी होगी।

करुडवाडी-रामगुण्डम व्हाया डेगलूर लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है—इस की तरफ हमें विशेष ध्यान देना चाहिये। इस के अतिरिक्त आंध्र-महाराष्ट्र की तरफ से बम्बई के लिये एक दूसरी लाइन नान्देड-कल्याण व्हाया भीर और दरयाघाट बना दी जाय तो इस से घाट सैक्शन पर जो प्रेशर पड़ता है, वह कम हो जायगा।

अब मैं साउथ-सैन्ट्रल और सैन्ट्रल के बर्किंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। खास तौर पर मनमाड स्टेशन पर बहुत जबरदस्त गड़बड़ नजर आती है। ये दोनों डिवीजन्ज इस स्टेशन पर मिलते हैं। मीटर गेज वहां खत्म होती है लेकिन वहां पर कोई कोआर्डिनेशन नहीं

हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप मनमाड स्टेशन पर खुद जा कर देखें कि वहां क्या हालत है। वहां पर जरा भी सफाई नहीं है, जिस ढंग से वहां पर यात्री उतरते हैं, उन के ठहरने के लिये वहां कोई इंतजाम नहीं है और न कोई शेड है। हम ने प्रो० दण्डवते साहब से कहा था कि आप वहां पर बारिश और धूप से बचने के लिये शेड की व्यवस्था अवश्य कीजिये लेकिन अभी तक कोई शेड नहीं बना है। वहां से जो पंचवटी एक्सप्रेस चलती है उसमें जानवरों की तरह से लोग भर कर जाते हैं, बैठने का तो कोई स्थान मिलता ही नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेहरबानी कर के इस को खुद देखें और खुद उस लाइन पर सफर कर के वहां के लोगों की दिक्कतों को समझ कर उस में सुधार लायें।

सभा की बैठक के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है।

जैसे की बैठक में निर्णय किया गया था अधिक कार्य करने की दृष्टि से आज सभा मध्यान्ह पश्चात 7 बजे तक बैठेगी। अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है तथा मध्याह्न पश्चात 2 बजे पुनः समवेत होगी।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे, म० प० तक के लिए स्थगित हुई

लोक सभा मध्याहन भोजन के पश्चात 2 बजकर तीन मिनट म०पा० पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये) रेल बजट 1980–81– सामान्य चर्चा जारी

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कितना अच्छा होता यदि आदरणीय पंडित जी हमारी बात सुनने के लिए यहां उपस्थित होते। हमें पता चला है कि वह अब ठीक हो गये हैं हम कामना करते है कि वह अब बिलकुल ठीक होकर शीघ्र ही सभा में आयें। इस बजट की तरह मेरी टिप्पणी के संक्षिप्त हैं। मैं अपनी बात रेलवे के मामले में जनता सरकार की असफला से शुरू नहीं करूंगा। मैं अपना भाषण रेलवे मंत्री को बधायी देते हुए शुरू करूंगा क्योंकि इन्होंने पिछड़े क्षेत्रों, छोड़ी गयी योजनाओं तथा उपेक्षित परियोजनाओं की ओर ध्यान दिया है। हम जानते हैं कि उन्होंने इस बजट में लाईनों को बदलने लाइनें बिछाने तथा किपूल और भागलपुर के बीच की लाईनों को दोहरा करने की ओर विशेष ध्यान दिया है। हम उन्हें बधायी देते हैं। मुझे आश्चर्य है कि जिस मित्र ने इस चर्चा को विपक्ष की ओर से शुरू किया, कहा है कि उस समय तक और कोई नई लाईने नहीं बिछायी जानी चाहिए लाइनों को दोहरा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि हमारी लाईनें न बनें।

वह भूल जाते हैं कि जब तक रेलवे के लिए अधिक लाभ कमाने के लिए वाणिज्य की दृष्टि से लाभदायक लाईनें नहीं होगी अथवा अधिक यातायात के यिये लाईनों कों दोहरा नहीं किया जाता तब तक योजना में सम्मिलित नई लाईनों के लिए धन की व्यवस्था नहों की जा सकेगी। मुझे विश्वास है कि विरोधी पक्ष की ओर से बाद विवाद आरम्भ करने वाले सदस्य ने आज्ञानतावश ऐसा कहा और उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में अधिक कहा।

यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि थोड़े ही वर्षों के अन्दर हम रेलवे के मामले में हर क्षेत्र में असफल रहे है। 1952 से हर अधिवेशन में रेलवे बजट सम्बन्धी चर्चा में भाग लेता आया हूं। रेलवे बेगनों से प्राप्त आय को देख कर मुझे आश्चर्य हुआ है। भूतपूर्व सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने जो सफलताएँ प्राप्त की थी, उत्तराधिकारी सरकार ने उन सब को विफल कर दिया। एक दिन मैंने समाचार पत्र में यह पढ़ा कि लगभग एक सौ गाड़ियां बढ़ा दी गयी हैं। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। श्री मधु दंडवते ऐसा क्या चमत्कार कर सकते थे जिससे वह इतने थोड़े से समय के अन्दर माल तथा यात्री डिब्बे तैयार कर सकते थे? लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह प्रोफेसर हैं और उनकी वृद्धि ने हमें चमका दिया है। उन्होंने 20,25 अथवा 35 डिब्बों वाली लम्बी गाड़ियों कों कम करके 10,8 तथा 5 डिब्बों वाली बनाया। अब 5 अथवा 8 डिब्बों वाली गाड़ियां चलती हैं और उनमें बहुत अधिक भीड़ रहती है। आप लोगों को लोगों के साथ सच्चाई और इमानदारी से आना चाहिए। हमें बताया जाऐ कि आप कैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ा सकते? आप रात भर में ही माल डिब्बों तथा यात्री डिब्बों की संख्या नहीं बढ़ा सकते हम इसे समझते हैं। लेकिल यह न कहें कि अपने 200 नई गाड़ियां चला दी हैं। इसका नतीजा क्या है? अपने डिब्बों की संख्या 20 अथवा 10 से घटाकर 5 अथवा 8 कर दी और उन्हें नई गाड़ियां बना दिया है – आपने यह चाल चली धोखा न दीजिये। हम भी इन बातों को समझते हैं। में कामना करता हूं कि ऐसा पुनः नही किया जयेगा।

में भागलपुर का रहने वाला हूं। यह शहर ग्रेंड ट्रंक मार्ग पर नही है और न ही उत्तरी लाईन पर है। लेकिन वहां के लिए एक रेलवे लाईन हैं। दिल्ली से अपर इंडियन एक्सप्रेस गाड़ी उधर जाती है। यह यहां से 9 बजे शाम चलकर दूसरे दिन प्रात : 2 बजे भागलपुर पहुंचती है हम कह सकते है कि यह तीसरे दिन सुबह छः बजे भागलपुर पहुंचती है क्योंकि गाड़ियां देर से चलती हैं। हमने सोचा था कि गाड़िया अब समय पर चलेगी। लेकिन ये अब भी समय पर नहीं चलती। मुझे मालुम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ गाड़ी,इंजन,बोगी, ड्राइवर आदि सब वही है। आपतकाल में ये सब समय पर चलती थीं लेकिन उसके बाद नहीं। यही गाड़ियां अब देर से चलती हैं। हम चाहते हैं कि ये गाड़ियां फिर से समय पर चलें। हमें तीन महीने और इंतजार करना चाहिये। और मधुदंडवते हमें अब गाड़ियों को समय पर चलने के लिये और कितने महीने इंतजार करना चाहिये?

श्री के मध्य तेवर : तीन वर्ष।

श्री भागवत झा आजाद : अब कोई आशा नहीं है। काफी संग्राम के बाद हमने उन्हें कहा था कि **ट्रेन का चक्का जाम रहेगा**–तो इन्होंने हमें तिनसुखिया गाड़ी दी। मैं श्री कोले, जो अब रेलवे बोर्ड में नहीं, और श्री सचदेव, जो अब भी रेलवे बोर्ड में है, को बधायी देता हूं क्योंकि वे स्थिति देखने के लिये भागलपुर गये थे, उन्होंने भागलपुर को रेलवे नक्शे पर रखा। अब भागलपुर से विक्रतशीला शुरू हो रही है। बम्बई-भागलपुर जनता गाड़ियां भी अब यहां से चल रही हैं। ये गाड़ियां तो हमें मिली-लेकिन सुविधाये कोई नहीं मिली। हमें कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। इन गाड़ियों के देर से चलने से कितने कार्य घंटे तथा जनशक्ति बरबाद होती

है अब इन्होंने क्यूल-भागलपुर सेक्शन भी खोल दिया है श्री मधु दंडवते ने अपने कार्यकाल में वायदा किया था कि वह इस क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं को पूरा करेंगे 'मुझे आशा है कि अगले बजट के आने तक ये काम पूरे होंगे और शेष योजनायें अगले बजट में शामिल की जायेंगी। अगर आप इस लाईन को अगले बजट में शामिल कर लेते हैं। तो मैं आपका उस क्षेत्र में इतना अच्छा स्वागत करूगा जिसे आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। मैं जानता हूं कि इसे कैसे किया जाये अब आप और अधिक तालमतोल न करें । आप यह न कहें कि इसका सर्वेक्षण हो रहा है। आप सर्वेक्षण पूरा करें और हमें दोहरी लाईन दीजिये और अपनी विक्रमशीला तथा तिनखुखिया गाड़िया बंद करें और हमें पुराने दिनों को लौटने दें हमें आपकी गाड़ियों की जरुरत नहीं है। हमें और अधिक भुलावे में न रखें। मुझे आशा है कि इसे कर दिया जायेगा।

विक्रमशीला गाड़ी जो सप्ताह में दो बार चलती है, काफी लाभदायक सिद्ध हुई है। मैं आपसे इसे रोजाना चलाये जाने या कम से कम सप्ताह में चार बार चलाये जाने का अनुरोध करता हूं। आपने हमें तिनसुखिया गाड़ी तो दी है लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध लगाये हैं। पटना, बिहार की राजधानी है और भागलपुर डिविजन का शहर है। लेकिन हमें इन स्टेशनों पर गाडी नहीं मिलती। हम टिकट नहीं प्राप्त कर सकते और इसकी एक सीमा है मैं एक सुझाव देता हूं । 11 अप कौर 12 डाउन के मामले में मुगल सराय और पटना के बीच जो सुविधा तथा नियम आपने लागू किया उसे पटना और भागलपुर में भी लागू करें ताकि हम पटना से गाड़ी में सवार हो सकें और भागलपुर उतर सकें तथा भागलपुर से गाड़ी में सवार होकर पटना में गाड़ी से उतर सकें। आपको मैंने पत्र लिखे हैं। कृप्या इसे याद रखें और इसे कर दें।

दुर्भाग्यवश मुझे यह मालूम नहीं कि क्या रेल मंत्री या वित्त मंत्री सामान्य बजट का काम करते हैं। इस बार मैंने देखा है कि रेलवे बजट में काफी कटौती की गयी है जिसका प्रभाव नई लाईनों तथा वाणिज्यिक दृष्टि से लाभदायक लाईनों पर पड़ेगा मैं रेल मंत्री से हर लाईन नही बल्कि वाणिज्यिक दृष्टि लाभदायक लाईनों के लिए अधिक राशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं ताकि उनकी आय से आप और अधिक लाईनें खोल सकें। सरकार इस बारे में बहुत दकियानूसी रही है । इसे समझ से काम लेना चाहिये रेलवे को नई वाणिज्यिक परियोजनायें लागू करने के लिये ऋण दिया जाना चाहिये।

रेलवे को मेरी दूसरी सलाह है कि उनका अपना बिजली संयंत्र होना चाहिये । हमारे उर्जा मंत्री सोच रहे है कि यदि हम आवश्यक उर्जा का उत्पादन करने में सफल नही हुये तो हमें इस काम को गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपना चाहिए। कितना अच्छा और नया विचार है। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता । संस्था के मेरे एक मित्र ने मुझ से कहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति की समस्या को भी गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपा जाना चाहिए । रेलवे एक सबसे बड़ा अपक्रम है और इसे लाभ पर चलना चाहिये। कृप्या बिजली परियोजना पर विचार करें। रेलवे में बिजली की काफी खपत है। आप अपनी बिजली परियोजनाऐ क्यों नही शुरू करते। सरकार को वैसे भी देश भर में बिजली परियोजनाये शुरू करनी हैं। मैं आपको भागलपुर

के निकट कोलगंज आने के लिये अमंत्रित करता हूं, जहां लालमतिया कोयला खानें हैं। वहां पर लाखों टन कोयला है। काहलगंज में गंगाजल है। वहां आप अपनी बिजली परियोजनायें शुरू कर सकते हैं। रेलवे इस पर विचार करे।

अंत में आपको यह सिद्ध करना चाहिये कि आप रेलवे को अच्छा प्रशासन दे सकते हैं। इनके एक काम के बारे में बहुत खुश हूं कहीं अंदोलन होते ही ये कह देते इनके वेतन में कुछ वृद्धि कीजिये। उस वृद्धि से अब सैकड़ों करोड़ रुपये की वृद्धि हो रही है आपको उन्हें कुछ अतिरिक्त राशि भी देनी है। आप दीजिये। बोनस भी ठीक है। देश में उत्पादकता बोनस ही एकमात्र उत्तर है। आपने उन्हें बोनस दिया है श्री चव्हान ने कहा कि आपको इन सुविधाओं के देने के बाद ध्यान रखना चाहिये कि रेलवे में कार्यकुशलता में वृद्धि होनी चाहिये। यदि आप बोनस देते हैं तो अच्छी बात हैं उन्हें और सुविधायें भी दीजिये। जो लोग कर अथवा अप्रत्यक्ष कर देते हैं उन्हें रेलवे से लाभ पहुंचना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर दंडवते ने हमें बोनस नहीं दिया।

श्री भगवत झा आजाद : मैं उनकी सराहना नहीं कर रहा। उन्होंने केवल भाषण दिये हैं। बोनस हमने ही दिया है। कुछ लोग शोर मचाते हैं और दूसरे काम करते हैं। वह प्रोफेसर हैं। हम इनके सिद्धान्तों की सराहना करते हैं लेकिन जहां तक कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, इसे हमने ही पूरा किया है। रेलवे को इस पहलू पर विचार करना चाहिये। इस देश में अब बोनस जैसी सुविधाओं को बढ़ाते जाना सम्भव नहीं हैं अन्य बातों में सुधार नहीं कियों जाता। रेलवे में बहुत भ्रष्टाचार है भागलपुर के नजदीक जमालपुर में एक कारखाना है। इन्होंने 1978 में श्रेणी III और IV के लिए विज्ञापन दिये थे जिसके इंटरविड दिसम्बर 1979 में हुये और इनकी नियुक्ति जनवरी 1980 में की। इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह रेलवे की परम्परा नहीं कि काम करने वाले या सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चों को उपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति के लिये तरजहि दी जाये। ऐसा नहीं किया गया। इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ। 5 या 6 हजार लायें और नौकरी प्राप्त करों। इतना भारी मतदान प्राप्त करने के बाद सरकार में प्रशासन को साफ करने तथा इसे कुशल बनाने का साहस होना चाहिये। हमें रेलवे के लिये कुशल प्रबन्ध चाहिये। गाड़िया समय पर चलाई जायें। ऐसा नहीं किया गया तो लोग सीधी कार्यवाही करेंगे।

श्री एम. एम. लारेंस (इडुक्की) : रेल मन्त्री ने इस सभा की सद्भावना मांगी है। तथा इस बारे में एक प्रश्न उठता है। इस सभा की सद्भावना का अर्थ है जनता की सद्भावना। परन्तु केरल और त्रिपुरा में एक किलोमीटर रेलवे लाइन बनाए बिना वह केरल और त्रिपुरा के लोगों की सद्भावना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? राज्य को रेलवे यात्री कर के बदले अनुदान देने के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सातवें वित्त आयोग को दिए गए ज्ञापन से पता चलता है कि केवल 16 करोड़ रुपये दिये गए हैं जब कि 10.7 प्रतिशत की दर से कम से कम 60 करोड़ रुपए होने चाहिए थे जिसकी कि छठे वित्त आयोग ने

सिफारिश की थी। यह बात सभी राज्यों पर लागू होती तथा क्या मंत्री महोदय इन दायित्वों को निभाये बिना विभिन्न राज्यों से सद्भावना प्राप्त कर सकते हैं।

एक नए सदस्य के नाते मैं नहीं जानता कि रेलवे ने जिस निगमित योजना को 1989 तक के लिए अन्तिम रूप दिया। उसका ब्यौरा क्या है? मुझे यह भी पता चला है कि उसी प्रकार की योजना मोठिव पावर प्लांट समिति द्वारा तैयार की गई थी, यात्री डिब्बों के निर्माण सम्बन्धी समिति तथा रेलवे में ऊर्जा उपभोग सम्बन्धी समिति का सभापतित्व श्री एच. के. भल्ला द्वारा किया जायेगा। इन समितियों का न तो भाषण में और न ही बजट में उल्लेख किया गया है। मैं नहीं समझता कि रेल मंत्री यह चाहते हों कि संसद सदस्य बाहर के स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें अथवा रेलवे बोर्ड, जोकि रेल मंत्रालय का कार्य भी करता है, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर स्वीकृति ही दें। क्या आप उस आधार पर सद्भावना पैदा कर सकते हैं? उदाहरणार्थ हम यात्रा करने वाले लोगों की स्थिति को ही लें। 1950-51 में जबकि 128.4 करोड़ यात्री थे, यात्री डिब्बों की संख्या बढ़कर 350.3 करोड़ हो गई, अर्थात् 172.9 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि यात्री डिब्बों की संख्या 13032 थी। 1977-78 में यात्रियों की संख्या बढ़कर केवल 26,572 हो गई, अर्थात् इसमें केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि इस अवधि में किलोमीटरों की दृष्टि से उपनगरीय क्षेत्रों में 29 प्रतिशत तथा गैर उपनगरीय खण्डों में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका अर्थ यह है कि अधिक भीड़भाड़ जिसकी शिकायत 1950-51 में भी की जाती थी अब दुगुनी से भी अधिक हो गई है तथा यात्री इस भीड़- भाड़ से अधिक समय के लिए कष्ट उठा रहे हैं क्या ऐसी परिस्थितियों में कोई रेल मंत्री यात्रियों से सहायता की आशा कर सकता है?

पिछले 32 वर्ष में रेलों द्वारा तैयार की गई योजनाओं में जनता की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। नई लाइनों का निर्माण जितना आवश्यक था उतना नहीं किया गया। और पिछले 10 वर्ष में केवल 1000 किलोमीटर लाइनें बनायी गई हैं। रेलवे लाइनों के अभाव में पिछड़े क्षेत्र बहुत कष्ट उठा रहे।

उदाहरणार्थ, त्रिपुरा में जब तक रेलवे लाइन नहीं बनाई जाती तब तक वहां पर उद्योगों का विस्तार नहीं हो सकता। नयी लाइनों के विस्तार कार्यों संबंधी विवरण में रेल मन्त्री ने त्रिपुरा तथा केरल का उल्लेख नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ पूरे इडुक्की निर्वाचन क्षेत्र में जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं एक इंच रेलवे लाइन भी नहीं है। यह वही क्षेत्र है जिसका छठी लोक सभा में श्री सी. एम. स्टीफन प्रतिनिधित्व करते थे। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो वाणिज्यिक फसलों की उपज द्वारा देश के लिए करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा कमाता है। उसी प्रकार एल्लेपी-कोचीन लारनका, जोकि पिछले बजट में शामिल की गई थी, इसमें उल्लेख नहीं किया गया हैं। उसे दफना दिया गया है। केरल के प्रति भेदभाव बरता जा रहा है। क्या इन हालात में आप लोगों की सद्भावना प्राप्त कर सकते हैं।

रेल मंत्री ने पिछले वर्षों में हुई रेल दुर्घटनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा है। सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई तथा आहत होने वालों की संख्या हजारों में होगी। उन्होंने इन दुर्घटनाओं के

कारण नहीं बताये हैं। सवारी डिब्बों के निर्माण को बढ़ावा देने सम्बन्धी समिति के अनुसार 3400 डिब्बे लगभग 13 प्रतिशत पुराने होने पर भी उपयोग में लाये जा रहे हैं। मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि 108 इ. एम. यू. सवारी डिब्बे पुराने हो गये हैं। 12-3-1940 को प्रकाशित रेलवे यान्त्रिक संहिता के पैरा 1525 के अनुसार प्रयोग में लाए जा रहे हैं सभी भाप इंजन तथा पहली दो किस्तों के बिजली तथा डीजल के इंजन बहुत पुराने हो गए हैं तथा उन्हे बदलने की जरूरत है। भेजे जिस पेनल ने चिन्ता व्यक्त की थी कि विद्युतीकरण से संकेतों तथा सिग्नलों में कुछ बाधा पड़ रही है। परन्तु इस बारे में कोई जांच नहीं की गई है। क्या रेलमंत्री हताहत यात्रियों से सद्भावना की आशा करते हैं जोकि रेलों की आयोजना दोषपूर्ण होने तथा उच्च औद्योगिकी लागू करते समय सुरक्षा के प्रति सजगता के अभाव के कारण कष्ट उठा रहे हैं ?

रेल मंत्री ने डिब्बों के लदान में वृद्धि का दावा किया है। परन्तु कोयले की क्या स्थिति है ? उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि कोयले की कमी के कारण बहुत सी यात्री गाड़ियां बंद पड़ी हैं और रेलवे अधिकारी कोयला न सप्लाई करने के लिए कोल इंडिया लिमिटिड को दोष दे रहे हैं तथा कोल इण्डिया लि० माल-डिब्बों की कमी की शिकायत कर रहा हैं। इस गड़बड़ी का क्या कारण है ?

पिछले सत्र के दौरान मेरे साथी श्री ज्योर्मिय वसु ने प्रश्न उठाया था कि रेलवे बोर्ड में एक शक्तिशाली परिवहन लॉबी है जो सड़क परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है, तथा पिछले 30 वर्षों में सड़क परिवहन के भाग में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है जबकि रेलवे के भाग में कमी आई है। रेल मंत्री ने यह नहीं बताया कि इस आरोप के बारें में वह क्या कर रहे है। फिर भी यदि वह सभा से सद्भावना की उम्मीद करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वह संसद सदस्यों से उम्मीद करते हैं कि जो भी कागजात रेलवे मंत्रालय प्रस्तुत करता है उसका स्वागत किया जाये।

रेल मंत्री ने कुछ गैर-मान्यता प्राप्त एसोसियेशनों द्वारा काम रोको, धीरे चलो आदि कार्यवाहियों का उल्लेख किया है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की आंतरिक परिवहन समिति के दसवें सत्र—जनेवा—1979 में बताया गया कि भारतीय रेलों में कार्य कर रहे कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत आते हैं जिसमें व्यवस्था है कि बिना निपटाये विवाद समझौते द्वारा हल किया जाये और जब यह सम्भव न हो तो ऐसे विवाद पर्याप्त फैसलो तथा न्याय-निर्णय द्वारा निपटाए जायें।

स्थिति यह है कि अधिकारियों ने इन एसोसिएशनों की संयुक्त अपीलो अथवा ज्ञापनों को इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ये मान्यता प्राप्त रहीं है, परिणाम स्वरूप रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों का कोई समाधान नहीं मिलता तथा तीन लाख नैमित्तक श्रमिकों की शिकायतों ऐसे ही पड़ी रहती हैं। मुझे बताया गया है कि वे अभी भी नैमित्तिक है क्योंकि रेलवे अधिकारियों ने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं है हालांकि 55 किलोमीटर लंबे ट्रैक को ले करके तथा कही-कहीं कंक्रीट के स्लीपरों से बदला गया जिनके लिए पहले से

अधिक ब्लास्ट कुशन की आवश्यकता है। इस प्रकार कार्यभार में बहुत अधिक वृद्धि की गई है फिर भी श्रमिकों को नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में कार्य करना पड़ता है।

स्वयं सेवी बुकिंग किलर्कों की भी वैसी ही स्थिति है। उनकी दशा बंधुआ मजदूरों से भी बदतर है। किन्ही भी अन्य वाणिज्यिक किलर्कों के समान उन्हें तीन घंटे काम करना पड़ता है परन्तु उन्हें एक नैमित्तिक श्रमिक से भी कम वेतन दिया जाता है तथा उनके स्थाई रूप से सेवा में लिए जाने की कोई सम्भावना नहीं है। क्या कोई व्यक्ति कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा उनकी उचित शिकायतें दूर नहीं की जातीं। आन्दोलन करने के अधिकार से वंचित रख सकता है ? उदाहरण के रूप में रेलवे कर्मचारियों के वेतन के मामले को ही लें। सरकारी उपक्रमों में रेलवे कर्मचारियों को सबसे कम वेतन मिलता है और निम्नतम वेतनमान में लगभग 200/- रुपये प्रतिमास का अन्तर है विश्व भर के रेल कर्मचारियों के वेतनों की प्रवृत्ति यह है, जैसा कि आंतरिक परिवहन समिति अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अपने दसवें अधिवेशन के लिए तैयार की गई रिपोर्ट संख्या 3 में बताया गया है, कि रेलवे कर्मचारियों को उत्पादन करने वाले कर्मचारियों से अधिक वेतन मिलता है। हमारे देश में, पश्चिम बंगाल के एक उत्पादन करने वाले इंजीनियरी कारखाने में जिसमें 1000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, एक कर्मचारी को रेलवे कर्मचारी से 200 रुपए अधिक मिलते हैं। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस या कंचरापारा वर्कशाप द्वारा अपनाई जा रही टैक्नालौजी इंजीनियरिंग उद्योगों द्वारा अपनायी जाने वाली टैक्नालोजी से अच्छी है। परन्तु उन्हें अभी भी कम वेतन मिल रहा है। भारतीय रेलों में अभी भी उपनिवेशवादी वेतन नीति जारी है। यदि कर्मचारी इसके विरुद्ध आन्दोलन करते हैं तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। क्या रेल मंत्री इसीलिए उनसे सहयोग की केवल इसी आधार पर आशा करते हैं कि उन्हें उत्पादिकता पर आधारित बोनस दिया गया है। इस्पात उद्योग में इस उत्पादकता पर आधारित बोनस को निष्पत्ति बोनस कहा जाता है तथा कर्मचारियों को सांविधिक बोनस निष्पति बोनस के अतिरिक्त मिलता है। इस प्रकार भेदभाव क्यों किया जाता है। इस भेदभाव के रहते रेलवे कर्मचारियों से जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है सद्भावना नहीं मिल सकती है।

अंत में मैं रेल मंत्री से निवेदन करता हुं कि वह नियमित बजट लाते समय संसद सदस्यों को ही नहीं अपितु जनता को भी विश्वास में लें ताकि उनकी सदभावना प्राप्त हो सके जिसके बिना रेलवे जैसा बड़ा उद्योग, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, सुचारू तथा कारगर ढंग से नहीं चलाया जा सकता।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने कुछ नये सुधार की बात अपने इस बजट भाषण में रखीं है लेकिन साथ ही साथ उनके भाषण से ही यह साफ है कि पिछले तीन वर्षों के अंदर सरकार में रेलवे के अंदर भी काफी इनएफिशेंसी आई है। उसके कारण बहुत सा घाटा और रेवेन्यू का लास हुआ और लोगों को उस से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। स्वयं रेलवे मंत्री ने अपने बजट इस बात को कहा है कि पंक्चुअलिटी का लास बहुत ज्यादा हुआ। इसमें उन्होंने कहा है—

वर्ष 1976-77 के दौरान निष्पादन में 13 प्रतिशत समयबद्धता प्राप्त करने के पहचान 1979 के अंत तक उसका प्रतिशत घटक लगभग 84 प्रतिशत रह गया यह बात हम सब लोग जानते हैं कि पिछले दो ढाई वर्षों में रेलवे की पंक्चुअलिटी बहुत ही कम हो गई थी और 8.8, 10-10 और 12-12 घंटे तक ट्रेनों का लेट आना जारी हो गया था। लोग यह कहने लगे कि एमर्जेंसी के वक्त तो रेल के आने से, जब रेलगाडी प्लेटफार्म पर आती थी उससे हम बड़ी मिला लिया करते थे, इतनी पंक्चुअलिटी थी, आज क्या हो गया है ? तो उस समय जो बीमारी लगी रेलवे विभाग और रेल के चलाने वालों को और जो पंक्चुअलिटी में कमी आई, समय पर गाड़ी चलती नहीं थी, अभी तक वह बीमारी दूर नहीं हो पा रही है।

मुझे कहना है कि यह हालत इस सरकार के समय में नहीं होनी चाहिए। सारे विभाग को बता देना चाहिए कि एफीसिएन्सी और पंक्चुअलिटी जो खत्म हो गई थी, तीन साल तक हमने जिसको देखा कि लोगों को एक लाइसेन्स सा दे दिया गया था उसको अब नहीं चलने दिया जायेगा। अब रेलें समय पर चलेंगी क्योंकि इसका असर सभी के ऊपर व्यापक रूप से पड़ता है - इण्डस्ट्री पर भी पड़ता है और जनजीवन पर भी पड़ता है तथा ट्रेड और कामर्स पर भी पड़ता है। इसलिए इसपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरी चीज यह है कि बजट में माडर्नाईज़ेशन और एक्सपैंशन के लिए कुछ प्रोग्राम्स रखे गए हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे पास फंड्स की कमी भी हो सकती है। साथ ही मन्त्री जी ने अपनी स्पीच में स्वयं कहा है जिसकी ताईद करते हुए में कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर विशेष गौर करे। ऐसा कहा गया है :

एक प्रमुख परिवहन प्रणाली के रूप में रेलों को आवश्यकता पर आधारित संस्थान नहीं रहे, परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों में संचालन एवं कार्य निष्पादन में निरन्तर गिरावट आई है।

यह बहुत ही विचार करने वाली बात है कि अगर नीड बेस्ड एलोकेशन नहीं होता है, और जैसा की हमने देखा कि जो प्लान आउट-ले इस बजट के लिए रखा गया है वह वही है जोकि 1979-80 के लिए था और अगले साल 1981-82 के लिए भी वही रखा जायेगा तो फिर हम कैसे आशा करें कि नये काम आगे बढ़ेंगे और वह पूरे हो सकेंगे। कुछ छोटी लाइनों को ब्राडगेज में बदलने का प्रावधान किया गया है। 1978 में प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी भी बनाई थी—नेशनल ट्रांसपोर्ट पालिसी कमेटी—जिसके विचारार्थ कौन-कौन सी नयी रेल लइानें निकलें, यह सारी चीजें थीं लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। बजट में नये प्लान्स के लिए ज्यादा रुपया नहीं रखा जा रहा है ऐसी स्थिति में अगर वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है तो क्या सरकार उसके ऊपर अमल नहीं करेगी ? आज इस बात की बड़ी जरूरत है कि बैकवर्ड एरियाज में नयी रेल लाइनें निकाल कर हिन्दुस्तान के मैप में उनको जोड़ा जाए।

मैं सीतापुर कांस्टीटुएन्सी को रिप्रेजेन्स करती हूं। वह ऐसा जिला है जहा पर डेढ़ सौ

कारखाने मूंगफली का तेल निकालने के हैं। वहां पर प्लाईवुड का बहुत बड़ा कारखाना है, वहां पर लकड़ी का बहुत बड़ा काम होता है। वहां पर सैकड़ों राइस मिलें है। सीतापुर और लखनऊ के बीच में इतनी कम दूरी होते हुए भी डेढ़ घंटे में आप कार से तो जा सकते हैं लेकिन रेलगाड़ी का कोई इन्तजाम नहीं है। सीतापुर के औद्योगिकरण के लिए बहुत जरूरी है कि सीतापुर को लखनऊ के साथ बड़ी लाइन से जोड़ा जाए। अगर सीतापुर को लखनऊ के साथ, जोकि प्रदेश की राजधानी है, बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाता है तो फिर सभी जगह के रेल वैगन चल सकते हैं और आगे चलकर वहां पर इण्डस्ट्री का बहुत विकास हो सकता है। हमारी पालिसी यह होनी चाहिए कि बड़े-बड़े नगरों में इण्डस्ट्री को केन्द्रित न किया जाए बल्कि ऐसे स्थानों पर उनको प्रोत्साहित किया जाए जहां पर इण्डस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जगह है और जहां पर उसके लिए रामैटीरियल है। उन स्थानों पर ही औद्योगिकरण की सुविधायें प्रदान की जायें।

अभी लखनऊ मेल में सीतापुर के लिए दिल्ली से एक कोच लगती है जोकि प्रातः चार बजे शाहजहांपुर में काट दी जाती है। चार पांच घंटे के बाद वह सीतापुर जाती है। इस बीच यात्रियों की दुर्दशा हो जाती है। इसलिए यात्री सीधे लखनऊ आते हैं और वहां से सीतापुर जाते हैं अगर सीतापुर को लखनऊ से बड़ी लाइन के द्वारा जोड़ दिया जाए जिसके लिए लोगों की बहुत मांग है तो उससे बड़ी सुविधा होगी। जैसा कि इस बजट में भी मंत्री महोदय ने कहा है।

कि ऐसी लाइनें जो कामर्शियल इन्डस्ट्री की दृष्टि से हो सकती हैं और जो रुपयों की दृष्टि से हम समझते हैं कि और रिवेन्यू भी ला सकतीं है, ऐसी लाइनों को हमें बढ़ाना चाहिए, यह कोई बहुत खर्चे की चीज़ नहीं हो सकती है, जितना उस पर खर्चा लगेगा, उससे ज्यादा गवर्नमेंट को फायदा होने वाला है, बैनिफिट होने वाला है इसलिए में चाहती हूं कि इस पर विशेष खर्च किया जाए और नए कार्यक्रम में इसको जरूर लिया जाय।

एक बात मैं इस अवसर पर और कहना चाहती हूं। आज कल रेलों में सफर बहुत ही खतरनांक सा हो गया है। इतनी चोरियां, इतनी डकैतियां और आए दिन रेलवे कम्पार्टमंट के अन्दर मर्डर भी होते हैं और ये खबरें हम अखबारों में देखते भी रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि रेलों में प्रोटेक्शन का क्या इन्तजाम होता है? बहुत सी जगहों पर यह होता है कि फर्स्ट-क्लाह कोच में जो अटूडेंट या कन्डक्टर रहता है, कहीं-कहीं पर दो स्टेशनों के बीच में उनकी ड्यूटी होती है। मान लीजिए—दिल्ली से चले और कानपुर तक उनकी ड्यूटी है, उसके बाद वहां से इलाहबाद और आगे के लिए उनकी कोई ड्यूटी है, यह पता नहीं चलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को अनथोराइज्ड तरीके से भी बैठा दिया जाता है और उससे हमारी कोई सेफ्टी नहीं रहती हैं, तो इस संबंध में विशेष प्रबन्ध करने की आवश्यकता है कि वैसे हम रेल के अन्दर सुरक्षित चल सकते हैं और हमारी ज़िंदगी सुरक्षित रह सकती है। जिस प्रकार से राह चलते क्राइम बढ गया है, उसी प्रकार से रेलों में क्राइम बढ़ गया है। इसलिए मैं यह ज़रूर चाहती हूं कि सरकार इस पर विशेष गौर करके ध्यान दें।

अन्त में जो सरकार ने बोनस के लिए जो रुपया रखा है, इसके लिए मैं मंत्री महोदय और सरकार को विशेष रूप से बधाई देती हूं, क्योंकि रेलवे मज़दूरों की यह बहुत बड़ी मांग थी। दूसरे लोग वायदा करते रहे, लेकिन हमारी सरकार ने उसको देने का इरादा किया और इसका प्रावधान बजट में किया है। मुझे आशा है कि और ज्यादा रुपया हमारे नए प्लान में रेलवे के विस्तार के लिए और सुविधाओं के लिए दिया जाएगा, जिससे कि जनजीवन को सुविधा प्राप्त हो सके। धन्यवाद

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : उपाध्यक्ष महोदय मैं रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं यद्यपि उनके पास नीति संबधी समस्याओं पर विचार करने का समय नही था इसलिए उन्होंने विधगान किराए और भाड़े को दर के आधार पर यह बजट तैयार किया है और इसमें 38 करोड़ रुपये का घाटे की व्यवस्था है। मंत्री महोदय ने कोयला, चीनी,मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई कों सुधार के लिए कदम उठाए है और अनुमान है कि वर्ष 1980–81 के दौरान 212 मिलियन टन माल की ढुलाई होगी लेकिन मुझे यह अनुमान कुछ अधिक ही लगता है क्योंकि रेलवे के कार्यकरण में सुधार के बावजूद भी पिछले तीन वर्षो से माल ढ़लाई की मात्रा में कमी होती जा रही है 1976-77 में 212 मिलियन टन माल की ढुलाई हुई जबकि 1978-79 में ढुलाई केवल 199 मिलियन टन हुई थी और अनुमान है 1979-80 में ढुलाई की मात्रा घटकर 194 मिलियन टन तक रह जाएगीं। मेरे विचार में यह कमी सड़क परिवहन के साथ कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के कारण हो रही है। मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कुछ उल्लेख नहीं किया है। हमें रेल और सड़क परिवहन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठाने होगें अन्यथा यदि सड़क परिवहन की प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो रेलवे को हानि होती रहेगी और लोग रेलों के जरिए माल भेजना कम कर देंगे। सड़क परिवहन के जरिए माल भेजने के कई लाभ हैं एक तो माल सुरक्षित पहुंचता है और वह अधिक सुविधाजनक है इसलिए लोग अधिक भाड़ा देकर भी माल रेलों के बजाय सड़क परिवहन के जरिए भेजना बेहतर समझते है इसलिए सड़क और रेल परिवहन के बीच समन्वय पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। अथवा हमारे रेलवे का भी वही हाल होगा जोकि अमेरिका के रेलवे का हुआ है।

भारी मात्रा में कोयला ढोने तथा केला ढाने के लिए वैगन उपलब्ध करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। उदाहरणार्थ मेरे जिले जलगांव में 25000 हैक्टेयर भूमि पर केला उगाया जाता है और इससे रेलवे को प्रतिवर्ष 6 करोड़ रूपये के राजस्व की आय होती है फिर भी उत्पादक इमेशा यही शिकायत करते है कि उन्हें वैगन समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते रेलवे वाले उन्हें 100 वैगन देने का वायदा करते है लेकिन जब उत्पादक अपना सारा माल स्टेशन पर ढुलाई के लिए ले आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें केकल 50 या60 वैगन ही दिए गए हैं परिणामस्वरुप लाखों रूपये का माल खराब होता है। ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। रेलवे देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपक्रम है यदि यह उपक्रम इसी प्रकार चलता रहा तो इससे केवल हमारी आय कम होगी अपितु हम अपने पूंजीगत संसाधनों को भी खो देगे।

हमारी आवश्यकता 2700 वैगन प्रतिवर्ष है जबकि वैगन 2000 से भी कम प्राप्त है आशा है अगली बार बजट बनाते समय मंत्री महोदय इसको ध्यान में रखेंगे ताकि जिस अर्थव्यवस्था का निर्माण हमारे किसानों ने किया है वह तबाह न हो जाए।

प्रति वैगन भाड़ा अत्यधिक है। यदि आप गुजरात से दिल्ली तक केले की ढुलाई अथवा नागपुर से दिल्ली तक संतरे की ढुलाई का खर्चा देखे तो आप को पता लगेगा कि परिवहन लागत बहुत अधिक है प्रो० दण्डवते एक बार जलगाँव जिले में आये थे और उन्होंने भाड़े की दर को कम किया था लेकिन बाद में श्री चरण सिंह के शासन में जोकि स्वयं को किसानों के हितों का रक्षक मानते है भाड़े की दर 450 रूपये बढ़ा दी गइ। अब प्रति वैगन 2,400 रूपये का खर्चा आता है जिसमे 13 क्विंटल माल ढोया जाता है। यह बहुत अधिक है। केला गरीब,आदमी का फल है और जल्दी ही खराब हो जाता है अतः जितनी जल्दी इसका परिवहन हो उतना किसानों और उपभोकताओं के लिए बेहतर है।

मैं एक अन्य बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। धूलिया, हमारा पड़ोसी जिला आर्थिक रूप से एक बहुत पिछड़ा जिला है। जलगाँव से सूरत तक एक रेलवे लाईन है जो उस जिले से होकर गुजरती है। यदि धूलिया से अमलनेर तक लाइन बनाई जाए तो इससे केवल जलगाँव का ही विकास नहीं होगा अपितु धूलिया जिले का भी विकास होगा। इस लाइन के काफी मांग की जा रही है मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस अंतः वर्ती क्षेत्र में लाइन निर्माण की संभाव्यता के बारे मैं सर्वेक्षण कराए।

रेलवे में कार्य कुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है इस महीने की सात तारिख को जब मैं जलगाँव से दिल्ली आ रहा था तो प्रथम श्रेणी के उस डिब्बों का दरवाजा, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था एक दम निकला हुआ था और सीट के पीछे वाले भाग मैं भी किसी ने न जाने क्यो बड़ा सा छेद कर रखा था। मैंने रेलवे अधिकारियों की सहायता ली ताकि दरवाजे का यथास्थान लगाया जा सके।

दिल्ली से जलगाँव तक जाने वाली पंजाब मेल गाड़ी एक बहुत अच्छी गाड़ी है लेकिन न जाने उस गाड़ी से उन्होंने डाईनिंगकार क्यों हटा दी गई है? परिणाम स्वरुप अब हमे वह सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही जो हमें पहले प्राप्त थी। आशा है इस गाड़ी में डाइनिंग कार फिर से लगा दी जाएगी ताकि पंजाब मेल की यह प्रतिष्ठा कि यह एक बहुत अच्छी गाड़ी है बनी रहे।

इन शब्दों के साथ मैं रेल बजट का एक बार फिर समर्थन करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य स्थिति में, अब जबकि सांतवी लोकसभा का दूसरा सत्र चल रहा है रेलवे बजट तथा सामान्य बजट पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाता पर अब जैसाकि सब जानते है कि 9 राज्य विधान सभाओं के चुनाव होने जा रहे एसी स्थिति में भारी कर लगाना राजनैतिक दृष्टि से हितकर सिद्ध नहीं होता इसीलिए पूरा बजट पेश न करके सरकार ने अन्तरिम बजट पेश किया है।

पिछले तीन वर्षों से निरंतर मुनाफे का बजट पेश किया गया और अब फिर·····

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस बात से खुश नहीं है कि लोगों पर कर नहीं लगाया गया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : उन पर कर लगाया जाएगा । बजट में जो घाटा दिलाया है वह इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि लोगों पर भारी कर लगाया जाएगा ।

लगातार पिछले तीन वर्ष तक लाभ का बजट पेश किया जाता रहा और अब फिर रेलवे में घाटे की पुरानी बीमारी आ गई है । सरकार से मेरा-अनुरोध है कि पूर्ण बजट पेश करने से पहले रेलवे पंजीगत ढाँचे, जिसकी समीक्षा पिछले वर्ष की गई थी, को पुनर्निमाण का कार्य भी हाथ मे लें 1924 से रेलवे का वही पुराना ढाँचा चल रहा है और इस ढाँचे के पुनर्निमार्ण से भावी सरकारों को चाहे वह जनता की हो या कांग्रेस की सभी को लाभ होगा । इससे उन सभी प्रशासनों को लाभ होगा जो रेलवे का कार्यभार संभालेगें । अब से सभी लाभांश दयताए अस्थागित देयताए समझी जाएगी । लाभांश देनदारियों के भुगतान के लिए सामान्य राजस्व से ऋण नहीं लिया जाएगा और जो ब्याज हमने लाभांश देनदारियों पर दिया था उसको अब समाप्तकर दिया गया है । अगले वर्ष के लिए बजट बनाते समय वर्तमान सरकार विरासत में मिले इस लाभ का फायदा उठा सकती है ।

रेलवे के पूंजीगत ढाँचे के पुनर्निमाण की समस्या तथा रेलवे के सामाजिक दायित्वों की समस्या की जाँच करने के लिए दो समितियों की नियुक्ति की गई थी । विश्व में हमारा रेलवे ही एक ऐसा रेलव है जो सामाजिक दायित्वों का वहन कर रहा है । पहले यह दायित्व 170 करोड़ रुपये के लगभग थे और आज 189 करोड़ रुपये के लगभग है कुछ वस्तुओं की ढुलाई हम संचालन लागत से भी कमकीमत पर करते है इसके लिए हम 69 करोड़ रुपये का घाटा उठा रहे हैं इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में माल की ढुलाई, यात्रियों के लिए सवारी डिब्बें तथा अन्य सेवाओं की व्यवस्थ करने, उपनगरीयक्षेत्रों में रेलों के संचालन पर 100 करोंड़ रुपये का घाटा उठा रहे है 21 करोड़ रुपये का घाटा अलाभ प्रद लाइनों के कारण हो रहा है । मैं श्री आजाद की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि हमें कुछ व्यवहार्य प्रस्ताव बनाने चाहिए ताकि अतिरिक्त लांइने उपलब्ध कराई जा सकें, लाइनों को दोहरा किया जा सके और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जा सके इस संबंध में हठधर्मी से काम नहीं चल सकता । रेलवे 189 करोड़ रुपये के सामाजिक दायित्वों का वहन कर रहा है विश्व में किसी भाग में रेलवे को सामाजिक दायित्वों के कारण इतना धन व्यव नहीं करना पड़ता । कुछ ऐसा तरीका ढूढना पड़ेगा जिससे रेलवे के कन्धों से बौझा कुछ कम किया जा सके । इस संबंध में एक समिति नियुक्त की गई है आशा है अगले बजट के तैयार होने तक सामाजिक दायित्व समिति इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होगी ।

बजट भाषण में पटरियों की प्राइमरी मरम्मत के बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है । पता चला है कि पाँच हजार किलोमीटर पटरी की प्राइमरी मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है अन्यथा उसके और टूटने तथा दुर्घटनाए बढने की आशंका है । इन पटरियों की मरम्मत के के लिए 560 करोड़ रुपये की आवश्यक्ता पड़ेगी । समग्रत प्रति वर्ष हमें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और मुझे निश्चय है कि सदन के सभी दल इस बात से सहमत होंगे कि योजना

आयोग को पटरियों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए इससे जहां एक ओर गाड़ियों की गति बढ़ेगी दूसरी ओर सुरक्षा भी बढ़ेगी और यातायात में सुधार होगा।

जो भी अनुमान लगाए गए हैं वह संभावित कुल ढुलाई के आधार पर लगाए गए हैं लेकिन मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि यद्यपि माल ढुलाई काफी महत्वपूर्ण है पर फिर भी सब कुछ उस पर छोड़ना ठीक नहीं। कई बार देश के समूचे यातायात ढाँचे में परिवर्तन होता रहता है उदाहरण के लिए किसी वर्ष माल की ढुलाई की मात्रा कम हो सकती है पर हो सकता है वह माल काफी दूर तक भेजा गया है अर्थात टन किलोमीटर ज्यादा हो। इसलिए घाटा केवल इस आधार पर नहीं बताया जा सकता कि कम माल की ढुलाई हुई है इसलिए हमें टन-किलोमीटर और यात्रीकिलोमीटर दोनों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि रेल यातायात में यात्रियों से प्राप्त होने वाले किराए और भाड़े दोनों का ही समुचित महत्व है। इस संबंध में जड़ दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए जैसाकि यह कहना कम टन माल की ढुलाई के कारण घाटा हो रहा है और इसलिए रेल सेवाओं का उपयोग करने वालों पर अधिक बोझ डालना पड़ रहा है आशा है ऐसा रवैया नहीं अपनाया जाएगा।

मेरे माननीय मित्र श्री भगवत झा आजाद ने कहा है जब तक रेलवे अपनी अतीत की योजनाओं में आमूल परिवर्तन नहीं करता और कैप्टिव विद्युत संयंत्र बनाने का निर्णय नहीं करता तब तक इस विषय का समाधान संभव नहीं। इसके लिए सभी मंत्रालयों को समन्वित प्रयास करना होगा।

योजना आयोग के पास जाना होगा और वहां से अधिक आंवटन प्राप्त करके यदि अधिक संयंत्रित बिजली संयंत्रों को पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में स्थापित करने होंगे और इसके अतिरिक्त इन कुछ क्षेत्रों में यहां कुछ भी बिजली संयंत्र हैं, उनका दर्जा बढ़ा दिया जाए तो यह सुनिश्चित करना सम्भव हो जाएगा कि समूची स्थिति काफी सीमा तक सुधर जाएगी।

मुझे प्रसन्नता है कि बोनस का उल्लेख किया गया है। बेशक इस सरकार के निर्माण से पूर्व भी इस हुए समझौते को देखिए। यह उत्पादिकता से संबंद्ध बोनस था। इस सभा के सभी वर्गों ने इस विचार का स्वागत किया था। यदि आप इस हुए समझौते पर विचार करें तो आप को यह मालूम होगा कि इस समझौते में यह बताया गया है कि बोनस की अदायगी का आधार 1977-78 में रेलों के कार्य सम्पादन होगा। 1977-78 को ही आधार वर्ष ही क्यों माना गया है ? ऐसा इस लिए किया गया है क्योंकि दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया है और हालांकि नई सरकार ने भी माना है कि 1977-78 में रेलों का कार्य सम्पादन सर्वोत्तम था, जिसके परिणाम स्वरूप इस विशेष वर्ष को आधार मान लिया गया है। मैं यह नहीं चाहता कि आप अतीत में हमारे द्वारा किए गए कार्य की सराहना करें। बेशक जबकि हम विरोधी पक्ष की ओर से भी वाद विवाद में भाग ले रहे है, तो हमने सराहना की है। किन्तु आप उन अच्छे कामों को भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त करना चाहते हैं। आप वैसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। किन्तु वास्तविक बात यह है कि आज के रेल मंत्री की ओर से बात मंत्री महोदय ने स्वंय रेलों के कार्य

सम्पादन के कुछ पहलुओं की प्रशंसा की है। अतः, इस पहलू का भी ध्यान रखाना होगा

इसके अतिरिक्त कुछ बदली गयी परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जहां तक रेल मंत्री महोदय का संबंध है, उन्होंने तक स्वागत योग्य निर्णय लिया है कि जो कुछ चल रही परियोजनाओं के संबंध में गत सरकार ने वचन दिए हुए है, उनका सम्मान किया जाएगा। मुझे खुशी है कि नए मंत्री महोदय ने पहले के सभी वचनों का सम्मान किया है। मुझे आशा और विश्वास है कि पर्याप्त आवंटन उपलब्ध किए जायेंगें। उदाहर्णार्थ, औरंगाबाद-मनमड गेज बदल के लिए अधिक धन का आवंटन करना पड़ा। मुझे प्रसन्नता है कि शेष दी गयी परियोजनों के बारे में दिए गए आश्वासन को भी स्वीकार किया गया है।

उपनगरीय रेल पासों की दरों में वृद्धि के संबंध में एक बात है। सभा के कुछ माननीय सदस्यों के कहने पर कुछ कटौती की गयी थी। किन्तु साथ ही तक ठोग प्रस्ताव भी सुझाया गया था। वह प्रस्ताव यह था कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिए कि उपनगीय पासों की दरों को अतिरिक्त बोझ को ९नयोक्ताओं पर स्थानान्तरित कर दिया जाए। मैं संचार मंत्री से, जो रेल मंत्री की से भाग ले रहे हैं, द्वारा रेल मंत्री महोदय को यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि वह इस समस्या पर विचार करें कि इस प्रयोजनक से क्या किसी प्रकार के विधान को बनाया जा सकता है ताकि इस बड़े हुए बोझे को नियोक्ताओं पर स्थानान्तरित किया जा सके। मुझे यह जानकर खेद हुआ है कि आन्तरिम बजट के अवसर पर जब इस विशेष लेखानुदान को पेश किया जाने वाला था, जो बम्बई उपनगरीय क्षेत्रों में पासों की दरों में कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं।

मुझे आशा तथा विश्वास है कि आप इस ओर ध्यान देंगे और कि इस समस्या पर भी विचार किया जायेगा।

मैं अवश्य ही उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों की समस्या का उल्लेख करना चाहता हूं जो नाईजीरिया में भेजे गये हैं। हमारे कर्मचारी नाईजीरिया की रेलों के प्रबन्ध कार्य में बड़े पैमाने पर सहायता देने में समर्थ हुये है और वे वहां बहुत अच्छा कार्य कर पाये हैं। यदि आप समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को देखें, तो यह बिलकुल स्पष्ट हो जायेगा कि नाईजीरिया तथा अन्य देशों में कार्य कर रहे हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है और जिसके परिणामस्वरूप प्रबन्धात्मक सम्वर्ग भी बहुत ही श्रेष्ट काम कर पाये हैं। किन्तु इस सम्वर्ग पर पुर्नविचार करने पर मैंने पाया है कि रेल 25 प्रतिशत रेल अधिकारियों को, जो मेडिकल स्टाफ से संबंधित हैं, इस में शामिल नहीं किया गया है। मुझे आशा तथा विश्वास है कि किसी प्रकार का तदर्थ पुर्नविचार किया जायेगा तथा मेडिकल अधिकारियों को भी पर्याप्त परोन्नति सुविधायें मिलेंगी।

अन्त में मैं सब महत्वपूर्ण पहलू विद्युत करण के पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं। जहां तक डीजल तथा कोयले की कमी को दृष्टि पर रखते हुये विद्युतिकरण का संबंध है हम अधिक से अधिक विद्युतिकरण करते चले आ रहे हैं। हालांकि विद्युतिकरण हमें बाद में सस्ता पड़ता है, किन्तु वास्तविक बाधा यह है कि हम यह देखते है कि हमें विद्युतिकरण के लिये

13 लाख रुपये प्रति किलोमीटर खर्च करने की आवश्यकता है। मुझे आशा एवं विश्वास है कि कुछ ऐसा अनुसंधान किया जायेगा जिसके द्वारा विद्युतिकरण प्रति किलोमीटर की कुल लागत को कम किया जायेगा तथा ये बाधयें दूर हो जायेगीं।

मुझे आशा है कि मैंने रेल मंत्रालय को जो रचनात्मक सुझाव दिये हैं, उन सभी पर ध्यान दिया जायेगा और उस आधार पर नया रेल बजट अधिक क्रान्तिकारी तथा अधिक तर्कसंगत होगा तथा इससे रेल प्रयोक्ताओं पर आने वाले कुछ सम्भावित बोझों से पूरी तरह से छुटकारा मिल जायेगा।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मोहतरम त्रिपाठी जी को जो कि इस वक्त बीमारी की वजह से यहां मौजूद नहीं हैं उनको और दीगर वजीरों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस छोटे से समय में एक ऐसा माडरेट बजट पेश किया है जिसकी कि तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता। और साथ-साथ अपनी कुछ बात आपके जरिये रेल मंत्री को कहना चाहता हूं। और मामला इतना नाजुक हो गया है कि अगर ध्यान नहीं जाय तो फिर मामला निपटने के लायक नहीं रह सकता है।

पहली बात तो यह है कि इस मुल्क में एक जोन है जिसे एन० एफ० रेलवे कहते हैं। वह चूं चूं का मोरब्बा हो कर रह गया है। एक ही स्टेशन है जहां पर ब्रोड गेज और मीटर गेज दोनों लाइनें हैं, कुछ मील तक ब्रौड गेज है और कुछ मील तक मीटर गेज है।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए।)

नतीजा यह है कि पैसेंजर्स को इतनी तकलीफें होती हैं कि जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता। और इतना ही नहीं ब्रौड गेज तो नईजलपायगुरी तक बना दी गई, आगे भी बढ़ रही है वह बढ़ कर बोनगाई गांव के आगे तक होने वाली है। लेकिन स्टेशनों की जो सुभीता लोगों को है वह वैसी ही है, उसमें कोई तबदीली नहीं हुई है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां आप ब्राडगेज करते हैं, वहां पर स्टेशनों के बढ़ाने, वहां का अच्छा इंतजाम करने, पीने के पानी, मुसाफिरों के रहने, बैठने और ठहरने वगैरह का अच्छा इंतजाम होना चाहिये। मिसाल के तौर पर हमारे पार्लियामैंट के हल्के किशनगंज में आप देखें कि ब्राडगेज और मीटर गेज दोनों ही हैं, लेकिन मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूं कि वहां का स्टेशन वैसा ही है, उसमें कोई खास तबदीली नहीं है। तबदीलियां सिर्फ इतनी ही हुई कि वह स्टेशन एक ब्राडगेज बनकर रह गया है। मजे की बात यह है कि हमारे सब-डिविजनल हैडक्वार्टर किशनगंज में अवध-तिरहुत मेल जो मीटरगेज से पास करती है, गोहाटी-लखनऊ एक्सप्रैस और तिनसुखिया मेल जो पास करती हैं, उनका वक्त वहां का इतना अच्छा रखा गया है कि वहां से पेसेन्जर चढ़ें नहीं, टिकट बिके नहीं, नतीजा यह कि रिजर्वेशन वहां रहे नहीं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे किशनगंज सब-डिविजनल टाउन से आगे बंगाल में एक स्टेशन है अलवाबाड़ी, वहां बहुत-सारे रिजर्वेशनस हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यह रेलवे बोर्ड का सौतेली-मां-पन है कि उन्होंने किशनगंज से रिजर्वेशन उठा दिया है। जैसे

पटना में तिनसुखिया में रिजर्वेशन नहीं है जो कि कैपिटल है हमारी ब्रांच का, जो हमारे सूबे की हुकूमत का कैपिटल है, यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। किशनगंज में रिजर्वेशन न हो, तिनसुखिया में वहां के लोग न चढ़ें, वहां के लोग फायदा न उठायें, यह बात ठीक नहीं है। आप इसे पास जरूर करा दीजिये। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके अंजाम खतरनाक होंगे क्योंकि सिर्फ वही एक लाइन है जो पूर्वी हल्के में जाती है। लोग उकता जायेंगे, गाड़ियां रुक जायेंगी और चक्का जाम हो जायेगा।

आर० पी० एफ की बहाली का जो सवाल है, यह क्लास-4 के एप्वाइन्टमैंट की बात है। यह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसका मैंने पिछली बार दूसरा नाम लिया था, इसमें क्लास-4 के एप्वाइन्टमैंट की बात आती है। लेकिन वह चीफ सिक्योरिटी आफिसर, जिसका साजबाज आसाम गवर्नमेंट से है, और उस साजिश में वह भी शामिल है, यह काम उसके हाथ में है। हर डिवीजन में क्लास-4 का एप्वाइन्टमेंट होता है. कौन नहीं जानता है इस बात को? हमारे सीनियर मेम्बर जानते हैं कि कह चीफ सिक्योरिटी आफिसर इनके एप्वाइन्टमैंट को अपने हाथ में रखे हुए है, क्यों रखे हुए है, यह आप भी जानते हैं और मैं भी समझता हूं। मेरा कहना यह है कि क्लास-4 का एप्वाइन्टमेंट डिवीजनवाइज होना चाहिये।

मैं आपका ध्यान उस बात की तरफ खींचना चाहता हूं जब ललित बाबू मरूहम जिन्दा थे, उस समय सतपाल कपूर नवल बाबू के सवाल पर मैंने भी सन् 74 में उस डिबेट में हिस्सा लिया था, यह बात आई थी कि क्लास-4 का एप्वाइन्टमेंट डिवीजनवाइज होना चाहिये और एक कमेटी बननी चाहिये जिसमें हम लोगों का भी कमेटी में इन्वाल्वमैंट हो ताकि हम लोग भी जान सकें कि क्लास-4 का जो एप्वाइन्टमेंट होता है वह जायज होता है या नाजायज होता है। उस वक्त के रिकार्ड को उठाकर देखने से यह पता लगेगा कि यह आश्वासन हाउस में दिया गया था कि ऐसी बात होगी और पार्लियामेंट में हर 6 महीने में इसकी रिपोर्ट दी जायेगी कि क्लास-4 में कितनी बहालियां हुई हैं। यह भी एक मिसाल है जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं।

आर० पी० एफ० की बहाली का जहां तक सवाल है, यह सिक्योरिटी आफिसर ने बिलकुल गलत समझा है कि एप्वाइन्टमेंट एक पर्टिकुलर सूबे के लोगों का होगा। उस ब्रांच पर दूसरे सूबे के लोगों का भी उतना ही हक है जितना कि उस सूबे के लोगों का है। इसमें किसी पर्टिकुलर आदमी की बहाली का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन वह एन० एफ० रेलवे का चीफ सिक्योरिटी अफसर एक ही जगह के लोगों को बहाल करता है और दूसरे प्रान्तों के, उत्तरप्रदेश, बिहार के जो लड़के जाते हैं उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह तो चीफ सिक्योरिटी अफसर के बारे में बात है अब रेलवे सर्विस कमीशन की बात सुनें :

भाई दंडवते जी के दिनों में उन्होंने एक झगड़ा पैदा कर दिया है। एक कमीशन उन्होंने रखा है गोहाटी में दूसरा आदमी प्रायर्टी एरिया का हो गया है। क्या मतलब है इसका। मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें दूसरा आदमी एलाउड नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि प्राहिबिटेड जोन बना हुआ है।

हमारे बच्चे चाहे विहार के हों, यू० पी० के हों, जो कोई भी कम्पीट करके जाते हैं, उनके कागजात, सर्टिफिकेट वगैरा फाड़ दिये जाते हैं और उनको धक्के मारकर निकाल दिया जाता है।

चाहे कटिहार में हो, बरौनी में हो या किशनगंज में हो, एक एप्वाइन्टमेंट कमेटी वहां जावे और वहां पर लोकल इंटरव्यू लेकर वहां पर एप्वाइन्टमेंट करे ताकि उनको सुरक्षा मिले और जो उन्होंने कंपीट किया है, उसका जायज मुकाम नौकरी में उनको मिले।

जोनल एपायंटमैंट कमेटी और डिवियिजनल एपायंटमेंट कमेटी में पार्लियामेंट के मेम्बरों की इनवाल्वमेंट करने के बाद ही सही तौर पर यह पता चल पायेगा कि कितने मुसलमान, हरिजन और पढ़े-लिखे लोग बहाल हुए हैं। अभी तो यह सदन, जो कि पूरे मुल्क का मालिक है, बिल्कुल अंधेरे में है कि बहालियां कैसे होती हैं। 1975, 1976, 1977 और 1978 में पचासों लड़के मेरे पास आये थे। उनका कहना था कि मैं इम्तहान में बैठा हूं, इन्टरव्यू देकर आये थे। उनका कहना था कि मैं इम्तहान में बैठा हूं, इंटरव्यू देकर आया हूं, लेकिन मेरे रिजल्ट का कोई पता नहीं है। अगर गलती से उसको एपायंटमेंट लेटर मिल भी गया और वह गोहाटी जाता है, तो उसका सर्टिफिकेट और मार्क्स-शीट को फाड कर फेंक दिया जाता है।

रेलवे मंत्री की स्पीच में रेलवे कनवेन्शन कमेटी का तजकिरा है जो भी इसके मैम्बर हैं, वे ठीक हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सचेत और होशियार रहने की जरूरत है, जिन्होंने फखरिया अखबारों को स्टेटमेंट दिया है कि मैंने अपनी जिन्दगी में 53 रेलें उलटी हैं, मैं पीस में बिलीव नहीं करता हूं, मैं वायलेंस में बिलीव करता हूं।

जोगबनी स्टेशन नेपाल बार्डर को टच करता है। कटिहार-जोगबनी मीटरगेज लाइन सिर्फ 69 मील है। अगर उसको ब्राडगेज में तब्दील कर के कटिहार-बी से मिला दिया जाये, तो सारे भारत के लोगों को नेशनल बार्डर तक आने जाने का मौका मिलेगा। इससे नैशनल इन्टेग्रेशन बढ़ेगा और सामान के लाने ले जाने में भी सहूलियत होगी। आज बड़ी लाइन से छोटी लाइन और छोटी लाइन से उससे छोटी लाइन पर सामान ले जाने में जो पिलफेज होती है, वह मसला भी हल हो जायेगा।

श्री आजाद ने लांग डिसटेंस ट्रेन्ज के बारे में कहा है। विक्रमशिला सिर्फ भागलपुर तक ही क्यों जाये ? उसको न्यु जलपाईगुड़ी तक ले जाना चाहिए, ताकि हम लोग भी उससे फायदा उठा सकें।

जहां तक कैजुअल लेबर का सवाल है, लोग सात सात, आठ-साठ साल तक काम करते है मगर उन्हें रेंगुलराइज नहीं किया जाता हैं। रेलवे मंत्रालय पर यह एक स्लर है कि इतने वर्ष काम करते रहने पर भी उन लोगों को कनफर्म नहीं किया गया है।

रेलवे हासपिटल्ज के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि किशनगंज में अब दो लाइनें हो गई हैं और स्टाफ भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन हासपिटल के मकान, स्टाफ और दवाओं में कोई इजाफा नहीं किया गया है। इसलिए हासपिटल के स्टाफ और दवाओं को बढ़ाना चाहिए।

कटिहार में कबरिस्तान का मामला बहुत संगीन है। पिछली लोक सभा में मैंने यह सवाल उठाया था। अगर रेलवें मंत्रालय रेलवें एम्पलाइज के क्वार्टरों और कबरिस्तान के बीच में एक दीवार बना दे, तो कोई एनक्रोचमेंट या हंगामा होने का इमकान नहीं रहेगा और यह मसला हल हो जायेगा, वर्ना आज जमाना बहुत नाजुक है, कई लोग बात-बात पर दंगा-फसाद फखेशान समझते हैं—मेरा इशारा सामने बैठे हुए लोगों की तरफ है—और फिरकावाराना फसाद करा देते हैं।

में इस तजट का पूरा समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि रेलवे तरक्की करें, लेकिन साथ-साथ उन गरीब लोगों को भी सहूलियत पहुंचाई जाये, जो इस मुल्क के सही मालिक हैं।

प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर (हमीदपुर) : सभापति महोदय, मैं रेल बजट के लिए श्री कमलापति त्रिपाठी जी को बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह जल्दी से सेहतयाज हों और पूरा बजट पेश करें। नये बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नई रेलवे लाइन्स के बारे में सिर्फ यही कहा गया है कि अभी प्लान प्रायरिटीज फिक्स नहीं हुई हैं: वह फिक्स होने के बाद उस पर विचार किया जायगा। बहुत लम्बे अरसे से हमारी एक डिमांड हिमाचल प्रदेश की रही हैं नंगल तलवाड़ा रेलवे लाइन की जिस के कांस्ट्रेक्शन वर्क को स्वर्गीय श्री एल. एन. मिश्र ने 22 दिसम्बर 1974 को आम्र के स्थान पर इनागरेट किया था। साथ में उस वक्त के मुख्य मंत्री श्री वाड० एस० परमार से कमिटमेंट ली थी कि आज इस जमीग की सारी कास्ट देंगे। वहां कैबिनेट ने इसको पास किया यहां पर भेजा, उसके बाद जाकर बात हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे की नई लाइन्स के बारे में पांचवीं लोक सभा की पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने 171वीं रिपोर्ट बनाई थी और उसमें यह साफ चाहिए था कि देश के कुछ भागों के साथ न्याय नहीं हुआ, हिमाचल प्रदेश और दूसरे पहाड़ी प्रान्तों के साथ घोर अन्याय हुआ। आज तक आजादी के बाद एक मीटर भी रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश में नहीं बनी। मैं यह कहूंगा कि वह प्रदेश जहां से सेना का पहला परमवीर चक्र विनर आया, जिसने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए और भारत की आजादी को बचाने के लिए अपनी शहादत दी, 1051 आदमी वहा से शहीद हुए, वहां जब फौज के उनके दूसरे साथी घर जाते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि कोई ब्राडगेज लाइन वहां है नहीं। सारे प्रदेश की एकोनामी इससे सफर कर रही है और यही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कि आज तक एक भी रेलवे लाइन मंजूर नहीं हुई और न उसका निर्माण हुआ। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह वाजेह कर देना चाहता हूं कि जब उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रान्त के लिए 6 रेलवे लाइन्स सप्लीमेंट्री बजट में एकदम से पास की जा सकती हैं तो हिमाचल प्रदेश ने कौनसा गुनाह किया है जहां से कि सेना के जवान आते हैं, जहां से लोग सेना में अधिक संख्या में भर्ती होते हैं। उसकी धरती जब्ब होती हैं पानी में, राजस्थान को, हरयाणा को और पंजाब को पानी और बिजली देने के लिए तो वहां के इलाके में जहां के लोग बाहर निकाले जायें और जहां की जमीन पानी में गर्क हो जाय, जहां के लोग फौज में शरीक हों, एक भी रेलवे लाइन वहां के लिए दी जाय यह उनके साथ कितना बड़ा अन्याय है? मैं यह गुजारिश करूंगा कि इस लाइन को टाप प्रायरिटी बैसिस

पर जैसा कि पी० ए० सी० की रिपोर्ट में रेकमेंड किया गया है, लिया जाय और इसका काम जल्दी से शुरू करके इसको कम्पलीट किया जाय । रेलवे कंसल्टेटिव कमेटी में भी यही पास हुआ था कि कम्पलीट किया जाय । रेलवे कंसल्टेटिव कमेटी में भी यही पास हुआ था कि आम्र का पहला फेज जल्दी से जल्दी बना दिया जाय ताकि वहां की एकानामी ठीक हो और वहां की तकदीर बदले । अभी हमारी प्रधान मंत्री जी वहां गई थीं तो लोगों ने यह डिमांड रखी थी और उन्होंने यह कहा था कि इस रेलवे लाइन के बनने से ही इस इलाके की और हिमाचल प्रदेश की तकदीर खुलेगी : तो मैं रेल मंत्रालय पर और प्लानिंग कमीशन पर यह वाजेह करना चाहता हूं कि वे इंदिरा जी के ये शब्द याद रखें कि हिमाचल प्रदेश की तकदीर अगर खोलनी है और उस इलाके की तकदीर खोलनी है तो यह रेलवे लाइन जल्दी से बनानी होगी ।

एक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त दो प्रोजेक्ट्स रेलवे के छोटे-छोटे वहां पर हैं, अगर आप उनको टेक ओवर कर लें तो बहुत काम हो सकता है । वहां पर लाइन बनी हुई है, आप को सिर्फ प्रौजैक्ट एथारिटी से उन्हें टेक ओवर करना है । उसमें एक है मुकेरियां से संसारपुर टेरिस तक और दूसरी है नंगल डैम से भाखड़ा तक । वहां पर गाड़ियां भी चलती हैं, लाइन भी बनी हुई है, उसको आप टेक ओवर कर लें और ट्रैफिक के लिए खोल दें तो हिमाचल प्रदेश को दो ब्राडगेज रेलवे स्टेशन मिल सकते हैं । इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की दो और महत्वपूर्ण लाइनें हैं जगाधरी से पोंटा और कालका से परमाणु, उनको भी लिया जाना चाहिए ।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर तक रेलवे लाइन चली गई । दण्डवते साहब ने और बहुत से दूसरे रेल मंत्रियों ने भी बहुत कोशिश की कि कश्मीर का टूरिज्म बढ़े । कश्मीर का टूरिज्म बढ़ गया लेकिन हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म खत्म हो गया और यह सब रेल मंत्रालय की मेहरबानी से हुआ क्योंकि जो गाड़ी पटानकोट से चलती है वह सीधे जम्मू जाती है । आज हिमाचल प्रदेश के एक आदमी को पठानकोट में भी एक जगह लेना मुश्किल है । वहां के लोग परेशान हैं । तो में यह कहूंगा कि रेलवे मंत्रालय का यह उत्तरदायित्व है कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक गाड़ी जो सिर्फ पठानकोट से ही चले और मेल ट्रेन हो, वह चलायी जानी चाहिए । इस वक्त जो झेलम एक्सप्रेस चलती है वह अम्बाला पहुंचने के बाद बिलकुल पैसेंजर हो जाती है और वहां के लोग उस में घुस जाते हैं जो न किसी को सोने देते हैं न ठीक तरह बैठने देते हैं । तीन तीन चार-चार घंटे वह गाड़ी लेट होती है ।

रेल मंत्रलय ने कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं । मेरी सूचना के अनुसार इस वक्त इनके अधीन एक प्रस्ताव है कि रांची से लेकर चंडीगढ़ तक एक फास्ट ट्रेन चलायी जाय । इस का मैं स्वागत करता हूं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि घंड़ी तक आप उस को क्यों रखते हैं. आप उस को कालका तक क्यों नहीं ले जाते हैं ताकि उस से हिमाचल प्रदेश को भी फायदा हो जाये । अगर रांची नई दिल्ली चंडीगढ़ के साथ में कालका लगा दिया जाय तो अच्छा होगा । वहां पर आप के पास फैसिलिटीज भी हैं , वार्लिंग फैसिलिटीज, रिपेयरिंग फैसिलिटीज सारी कालका में मोजूद हैं और डिस्टेंस है सिर्फ 20 किलोमिटर । तो 20 किलोमीटर आगे ले जाकर

उस गाड़ी को आप एक स्टेट को कवर कर सकते हैं– हिमाचल प्रदेश को । वेस्टर्न कमांड का हैडक्वार्टर भी शिमला में है । उस को भी उस से फायदा होगा ।

इसके अलावा कांगड़ा वाली रेलवे लाइन पानी में डूब गई थी, वह दोबारा बनी, हमारी जो पिछली कांग्रेस सरकार थी उस की कृपा से 28 दिसम्बर 1976 को ही वह दोबारा चालू हो गई थी लेकिन गाड़ियों का टाइम ऐसा रखा गया है जिस से कुछ पता नहीं चलता क्यों कि 8 बजे के बाद 3 बजे गाड़ी मिलती हैं । इसलिए में यह चाहता हूं कि इन का टाइम री-ऐडजस्ट किया जाये और री-ऐडजस्ट कर के चलाया जाय स्पेंफिंग के हिसाब से तीन चार घंटे के बाद गाड़ी चले तभी आने जाने की सहूलियत हो सकेगी ।

यू० पी० की खलीलाबाद टुवलरायपुर बहुत इम्पोर्टेन्ट लाइन है जिसका निर्माण होना चाहिए एक और भी बहुत इम्पोर्टेन्ट लाईन है जिसका इन्टर्नेशनल महत्त्व है वह है राजगीर का गया से लिंक । इसी सदन में मिश्रजी ने आश्वासन दिया था लेकिन जितनी भी प्लेसेज में पिलग्रिमेज की जैसे बिहारशरीफ, उसके बाद बावापुरी और उसके बाद रागीर, जो बुधिसट इम्पाटेन्स की वहां पर पटना को गया राजगीर से न जोड़ने के कारण लोगों को बड़ी परेशानी होती है इसलिए आप इसको भी टेक ओवर करें । मैं किसी एक प्रदेश के लिए नहीं बोल रहा हूं बल्कि सारे प्रदेशों की जो प्रायर्टीज हैं उनके लिए कह रहा हूं । साथ ही हिमाचल प्रदेश के साथ जो अन्याय हुआ है उसको भी दूर करना चाहिए ।

एक महत्वपूर्ण बात और है कि मिश्रजी की कृपा से होशियारपुर के लिए एक कोच चालू की गयी थी लेकिन वह आधी कोच फर्स्ट क्लास होती है और आधी सेकेन्ड क्लास होती है और और उसमें भी दस की जगह सौ आदमी चढ़ जाते हैं । आप कृपा करके पूरी कोच फर्स्ट क्यास कर दीजिए और अटेन्डेन्ट भी प्रोवाइड कीजिए ताकि लोगों की जिन्दगी खतरे में न पड़े और जिस मकसद के लिए इसको शुरू किया गया था वह पूरा हो सके ।

इन सुझावों के साथ मैं मंत्री जी के रेल बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जून में जब नया बजट आयेगा तो हिमाचल प्रदेश, जिसकी कुर्बानी सिविल और डिफेन्स में सबसे ज्यादा है उसके साथ न्याय किया जायेगा ।

* **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम (तिरुनेलवेली)** : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट के संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । मैं तिरुनेलतेली के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के तथा द्रमुक के नेता, डा० कलैनार करुणा निधि जिनके प्रोत्साहन के कारण मैं इस सभा में आया हूं, के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

इस बात की घोषणा की गयी थी कि त्रिवेन्द्रम–नगरकोयल कन्ताकुमारी बड़ी लाईन के पूरा हो जाने के साथ-साथ नगरकोयल-तिरुनेलवेली बड़ी लाईन भी पूरी हो जायेगी । मुझे आश्चर्य है कि रेल बजट में व्यवस्था न किये जाने के कारण अथवा रेल प्रशासन द्वारा रुचि न लिये जाने के कारण नगर कोयल-तिरुनेलवेली बड़ी लाईन के पूरे होने में विलम्ब हो रहा है

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर ।

यह काम बड़ी धीमी गति से हो रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री से बिना किसी अन्य विलम्ब किये इस लाईन को शीघ्र पूरा करने कि प्रार्थना करता हूं।

इसी प्रकार ट्यूटी कोरित करुर बड़ी लाईन की मांग तमिलनाडु के लोग काफी समय से करते चले आ रहे है। ट्यूटीकरन एक प्रमुख नमक उत्पादन केन्द्र तथा एक मुख्य पत्तन भी है। यहां पर बड़ी एस० पी० आई० सी० उर्वरक परियोजना भी है नमक तथा उर्वरक को ट्यूटीकोटिन से बाहर भेजना होता है वहां पर स्थापित अनेक उद्योगों के लिये कच्चा सामग्री की आश्यकता होती है जिनके विभिन्न स्थानों से मंगवाना होता है। एक मुख्य पत्तन मे केवल तभी वास्तविक लाभ होगा जबकि भीतरी प्रदेश को बड़ी लाइन के साथ जोड़ा जाये। मेरी यह माग है कि ट्यूटीकोरिन करुर लाइन को तुरन्त पूरा किया जाये।

तिरूनेलवेली और मद्रास के बीच केवल एक एक्सप्रैस गाड़ी है और लगातार गत तीस वर्षों से लोग इन दो स्थानों के बीच एक अन्य एक्सप्रैस गाड़ी की मांग करते चले आ रहे है। तिरुनेलवेली और मद्रास के बीच एक अन्य गाड़ी चलायी जानी चहिए। कन्याकुमारी तथा रामेश्वर प्रमुख तीर्थ स्थान तथा पर्यटन केन्द्र हैं और वह उत्तरी राज्यों से हजारों तीर्थ यात्री तथा पर्यटक आते है और उन्हें तिरुनेलवेली में रूकना पड़ता है और इस समय वहाँ पर ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है जंक्शन क्षेत्र के भीतर एक बड़ा शैड बनाया जाना चाहिए ताकि पर्यटक वहां पर रात भर के लिए ठहर सकें मदुरै का पहला प्लेटफार्म इतना तंग है जिससे गाड़ियों के आते तथा जाते समय यात्रियों की बड़ी असुविधा का सामन करना पड़ता है इसे तुरन्त चौड़ा किया जाना चाहिए। बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुये रेलों में कलर्कों की भरती के लिए आयु-सीमा को, जो इस समय 25 वर्ष है उसको बढा दिया जाना चाहिए। रामेश्वर- धनुशकोडी लाईन कुछ समय पूर्व तुफान में बैह गयी थी इस लाईन को यथाशीघ्र बनाया जाना चाहिए। तमिल नाडु के अनेक महत्वपूर्ण जंक्शनों में खान-पान की व्यवस्था बहुत ही खराब है। महत्वपूर्ण जंक्शनों में विशेष प्रकार के भोजनों तथा स्नैकों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। भोजन की किश्म में सुधार किया जाना चाहिये। प्रत्येक जंक्शन पर एक दवाइयों की छोटी दुकान होनी चाहिये।

ऐसी आशंका है कि नगरकोयल तिरुनेलवेली लाईन तथा कन्याकुमारी- नगरकोयल लाईन तथा तिरुनेलवेली जंक्शन को जो इस समय मदुरै डिविजन में है, नयी स्थापित त्रिवेन्द्रम डिविजन में स्थानान्तरित कर दिया जाये। इस भाग को मदुरै डिविजन में बनाये रखने के लिए अनुरोध करने हेतु अधिकारियों को कर्मचारियों से अनेक अश्यावेदन प्राप्त हुये हैं। तिरुनेलवेली में एक ऊपरी पुल है, इसकी ऊँचाई के कारण बाजार से सामान को ठेलों के द्वारा बरास्ता रेल फाटक लाना पड़ता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रेल प्रशासन इस फाटक को बन्द करने जा रहा है। यदि ऐसा कर दिया जाता है, तो ठेलों को सड़क- पुल के ऊपर से जाने की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। इससे बाजार का महत्व भी कम हो जायेगा। ऐसा आदेश दिया जाना चाहिये कि ठेलों के आने जाने तथा अन्य इस प्रकार के यातायात के लिऐ इस फाटक को स्थायी रूप से खोल दिया जाना चाहिये। कैलास-पुरम स्टेशन में नयायन्ती-ट्यूटीकरन पटरी में प्लेटफार्म

इतना नीचे है कि प्लेटफार्म तक पहुंचने के लिये गाड़ी के पायदान से लगभग 3.5 फुट का अन्तर है। वृद्ध पुरुष और महिलाओं, गर्भवती महिलाये एंव छोटे बच्चो की गाड़ी पर चड़ने तथा उससे उतरने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस प्लेटफार्म को तुरन्त ऊंचा किया जाना चाहिये। नेलाई जिले में जगह जगह बीड़ी उद्योग स्थापित हैं। बीड़ी के पत्ते उत्तरी भारत से आते हैं। रेल माल डिब्बों के प्राप्त करने में दो से तीन मास का विलम्ब हो जाता है। बीड़ी उद्योग के हित में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये। मांग होने के एक सप्ताह के भीतर माल डिब्बे सप्लाई कर दिये जाने चाहिये।

जब तीसरे दर्जे को समाप्त कर दिया गया था, तो यह आशा की गयी थी कि दूसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधाये दी जायेगी। किन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। लगभग 60 वर्ष पूर्व, मद्रास के दक्षिण में मद्रास से ट्यूरीकोरिन तक एक गाड़ी चलायी गयी थी। लगभग चार, पांच वर्ष पूर्व इसे बन्द कर दिया गया। इस गाड़ी को पुनः चलाया जाना चाहिये। वरास्तामयालकुडी, कडालाडो विलायीकुलम और कुलाथुर ट्यूरीकोटिन तथा रामेश्वर के बीच एक नयी गाड़ी चलायी जानी चाहिये। इसी प्रकार वरास्ता देवीपटनम रामेश्वर और करायकुडी के बीच एक अन्य गाड़ी चलायी जानी चाहिये। मनायन्ती स्टेशन पर कोई शैड नहीं है वहां पर कर्मचारियों के लिये आवासीथ स्थान की व्यवस्था नहीं है। इन को तुरन्त पूरा किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस अवसर को देने के लियें धन्यवाद देता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री विरोधी चन्द्र जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, सन् 1980-81 का जो रेलवे बजट प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करतु हुए अपने कुछ विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं माननीय रेल मंत्री, श्री कमलापति त्रिपाठी, द्वारा दी गई स्पीच के पृष्ठ–12 की ओर अपना ध्यान कार्कषित करना चाहता हुं।

"माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे धैर्य रखें। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब हमें नये निर्माणों को प्राथमिकता देने के विषय में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट मिल जाएगी तो पिछड़े हुए और पहाड़ी क्षेत्र के विकास को साधन स्त्रोतों की सीमा के भीतर यथोचित प्राथमिकता दी जाएगी।"

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं, वह हिन्दुस्तान का सब से पिछड़ा क्षेत्र है, जिस को बाड़मेर और जैसलमेर कहते हैं। यह रेगिस्तानी क्षेत्र है, लेकिल वहां पर विकास की बहुत गूंजाइश हैं। वहां पर बहुत से माइनिगं–रिर्सोसेज निकले हैं और आगे भी निकलने के प्रासपैक्ट्स हैं। डिफेंस की दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत ज्यांदा महत्व पूर्ण है और अब राजस्थान केनाल भी उस क्षेत्र की ओर आ रही है। इन सभी दृष्टियों से उस क्षेत्र का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा––मैंने पहले भी इस सुझाव को रखा था

और आज फिर रखने जा रहा हूं – इस क्षेत्र में रेलवे लाईन का होना बहुत ज़रूरी है। बीकानेर से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, बाड़मेर से घूरीमना होते हुए कांधला तक यानी गांधीधाम तक रेलवे लाइन डाली जाए। बीकानेर से जैसलमेर लाइन के लिये आप को सिर्फ कोलायत से फलौदी को जोड़ना होगा, इस से जैसलमेर जुड़ जायगा और उस के बाद बाड़मेर होते हुए कांधला तक उस लाइन को ले जाना होगा। मैं नेशनल ट्रांसपोर्ट पालिसी कमेटी के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करें। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र केलिए आप की रेलवे मिनिस्ट्री ने बहुत मान्यता दी है और इस दृष्टि से 6 अन्य महत्वपूर्ण लाइनों की स्वीकृति दी है। ये पहाड़ी क्षेत्र हैं और स्टेटिजिक प्वाइन्ट आफ़ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र भी उस दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह बिलकुल बैकवर्ड प्लेस है, इस लिए प्राथमिकता के आधार पर मेरे सुझाव पर विचार किया जाये।

दूसरी बात–पाकिस्तान की सीमा हमारे राजस्थान प्रान्त से या यूं कहिऐ बाड़मेर ज़िले से लगी हुई है। 1971 से पहले मनावा उस क्षेत्र में रेलवे का आखरी स्टेशन था, वह लाइन मनावा से पाकिस्तान में खोखरोपार होते हुए हैद्रावाद और करांची तक जाती थी। 1971 के बाद उसे बन्द कर दिया गया. जिस के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र को जाने वाले तथा पाकिस्तान से आनेवाले यात्रीयों के लिए बहुत कठिनाई पैदा हो गई हैं। अब उन यात्रीयों को पंजाब से हो कर जाना पड़ता है जो कि एक बहुत ही कास्टली–अफेअर है, बहुत ज्यादा मंहगा पड़ता है। इस लिए मैं सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस लाइन को फिर से चालू किया जाये और यह फिर से पाकिस्तान में खोखरोपार होते हुए कराची तक जाय। इस के लिए आपको पाकिस्तान सरकार से बात चीत करनी चाहिए और बात चीत कर के इस को फिर से चालू किया जाय। इस लाइन के फिर से चालू करने से हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को बहुत लाभ हो सकेगा।

मैं अब दो तीन सुझाव दे कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। जोधपुर से जयपुर के लिए जो ट्रेन जाती है, उस में इस समय साढ़े–दस घन्टे लगते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि नार्दन रेलवे ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि जोधपुर से सुबह 6 बजे एक ट्रेन रवाना हो, जो दोपहर 1 बजे तक जयपुर पहुंच जाय और जयपुर से वह ट्रेन ढ़ाई बजे रवाना हो और साढ़े नौ बजे जोधपुर पहुंच जाय। नार्दन रेलवे का यह सुझाव बहुत अच्छा है और मेरा अनुरोध है कि इसे अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए।

दूसरा सुझाव भी इसी प्रकार है। जोधपुर से एक ट्रेन रात को 10 बजकर 15 मिनट पर रवाना होती है। वह सवेरे 6 बजे फुलेरा पहुंच जाती है। वहां से जयपुर तक पहुंचने में उसे ढ़ाई घंटे लग जाते हैं क्योंकि वह वेस्टर्न रेलवे की नानकोआप्रेशन के कारण पेसेंजर ट्रेन हो जाती है। पेसेजर ट्रेन हो जाने के कारण उसे फुलेरा से जयपुर तक पहुंचने में ढ़ाई घंटे लग जाते हैं। इस बात को देखा जाना चाहिए कि रेस्टर्न रेलवे नान–कोआप्रेशन क्यों कर रही है? जो गाड़ी जोधपुर से 10 बज कर 15 मिनट पर रवाना हो उसे सुबह सात बजे तक किसी भी हालत में जयपुर पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए जिस तरह से चेतक सुबह सात बजे जयपुर

पहुंच जाती हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे भी सुबह सात बजे तक जयपुर पहुंचने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैंने देखा है कि रेलवे में खाने-पीने की व्यवस्था बहुत खराब है। मैं उत्तरपूर्वी क्षेत्र और असम गया था। मैंने वहां गाड़ियों में खाना बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी का पाया। इतनी इन्फीरियर क्वालिटी का खाना मिलता है कि दो दाल दी जाती है उसमें दाल का नामोनिशान नहीं होता। इस लिए ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि रेलों में इन्फीरियर क्वालिटी का खाना प्राप्त न हो, इम्प्रुव्ड क्वालिटी का खाना यात्रियों को मिले। बेशक आप दो रुपये से बढ़ाकर खाने के तीन रूपये कर दें लेकिन यात्रियों को रेलों में हर जगह खाना अच्छा मिलना चाहिए। यह व्यवस्था रेलवे अथारिटीज को करनी चाहिए, इसे कांट्रक्टर्स के जिम्मे ही नही छोंड़ देना चाहिए। हमारे देश में अपने देश के पेसेंजर्स तो रेलों में यात्रा करते ही हैं, दूसरे देशों के यात्री भी यात्रा करते हैं। इस खराब खाने का उन लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए खाने की किस्म को सुधारने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : सभापति महोदय, रेलवे हिन्दुस्तान का सब से बड़ा उद्योग है और इस में सब से ज्यादा रकम लगी हुई है। इस में 15 लाख आदमी काम करते हैं। उस के बाद भी इस उद्योग में घाटा बताया जाता है। इसका क्या कारण है ?

हमें एक नयी किताब मिली है -रेलवे बोर्ड : स्टडी इन एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी चार लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहता हूं–

बोड की एक विशेषता यह है कि इसमें स्वयं में ही मतभेद है। अतः इस प्रणाली न तो एकीकृत नियन्त्रण है और न ही विभागीय स्वतन्त्रता की व्यवस्था है। यह कार्यपालिका प्राधिकरण के रूप कुशल नहीं है। इसके पांच प्रधान है वे धीमी गति से निर्णय करते है। उनकी शक्ति कम होती है। और जिम्मेदारी विस्तृत होती है। सामान्यतः बहुप्रधानों वाले संगठन से इसकी आशा नहीं की जा सकती।

मैं अगर इसका पूरा चेप्टर पढ़ूं तो मालूम हो जाएगा कि इस में अरबों रुपया लगने के बाद भी घाटा क्यों होता है ? मैं कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके रेलवे बोर्ड वाले इस को पढ़ लें। ऐसा लगता है कि इस के लिए न कोई कमेटी है, न इसकी कोई जांच करने वाला है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आप हिन्दुस्तान के नक्शे से राजस्थान को हटा दीजिए, रेलवे के मामले में हमारे यहां पर ऊंटों की गाड़ियां चलनी चाहिए, केवल केमल्स की गाड़ियां। मैं पूछना चाहता हूं कि अहमदाबाद से दिल्ली तक की रेलवे लाइन को ब्राड गेज बनाने के लिए अब तक क्या किया है ? हम कहते-कहते थक गये। कब तो यह स्कीम बनी, इस को कब आप इम्पलीमैंट करेंगे ? कितने सालों से इस के लिए हम कह रहे हैं। मेरे ख्याल में बीस सालों से इस के लिए हम कह रहे हैं।

मेहरबानी करके अहमदाबाद से दिल्ली तक की लाइन को आप ब्राड गेज में कनवर्ट कर दें। गुजरात में और राजस्थान में भी फैमिन है। फैमिन रिलीफ के काम में भी इससे बहुत मदद

मिल सकती है । इस काम को कब तक शुरू कर दिया जाएगा यह हम को बताया जाना चाहिये ।

चाहे जनता पार्टी की सरकार हो या यह सरकार हो, मालूम होता है कि राजस्थान के वास्ते कोई नई लाइन ही नहीं बनेगी और राजस्थान पर कोई पैसा ही खर्च नहीं किया जाएगा। मैं एक छोटी सी मांग ही आपके सामने रखना चाहता हूं । राजस्थान सब से ज्यादा बैकवर्ड है। आप वहां पर बगड़ी से बिलाड़ा तक जो बीस मील का एक टुकड़ा है लाइन बना दें और बिलाड़ा से उससे सीधा जोधपुर जाया जा सकेगा और इससे लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। जयपुर तक पहुंचने में भी इससे आसानी हो जाएगी ।

यह जो रेलवे है इसके लिए कोई कमेटी नहीं है । पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी भी इसको एग्जेमिन नहीं करती है । मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक अलग से कमेटी होनी चाहिए जो इस के कामकाज पर कन्ट्रोल रख सके, जो इसके कामों की जांच कर सके ।

आपने घाटे का बजट पेश किया है । इसको भी आपको देखना चाहिये । मैं यह भी चाहता हूं कि अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक ब्राडगेज बने और एक छोटी लाइन का बीस मील का जो टुकड़ा मैंने बताया है, उसको जोड़ा जाना चाहिये ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं इस अधूरे और राजनीति प्रेरित बजट के लिए मन्त्री महोदय को धन्यवाद तो नहीं दे सकूंगा लेकिन उनके स्वास्थ्य की कामना जरूर करूंगा और चाहूंगा कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो कर हमारे बीच आ जाएं ।

हम इस बात को पसन्द करेंगे कि रेलों का विकास हर दृष्टिकोण से होना चाहिये ताकि हमारे देश की जनता का भला हो सके । लेकिन दुख है कि ऐसा हो नहीं रहा है । कांग्रेस की हकूमत हमारे देश में तीस साल तक रही । उसकी तसवीर हमारे सामने है । अभी स्थिति यह है कि यात्रियों की ढुलाई तो हो रही है, उससे आपकी आय भी बढ़ रही है लेकिन माल की ढुलाई का क्या हाल है ? आप जानते हैं कि माल की ढुलाई बहुत असन्तोषजनक है । अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि माल की ढुलाई में जो एनर्की है, जो अराजकता है, उसको दूर किया जाए । यह कहा जाता है कि हमारे पास वैगंज बहुत हैं । लेकिन आप के ही डिपार्टमेंट के दूसरे-दूसरे लोग कहते हैं कि वैगंज और रेल डिब्बों की कमी की वजह से हम बहुत से आवश्यक सामान देश के विभिन्न भागों में या कारखानों में नहीं पहुंचा सकते हैं । मैं जानता हूं कि वैगंज बड़े-बड़े पूंजीपति, टाटा, बिड़ला, डालमिया आदि हफ्तों अपने पास रखते हैं। आप जमशेदपुर में जा कर देख लें, वहां पर वैगंज को इन लोगों ने गोदाम बना कर रखा हुआ है। उद्योगपति अपने सामान को उसी में रखते हैं, गोदाम बना करके रखते हैं । अगर यह स्थिति कायम रहेगी तो वैगंर्ज की कमी भी बनी रहेगी । वैगंज या इंजनों की मुरम्मत के लिए जो आपके कारखाने हैं वे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं । अफसरों की संख्या तो बढ़ती जाती है लेकिन जो मजदूर मैदान में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, स्टेशनों पर काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, उनकी संख्या में कमी होती चली जा रही है । इसका नतीजा यह होता है कि जितनी वैगंर्ज बननी चाहिये, कर्मचारियों की कमी की वजह से वे नहीं बनती हैं।

सामानों की कमी है। आपके यहां स्पेयर पार्टस बहुत कम होते हैं, ठीक से सप्लाई नहीं करते हैं। फिर आप बतायें कि इंजन और वैगनों की मरम्मत कैसे होगी। इस में भी आपके अफसरों की निजी उद्योगपतियों से सांठगांठ रहती है और वह लोग स्पेयर पार्ट्स या दूसरे कामों के लिये आपके अधिकारी निजी उद्योगपतियों की सेवा में जाते हैं जिस के कारण रेल के कारखानों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचता है इस का उदाहरण हमारे यहां जमालपुर की रेलवे वर्कशाप है। आप इस व्यवस्था को ठीक करें, और जो हमने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं उनको पढ़ें और जो मानने लायक बातें हैं उनको मानिये तो आय बढ़ायी जा सकती है, अराजकता रोकी जा सकती है और देश का भला हो सकता है।

मैंने टोप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया। लेकिन आम कर्मचारियों की कमी है जिसकी वजह से समय पर मजदूरों को न ओवरटाइम मिलता है, न और भत्ते मिलते हैं, तनख्वाह जरूर समय पर मिल जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मजदूरों की कटौती न करके उनको बढ़ाइये और अफसरों की कटौती कीजिये।

रूट माइलेज 32 साल की आजादी में कितना हुआ ? अगले बजट सेशन में हम आपके सामने पूरे आंकड़ों के साथ आयेंगे और बतायेंगे कि आपने कितना रूट माइलेज बढ़ाया। ज्यादा से ज्यादा लाइनें बढ़ाने की जरूरत है। छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना चाहिये। हमारे यहां पटना-गया लाइन को डबल कर दीजिये। कियोल से जो भागलपुर होते हुए लाइन जाती है उसको डबल कर दीजिये। और नई लाइनों को बनायें। आरा सहसराम लाइट रेलवे और फतवा-इस्लामपुर लाइट रेलवे हैं इनको आप अपने कबजे में लीजिये तब जा कर वहां उद्योगधंधे विकसित होंगे। अगर आप चाहते हैं कि देश खुशहाल बने तो आपको ज्यादा से ज्यादा पिछड़े हुए इलाकों में रेल लाइनों को बिछाना होगा। इसलिये रूट माइलेज को बढ़ायें।

रेलवे में ठेकेदारी प्रथा अभी तक कायम है। कोल और ऐश हैंडलिंग में लोडिंग और अनलोडिंग में यह प्रथा अभी भी चालू है। चलिये गरहा-बरौनी में वहां ट्रांसशिपमेंट में अभी तक ठेकेदारी प्रथा चलती है। यह ठेकेदार मजदूरों का खून चूसते हैं। इसलिये इस प्रथा को खत्म कीजिये।

इसी तरह से रेल मजदूरों के प्रोमोशन में धांधली है और अफसरशाही है। कोई ए.आई.आर. एफ. और कोई एन.एफ.आई.आर. के नाम पर कोई किसी और के नाम पर कोटा लेता है, कोई अफसर के नाम पर, कहीं शैड्यूल्ड कास्ट के नाम पर प्रोमोशन का कोटा है। इससे रेल मजदूरों में बहुत असंतोष है। इस पर ठीक से विचार होना चाहिये और एक प्रोमोशन पौलिसी होनी चाहिये ताकि एक कर्मचारी के लाइफ टाइम में कम से कम तीन बार प्रोमोशन मिल सके। अभी तो 20, 25 साल तक कोई प्रोमोशन नहीं मिलता है। इस क्षेत्र में आपकी नीति भेद-भाव की है, जो चापलूसी करता है, आपकी जी हुजूरी करता है, चुनाव में आपके काम करता है उसको तो प्रोमोशन मिल जाता है, अन्यथा नहीं। इससे रेल मजदूर संतुष्ट नहीं होंगे।

रेल मजदूरों के वेतनमान की बात लीजिये। मिनियम 196 रु० है, लेकिन और दूसरे सरकारी कारखानों में ज्यादा वेतन मिलता है। चाहे कोयला या स्टील का कारखाना हो उनमें

मजदूरों को ज्यादा वेतन मिलता है। हमारा कहना है कि रेल मजदूरों के वेतन में और अन्य सरकारी कारखानों के वेतन मानों में पैरिटी होनी चाहिये। होना तो चाहिये नीड-बेस्ट मिनिमम वैज। 17वीं लेबर कान्फ्रेंस की सिफारिश को आपको मानना चाहिये, अगर उसको मानने में आनाकानी करते हैं तो कम-से-कम कुछ तो सुधार लाइये। नहीं तो रेल मजदूरों में असंतोष है, उनकी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। मंहगाई और ज्यादा बढ़ गई है। इसलिये यह सारे काम आपको करने होंगे।

औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। यह जरूर है कि दो मान्यता प्राप्त यूनियनों से आप बात करते हैं। इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि सीक्रेट बैलट के आधार पर एक यूनियन होनी चाहिये रेलवे में और वही काम करे। जब तक ऐसा आप नहीं करते हैं, काम ठीक नहीं होगा। अन-रिकग्नाइज्ड यूनियनों को दंडवते जी ने मौका दिया था, वह हमारा रिप्रेशेन्टेशन लेते थे, बात करते थे, लेकिन सुना है कि आपकी सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। सब फैडरेशनों की यूनियनों की एक ही कैटेगरी की यूनियन बनाइये और सबसे बात कीजिये। औद्योगिक यूनियन हो, सबसे आप बात कीजिये और उनका रिप्रैजैन्टेशन लीजिये तभी उनका असंतोष दूर हो सकेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बोनस आपने उत्पादकता की शर्त के साथ दिया है। कुछ फैडरेशनों ने, खासतौर से मान्यता-प्राप्त फैडरेशनों ने इसे स्वीकार किया है मैं इंडियन रेलवे वर्कर फैडरेशन से संबंधित हूं, कैटेगरी की यूनियन से संबंधित हूं, इन लोगों ने इसे फार्मूले को को स्वीकार नहीं किया है। यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिये कि सभी रेलवे मजदूरों ने इस फार्मूले को मान लिया है। हम विनम्रता के साथ कहते हैं कि डैफर्ड वेज के सिद्धान्त को मानिये, जैसे तमाम हिन्दुस्तान में बोनस का सिद्धान्त है, वही सिद्धान्त आप भी स्वीकार कीजिये। 12 महीने रेलवे मजदूर से काम लीजिये और 13 महीने की तनख्वाह दीजिये। यह सब हटाइये रेल मजदूर इससे संतुष्ट नहीं है। आज या कल विस्फोट होने वाला है जिसको मेरे ख्याल से हमारी मान्यता प्राप्त फैडरेशन भी रोक नहीं सकेंगी।

एक माननीय सदस्य : इसके लिये तो जार्ज साहब हैं।

श्री राम अवतार शास्त्री : इसमें मैं भी हूं, खाली जार्ज साहब ही नहीं है। मैं उनका सहयोगी हूं। अगर वह सहयोग न लें तो दूसरी बात है।

एक बात मैं और कह दूं कि आर० पी० एफ तो रेलवे का पार्ट एंड पार्सल है। उनके यहां गलतियां हो सकती हैं। हमें उनकी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिये। हम भी उनसे कहते हैं कि आपके यहां गड़बड़ी है, थोड़ा ठीक तो करो, सम्पत्ति रक्षा तो करो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनको बोनस न दिया जाये। बोनस उनको भी जरूर दीजिये। उनमें भी बहुत असंतोष है, नहीं तो आपको और ज्यादा नुकसान होगा, इतना ही मैं कह सकता हूं।

इसके अलावा रेलवे अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं। रेल मजदूरों को दवाएं नहीं मिलती हैं। मैं दानापुर की बात जानता हूं, वहां न दवा है, न लेडी डाक्टर है और न पर्याप्त लेडा डाक्टर है। दोनों ही नहीं हैं।

श्री मधु दंडवते : यह लेडा कहां से लाये भाई ?

श्री राम अवतार शास्त्री : लेडा यानी मर्द डाक्टर। आज आवश्यकता के मुताबिक डाक्टर वहां नहीं हैं : इसकी कोशिश की जानी चाहिये।

मैं अपने इलाके की एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ जयन्ती जनता जो चलती है, उसकी दाड़ और बढ़ाई जाये, उसे दो दिन के बदले और ज्यादा किया जाये। उसे आप यहां नई दिल्ली तक लाइये, अभी पुरानी दिल्ली तक ही लाते हैं। हम लोगों की भी थोड़ी मदद कीजिये। जो डीलक्स पटना होकर चलती है, वह वहां पर दो दिन ही जाती है, उसको भी बढ़ाइये ताकि यात्रियों को सुविधा हो। पटना से दिल्ली तक एक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाइये, तब काम चलेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पटना में गंगा पर जो रेल पुल बनने की बात है, उसको भी बनाइये। 5 साल से पूना में विशेषज्ञ उसकी जांच कर रहे हैं। यही जवाब दंडवते जी ने भी मुझे दिया था, जब मैं पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं था। यही बात अब त्रिपाठी जी ने भी लिख कर दी है। मैंने पिछले बजट में भी यही सवाल उठाया था कि बिहार की और देश की तरक्की के लिये पटना में सदाकत आश्रम के पास गंगा नदी पर रेल पुल का बनना बहुत ही जरूरी है।

यह भी कहना चाहता हूं कि तमाम गेंगमैनों को सी० पी० सी० स्केल दीजिये। कैजुअल, सब्सटोट्यूट मजदूरों को नियमित बनाइये, जो कि ट्रैकों की देखभाल करते हैं, जिसकी चर्चा दंडवते जी ने भी की है, वह बहुत खराब स्थिति में हैं, उनकी स्थिति को जल्द से जल्द बदलिये। पटरियों की देखभाल गैंगमैन ही करते हैं, उनको सी० पी० सी० की स्केल भी नहीं देते हैं। उनकी दिक्कतें बहुत हैं, उनको वर्दियां भी नहीं देते हैं।

रेलवे मजदूरों में जब से शोषित तबका गैंगमैनों का है, जो इंजीनियरिंग विभाग में है। सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

मंत्री महोदय इन बातों पर विचार करें, कटौती प्रस्तावों को देखें। अगर उनकी बुद्धि में आये कि अमुक बात ठीक है, तो वह उसको मान लें और देश की सेवा में हमारी मदद लें।

श्री तपेश्वर सिंह (विक्रमगंज) : सभापति महोदय, में 1980-81 केवांट आन एकाउंट बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रेल मंत्री के भाषण से स्पष्ट पता लगता है कि हमारी सरकार का ध्यान सारी समस्याओं की तरफ है। सारे देश में डीजल और कोयले की कमी को देखते हुए वह उसके ट्रांसपोर्टेशन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए मैं उन को धन्यवाद देना चाहता हूं।

नैशनल ट्रांसपोर्ट पालिसी कमेटी का प्रतिवेदन अभी तक नहीं आया है। उम्मीद है कि अगले सत्र में जो बजट रखा जायेगा, उसमें उसकी चर्चा होगी। मैं रेल मंत्री को उनके इस आश्वासन के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि रेलवे की सब सैक्शन्ड स्कीम्ज को तीव्र गति से पूराकिया जायेगा।

लेकिन मैं रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज-कल सैकंड क्लास के डिब्बे इतने कम हैं कि यात्रियों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है, जहां तक कि जो लोग पहले से टिकट खरीद लेते हैं, उन्हें भी जगह नहीं मिल पाती है। मेरा सुझाव है कि सैकंड क्लास के डिब्बों में वृद्धि की जाये, ताकि यात्रियों को कुछ सुविधा मिल सके।

मैं एक महत्वपूर्ण घटना की ओर रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में 1910-11 में बिहार में आरा से सहसराम तक रेलवे लाइन बनाई गई थी। सौ किलोमीटर लम्बी उस लाइन की काफी उपयोगिता थी। आँकड़ों से पता चलता है कि लगभग तीस हजार पैसेंजर्ज प्रति-दिन उस लाइन का इस्तेमाल करते थे और अप तथा डाउन मिला कर रात-दिन मे 17 गाड़ियां उस लाइन पर दौड़ती थीं। बीच में मार्टिन लाइट रेलवे नाम की कम्पनी उस लाइन को चलाती रही। वह कंपनी उस रेलवे को बन्द करना चाहती थी, लेकिन भारत सरकार और बिहार राज्य सरकार उस जिले की जनता की सुविधाओं की दृष्टि में रखकर कंपनी को अनुदान देती रहीं, ताकि वह रेलवे लाइन चालू रहे। लेकिन पिछले साल जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसने जनता की सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं किया और मार्टिन लाइट रेलवे के मैनेजमेंट के आग्रह पर सबसिडी देना बन्द कर दिया और उसे वाइंड अप करने की परमिशन भी दे दी।

1978 साल में आरा सासाराम के बीच में जो 100 किलोमीटर की रेल थी, उस को एकाएक बन्द कर दिया गया। इतना ही नहीं उन्हें इस बात की भी इजाजत दे दी गई कि रेल के डिब्बे या रेल की भी पटरियां, रेल की लाइनें और रेलवे स्टेशन भी वह बेच सकते हैं। घड़ल्ले से रेल के डिब्बे बेंच दिये गए, रेल की लाइन भी बेंची जा रही है, रेल की पटरियां बेची जा रही हैं। हमारे जिले में और हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, जहां से मैं निर्वाचित हो कर आया हूं, इस से काफी असंतोष है। आज के वैज्ञानिक युग में जहां भारत सरकार हिन्दुस्तान की जनता को और नयी नयी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, वहां हिन्दुस्तान की जनता को एक सुविधा जो आजादी से लगभग 70 वर्ष पहले से प्राप्त थी वह भी उन से छीन ली गई। एक तरफ हम चर्चा करते हैं कि जहां कोई रेल लाइन नहीं है वहां रेल लाइन प्रोवाइड करें, दूसरी तरफ जो एक सुविधा ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में थी वह भी छीन ली गई, 1978 में रेलगाड़ी को बन्द कर दिया गया। उस की जमीन अभी पड़ी हुई है। उसे भी बेचने की बात चल रही हैं। राज्य सरकार ने भी भारत सरकार से अनुरोध किया था लेकिन उस पर कोई फैसला जनता पार्टी की सरकार के समय में नहीं हो सका। मार्टिन लाइट रेलवे कम्पनी चार पाँच रेलवे लाइनें चला रही थी। उस में से तीन रेलवे लाइन थी—हावड़ा से अमठा, हावड़ा से शिखेला और शाहदरा से सहारनपुर। इन को भारत सरकार ने ले लिया और इन स्थानों पर बड़ी लाइन बनवाई जा रही है। लेकिन इस लाइन का कोई ख्याल नहीं किया गया। इसलिए जनता में काफी असंतोष है। मैं आप के माध्यम से रेल मंत्री जीसे और सरकार से यह मांग करना चाहूंगा, पहले जब स्वर्गीय ललित बाबू थे तो इस मार्टिन लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलने की चर्चा हुई थी, लेकिन बड़ी लाइन बनाना तो दूर रहा, जो एक छोटी लाइन

चलती थी वह भी खत्म कर दी गई । इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और आरा सासाराम रेलवे लाइन को गड़ी लाइन में परिवर्त्तित करने की कृपा करें ।

श्री जी० एम० बनातवाल्म (पोन्ननी): सभापति महोदय सबसे पहले मैं रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी के स्वास्थय लाभ की कामना करता हूं । आशा है वह जल्द ही स्वस्थ होंगें ।

मैं अंतरिम रेल बजट के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । सरकार ने भारतीय रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के प्रति जो जागरूकता दिखाई है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं भारतीय रेलवे ऐशिया की सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था और कई समस्याओं के बावजूद भी से यह वेहतर रूप में संगठित सरकारी उपक्रम इसके लिए सरकार को श्रेय दिया जाना चाहिए ।

रेलवे के समक्ष अनेक समस्याएं है उदाहरण के लिए समय की पावंदी की समस्या इसके लिए वेहतर प्रवंध की आवश्यकता है फिर उपस्करों के आधुनिकरण की आवश्यकता है, गत दो वर्षो के दौरान उपस्करों के आधुनिकरण की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गयां है जितना कि दिया जाना चाहिए था । उपस्करों के आधुनिकी करण का जो कार्य रेल मंत्री ने अपने हाथ में लिया है उसके लिए वह वधाई के पात्र हैं

उपाध्यक्ष महोदय पठासीन हुए

जैसाकि मैंने कहा उपस्करों के आधुनिकीकरण का काम एक वहुत बड़ा काम है अव तक इंजन डिव्वे, पटरियाँ तथा अन्य उपस्करों को वदलने पर अधिक व्यय नहीं किया गया है । ऐसा लगता है था कि सभी रेलों का विद्युतीकरण अथवा उनमें डीजल इंजन लगाए जाने में न जाने अभी कितना अरसा और लगेगा और यही भाप के इंजन न जाने कब तक चलते रहेंगें । लेकिन इस वजट से हमें इस दिशा में संतोष हुआ है इसमें कहा गया है कि रेलवे के आधुनिकीकरण और रख-रखाव से 19 करोड़ डालर का ऋण प्राप्त होगा अतः यदि पूर्ण नहीं तो आंशिक रूप से हम संतुष्ट है कि उपस्करों के आधुनिकीकरण की दिशा में नई सरकार ने शुरू आत तो की है और मै उनकी सफलता की कामना करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय ऐसी समस्याएं है जिन्हें समया भाव के कारण मैं कुछ विशिष्ट समस्याओं की और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वोनस का प्रश्न काफी समय से लटक रहा है । इसे स्वीकार किया गया है लेकिन इस पर अनिच्छा से विचार किया गया है । सरकार से अनुरोध है कि न्यूनतम वोनस को आस्थागित मजूरी माना जाए । सरकार को इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए । पिछले कुछ समय से औद्योगिक संबंध वहुत खराव हैं जनता सरकार अपनी सभी उद्योषणाओं के वावजूद भी औद्योगिक संबंधों की समस्या को हल नहीं कर पाई । पहले उन्होंने वायदा किया फिर वाद में वोनस को उत्पादिकता की धारणा के साथ जोड़ दिया लेकिन मुख्य प्रश्न न्यूनतम वोनस को आस्थगित मजूरी के रूप में स्वीकार करने का है ।

इस विषय पर मैं अधिक विस्तार मे नहीं जाना चाहता क्योंकि पिछले सत्र में मैंने इस विशिष्ट विषय के संबंध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और काफी लम्बा भाषण दिया था अब भी मैंने इस संबंध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि सरकार को वास्तविकता का पता चले और मैं इस विशिष्ट कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं। हमें बताया गया है कि कई यूनियनों और फेडरेशनों ने उत्पादिकता से बह बोनस को स्वीकार कर लिया है लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह सही नहीं है इस पर कुछ लोगों को गंभीर शंकाए हैं इसलिए इस मामले पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।

केरल राज्य से संबंधित कुछ समस्याएं है। श्री सी० एम० स्टीफन ने अब रेलवे का कार्य भार संभाला है। केरल में रेलवे की जो खराब दशा है उससे वह अच्छी तरह परिचित है यह बहुत दुख की बात है कि सारे रद्दी डिब्बे, रद्दी वैगन केरल राज्य को अलाट किए जाते है। लगता है कि रद्दी डिब्बे वैगन इत्यादि हमें देने में वह हमारा विशेष ध्यान रखते है। मैं सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने कुट्टीपुरम से गुरुवेयूर और त्रिचूर तक लाइन के लिए किए गए सर्वेक्षण को फिर से हाथ में लिया है। मैं चाहता हूं वित्तीय आधार पर इसके निर्माण का कार्य रोकना नहीं चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मांग है और इसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। मल्लापुरम एक पिछड़ा जिला हैं इसकी ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ऐसे मामलों में केवल वित्तीय संसादनों का ही ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। केरल में और अधिक गाड़िया चलाए जाने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ ऐरणाकुलम से कालीकट तक दिन के समय एक गाड़ी भी नहीं जाती। श्री सी० एम० स्टीफन केरल निवासी है। आशा है वह केरल के प्रति उदासीन नहीं होंगें। आशा है सरकार केरल की न्यायपूर्ण मांगो पर उचित रूप से ध्यान देगी।

मैंने अपने कटौती प्रस्तावों में केरल राज्य की अनेक समस्याओं का उल्लेख किया है। आशा है सरकार उन पर ध्यान देगी।

सरकार का ध्यान मैं एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं तिरूर रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक पान टोकरियों की बुकिंग बिल्कुल बंद कर रखी है जिसके कारण पान जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तु के कारण पान के छोटे व्यापारियों को हजारों रुपये का नुकसान हो रहा है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लगभग एक वर्ष तक तिरूर से नई दिल्ली तक पान के पत्तों को लाने के लिए कोई वैगन अलाट नहीं किया गया। तिरूर के पान के छोटे व्यापारियों को इससे बहुत नुकसान हो रहा है मुझे निश्चय है सरकार इस ओर तत्काल ध्यान देगी और आवश्यक वैगनों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ताकि वहां के पान व्यापारियों को और नुकसान न हो अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं केरल में गाड़ियों के समय की पावंदी का पालन न किए जाने का भी उल्लेख करना चाहता हूं। यह दुख कि बात है कि मध्य रेलवे ने बम्बई में उपनगरीय गाड़ियों के किराए बढ़ा दिए है। मैं इस संबंध में थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूं अतः मेरा अनुरोध है कि मुझे थोड़ा समय और दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को कितना समय और चाहिए ।

श्री जी. एम. बनातवाला : पन्द्रह मिनट ।

अध्यक्ष महोदय : में आपको केवल एक मिनट का समय और दे सकता हूं ।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं आशा करता हूं जिन विभिन्न विषयों को मैंने उठाय है सरकार उस पर ध्यान देगी ।

सरकार ने रेलवे में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए प्रबंधक वर्ग को जो अप्रेरित किया है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं । यद्यपि इस बजट से हमें कुछ संतुष्टि हुई है फिर भी कई क्षेत्र ऐसे है जहां अभी बहुत काम करना बाकी है । सरकार को अभी भी कई गंभीर समस्याओं का सामना करना है ।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री सी० चिन्नास्वामी : (गोनीचेटिटपलयम) अखिल भारतीय अभा द्रमुक दल की ओर से मैं रेल बजट के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

रेल बजट के संबंध में कुछ भी कहने से पहले मैं रेल मन्त्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं ताकि मेरी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना जा सके और उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो ।

यद्यपि देश में कुछ राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस (ई) और द्रमुक इत्यादि के कारनामों से और कांग्रेस (ई) द्वारा विधान सभाओं के विघटन से हमारे लोकतंत्र अवपथित हुआ है पर रेलवे के कुशल प्रशासन ने रेलवे को अपने पथ से विचलित नहीं होने दिया ।

रेल यात्रियों को अधिक सुविधाएं देने चिरप्रतीक्षित मांगों को पूरा करने के लिए विधमान गाड़ी सेवाओं को बढ़ाने तथा आवश्यकता आधारित अतिरिक्त गाड़ियों को चलाने की आपकी नीति का मैं स्वागत करता हूं ।

मेरा प्रस्ताव है कि रेलवे का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और मद्रास जैसे बड़े शहरों में अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई क्रियाविधि अपनानी चाहिए । मद्रास में द्रुत परिवहन प्रणाली अथवा टयूब रेलवे प्रणाली शुरू की जानी चाहिए । इस प्रस्ताव पर पहले विचार किया गया था ।

काफी अरसे से चामराज नगर–साथियामंगलम–गोनी चेटिटपलयम–तिरूप्पूर–पल्लादाम–धरापुरम–पालानी के लिए नई लाइन की मांग की जा रही है । इस लाइन पर निर्माण कार्य अब शुरू किया जाना चाहिए ताकि दक्षिण कर्नाटक से सम्पर्क स्थापित हो सके और लोगों की अभिलाषा पूर्ण हो । तिरूनेलवेलि से मद्रास तक एक और एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जानी चाहिए ।

मैं चाहता हूं कि दक्षिण में तूतीकरोन और त्रिची तथा करूर और त्रिची और मद्रास तथा त्रिची और डुंडीगल के बीच की मीटर गेज लाइनों को गड़ी लाइनों में बदला जाए । इन लाइनों के संबंध में सर्वेक्षण कार्य काफी अरसे पहले पूरा हो गया है ।

देश में मालगाड़ियों की सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है ताकि आवश्यक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से भेजा जा सके।

शिवकाशी, ऐरोड और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक और वाणिज्यिक केन्द्रों को और अधिक वैगन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। वैकल्पिक प्रबन्ध कराए जाने चाहिए और वैगन उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि दाल, गेहूं और चावल जैसी वस्तुओं का आवागमन हो सके और महंगाई पर प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सके। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला और उर्वरक के आवागमन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि निर्धन लोग इससे प्रभावित न हों।

वर्तमान ढुलाई दरों को कम किया जाए।

पहले यह कहा गया है कि पेराम्बूर कोच फैक्टरी ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, दक्षिण में विशेषरूप से तमिलनाडु में एक और कोच फैक्टरी लगाई जानी चाहिए।

रेलवे सुरक्षा बल को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विशेष भत्ता दिया जाना चाहिए।

निचली श्रेणी के कर्मचारियों, जैसे गेंगमैन को अधिक वेतन दिया जाना जाहिए। उनमें से कुछ को अस्थायी रूप में रखा जाता है, उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री स्वामी इन्द्रवेश (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट को देख कर लोगों को बड़ी निराशा हुई। खास करके से क्षेत्र के लोगों की जहां पर पहले से रेल लाइन नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से सदन में चुन कर आया हूं, वह रोहतक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में, रोहतक और रिवाड़ी के बीच में पिछले तीस साल से रेल लाइन के लिए आवाज उठायी जाती रही है कि हमें रिवाड़ी से झज्जर होते हुए रोहतक के लिए रेल लाइन मिलनी चाहिए। लेकिन उस लाइन की इस बजट में कोई बात नहीं है और न कोई यहां पर चर्चा है। यह लाइन इस बात के लिए भी जरूरी है कि इस लाइन से राजस्थान, उधर पानीपत से हो कर उत्तरप्रदेश और फिर पंजाब का सारा इलाका जुड़ जाता है। मैं समझता हूं कि यह रिवाड़ी-झज्जर-रोहतक रेल लाइन बनायी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, यह जो रेलवे का सारा तंत्र है, मुझे ऐसा लगता है कि यह गांव के लोगों की बिलकुल परवाह नहीं करता है। उसका प्रमाण यह है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जो रेल लाइनें हैं उन में बहुत जगहों पर फाटक नहीं होते। रेल लाइनों के साथ-साथ जो सड़कें होती हैं उन पर बसें, ट्रेक्टर और टेम्पो चलते हैं जिनके कारण उस लाइन पर आने वाली रेल गाड़ियों की आवाज नहीं सुनायी पड़ती जिसका कि परिणाम बड़ा भयंकर होता है। बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। टेम्पो और बैल-गाड़ियां रेल-गाड़ियों के नीचे आ जाती हैं। मैं समझता हूं कि सारे देश में ऐसी अवस्था है। हरयाणा की सैंकड़ों जगहें तो मैं जानता हूं जहां पर ऐसे स्थान हैं जिन पर रेलों से ट्रेक्टर और टेम्पो की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

रोहतक के अन्दर मैं देखता हूं कि झज्जर रोड के ऊपर जो रेलवे लाइन है, उस पर कोई पुल नहीं है। मेरा खुद का तजुर्बा है कि रोहतक से 50-60 मील दिल्ली आना तो आसान है लेकिन झज्जर लाइन को पार करना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं कि इस तरह की अव्यवस्था वहां रहती है कि सवेरे से लेकर शाम तक हजारों लोग सरकार की और रेलवे तंत्र की निष्क्रियता की निन्दा करते रहते हैं और सरकार के इस तंत्र की लापरवाही के कारण, कड़ुवे जहर का घूंट पीकर रह जाते हैं। सरकार और रेल प्रशासन इस को देखता ही नहीं कि सालों सालों से लोग परेशान चले आ रहे हैं। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

कई स्थानों में देखता हूं कि रेल लाइनों पर फाटक तो हैं लेकिन फाटक दो-दो घंटे तक बंद रहते हैं। दोनों तरफ फाटक के गाड़ियां खड़ी रहती हैं, किसान अपनी-अपनी बैलगाड़ियां लिये खड़े रहते हैं लेकिन फाटक बंद रहते हैं। यह जो लापरवाही पूर्ण व्यवस्था है इस से लोगों को बड़ी निराशा होती है। इस और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

वैसे तो सभी सार्वजनिक स्थानों पर लेकिन रेलवे स्टेशनों पर विशेषकर बुक स्टाल्ज बने हुए है जिनके ऊपर अश्लील साहित्य की भरमार रहती है। एक आदमी जो लम्बी यात्रा करता है उसे पढ़ने के लिए यदि कोई पुस्तक लेने की बात सूझती है, नाटक या उपन्यास लेने की बात सूझती है तो अधिकतर उसको यही साहित्य खरीदने के लिए मिलता है। आपको देखना चाहिये कि इस प्रकार का अश्लील साहित्य वहां न बैचा जा सके और इसके लिए आपको कोई विशेष व्यवस्था करनी चाहिये।

रेलों में अरबों रुपये की पूंजी लगी हुई है ओर लाखों लोग इस में काम करते हैं। यह जो इतना बड़ा तंत्र है यह करोड़ों करोड़ रुपये घाटे में जाए, इसको देख कर दुख होता है। इस में लाखों-लाख ओर करोड़ों-करोड़ रुपये की चोरियां हो जाती है। मैं समझता हूं कि इस का मुख्य कारण है सरकार की अयोग्यता जो सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम नहीं करती है और न ले पाती हैं। मैं समझता हूं कि इन चीजों की तरफ ध्यान दिया चाना जाहिये।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से हूं कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु आपकी पार्टी ने आपका नाम अवश्व ही दिया होगा।

श्री रामप्यारे पनिका : निस्सन्देह, कुछ नाम दिए गए थे। परन्तु अब जब कि सभी बोल चुके हैं, मुझे भी कुछ समय दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देना है और हमें 5 बजे बक इसे समाप्त भी करना है। कृपया सहयोग दें।

श्री रामप्यारे पनिका : मुझे कृपया दो ही मिनट दे दीजिए।

श्री ठाकुर शिवकुमार सिंह (खंडना) : मेरा नाम है मेरे निर्वाचन क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे एक दो मिनट दिए जाने चाहिए।

श्री रामप्यारे पनिका : यदि सभी वक्ता बोल चुके हो, तब हमें अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि हमारी ओर से कई सदस्य बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना हेतु यह बताना चाहता हूं कि वक्ताओं के नाम सचेतक या संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए जाते हैं। इस प्रकार जिन वक्ताओं के नाम दिए गए थे, वे सभी बोल चुके हैं। कुछ नाम अब समक्ष आए हैं। मंत्री महोंदय को उत्तर देना है और हमें इसे अवश्य ही 5 बजे तक समाप्त करना है हम समय बढ़ा नहीं सकते।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : हमारी प्रार्थना है कि कुछ समय बढ़ा दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी बोलने की अनुमती नहीं दे रहा हूं। मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कहूंगा।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : मैंने 19 कटौती प्रस्ताव रखे हैं और फिर भी आप मुझे बोलने की अनुमती नहीं दे रहे हैं। यह सब क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव बाद में आएंगे।

श्री के० टी० कोसल राम : यह उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर दे चुकने के बाद कटौती प्रस्ताव आएंगे।

श्री के० टी० कोसलराम : इनके भाषण के बाद क्या आप मुझे अनुमती देने के लिए तैयार हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उस स्थिति में तो उसे मुझे कई सदस्यों को अनुमति देनी पड़ेगी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : शासक दल के सदस्य कटौती प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री के० टी० कोसलराम : सदस्य के नाते मुझे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्टीफन

श्री सी० एम० स्टीफन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निश्चय ही माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहिए (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष जी, किसानों को माल-डिब्बे नहीं मिल रहे हैं। जिसके कारण उनको बहुत तकलीफ हो रही है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कहा है। मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री सी० एम० स्टीफन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां दिए गए भाषणों के लिए सदस्यों का धन्यवादी हूं ये सभी भाषण बहुत ही संतुलित, रचनात्मक थे और इनमें रचनात्मक सुझाव भी दिए गए। मैं कई वर्षों से रेल बजट पर होने वाले वाद-विवादों को सुनता आ रहा हूं। इन

भाषणों को सामान्यतः दो या तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है (एक) पहली तो हैं स्थानीय समस्या- अधिक लाइनों की मांग ऐसी मांगों की बहुत अधिकता रही है ; (दो) यात्रियों की शिकायतें और रेलवे के कार्यचालन हेतु रचनात्मक सुझाव ; (तीनों) रेलवे बोर्ड की आलोचना, जो सदा से की जाती रही है ; (चार) रेलवे की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण इसकी प्रशंसा हेतु या आलोचना हेतु और सुधार हेतु उपाय बनाना। ये सभी मुद्दे रेलवे बजट की किसी भी बहस में अवश्य ही आते हैं। आज के वादविवाद में भी ये सभी लक्षण मौजूद हैं। इनमें भी अधिकांश क्रोध, असन्तोष, निराशा की अभिव्यक्ति हुई है और अधिक रेलवे लाइनों की मांग भी की गई हैं तथा यह भी कहा गया है कि रेलवे लाइन देने में देरी हो रही है। इस संबंध में रेलवे मंत्री के भाषण में नीति का उल्लेख किया गया हैं जो कुछ उन्होंने कहा, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना है। उन्होंने कहा है कि :

"सीमित मात्रा में धन उपलब्ध होने का परिणाम यह हुआ है कि 1971-72 में मंजूर की गई कुछ परियोजनांए अभी भी पूरी नहीं हुइ हैं। चालू निर्माण-कार्यों को तेजी से पूरा करना अत्यन्त आवश्यक हैं ताकि जो पूंजी लगाई गई है उसका लाभ जनता को मिलने लगे ।

* * *
* * *

"माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे धैर्य रखें। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब हमें नए निर्माणों को प्राथमिकता देने के विषय में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट मिल जाएगी तो पिछड़े हुए और पहाड़ी क्षेत्रो के विकास को साधन स्रोतों की सीमा के भीतर यथोचित प्राथमिकता दी जाएगी। "

रेलवे प्रति वर्ष जो रूप ग्रहण कर रहा है। वह उत्साहवर्द्धक है। सरकार आती हैं, चलीं जाती है, रेल मंत्री आते हैं और चले जाते हैं परन्तु रेलवे राष्ट्र की प्राणशक्ति के रूप में बना रहता है।

यह सुविज्ञ है, कि रेलवे राष्ट्र की प्राणशक्ति है, यदि आप ध्यान दें तो आप पांएगे कि ऐसा कोइ भी वर्ष नहीं है जिसमें रेलवे में अतिरिक्त धन का निवेश न किया गया हो।

कुछ ही वर्षों को लीजिए :

वर्ष	नई लाइनें	लाइन परिवर्तन
	(रुपयों में)	(रुपयों में)
1974-75	18 करोड़	14 करोड़
1975-76	19 करोड़	17 करोड़
1976-77	19 करोड़	18 करोड़
1977-78	22 करोड़	24 करोड़
1978-79	34 करोड़	30 करोड़
1979-80	36 करोड़	38 करोड़
आगामी वर्ष	40 करोड़	44 करोड़

हम हर वर्ष सुधार-कार्यों पर और निर्माण-कार्यों पर अधिक से अधिक धन लगा रहे हैं। परन्तु मांगें फिर भी बढ़ रही हैं इन सभी मांगों के संबंध में अनेक बाधाएं हैं। परन्तु मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक मांग नोट कर ली गई है और वित्तीय बाधाओं को देखते हुए इन सभी मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा।

इस मामले पर सहानुभूति से विचार करने का जहां तक संबंध है, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी परन्तु इन मांगों को स्वीकार करने और कार्यन्वित करने का जहां तक संबंध है, उस में समय सीमा और वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखा जाएगा। इस मामले का सभी को ध्यान रखना होगा, यद्यपि तर्क यह दिया जाता है कि इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु उचित मांगों को स्वीकार करना होगा और यह कहना होगा 'ठीक है, हमें कुछ और वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी'। मुझे इस संबंध में केवल यही कहना है। मेरे मित्र श्री मधु दण्डवते द्वारा कुछ मुद्दे उठाए गए थे। वे लगभग 2½ वर्षों से इसके प्रभारी रहे हैं और मैं जानता हू कि उनके हृदय में इसके प्रति पितृस्नेह है। इस पितृ स्नेह का कोई भी प्रभाव हो और यह पितृ स्नेह एक प्रकार की आसक्ति में बदल गया है। अतः यही कारण है कि जब कभी उन्हें रेलवे के संबंध में बोलने का अवसर मिला है, तो उनके हृदय में इसके प्रति भावुकता रही है और यह भावुकता आज भी है। वह बहुत चिन्तित थे कि रेलवे को सामाजिक जिम्मेवारियों के बोझ से बोझिल न किया जाए। वह चाहते थे कि नवीकरण के कार्य शीघ्र आरम्भ किए जाए। प्राइमरी ट्रैक के नवीकरण का बकाया काम लगभग 6000 किलोमीटर पड़ा है। आज बकाया काम और सभी कुछ मिलाकर 11,250 किलोमीटर है। इसकी अनुमानित लागत 560 करोड़ रुपये है। इसका आगे हुयी वार्षिक आवश्यकता 112 करोड़ रुपये की होगी और वर्तमान आवंटन 75 करोड़ रुपए है। स्थिति यह है। यह करोड़ों रुपए में है। यह हमारी आवश्यकताओं से निश्चय ही कम है। हम उस ओर की इस मांग से कि और अधिक दिया जाना चाहिए, अधिक आश्वस्त हैं। हम योजना आयोग और अन्य प्राधिकरणों से अनुरोध करेंगे कि जहां तक संभव हो इस अत्यन्त जरूरी आवश्यकता की पूर्ति हेतु और अधिक धन उपलब्ध कराया जाए।

रेलवे वित्त की एक बड़ी त्रुटि मूल्य ह्रास निधि से संबंधित है। यह मूल्यह्रास उस आधार पर नहीं है जिस पर यह होना चाहिए। मूल्यह्रास की गणना प्रायः मूल लागत और पुर्न मूल्य लागत के अधार पर की जाती है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि निधि बढ़ जाएगी और मूल्यह्रास राशि इकट्ठी होती जाएगी। इसी प्रकार का वित्तपोषण अब किया जाता है।

जहां तक नवीकरण कार्य का संबंध है मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला बोर्ड और प्रशासन के विचारधीन है।

बोनस के बारे में अनके बातें कही गयी हैं। बोनस एक परिवर्तनशील सिद्धांत है। यह बदलता रहता है। यह नया स्वरूप लेता रहता है। अब वह स्थिति आ गयी है। एक प्रश्न यह पूछा गया कि इसका हिसाब किस तरह से लगाया जायेगा। उत्पादकता पर आधारित बोनस इस आधार पर है। 1980-81 में 56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बोनस वर्ष 1978-70 के कार्य निष्पादन पर आधारित होगा। देयता लगभग 23 दिन के वेतन के भुगतान

की होगी। इस आधार पर हिसाब लगाया गया है। यह मैं श्री जयपाल सिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न के उत्तर में बता रहा हूं।

लगभग एक महीने के बोनस, आदि के बारे में अनेक बातें उठायी गयी हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि यह एक प्रकार से परिवर्तनशील सिद्धांत है और यह स्थिति जारी रहेगी। बोनस को उत्पादकता के साथ जोड़ने के सिद्धांत को अब अधिकांश संगठित मजदूर संघों ने स्वीकार कर लिया है। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, इसमें काम अच्छा हुआ है। रेलवे में यह स्वीकार किया जा चुका है और यह अन्य क्षेत्रों में भी दिया जा रहा है। इसमें भी इसे उत्पादकता के साथ जोड़ा जा रहा है और मान्यताप्राप्त संघों ने इसे स्वीकार किया है। सभी जिम्मेदार मजदूर संघों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। फिर भी अब हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। हमें इसे समझ लेना चाहिए। अब हम इस सिद्धांत पर कार्यवाही कर रहे हैं। मेरे मित्र श्री मधु दंडवते ने होने वाले लाभ और संभावित हानि के बारे में कहा है। उन्होंने यह आक्षेप भी किया है कि कोई गलत स्थिति आनेवाली है। एक आक्षेप यह भी किया गया है कि हमने लेखानुदान के रूप में इसे किसी गोपनीय उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। एक बात तो समझ ली जानी चाहिए कि हम तो ऐसे लोग हैं जो यह बताने में विश्वास रखते हैं कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। हमें लोगों को ठोस तथ्यों के बारे में बताने में कोई संकोच नहीं है। उनका कहना है कि आपने मूल्य स्थिति, आदि के कारण ऐसा निर्णय लिया है परन्तु आप विधान सभा चुनावों, आदि के कारण इसे पीछे रख रहे हैं। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है, हमने स्वयं इसका विश्लेषण किया है। हमें यह मालूम है कि हम किसका, किस प्रकार की ताकत का सामना करने जा रहे हैं और हम यह जानते हैं कि क्या होनेवाला है। हमें इस बारे में कतई संदेहे और शंकायें नहीं हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दूसरी ओर, हमें समूची स्थिति को सुधारना है।

हमें तहसनहस अर्थव्यवस्था मिली है। हमें रेलवे, उत्पादन क्षेत्रों और हर क्षेत्र में सुधार लाना होगा। अर्थव्यवस्था इतनी अस्तव्यस्त हो गयी है कि हमें समूची स्थिति पर गंभीरता के साथ विचार करना होगा। कौन से कदम उठाये जाने होंगे? यह कोई छोटा मामला नहीं है कि जल्दी में बजट पेश करके लोगों को यह बता दिया जाये कि स्थिति यह है। इसके लिए गंभीरता के साथ विश्लेषण करना, कड़े कदम उठाने आवश्यक हैं और इसके लिए योजनायें बनाई जानी होंगी। इसके लिए और विश्लेषण करने के लिए समय चाहिए। अतः एक जिम्मेदार दल के रूप में यह आवश्यक है हमने पूरा बजट पेश नहीं किया है। परन्तु हमने एक लेखानुदान पेश किया है और हमने अपने विश्लेषण और अन्य बातों पर कार्यवाही करना शुरू कर दिया है जिससे एक जिम्मेदारपूर्ण बजट पेश किया जा सके। किसी ने यह पूछा है कि क्या हम यह आश्वासन दे सकते हैं कि कोई कर नहीं लगाये जायेंगे। ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता, ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा सकती कि कर नहीं लगेंगे। यह तो राष्ट्र और रेलवे की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। रेलवे और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिकतापूर्ण साहस के साथ लोगों को बतायें कि यह आप सभी की भलाई के लिए आवश्यक

है। इसलिए एक ऐसे दल के रूप में, जिसे जनता का आदेश मिला है। मुझे यह कहना चाहिए कि इस मामले में हम कायर नहीं हैं।

अतः हम पर आक्षेप न करें। सामान्य बजट और रेलवे के बारे में हमने लेखानुदान पेश करना अच्छा समझा है, क्योंकि हमें समूची स्थिति को देखना है। स्थिति संदेहास्पद और भयावह है। गम्भीरता के साथ विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था और इसलिए हल ढूंढ निकालने और बजट में इस हल का समावेश करने के लिए हमें समूची स्थिति पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। अपने प्रस्ताव पेश करने के लिये पर्याप्त समय लेना राष्ट्रीय हित में है। यह उस तरह से नहीं है जिस तरह से विपक्ष में बैठे लोगों ने बजट पेश किये हैं। यह उस तरह से नहीं है कि कोई वित्त मंत्री आकर बजट पेश कर देता है। राजनीतिक बजट पेश किये जाते रहे हैं। हमारा यह तरीका नहीं है। अतः हमें ऐसा कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहिये। इसलिये मुझे यह कहना पड़ा। यह कहा गया है कि उत्तरोत्तर लाभ हुआ है। अच्छा, हमारे पास आंकड़े हैं। रेलवे के इन बजटों के साथ गलत बात यह हुई है कि अनुमानों पर ध्यान नहीं दिया गया। माल ढोने और लाभ के बारे में संभावनाओं पर विचार नहीं किया गया। अनुमान काफी ऊंचे थे और वे असफल रहें। यही होता रहा। अब स्थिति क्या है ? 1976-77 में जब हमने आपको सत्ता सौंपी थी तब लाभ 87 करोड़ रुपये था और उस समय हमने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया था और 87 करोड़ रुपये का लाभ आपको दिया गया था। श्री मधु दंडवते के अनुसार 1977-78 का वर्ष सबसे अच्छा वर्ष रहा है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : लामांश की देयता तो होगी।

श्री सी० एम० स्टीफन : लांमाश देयता····· कितनी ? अधिकांश अन्य बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाता है। यह संसद है। मैं एक विवरण नहीं दे सकता। यह गलत हो सकता है और आप मुझे खींचेंगे। मुझे इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा। अतः मेरी जानकारी के अनुसार लगभग कुल 36 करोड़ रुपए में से अधिकांश बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया था और यदि उसका भुगतान नहीं किया जाता तो लाभ 17.0 करोड़ रुपए होता। अगले वर्ष यह 126.0 करोड़ रुपए होगा। श्री मधु दंडवते ने 1977-78 की राशि को ध्यान में रखा है। मैं इस बारे में बाद में बताऊंगा। परन्तु इसके बाद क्या हुआ ? यह घटकर 36 करोड़ रुपए रह गया और अब 1978-79 में उन्होंने 79.0 करोड़ रुपए के लाभ की घोषणा की है। परन्तु अब 42 करोड़ रुपए के घाटे के साथ यह समाप्त हो रहा है। यही स्थिति है हमने 126 करोड़ रुपए से शुरू किया था और यह घटकर 36 करोड़ रुपए रह गया है। अब आप के शासन वर्ष में यह घाटा 46 करोड़ रुपए रह गया है। ऐसा क्यों हुआ है ? रेल बजट पर बाद विवाद के दौरान मैंने इसके बारे में बताया था। क्योंकि माल ढुलाई कम हो रही थी। यह स्थिति है। 1976-77 में कुल प्रारंभिक यातायात 2120 लाख मीटरी टन था। यह घटकर 1977-78 में 2100 लाख मीटरी टन, 1978-79 में 1980 लाख मीटरी टन और 1979-80 में 1940 लाख मीटरी टन रह गया। माल की ढुलाई में निरंतर कमी हुई। मैं आय के बारे में नही बता रहा हूं। परन्तु ढोए गए कुल प्रारंभिक माल के बारे में बता रहा हूं यह कम होता

गया। हमें यह समझना चाहिए की प्रांरभिक यातायात में कमी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका रेलवे के राजस्व और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। यदि राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था अस्तव्यस्त होती है तो माल यातायात की ढुलाई भी कम होती है, कोयला और अन्य वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए उनका यातायात भी नहीं है।

मेरे मित्र का कहना है कि उस समय रेल बजट पर मैंने अपने भाषण में इसकी सराहना की थी। वास्तव में मैंने अपने भाषण में इसकी सराहना की थी। वास्तव में मैंने तत्कालीन रेल मंत्री को चेतावनी दी थी कि क्या होनेवाला है। उन्होंने यह घोषण की थी कि वर्ष 1977-78 से इस बात का पता चला है कि आपात स्थिति देश को आगे नहीं ले जा सकती। इसके बारे में मैंने अपने भाषण में कहा था :

> "·····प्रश्न यह है कि क्या आपात स्थिति का प्रभाव पड़ा या नहीं। आंकड़ों से पता चलता हैं कि इसका प्रभाव पड़ा है। किसी ने यह नहीं कहा कि यदि आपात स्थिति जारी नहीं रहेगी तो स्थिति खराब होगी स्थिति में सुधार हुआ और आपको अच्छी स्थिति प्रदान की गई। अत: इसमें भ्रम की कोई बात ही नहीं है।" ···यह एक अच्छी स्थिति है। इसके विभिन्न पहलुओं की ओर देखो। इसीलिए मैंने यह कहा कि यह एक सामान्य वर्ष था जो समृद्धि के साथ शुरू हुआ था और अब यह एक ऐसे मोड़ पर समाप्त हो रहा है जो एक ऐसी प्रवृत्ति का सूचक है जो अधिक प्रोत्साहनकारी नहीं है।"

मैं मालभाड़े के बारे मैं कह रहा था और मैंने यहां यह बताया कि यह मोड़ इस बात का सूचक था जो पूरी तरह से निराशाजनक और भयावह था। उस समय स्थिति यह थी। और अब स्थिति यह है। श्री मधु दंडवते के संरक्षण में भी रेलवे की स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो गयी थी, क्योंकि देश में समूची अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। अत: माल ढुलाई के आंकड़े गिरते गए और स्थिति और खराब हो गई। राजस्व में कमी हो गयी। यातायात घट गया और स्थिति यह है।

अब, 1979–80 में क्या हुआ है ?

हमें 42 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। उस वर्ष मालभाड़ा बढ़ाया गया। 'सीजन' टिकट की दरों में वृद्धि की गयी। एक ही वर्ष में माल भाड़े और सीजन टिकटों की दरों में वृद्धि से रेलवे को 160 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। ऐसा गतवर्षों में नहीं हुआ और फिर भी 42 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। 1976–77 में जब आपने सत्ता संभाली थी तब क्या स्थिति थी ? कर्मचारियों को कोई बकाया राशि नही देनी थी। सभी का भुगतान किया जा चुका था और फिर भी लाभ हुआ था। जहां तक माल उठाने का सम्बन्ध है, इस वर्ष रेलवे ने सबसे अधिक माल ढोया था हमें इस स्थिति का अवलोकन करना होगा। अब हमें इसे उस स्थिति तक फिर पहुंचाना होगा। अगले वर्ष के लिए हमारा अनुमान 2140 लाख मीटरी टन है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि यह कैसे होगा। आप विश्वास करें कि हमारा दृष्टिकोण यथार्थवादी होगा। हमने इसे 2300 या 2400 लाख मीटरी टन नहीं रखा है। हमने यथार्थ विश्लेषण के परिणामस्वरूप इसे केवल 2140 लाख मीटरी टन रखा है। हमने इसे वर्तमान 1940

लाख मीटरी टन की अपेक्षा 2140 लाख टन रखने का साहस किया है, क्योंकि हमें विश्वास है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अधिक से अधिक कोयला और सीमेंट तथा अन्य वस्तुओं को ढोया जाएगा और इसलिए हम लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। इस वर्ष के लिए अनुमान 2140 लाख मीटरी टन हैं। हम स्थिति में सुधार लाने की भरसक कोशिश करेंगे। मुझे इस मामले में यही कहना है।

एक माननीय सदस्य : परन्तु कृपया आपात स्थिति न लायें।

श्री सी० एम० स्टीफन : राष्ट्र में आपात स्थिति विपक्ष ने लागू करायी थी। देश में फिर से आपात स्थिति लाये जाने के लिए कोशिश न करिए। यदि आप आपात की स्थिति थोपेंगे तो हमारा प्रयास लोगों की सहायता से इसका सामना करने का होगा।

अतः विपक्ष आपातकाल की सी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कृपया ऐसा न करें। हम दोनों दलों को ही यहां बैठने का मौका मिला है। आपने अब तक जो भी काम खराब किया है कृपा करके हमें उसे सुधारने दें। हम उसे सुधारने का भरसक प्रयत्न करेंगे जिसके लिये हमें आपका सहयोग चाहिये। यह बड़े ही संतोष की ही बात है कि वाद-विवाद से ऐसा पता चलता है कि रवैया कोई बहुत विरोधात्मक नहीं रहा है। सहयोग की यह भावना चालू रहनी चाहिये और गलत कामों को सुधारा जाना चाहिये।

मुझे एक और बात कहनी है। रेलवे प्रशासन यह अनुभव करता है कि देश की आर्थिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के मामले में उसका मुख्य उत्तरदायित्व है। उसे तो अधिकाधिक वैगन (माल-डब्बे) देने ही पड़ेंगे और सब काम सही करने होंगे। रेलवे प्रशासन इसके बारे में पूर्णतया सजग है। दूसरे मन्त्री लोग इस बात को जानते हैं। बातचीत चल रही हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है रेलवे अपना पूर्ण सहयोग दे रहा है। और वे अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के बारे में भली भांति जानते हैं। मेरी आपसे अपील यही है कि हम कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करें और आगे बढ़ें। कुछ समय के लिए हमें विगत को भुलाकर यह देखना चाहिये कि स्थिति में सुधार हो। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करेंगे। मुझे विश्वास है कि श्री दण्डवते अब यह स्वीकार करेंगे कि उनके द्वारा किया गया यह संकेत कि लेखानुदान किसी भिन्न उद्देश्यार्थ था, गलत था। बस यही बात मुझे कहनी है।

(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : जो नैमित्तिक मजदूर गत 7-8 वर्ष से काम कर रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है। क्या उन्हें स्थायी किया जा रहा है अथवा नहीं। यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं हो सकता कि कोई सदस्य इस सदन में उठाए और उस पर विचार न हों। जो

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भी मुद्दा कोई सदस्य यहां उठायेगा, उस पर यथा समय विचार होगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी । क्या उन्हें बोलने के लिये मेरी अनुमति मिली है । इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । आपको नियम का पालन करना चाहिये । यह कोई तरीका नहीं है । आप सदैव एकसा व्यवहार नहीं कर सकते ।

अब मैं रेलवे की अनुदानों की मागों से सम्बन्धित सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखूंगा ।

(व्यवधान)*

अब कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा । मैंने माननीय सदस्य से अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया है ।

(व्यवधान)*

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)*

जब तक कोई सदस्य नहीं चाहेगा कि उसका कोई कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जाए, मैं 1980-81 के लेखा अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में रखे गये सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं चाहता हूं कि मेरा कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जाए । इस मतलब से मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं तो यह व्यर्थ ही होगा, क्योंकि उनका ही समय इसमें नष्ट होगा ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : यहां एक प्रक्रिया लागू है, हमें उसी के अनुसार चलना है ।

मध्यक्ष महोदय : वह स्थिति अभी नहीं आई है । यदि आप चाहते हैं तो आप उन्हें अलग से प्रस्तुत कर सकते हैं । आप सामान्य बजट के समय का उपयोग कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं उन्हें अलग से रखूंगा । अब मैं श्री हाल्दर के कटौती प्रस्तावों को सदन में मतदान के लिए रख रहा हूं । आप अपने कटौती प्रस्तावों को पढ़कर सुनाना चाहते हैं ?

श्री जी एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं चाहता हु कि मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 7 को अलग से सदन के मतदान के लिए रखा जाए ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 6 तक हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री के० सी० हाल्दर द्वारा प्रस्तुत किए गये कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 6 तक को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 6 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बनातवाला के कटौती प्रस्ताव संख्या 7 की बारी है।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा कटौती प्रस्ताव है .

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन के रूप में मानने में असफलता। (7)]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव सं० 7 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन के रूप में मानने में असफलता। (7)]

जो इसके पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' कहेंगे।

दो माननीय सदस्यों ने 'हां' किया है।

अध्यक्ष महोदय : जो विरुद्ध हैं वे 'नहीं' कहेंगे।

अनेक माननीय सदस्यों ने 'नहीं' कहा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से नहीं कहने वाले बहुमत में है।

श्री जी. एम. बनातवाला : 'हां' कहने वाले बहुमत में हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मत विभाजन कराना चाहते हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : 'हां' वालों का बहुमत है। मैं इस कथन को फिर दोहराना चाहता हूं।

अध्यक्ष मसोदय : जो इसके हक में हैं वे कृपया 'हां' कहें और जो विरोध में हैं वे 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'

श्री जी. एम. बनातवाला : यह कोई तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : फिर क्या तरीका है।

श्री जी. एम. बनातवाला : जब मैं मत विभाजन की मांग कर रहा हूं तो इसकी स्वीकृति क्यों नहीं दी जाती ? मेरे विचार से यह कोई उचित रवैया नहीं है।

अध्यक्ष महोदय . उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु क्या आप अनुभव करते हैं···

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूं। मैंने कभी भी सदन का समय नष्ट नहीं किया और महोदय न ही मुझे यह आक्षेप पसन्द है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई आक्षेप नहीं, केवल वह सच्चाई मात्र है जिसे मैं आपके विचारार्थ आपके समक्ष रख रहा हूं मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है यदि आपको कोई है तो आप रख सकते हैं। कृपया दीर्घाओं को खाली होने दो।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली हो गई हैं। मैं इसे फिर से सदन में रखता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कृपया मुझे मेरे बैठने का स्थान बताएं और यह बताएं कि मैं मतदान कैसे करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना मतदान पर्ची द्वारा कर सकते हैं। आपके दल के नेता आपके बैठने का स्थान निश्चित करेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैंने शपथ तो यहां पर ली है और आप यह निश्चित नहीं कर सके कि मैं कहां बैठूंगा और कैसे मतदान करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हम दल के नेता को लिख चुके हैं। यह काम तो दल के नेता का है। यह सब करना हमने दल के नेताओं को सौंप दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कटौती प्रस्ताव सं० 7 को फिर से मौखिक मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[न्यूनतम बोनस को अस्थगित वेतन के रूप में मानने में असफलता।"]

जो इसके पक्ष में है वे 'हां' कहेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां'

अध्यक्ष महोदय : जो विरोध करते हैं वे 'नहीं' कहेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से 'नहीं' कहने वाले अधिक हैं।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां' करने वाले बहुमत में हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम मत विभाजन करा लेते हैं।

मेरा प्रत्येक सदस्य से निवेदन है कि वे यह भली भांति देख लें कि वे उन्हें दिये गये स्थान को ही ग्रहण किए हुए हैं। प्रत्येक सदस्य से निवेदन है कि वह प्रारम्भ में ही अपना मत ठीक से 'हां' या 'नहीं' अथवा 'अनुपस्थित' जैसी भी स्थिति हो में दर्ज कराने के लिए विशेष सावधानी बरतें जिससे गलतियां सुधारने की आवश्यकता न पड़े।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यन्त्र की जांच कर ली गई है और यह प्रमाणित कर

दिया गया है कि उपकरण सही ढंग से कार्य कर रहा है। अत: किसी सदस्य को इस आधार पर कि उपकरण ने सही ढंग से कार्य नहीं किया सुधार पर्ची द्वारा अपना मत पंजीकृत कराने का मुश्किल से ही अवसर मिलेगा। मत को मशीन से दर्ज कराने की प्रक्रिया, विस्तार से सदस्यों के लिए निर्देशिका के पैरा 30 में दी गई है।

मैं संक्षेप में याद दिलाना चाहता हूं कि अध्यक्ष द्वारा 'अब विभाजन' की घोषणा होने पर स्वचालित मतदान यन्त्र सक्रिय होते ही एक घन्टी बजती है जो इस बात का संकेत देती है कि सदस्य अपना मतदान करें। प्रत्येक सदस्य को स्विच को दबाना होगा, और उसके पश्चात् उसको अपनी इच्छानुसार "हां" "न" अथवा अनुपस्थिति में से एक बटन दबायेगा। स्विच तथा बटन को तब तक दबाये रखना चाहिये जब तक कि 10 सैकण्ड बाद घण्टी दूसरी बार न बजे।

लाल रंग 'नहीं' के लिए है तथा हरा रंग "हां" के लिए है।

प्रश्न यह है :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष (पृष्ठ 1) के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को घटा कर एक रुपया कर दिया जाए।

(न्यूनतम बोनस को अस्थगित वेतन स्वीकार करने में असफलता।")

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में	विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या 1 : मध्याह्न पश्चात् 5·04 बजे

आचार्य, श्री बसुदेव	अब्बासी, श्री काजी जलील
अग्रवाल, श्री सतीश	अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
बनातवाला, श्री जी० एम०	अंकिनीडू, श्री एम०
बसु, श्री चित्त	अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
विश्वास, श्री अजय	अनुरागी, श्री गौदिल प्रसाद
बसु, श्री ज्योतिर्मय	अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
चटर्जी, श्री सोमनाथ	अरुणाचलम, श्री एम०
चौधरी, श्री मोतीभाई आर०	आजाद, श्री भागवत झा
चिन्नास्वामी, श्री सी०	आजाद, श्री गुलाम नबी
चौधरी, श्री सैफुद्दीन	अजीज इमाम, श्री
दंडवते, प्रो० मधु	बैठा, श्री डूमर लाल
दंडवते, श्रीमती प्रमिला	बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
घोष, श्री निरेन	बालेश्वर राम, श्री
गोपालन, श्रीमती सुशीला	बन्सी लाल, श्री
गोस्वामी, श्रीमती बिभा घोष	बरबे, श्री जे० सी०
गोयल, श्री कृष्ण कुमार	बहेरा, श्री राम बिहारी

पक्ष में

गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन• ई०
जेठमलानी, श्री राम
कोडियन, श्री पी० के०
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
पंडित, डा० बसन्त कुमार
पल्लेकर, श्री बापू साहिब
पाठक, श्री आनन्द
राय, श्री एम• रामन्ना
राजदा, श्री रतनसिंह
राय, श्री ए० के•
साहा, श्री गदाधर
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
पांडगी, श्री रुद्र प्रताप
शाक्य, श्री दयाराम
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के•
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
जायलन, अबेदिन, श्री

विपक्ष में

भगत, श्री एच० के• एल०
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भीखा भाई, श्री
भोई डा०, कृपासिन्धु
भोले, श्री आर० आर•
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्राकर, श्री चंदूलाल
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी• वी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चव्हाण, श्री एस० बी०
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोड़ाभाई
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौहान, श्री फतेहभानसिंह
दाभी, श्री अजीत सिंह
डागा, श्री मूलचंद
दलबीर सिंह श्री
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिग, श्री एन०
देव, श्री के. पी. सिंह
देसाई, श्री बी. वी.
देव, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री बी.
दंडपाणि, श्री सी. टी.
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
दुबे, श्री रामनाथ
गाडगिल, श्री वी. एन.
गधावी, श्री भेरावदन के.
गायकवाड, श्री आर. पी.

पक्ष में	विपक्ष में
	गांधी, श्रीमती इन्दिरा
	*गंगवार, श्री हरीश कुमार
	गहलोत, श्री अशोक
	गुफरान आजम, श्री
	गिरिराज सिंह, श्री
	गोहिल, श्री जी. बी.
	गोमांगो, श्री गिरिधर
	गौंडर, श्री ए. सेनापति
	गुरबिन्दर कौर, श्रीमती
	हाकम सिंह, श्री
	जैन, श्री भीकू राम
	जमीलुर्रहमान, श्री
	जेना, श्री चिन्तामणि
	कलानिधि, डा० ए०
	कामाक्षैया, श्री डी०
	कमलनाथ, श्री
	कमला कुमारी, कुमारी
	कौशल, श्री जगननाथ
	कैयूर भूषण, श्री
	खां, श्री आरिफ मोहम्मद
	खां, श्री मलिक एम. एम. ए.
	खां, श्री जुल्फिकार अली
	कोंयक, श्री चिंगवांग
	कोसलराम, श्री के. टी.
	कृष्ण दत्त, श्री
	कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
	कृष्णन, श्री जी. वाई.
	क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
	कुचन, श्री गंगाधर एस.
	लकप्पा, श्री के.
	महाजन, श्री वाई. एस.

*उन्होंने गलत स्थान से मतदान दिया और बाद में इसके अनुसार अध्यक्ष महोदय को सूचित कर दिया।

पक्ष में	विपक्ष में
	महाला, श्री आर. पी.
	महेन्द्र प्रसाद, श्री
	मकवाना, श्री नरसिंह
	मालन्ना, श्री के.
	मलिक, श्री लक्ष्मण
	मलिकार्जुन, श्री
	माने, श्री आर. एस.
	मणि, श्री के. बी. एस.
	मायातेवर, श्री के.
	मिश्र, श्री रामनगीना
	महन्ती, श्री बृजमोहन
	मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण
	मुत्तेमवार, श्री विलास
	नागरत्नम, श्री टी०
	नायडू, श्री पी. राजगोपाल
	नायक, श्री सरूप सिंह हिरया
	नायर, श्री बी. के.
	नारायण, श्री के. एस.
	नायक, श्री मृत्युंजय
	नीलालोहिथाइसन, श्री ए.
	नेगी, श्री टी. एस.
	नेहरू, श्री अरुण कुमार
	निहाल सिंह, श्री
	उरांव, श्री कार्तिक
	पांडे, श्री केदार
	पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र
	पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
	पनिका, श्री रामप्यारे
	पराशर, प्रो. नारायण चन्द
	पारधी, श्री केशवराव
	परमार, श्री हीरालाल
	पार्थसारथी, श्री. पी.
	पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
	पटेल, श्री अमृत

पक्ष में	विपक्ष में
	पटेल, श्री सी. डी.
	पटेल, श्री मोहन भाई
	पटेल, श्री शान्तु भाई
	पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
	पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
	पाटिल, श्री शिवराज वी.
	पाटिल, श्री उत्तमराव
	पाटिल, श्री वीरेन्द्र
	पुजारी, श्री जनार्दन
	पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
	प्रभु, श्री आर०
	प्रधानी, श्री के.
	प्रसन्न कुमार, श्री एस. एन.
	कादरी, श्री एस. टी.
	राही, श्री रामलाल
	राजू, श्री पी. वी. जी.
	राम, श्री राम स्वरूप
	राममूर्ति, श्री के.
	रणवीरसिंह, श्री
	रंगा, प्रो. एन. जी.
	रणजीत सिंह, श्री
	राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनन्द
	राव, श्री जलगाम कोन्डाला
	राव, श्री एस. नागेश्वर
	राव, श्री एस. सत्यनारायण
	राव, श्री पट्टाभिराम
	राठवा, श्री अमर सिंह
	राउत, श्री भोला
	रवाणी, श्री नवीन
	रावत, श्री हरीश
	रेड्डी, श्री जी. एस.
	रेड्डी श्री के. ब्रह्मानन्द
	रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर
	रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
	रेड्डी, श्री पी. वेंकट
	रेड्डी श्री टी. दामोदर

पक्ष में

विपक्ष में

साहो, श्रीमती कृष्णा
साहू, श्री नारायण
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी. ए.
साठे, श्री बसन्त
सावन्त, श्री टी. एम.
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी. सी.
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरन
शर्मा, श्री मूंडेर
शर्मा, श्री नन्दकिशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्या चरण
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, श्री सी. पी. एन.
सिंह, श्रीमती माधुरी
सिन्हा, श्रीमती राम दुलारी
सोनकर, श्री कल्पनाथ
स्पैरो, श्री आर. एस.
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुखबन्स कौर, श्रीमती
सुन्दर सिंह, श्री
तपेश्वर सिंह, श्री
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसेन, श्री
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

पक्ष में	विपक्ष में
	तिवारी, प्रो. के. के.
	ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह
	थोरट, श्री भाऊ साहिब
	टुडु, श्री मनमोहन
	टाईटलर, श्री जगदीश
	उइके, श्री छोटे लाल
	वायरले, श्री मधुसूदन
	वर्मा, श्री जय राम
	वेंकटरमन, श्री आर.
	वेंकटसुब्बया, श्री पी.
	वर्मा, श्रीमती ऊषा
	विजयराघवन, श्री वी. एस.
	व्यास, श्री गिरधारी लाल
	यादव, श्री आर. एन.
	यादव, श्री राम सिंह
	येल्लैया, श्री नन्दी
	जैनुल बशर, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मतविभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 42

विपक्ष में : 200

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ ही प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : महोदय, मैं अपने दो कटौती प्रस्तावों को अलग से प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वे कटौती प्रस्ताव कौन से हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरे कटमोशन्स संख्या 59 तथा 60 हैं जिनको मैं पढ़े देता हूं ।

(59) रेल कर्मचारियों को बिना शर्त 8·33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस देने की आवश्यकता ।

(60) रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस देने की शर्त समाप्त करने की आवश्यकता ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री की कटौती प्रस्ताव संख्या 59 और 60 सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

कटौती प्रस्ताव रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब अन्य सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

कटौती प्रस्ताव रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान अंकित करवाया :—

पक्ष में : सर्व श्री इ० के० इम्बीचीबाबा, एम० एम० लारेंस, सुबोध सेन, सत्यसाधन चक्रवर्ती, सुधीर गिरि, सुशील भट्टचार्य तथा श्री दीनेन भट्टाचार्य ।

विपक्ष में : सर्व श्री पी० के० धुंगोल, चित्तुरी सुब्बाराव चौधरी, अरविन्द नेताम, जेवियर अराक्कल, लक्ष्मण कर्मा, दारुर पुलय्या, आर० वाई० चोरपाड़ा, डी० बी० शिंगदा, उत्तम राठौर, जयदीप सिंह, मोहम्मद असरार अहमद, उत्तम भाई ह० पटेल, पेंचालैया, कमालुद्दीन अहमद, हरिहर सोरन, रामेश्वर निखरा, एस० ए० दोराई, सेबस्तियान, जय नारायण, विरदा राम फुलगरिया, ईरा अनबारासु, वीरबल, एस० मुरुगैयन, जार्ज जोसफ, पी० एस० सुब्बा तथा प्रो० सत्यदेव सिंह ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"मांग संख्या 1 से 16 के लिये कार्यसूचि के स्तम्भ 2 में दर्शाये गये मांगशीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक लेखानुदाम राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये ।"

मांग सं०	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रु०
1.	रेलवे बोर्ड	96,22,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	5,61,27,000
3.	सामान्य पर्यवेक्षण और सेवाएं	43,82,97,000
4.	रेलपथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	74,54,96,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण ...	66,41,74,000
6.	सवारी और माल-डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	82,88,39,000
7.	संयंत्र और उपकरण की मरम्मत और अनुरक्षण	39,57,68,000
8.	परिचालन व्यय -चल-स्टाक और उपकरण ..	82,68,24,000
9.	परिचालन व्यय -यातायात	88,02,46,000
10.	परिचालन व्यय ईंधन	140,11,15,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं ...	29,07,30,000
12.	विविध संचालन व्यय	40,79,76,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	35,06,92,000

1	2	3
14.	निधियों में विनियोग	105,18,15,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण के भुगतान तथा अतिपूंजीकरण के परिशोधन के लिए भुगतान	5,89'45,000
16.	परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव राजस्व	3,99,90,000
	अन्य व्यय	568,78,85,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों (रेलवे) की अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत करूंगा। मैं 1979-80 की अनुदानों (रेलवे) की अनुपूरक मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव एक साथ रखूंगा, किन्तु यदि कोई माननीय सदस्य अपने लिए कटौती प्रस्ताव को अलग से प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह वैसा कर सकता है। चूंकि कोई भी सदस्य ऐसा नहीं करना चाहता, अतः मैं एक साथ सभी कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं।

कटौती प्रस्ताव रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

मांग संख्या 1 से 4, 7, 9, 11 से 13 तथा 16।

मांग सं०	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रु०
1.	रेलवे बोर्ड	5,00,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	9,14,000
3.	सामान्य पर्यवेक्षण और सेवाएं	3,24,33,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	9,28,24,000
7.	संयंत्र और उपकरण की मरम्मत और अनुरक्षण ...	4,04,93,000
9.	परिचालन व्यय- यातायात	6,26,87,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	2,02,96,000
12.	विविध संचालन व्यय	3,15,90,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृति लाभ	16,79,70,000
16.	परिसम्पत्तियां -अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	66,35,62,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, 1980

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेय पर विचार किया जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, इस मामले में मैं किसी राजनैतिक अथवा दलीय विचारों से प्रेरित नहीं हुआ हूं ...(हंसी)

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात का विश्वास क्यों नहीं करते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय, पिछले 32 वर्षों में हमने देखा है कि रेल मन्त्रालय केवल रूढ़िवादी बन कर रह गया है, उसमें विचारों और कल्पना का दिवालियापन है, प्रभावी आयोजन और दूरदर्शिता का पूर्ण अभाव है और इसने इन वर्षों में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यह लगे कि उसने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ किया है । महोदय, अब वह आग से खेल रहे हैं और मैंने 1967 में ही भारतीय रेलों की डीजलीकरण का विरोध किया था जिसके कारण अब तरल ईंधन की समस्या उत्पन्न हो गयी है तथा इसके परिणामस्वरूप देश की विदेशी मुद्रा पानी की तरह बहानी पड़ेगी और कुछ समय बाद शायद परिवहन की समस्या बड़ा ही गम्भीर रूप ले लेगी ।

महोदय, 1974–75 वर्ष की लोक लेखा समिति के 126 वें प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय रेलों के डीजलीकरण जिस पर बहुत अधिक व्यय हुआ, से जनता को बहुत कम लाभ मिला है ।

रेल संचालन में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख ऊर्जा के सम्बन्ध में न्यूनतम आवश्यकता के क्रम में भारतीय रेलों का दूसरा स्थान है और इसमें अन्तर्देशीय जलपरिवहन का पहला स्थान है । 90 करोड़ आबादी वाले चीन में आज भी प्रमुख रूप से भाप वाहनों पर ही निर्भर रहा

जाता है। यह सरकार 30 वर्षों तक सत्ता में रही है किन्तु वह एक राष्ट्रीय परिवहन नीति नहीं बना सकी है और उनके पास रेलवे बोर्ड के लिये कोई सक्षम परिवहन अर्थ शास्त्री भी नहीं है।

कोयले पर आधारित स्टीम टरबाइन पर कोई अनुसन्धान नहीं किया गया है और बिजली से रेले चलाने के लिये ऊर्जा सप्लाई की जाती है और इस प्रकार जो ऊर्जा कृषि और उद्योग को दी जानी चाहिये इससे इसे वंचित रखा जाता है इसके स्थान पर तो हमें जल परिवहन का सहारा लेना चाहिये था क्योंकि इसे कोयले की सहायता से ही चलाया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कोयला खानों के मुहानों पर तापीय शक्ति चालित स्टेशन, केपटिव तापीय शक्ति संयन्त्र क्यों स्थापित नहीं किये। उनके पास इसके लिये कोई स्पष्टीकरण नहीं है। भाड़े के मामले में बड़े पैमान पर धोखाधड़ी हो रही है और यह धोखाधड़ी दो तरह से की जा रही है : माल का गलत विवरण देने से, अधिक भाड़े के माल को कम भाड़े का माल दिखाया जाता है और जो 50 टन का वाकेस बेगन होता है उसे 35 टन का दिखाया जाता है और इससे रेलवे को भारी राजस्व से हाथ धोना पड़ता है।

महोदय, सड़क परिवहन वालों की एक शक्तिशाली लॉबी है जिसने रेलवे बोर्ड, योजना आयोग और सभी जगहों पर बहुत ही घुसपैठ कर रखी है। मैं रेलवे पर यह आरोप लगाता हूं कि उन्होंने सड़क परिवहन लॉबी के समक्ष पूर्ण समर्पण कर रखा है उन्होंने अधिक भाड़े के यातायात भी सड़क परिवहन को दे रखा है और स्वयं कम मोड़ का यातायात ले लिया है जिससे देश को बड़ा ही नुकसान हुआ है। मैं 1967 से यह कहता रहा हूं कि जब तक आप खाली डिब्बों के भारयोग अनुपात में कोई सुधार नहीं करते, आपका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। यह दिवालियापन आयोजना, अनुसन्धान और दूरदर्शिता के अभाव के कारण है और रेल मन्त्रालय के पूर्ण दिवालियेपन के कारण है। वह औद्योगिक कच्चे माल की 54 मदों पर वास्तविक मोड़ से बहुत ही कम भाड़ा ले रहे हैं। 1974-75 में लोक लेखा समिति ने उन्हें स्पष्ट कहा था कि वह ऐसा नहीं कर सकते किन्तु उन्होंने समय नष्ट करने तथा पूंजीवादियों को वास्तविक मूल्य से बहुत ही कम भाड़े पर औद्योगिक कच्चे माल को ला ले जाने की अनुमति देने के उद्देश्य से एक समिति बनाई गई है। क्या यह जनता के विरुद्ध षडयन्त्र नहीं है ? रेलवे के कर्मचारी भी सन्तुष्ट नहीं है और भारतीय रेलवे जैसे संगठन में तो 90 प्रतिशत कार्य बहिरंग कर्मचारियों द्वारा किया जाता है इस संगठन में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके साथ दासों-सा वर्ताव किया गया है और यदि वह आवश्यकता पर आधारित वेतन की अथवा अन्य सरकारी उपक्रमों में वेतन के बराबर वेतन की मांग करते है तो उन पर आरोप लगाये जाते हैं। इसी कारण से भारतीय रेलवे प्रतिदिन अवनति की ओर ही जा रही है। ट्रमीनल करों के बारे में भी विवाद है इन करों की राशि राज्य सरकारों को देय हैं। अब वह इनमें कटौती करना चाहते हैं और राज्य सरकारों को उनसे वंचित करना चाहते हैं जब कि राज्य सरकारों के पास पहले ही संसाधन बड़े ही अल्प हैं। मैं माननीय मन्त्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रकार के किसी अनुचित तरीके को न अपनाये जिससे केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों में कोई कटुता आये। मैं आपके सामने सीलदह संभाग का उल्लेख करता हूं ?

यह देश में सबसे अधिक व्यस्त संभागों में से एक है। मैं ने कुछ आंकड़े एकत्रित किये हैं जिन्हें मैं आगामी बजट अधिवेशन में सदन में रखूंगा। सीलदह संभाग अत्यधिक व्यस्त संभाग हैं, यहां पर दो प्रकार की आयातित तथा स्वदेशी बिजली से चलने वाली मोटरों की व्यवस्था है, उन्होंने काफी पूर्जे सुरक्षित नहीं रखें हैं जिसके परिणामस्वरुप जब मोटरे खराब हो जाती हैं तो गाड़ी को रोक दिया जाता है अथवा रद्द कर दिया जाता है और हजारों यात्री वे सवारी लेने के कारण असहाय हो जाते हैं और इस प्रकार उन्हें अपार कष्ट सहना पड़ता है। इसका आप यहां बैठकर अनुमान नहीं लगा सकते है। हमने डबल डैकर गाड़ियों के प्रश्न पर भी विचार किया था, चूंकि हम रेल लाइनों का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं क्योंकि इस पर भारतीय रेलवे द्वारा 60 प्रतिशत राशि का निवेश किया गया है। डब्ल डैकर गाड़ियां चालू करने में इतनी आकर्मव्यता क्यों दिखा रहें हैं? अलुमीनियम डिब्बों की व्यवस्था करने में और भी बाधा है? क्या वे वायुयान लॉबी तथा सड़क परिवहन लॉबी को लाभ पहुचाना चाहते हैं? हम राजधानी गाड़ी में शयान यान की व्यवस्था करने जी मांग करते रहें है। इसमें किये जा रहे विलम्ब को में अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि यदि राजधानी गाड़ीं में द्वित्तीय श्रेणी शयन यान लगाया जाता है तो एयर बस के लिए इतने यात्री नहीं हो पायेगे और दिल्ली में सक्रिय एयर बस सम्बन्धी लॉबी को अप्रसन्नता होगी और उनकी घुसपैठ काफी गहरी है। सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली रिश्वत की राशि बहुत बड़ी है तभी इस सम्बन्ध में विलम्ब किया जा रहा है। माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह संगोष्ठियों और चर्चाओं का आयोजन करें ताकि रेलवे के कार्य करण का मूल्यांकन हो सके और त्रुटियों का पता लगा कर उन्हें दूर किया जा सके। अन्यथा देश की आर्थिक स्थिति, जिसमें भारतीय रेलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत ही खराब हो जायेगी।

श्री सी० एम० स्टीफन : हमने श्री जयोतिर्मय वसु के निष्कर्षों को सुना जिसमें उनका व्यक्तित्व प्रकट होता है तथा जिनमें कुछ गूढ़ार्थ, सुझाव कुछ अच्छी एवं बुरी तथा उदासीनता प्रकट होती है।

अध्यक्ष महोदय : आप गूढ़ार्थ छोड़ सकते हैं किन्तु सुझावों को ले सकते है।

श्री सी० एम० स्टीफन : उन्हें हमेशा कहीं न कहीं कुछ षडयंत्र दिखाई देता है तथा खाबी दिखाई देती है, उन्हें देश का भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है और सर्वत्र अंधेरा ही नजर आता है। उन्हें प्रकाश केवल किसी दूसरे से दिखाई देता है यह उन्होंने कहा है। किन्तु यहां लोग भविष्य के बारे में एक विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके अधिकांश सुझावों पर हमने पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

श्री जयोतिर्मय वसु : किस पर?

श्री सी० एम० स्टीफन : चूंगी और दुमंजली गाड़ियों के सम्बन्ध में। आप भी दुमंजली गाड़ियों में सफर कर सकते हैं। ये शुरू हो गई हैं। राज्य के करों का मामला अभी सम्बित है। चुंगी को एक तरफ समाप्त नहीं किया गया किन्तु इस बारे में सिफारिश की गई। एक सूत्र बनाया गया था और यह 1964 में जो कुछ पूंजी थी उसका एक प्रतिशत था। अब राज्यों को 16 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया जा रहा है। एक सिफारीश की गई है

कि यह काफी नहीं है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है और रेल अभिसमय समिति इस पर विचार कर रही है।

जहां तक कोयला और अन्य चीजों का सम्बन्ध है मैं इस बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं। कोयले से चलने वाले इंजनों को चरणवद्ध किया जा रहा है। रेलों को भारी भार-ढोना है अतः हमें डीजल का प्रयोग करना पड़ रहा है। डीजल के चरण का प्रारम्भ हो रहा है। मैं समझता हूं कि रेलवे की ऊर्जा सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। यही मुझे कहना है।

मैं श्री ज्योतिर्मय वसु का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं उनमें कुछ परिवर्तन देख रहा हूं और मेरा उनसे आग्रह है कि वे इस धारणा को बढ़ने दें और विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने रचनात्मक सुझाव दिये है। मेरा उनसे आग्रह है कि हम देश की सेवा के लिए इकटठे हों जायें।

अध्यक्ष महोदय . प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड वार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूचित विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूचि विधेयक में जोड़ दिए गये।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1980

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष, 1979-80 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं

विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू :

कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है.....

श्री निरेन घोष (दम दम) : मैंने सूचना दी है।

श्री पी० उन्नी कृष्णान (बड़ागर) : क्या उन्होंने सूचना दी है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : समय पर नहीं दी गई।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णान : कृपया ऐसा कहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई मुद्दे नहीं दिये गये हैं। मैं किसी चीज को नजर अंदाज नहीं कर रहा हूं। में नजर अंदाज नहीं करता।

श्री ज्योतिर्मय वसु : मेरी सूचना में दोनों बातें आ जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको समय दिया है। यदि श्री घोष ने मुझे विषय सम्बन्धी मुद्दे दिये होते और यदि सूचना समय पर दी होती तो मैं उन्हे भी अनुमति देता। मैं किसी को भी नजर अंदाज करना नहीं चाहता हूं।

श्री निरेन घोष : मैंने यह समय पर दी है। मैं विश्वास से यह कहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय वसु : मेरी सूचना में दोंनो बातें आ जाती हैं। मैं विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक पर भी प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो करिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने मंत्री महोदय का वक्तव्य सुना है। परिवर्तन के बारे में आपने कुछ कहा है सम्भवतः आपने "गूढ़ार्थ' शब्द कहा है। यह आप में निहित है। मैं आपको दोष नहीं देता हूं। यह आपके साथ है। मैंने कोई गूढ़ार्थ की बात नहीं की है। मैंने तकनीकी और आर्थिक आधार पर बहुत ही मैत्री पूर्ण और अच्छी आलोचना की है। आपने ऐसी नहीं की है।

मैं आपसे एक आसान प्रश्न पूछ रहा हूं कृपया इसका उत्तर देने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि विमान परिवहन पूर्णतः विदेशी मुद्रा व्यव प्रधान है तो क्या कारण है कि जहां भी सम्भव है आप लोगों को जमीन के रास्ते सफर करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे है और इस प्रकार लोगों विमान से यात्रा करने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? आज एयर बस की लागत 37 करोड़ रुपए है और ईंधन, फालतू पुर्जे, भूमिगत प्रबन्ध आदि को मिलाकर कुल खर्चा कितना आता है। क्या आपने इसका हिसाब लगाया है? यह आपका प्रतियोगी है। हम यहां इन सज्जन को लिखते रहें हैं। हम गत डेढ़ वर्ष से मंत्रालय को लिखते रहे हैं कि बम्बई और दिल्ली के बीच तथा कलकत्ता और दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रैस में दोरियर की दूसरे दर्जे की शयनिका होनी चाहिए और किराया 250 रुपया होना चाहिए। श्री मधु दंडवते ने मुझे अक्तूबर, 1979 में आश्वासन दिया था कि शयनिका शुरू की जायेगी। मुझे बाद में बताया गया कि यह अप्रैल, 1980 में किया जायेगा। अब मुझे बताया गया कि सम्भवत : यह सितम्बर-अक्तूबर में शुरू किया जायेगा।

अब गाडी में एक सफेद हाथी है जिसमें 18 स्थानों का एक प्रथम श्रेणी का वातानुशीलन यान है। 18 स्थानों में से 4 रेलवे बोर्ड अधिकारीयों के लिए धातु-पास धारियों के लिए आरक्षित हैं। कभी कभी यह संख्या छः हो जाती है। अकेले इस मान के लिए छः स्थान हैं-दो बैरे दो गाड़ी परिचारक, सफाई कर्मचारी और प्रवेशक के लिए हैं। संतुलन-पत्र क्या है? प्रत्येक बारी में आप कुल 5000 रुपये कमा रहे हैं। यदि आप दो टियरों के दूसरी श्रेणी की शयनिका चलाते हैं तो मैं हिसाब लगाकर आपको बता सकता हूं कि आय 10,000 रुपये होती है। आप रुपया कमाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप विक्टोरियन युग में रह रहे हैं। आपके दिमाग में रेल भवन में मुगलकाल की शान शौकत का खयाल है। अच्छा यह होगा कि आप अपने कमरे में एक तरण-ताल बनवाइये।

श्री स्टीफन, आप संतुलन-पत्र को समझने का प्रयत्न करें।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : वह अब रेल मंत्री हैं

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय मेरा पत्र व्यवहार देख लीजिए। मैंने इसमें विश्लेषण दिया है इसका क्या कारण है कि राजधानी एक्सप्रैस के लिए वातानुकूण्डिन यान जरूरी है? क्या यह विशिष्ट व्यक्तियों और कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए है। किसी व्यक्ति को 17 घंटे रह सीट पर क्यों बैठना पड़े? क्या आपको मालूम नहीं है कि इस सभा को एक सदस्य की जिन्हें दिल की बीमारी थी रात भर इस सीट पर यात्रा करने से मृत्यु हो गई थी। मंत्री महोदय पत्र व्यवहार देखें और अपने कर्मचारियों से पका पकाया खाने के आदि नहीं।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, श्री ज्योतिर्मय वसु हमेशा की तरह कह चुके हैं। मैं भी "मिस्टर सदस्य" कहूंगा। उन्होंने "मिस्टर मंत्री" कहा है इसलिए मैं "मिस्टर सदस्य" कहूंगा।

जहां तक दुमंजली गाड़ी का सम्बन्ध है, यह हमने आरम्भ की थी। जनता पार्टी के आने से पहले यह हमारा कार्यक्रम था।

अध्यक्ष महोदय : इसे तेज किया गया, बस।

श्री सी० एम० स्टीफन : चाहे यह हो यान हो परन्तु हमने इसे आरम्भ किया था। सारी बातें वहां थीं और इसके लिए एक समय सूची थी। अतः जहां तक दुमंजली गाड़ी का प्रश्न है हमें अनुदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी से भी सलाह मिलने से पहले हमने अपने आप ही इसे आरम्भ किया था और इसे कुछ हद तक बढ़ाया था। अतः कोई नवीकरण की आवश्यकता नहीं है।

अब वह कहते हैं कि विमान और गाड़ी में प्रतियोगिता है। श्री वसु जब कलकत्ता जायें तो उनके लिए छूट है कि वह गाड़ी से जायें या विमान से जायें विमान से जाने की कोई अनिवार्यता नहीं है। उन्हें प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी से सफर करने की छूट है। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि उन्हें प्रथम श्रेणी से ही सफर करना चाहिये। वह अपने आप उदाहण प्रस्तुत करें और सिद्ध करें कि कलकत्ता जाना विमान से जाने की अपेक्षा द्वितीय श्रेणी से अच्छा है। किन्तु इसकी अपनी उपयोगिता है। इनमें कोई प्रतियोगिता नहीं है.....

श्री ज्योतिर्मय वसु : मेरा यह मुद्दा नहीं था।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि विमान और गाड़ी में कोई प्रतियोगिता नहीं है। गाड़ी और सड़क परिवहन में प्रतियोगिता हो सकती है। छोटे विरामों के सम्बन्ध में सड़क परिवहन और गाड़ी में कोई प्रतियोगिता नहीं है। जहां तक लम्बे विरामों का सम्बन्ध है इसकी कुछ बैधता है। इसे दूर नहीं किया जा सकता है और समस्त व्यवस्था में यह बड़ी कड़ी है। प्रश्न केवल यही है कि इसमें सुधार कैसे किया जाये। जहां तक हर एक जगह गड़बड़ी, साजिस समझने का रोग है उसके लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय वसु : जो कुछ मैंने कहा है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। मैंने दो-टियर के वातानुकूलिन दूसरी श्रेणी की शयनिका के बारे में कहा है।

अध्यक्ष महोदय : हम अब और चर्चा में न पड़ें।

प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डों को लेते हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूचि विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूची और विधेयक का पूरानाम विधेयक में जोड़ दिये गए ।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये । "

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

——

सामान्य बजट 1980-81 सामान्य चर्चा
अनुदानों की मांगे, (सामान्य) 1980-81
और
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1979-80

अध्यक्ष महोदय : अब हम सामान्य बजट तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगों से सम्बन्धित मद संख्या 17,18, और 19 पर चर्चा करेंगे । अनुदानों की मांगों पर जिन सदस्यों ने कटोती प्रस्ताव दिए हैं उन्हें परिचालित किया गया है । यदि वे अपने कटोती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो पंद्रह मिनट में अपनी पर्चियां भेजें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों के नाम दर्शाए गए हों जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं इन प्रस्तावों को पेश किया गया माना जाएगा ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मुझे एक निवेदन करना है । बहुत से लोगों ने आज कटमोशन्स दिए हैं लेकिन यह बजट विशेष स्थिति में पेश किया गया है इसलिए कलतक कटमोशन देने का मौका हमको दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : आज 6 बजे तक आप भेज दीजिए ।

चौधरी चरण सिंह ।

श्री चरण सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में मैं वित्त मंत्री जी से माफी चाहता हूं कि कल तबीयत अच्छी न होने के कारण मैं स्वयं यहां पर उपस्थित नहीं हो सका उनका भाषण सुनने के लिए, आशा करता हूं वे मुझे इसके लिए माफ करेंगे ।

मैं बहुत संक्षेप में, कुछ बातें जो उन्होंने बजट में कही हैं, उनका जवाब देना चाहता हूं। एक तो उन्होंने यह कहा है कि एकोनामी स्टैगनेन्ट कंडीशन में, स्थिर अवस्था में मिली जिससे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि फैक्चुअली यह बात गलत है, यह बात तथ्य के विपरित है। अगर वे अपनी फाइनेन्स मिनिस्ट्री से आंकड़े लेकर देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि 1977-78 में नेशनल इनकम 5.2 परसेंट बढ़ी और 1978-79 में नेशनल इनकम 4.1 परसेंट बढ़ी जबकि 1951 से लेकर 1977 तक नेशनल इनकम में कम्पाउन्ड रेट आफ इंक्रीज 3.6 परसेंट की रही। यानी जो औसत बढ़ोत्तरी हुई राष्ट्रीय आय में उससे ज्यादा 1977-78 में नेशनल इनकम में बढ़ोत्तरी हुई और 1978-79 में बढ़ोत्तरी हुई। अब बात रहती है 1979-80 की। श्री वेंकटरमण ने कहने की कोशिश की है कि जनता पार्टी और लोकदल की गवर्नमेन्ट शायद यह जो अनावृष्टि, ड्राउट, सूखा पड़ा है उसका सहारा लेने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा है कि नाइनटीन सिक्सटीज में कांग्रेस ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी अगर वहीं अपनाई जाती तो शायद लोगों को कष्ट नही होता। मैं वाअदब अर्ज करना चाहता हूं कि यह राय गलत है। पहली बात तो यह है कि अनावृष्टि, ड्राउट मामूली नहीं था। 1918 के बाद और शायद यह भी हो सकता है कि 1899 के बाद इतनी बड़ी फेल्यार आफ मानसून कभी नहीं हुई जितनी कि पिछले साल हुई है। इसलिए यह कहना कि हम उसका सहारा लेने की कोशिश करेंगे, यह बात नहीं है।

जहां तक प्राइज का ताल्लुक है उसकी तीन चार वजूहात है—एक ड्राउट, दूसरे पेट्रोलियम की प्राइसेज बढ़ीं, स्टील की कीमत बढ़ी और कोल की कीमत 1977-78 में ही बढ़ा देनी चाहिए थी।

तो 79 में उसकी कीमत हमें बढ़ानी पड़ी, जो कि एक्साइज के मुताल्लिक बढ़ी। मैंने इसको एक्साइज ड्यूटी में इन्क्रीज किया था और उसका बहुत प्रापेगेंडा हुआ, लेकिन आप स्वयं अपने वित्त मंत्रालय से पूछें कि क्या उन्होंने इस सिलसिले में एक्सरसाईज की थी? 24 फरवरी से लेकर 30 सितम्बर या 15 सितम्बर, 1979 तक जो इन्क्रीज हुआ, वह केवल इन एक्साइज ड्यूटीज की वजह से 1.2 प्रतिशत था। जिसका मतलब यह है कि अगर आप यह कहें कि किसी नाकावलियत की वजह से 12 प्रतिशत प्राइस बढ़ी, इसको में नहीं मानता हूं।

फिर तीसरी बात यह है कि हमने जो प्रिवैंटिव डिटेशंन आर्डिनेंस पास किया था, उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ। अच्छा होता अगर माननीया प्रधानमंत्री जी यहां होती, उनका एक भाषण यहां भी हुआ और उसमें उन्होंने यह कहा कि यह प्रिवैंटिव डिटेंशन आर्डिनेंस दरअसल में मेरी गिरफ्तारी के लिए जारी किया गया है। ये उनके अलफाज थे, जिनका कि मैंने इलैक्शन स्पीचीज में जवाब दिया, लेकिन उनकी तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। यह प्रोपेगेंडा था कि हमने उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रिवैंटिव डिटेशंन आर्डिनेंस जारी किया था। इसके लिए इन्होंने यह प्रचार किया था कि इसका पौलिटिकल इस्तेमाल किया जाएगा और यह केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसको इस प्रकार का अध्यादेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

एक तरफ डाउट था और दूसरी तरफ प्राइस राइस और उधर यह प्रोपेगेंडा था कि

प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्डिनेंस का इस्तेमाल पोलिटिकली किया जाएगा और सब स्टेट गवर्नमेंट्स कहती थी कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका फायदा नहीं उठायेगें। मुझे खुशी हुई कि अब आप इसको खूब लाए है। अगर्चे यह कंडीशन अब नहीं है, जिन कंडीशन्स में हम इसको लाए थे उस वक्त ड्राउट था। पिछले साल 1979 में जो बारिश हुई, उसके बाद ड्राउट खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि अब केयर टेकर गवर्नमेंट भी नहीं है और आपको निकलने का डर भी नहीं है।

तीसरी बात यह है कि उसका यहां भी हमने विरोध किया था। मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब से खास तौर से यह अर्ज करना चाहता हूं कि कानून और जुडिशियल प्रोसीजर और डैमोक्रेटिव फक्शन्स को छोड़ने की आदत उनकी पार्टी को है, विरोधी पार्टियों को नहीं है। लिहाजा हमने कभी इसका इस्तेमाल पोलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ नहीं किया, क्योंकि ..

(व्यवधान).....

अभी माननीय श्री सी० एम० स्टीफन ने एक बात कही थी कि अपोजीशन ऐसा मौका कभी नहीं देगी कि जिससे इमरजेंसी फिर नाफिज करनी पड़े। जहां तक मैं समझ सका हूं उनकी मंशा यही थी।

श्री सी०एम०स्टीफन : मैंने यह नहीं कहा। विपक्ष ही ऐसी स्थितियां पैदा कर रहा है। मैंने यह कहा था कि विपक्ष ने देश में आपात स्थिति लागू कराई उन्होंने इसके लिए परिस्थितियां पैदा की।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, मैं समझता हूं कि उन्होंने यही कहा है हम इसको जनता के सहयोग से लायेगे, क्या उस वक्त रैफरेंडम करेंगे आप यह कहेंगे कि आप इनके ट्रू रिप्रजेंटेटिव हैं। जब आपकी मौज होगी, आपकी तबियत होगी, जनता की राय मानी जाएगी। सब कुछ सहने के बाद, 1 लाख 2 हजार आदमी बरसों और महीनों जेलों में रहने के बाद, जिस वक्त जनता पार्टी ने पावर संभाली है, उसके पहले के जो जुडिशियल प्रोसिजर्स बने हुए थे, इनके मुताबिक हमने काम किया। हम भी चाहते तो हम भी इमरजेंसी लागू रख सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा अंदेशा होना कि हम प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्डिनेंस लाए हैं और हम उसका पोलिटिकल मिस-यूज कर सकते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : ग्रह मंत्री के नाते आप यह विधेयक लाए और आपको इसे वापस लेना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : आप वाद-विवाद में न पड़े।

व्यवधान

श्री चरण सिंह : मैं यह चाहता हूं कि आप सुनिए और बाद में फिर आप जवाब दे दीजिएगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : आपराधिक दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक क्या था ?

श्री चरण सिंह : मेरे दोस्त दण्डवते साहब कह रहे हैं कि स्टीफन साहब का अभी भी यही ख्याल है कि वह अपोज़ीशन में हैं।

जहां तक स्ट्रेटिजी की बात है – आप कहते हैं कि कांग्रेस ने जो स्ट्रेटिजी अपनाई थी, अगर हम उस स्ट्रेटिजी को अपनाते तो डाउट में जो तकलीफ लोगों को हुई, वह न होती। मैं जानना चाहता हूं – आप की वह स्ट्रेटिजी कौन सी थी ? आप की फिगर्स यह बतलाती हैं - अगर 1969-70 को बेस-आफ-फूड प्रोडक्शन मान लिया जाय, 100 मान लिया जाय, तो 1974-75 में फूड प्रोडक्शन की फिगर्स 104.3 थी। 1975-76 में वह 127.2 हो गई, लेकिन 1976-77 में 115.7 रह गई। मैं जानना चाहता हूं – आप के राज में इस एक साल में यह फिगर 115.7 पर कैसे आ गई ? अगर हम इस के बारे में एन्कवायरी करायेंगे तो आप को मालूम होगा कि मानसून इस के लिये सब से बड़ा फैक्टर था। यह बात नहीं थी कि इस साल में फर्टिलाइज़र की कमी थी। इस लिये अगर आज आप स्ट्रेटिजी की बात करते हैं तो उस एक साल पहले आप की फिगर्स 127.2 थी, जब कि एक साल बाद गिरकर 115.7 हो गई, लेकिन उस के फिर एक साल बाद 1977-78 में यह फिर 132.8 हो गई। लिहाज़ा एक आम बात की तरह से कह देना कि आप एक बहुत बड़ी स्ट्रेटिजी छोड़ गये थे, जिस को हम ने नहीं माना, जिस की वजह से हम ड्राउट का मुकाबला नहीं कर सके, बिलकुल गलत बात है।

बड़े अभिमान से कहा जाता है कि हम एक बड़ा भारी ग्रेन–भण्डार छोड़ गये थे, बेशक छोड़ गये थे। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं और मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी से पूछा भी था, जिस का वह जवाब नहीं दे पाई। अगर वह मेरे प्रश्न का जबाब देंगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, ताकि मेरा मुगाल्ता दूर हो जाये। 1974 में आप ने 4874 हज़ार टन गल्ला बाहर से मंगाया था। 1975 में 7407 हज़ार टन मंगाया था। 1976 में 6515 हज़ार टन मंगाया था – यह सब मिला कर 18.8 मिलयन टन होता है, जिस की कीमत 2503 करोड़ रुपये थी और तकरीबन इतना ही आपने उस वक्त छोड़ा था। आप चाहें तो अपने फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से या एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट से इन फिगर्स के बारे में मालूम कर सकते हैं कि उस तीन साल के दौरान जो रेन्ज का स्पैन था, उस जमाने में आप ने 19 मिलियम टन गल्ला मंगवाया या नहीं, जब कि उस परियड में फसल बहुत अच्छी थी, हम सेल्फ-सफिशियेन्ट थे, लेकिन फिर भी हम ने 2503 करोड़ रुपये का गल्ला मंगवाया। क्या इस के लिये आप अभिमान करते हैं कि हम पैदावार बढ़ा गये थे ? पैदावार बेशक बढ़ी थी, लेकिन आप ने सरप्लस कर दी थी, ऐसी बात नहीं थी।

हमारे यहां लोगों का एक बहुत बड़ा प्रपोशन ऐसा है जो भूखे रहते है। इसलिए नहीं की आप के पास गल्ला नहीं है, बल्कि उन के पास परचेजिंग–पावर नहीं है। अगर सब के पास परचेजिंग-पावर हो तो आज भी हम सेल्फ-सफिशियेन्ट नहीं है। लिहाजा यह ख्याल कि आप सेल्फ-सफिशियेन्ट ही नहीं, बल्कि सरप्लस हैं, बिलकुल फैक्चुअली गलत बात है, आप उस पर गलत अभिमान करते हैं।

जहां तक आप ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने–ये एचीवमेन्ट्स किये हैं, मैं जानना

चाहता हूं वे कौन से एचीवमेन्ट्स हैं ? पुरानी बातों को छोड़ दीजिये, 1951-52 में हमारी क्या हालत थी, में उस में नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस वक्त माननीया इन्दिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी– यह 1966 की बात है, उसके एक साल पहले 1964-65 में दुनिया के डवेलप्ड, अन-डवेलप्पड, अण्डर-डवेलप्ड मुल्कों में हमारे मुल्क का नम्बर 85वां था, यानी 84 देश हम से ज्यादा मालदार थे। उस वक्त 125 मुल्क थे, इस का मतलब है कि 40 मुल्क उस वक्त ऐसे थे जो हम से गरीब थे। लेकिन उस के बाद हुआ–हम 103 वें नम्बर पर खिसक गये, यानी हम से 18 मुल्क आगे आ गये।

हमारा नम्बर हो गया 103। सन् 1965 तक 18 देश हम से आगे निकल गये। हमारी पोजीशन नीचे गिर गयी। सन् 1976 में हमारा नम्बर हो गया 111। यानि 125 मुल्कों में केवल 14 मुल्क हम से गरीब रह गये। ये गरीब मुल्क कौन से हैं ? नेपाल, हम से गरीब, भुटान हम से गरीब, बंगला देश हम से गरीब और बाकी मुल्कों के नाम न हमने सुने हैं और न आपने सुने होंगे। अगर सुने भी होंगे तो याद नहीं होंगे। ऐसे मुल्क जिनकी आबादी 11 लाख या 12 लाख हैं। ये आलतोस्ट पुअरेस्ट कन्ट्रीज हैं। ये आंकड़े दो साल पहले हैं।

यह जो लेटेस्ट रिपोर्ट आयी है, उसके अनुसार हमारी पोजीशन 106 है, यानि 15 मुल्क हम से ज्यादा गरीब हैं और पांच मुल्कों के आंकड़े आये नहीं हैं। अगर उनको हम मिला लें तो हमारी पोजीशन 111 हो जाती है, अगर उनको निकाल दें तो हमारी पोजीशन 106 रहती है। ये 105 या 106 मुल्कों में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो हमारे साथ आजाद हुए या हम से बाद में आजाद हुए और जो बिल्कुल कालोनीज थे, न वहां सड़कें थीं, न वहां स्कूल थे, न और साधन थे। वे सब के सब हम से आगे निकल गये। आप 1954–55 के फिगर यू० एन० ओ० के उठा कर देखें कि 1952–53 में आपकी पोजीशन क्या थी ? उस समय के आंकड़े बताते हैं कि जब से लेकर 1976 तक 43 हम से गरीब मुल्क हम से आगे निकल गए। 54–55 में हमारी पोजीशन 52 या 53 थी।

ये वाकयात हैं और इनको हमें मंजूर करना चाहिए। मैं किसी पार्टी का होने के नाते से यह सब नहीं कह रहा हूं क्योंकि देश जितना हमारा है, उतना आपका भी है। जितना प्यारा देश हमको है, उतना आपको भी प्यारा है। लेकिन जो स्वप्न मेरी पीढ़ी के लोग देखा करते थे वे सारे स्वप्न खत्म हो गये क्योंकि आज हमारा मुल्क इतना गरीब हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, आज भी देश में 47 फीसदी आदमी पावर्टी लाइन से नीचे रह गये हैं। प्लानिंग कमीशन ने गांव के एक पुअरेस्ट आदमी की आमदनी 62 रुपये माहवार मानी है और शहर के एक पुअरेस्ट आदमी की आमदनी 71 रुपये मानी है। इस आमदनी से नीचे वाले लोगों को विलो पावर्टी लाइन माना गया है। ऐसे लोग हमारे मुल्क में जिन्हें विलो पावर्टी लाइन माना गया है वे 47 परसेंट हैं। इतने लोगों को हमारे मुल्क में खाना भी नहीं मिले, उस पर भी आप गर्व करें कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, इससे ताज्जुब होता है। मैं यह नहीं कहता कि आप देशभक्त नहीं हैं या तरक्की करने की आपकी नीयत नहीं है। हम सब की नीयत है, हम सब को देश को आगे ले जाना है। लेकिन हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारी नीतियों में कहां क्या गलती है ?

अब मैं आपको डिस्पेरिटी की बात बताना चाहता हूं। हमारे मुल्क में डिस्पेरिटी बराबर बढ़ती जा रही है । एक वर्ग की आमदनी में और दूसरे वर्ग की आमदनी में फर्क बढ़ता जाता है। गांव और शहर वालों की आमदनी में फर्क बढ़ता जाता है। एग्रीकल्चरल और नान-एग्रीकल्चरल वर्क्स की आमदनी में फर्क बढ़ता जा रहा है। आपके आफिशियल आंकड़ों से मैं आपको बतलाना चाहता हूं। 1950–51 में जहां एग्रीकल्चरल वर्कर की आमदनी 100 थी वहां नान-एग्रीकल्चरल वर्कर की आमदनी 178 थी। यह आमदनी का 1977–78 में आल वर्क्स का रेशो था 198, 59, वहां एग्रीकल्चरल वर्कर्स का रेशो था 139, 66 और नान- एग्रीकल्चरल वर्कर्स का रेशो था 345। जस्ट डबल। जबकि गांव वाले हमारे मुल्क में 80 परसेंट हैं। उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया और शहर वालों की तरफ ध्यान दिया तो उनकी डिस्पेरिटी तो कम हुई, लेकिन गांव वालों की डिस्पेरिटी बढ़ गयी। मैं यह नहीं कहता कि शहर वालों की आमदनी में गेप नहीं है। यह गेप तो हमेशा रहेगा। लेकिन जिसके जमाने में जिसके पीरियड में यह गेप कम हो जाए वही हुकूमत अच्छी कहलाती है। लेकिन आपके जमाने में यह गेप दुगना हुआ।

मुझे याद है, पुरानी बात कहता हूं कि हम लोग कहा करते थे अंग्रेजों के वक्त कि शहरों और देहातों के बीच जो गेप है वह बढ़ता जा रहा है। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तीस साल के बाद और अपने लीडरों की हकूमत के अन्दर जब हम को मौका मिला काम करने का तो यह जो गेप है यह दुगुना हो गया है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से मंत्री महोदय ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जब तक पार्टी के जरिये और कैबिनेट के जरिये इस चीज को न कराया जाए, उनके सामने इस चीज को न रखा जाए और वहां पर खुलकर डिबेट न की जाए और जब तक वहां से कदम उठाने के वास्ते सिफारिश नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जो गेप है बजाय नैरो डाउन होने के यह बढ़ता ही जाता है। एक तरफ तो यह हालत है और दूसरी तरफ आप देखें कि बिड़ला के एसेट्स 151 करोड़ थे 1951 में और आज वे बढ़कर 1171 करोड़ हो गए हैं। टाटा के 153 करोड़ के थे जो बढ़कर ग्यारह सौ करोड़ के हो गए हैं। जिनके एसेट्स 116 करोड़ के थे उनके साढ़े ग्यारह या बारह सौ करोड़ हो गए हैं और जिनके 153 करोड़ थे उनके ग्यारह सौ करोड़ हो गए हैं। आठ दस गुना वे बढ़ गए हैं। एक तरफ आप गरीबी मिटाने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ बिग बिजिनैस हाउसिस जो हैं, जो सेठ हैं, उनकी तादात बढ़ती जाती है। यह पालिसी की गलती है, नीयत की गलती है यह मैं नहीं कहता हूं। मैं स्टीफन साहब से कहना चाहता हूं कि जब एमरजेंसी नाफिज हुई 26 तारीख को तो हम सब लोगों को तो जेल में ठूंस दिया गया था लेकिन इसके दो दिन बाद ही बिड़ला साहब दूसरे बिग बिजिनैसमैन को ले करके हमारी बहन इन्दिरा गांधी के पास गए थे और जाकर कहा था कि आपने बहुत अच्छा किया है, इनको जेल में डाल दिया है, हम आपके साथ हैं। बिग बिजिनैसमैन हमेशा इसी तरह से करते हैं। डैमोक्रेसी उनको सूट नहीं करती है। उनको इसमें पूरा मुनाफा कराने का और अपने मन की बात करने का मौका मिल जाता है। किसी तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहता है। ट्रेड यूनियंज कुछ नहीं कर सकती हैं। पब्लिक लीडर कुछ नहीं कह सकते हैं। उनको खेल खेलने की पूरी छूट मिल गई थी। जर्मनी में भी यही हुआ था जब वहां डैमोक्रेसी खत्म हुई और हिटलर पावर में

आया । विग बिजिनैसमैन की स्पोर्ट से सारा काम होता है । जब उनकी स्पोर्ट किसी को मिल जाती है तो उनको उत्साह मिलता है, उनके हौसले बढ़ जाते हैं ।

अब मैं निगलेक्ट आफ दी विलेजिज़ पर आना चाहता हूं । इनकम के बारे में मैं बता ही चुका हूं । आपका नहीं, हम में से किसी का भी गांवों की तरफ ध्यान नहीं गया है । हम लोग जो गांवों में पैदा हुए हैं वे दिल्ली में आ गए एक बार तो यहां की चकाचौंध से ऊपर नहीं उठ सके । जो लोग यहां रहते हैं, जिस तरह का माडर्न स्टाइल आफ लिविंग यहां पर हमारा हो गया है, उसमें गांव हम लोगों को सूट नहीं करते हैं । जो रिटायर होता है वह गांव में जाने की बात तो कहता है लेकिन थोड़े दिन वहां रहकर फिर यहीं आ जाता है । यही अफसरों का हाल है ।

सड़कों की बात मैं बताता हूं ।

श्री भोला रावत (बगहा) : आप सब से लम्बे अर्से तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं।

श्री चरण सिंह : मेरे दोस्त को मालूम है । मैं रेवेन्यू मिनिस्टर सबसे ज्यादा अर्से तक रहा हूं । उसकी बाबत मैं दावा करता हूं बिला खौफ तरदीद के और चेलेंज देता हूं कि जिस तरह मैंने जमींदारी एबालिशन किया है, अगर किसी भी सूबे में उस तरह से हुआ हो तो मुझे बताया जाए । मैं अपने दोस्त को यह भी बताना चाहता हूं कि पालिसी दिल्ली में बनती है, लखनऊ में या कहीं और नहीं बनती है, एलोक्शन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पावर, रोड्ज़, वगैरह के लिए यहां से होता है, रोड्ज़ कितनी हो, इलैक्ट्रिसिटी कहां कितनी खर्च हो यह सब दिल्ली में तय होता था । पहले एग्रीकल्चर को पांच छः परसेंट बिजली जो पैदा होती थी उसको मिला करता था और आज पंद्रह परसेंट के करीब ही मिलता है । 85 परसेंट बिजली इंडस्ट्रीज़ या ट्रेक्शन या लाइटिंग और चीजों पर खर्च होती है । जबकि खेती पर बड़ी मुश्किल से 15 परसेंट हुई है । पहले तो 5, 6 परसेंट ही खर्च होती थी । कौन है इसके लिए जिम्मेवार ?

अच्छा मैं अर्ज कर रहा था रोड्स के लिए । आप कह सकते हैं कि ढाई साल में इतना भी नहीं किया जितना 30 साल में कर दिया । मैं आपकी नीयत पर हमला नहीं कर रहा हूं, देश की स्थिति के बारे में बता रहा हूं । सारे अन्डरडैवलप्ड कन्ट्रीज का यही हाल है । हमने गांव और एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट किया जिसकी वजह से यह हाल है । रोड्स के बारे में हालत यह है कि 1 लाख 68 हजार 639 गांव हैं 5 लाख 76 हजार गांवों में से जो कि आल वैदर रोड्स से कनैक्ट होते हैं । फैदर बैदररोड् से 92,700 गांव हैं । इस तरह से दोनों मिलाकर 2 लाख 61 हजार गांव ऐसे जो रोड से किसी न किसी रूप में कनेक्टेड हैं शहरों से और कस्बों से । और 3 लाख 14 हजार 500 गांवों में कोई रोड नहीं है । बिजली का मैं बता चुका हूं ।

ऐजूकेशन का यह हाल है कि गांवों में 75 प्रतिशत लोग इल्लिटरेट हैं और अर्बन एरियाज़ में 45 परसेंट हैं । क्यों ? जितनी पोपुलेशन अंग्रेज छोड़ गये थे 35 करोड़ के करीब आज 30 साल के बाद उससे ज्यादा लोग यानी 43 करोड़ लोग इल्लिटरेट हैं । 66 करोड़ की आबादी में

एक तिहाई लोग ही पढ़े हैं और 44 परसेंट लोग इल्लिटरेट हैं। ऐडल्ट ऐजूकेशन की तरफ़ किसी ने ध्यान नहीं दिया।

अब अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि गांवों में बड़े मालदार हो गये हैं। यह जो वैल्थ टैक्स लगता है, और यह सरकारी आंकड़े हैं जो मैं दे रहा हूं, यह वैल्थ टैक्स एग्रीकल्चरल और नान-एग्रीकल्चरल प्रोपर्टी पर लगता है गांवों में। और शहर में केवल नान-एग्रीकल्चरल प्रोपर्टी पर ही लगता है। तो कुल हिन्दुस्तान के रूरल एरियाज़ में जो वैल्थ टैक्स के असेसीज़ हैं उनकी तादाद है 16, 664 और अकेले दिल्ली शहर में वैल्थ टैक्स के असेसीज़ की तादाद है 19,149। और सारे हिन्दुस्तान के रूरल एरियाज़ में जिसमें एग्रीकल्चरल और नान-एग्रीकल्चरल प्रोपर्टी दोनों शामिल हैं, उनकी तादाद है 16,664। मतलब यह कि जहां 80 परसेंट लोग रहते हैं वहां तो वैल्थ टैक्स असेसीज़ की तादाद 16,664 और अकेले दिल्ली में जहां मुश्किल से 55 लाख लोग रहते हैं वहां वैल्थ टैक्स असेसीज़ की तादाद 19,149 है। तो यह गांवों को नेगलेक्ट करने की वजह से ही हुआ है।

गांवों में पीने का साफ़ पानी तक नहीं मिलता है। यह भी मैं प्लानिंग कमीशन की फिगर्स में ही कोट कर रहा हूं, 5,76,000 गांवों में से 2,33,644 गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी का इंतजाम हम नहीं कर पाये। इसमें ज्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि हम गांवों में महिलाओं अपनी बेटियों और बहुओं के लिये सेनिटरी फ़ेसिलिटीज़ का कोई इंतजाम नहीं कर पाये आज तक। पुरुषों के लिये या लड़कों के लिये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वह दूर भी जा सकते हैं, लेकिन हम महिलाओं को सड़कों पर देखते हैं कितनी मुश्किल उनको लैट्रीन की फ़ेसिलिटीज़ न होने के कारण होती है। गांवों के सभी रहने वालों का यह तजुर्बा है। मुझे अपनी मां, बहन और अपने रिश्तेदारों का सब का तजुर्बा है बेचारी रात को जाती हैं ताकि दिन में उन्हें कोई न देखे। क्यों हमारा ध्यान इस फ़ेसिलिटी को प्रोवाइड करने की तरफ नहीं गया? उसमें खर्च क्या होता है? एक छोटा ट्यूबवैल हर गांव में बन सकता है और एक टिन की टट्टी बना दीजिये केवल वीमैन के लिये। वह पानी उसको बहाकर ले जा सकता है। इससे वह पानी बरबाद नहीं होगा, वह इरिगेशन में काम आयेगा। लेकिन इस पर किसी का ध्यान जाये तभी तो। हमारा ध्यान जाता है कि 33 करोड़ रुपया एशियाड के गेम्स पर खर्च करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि एशियाड की छाप किसी मुल्क पर नहीं होनी चाहिये। होनी चाहिये, लेकिन हमारे मुल्क की गवर्नमेंट गलती करेगी अगर वह एशियाड पर 33 करोड़ रुपया खर्च करती है। उसमें खेल होंगे तमाशे होंगे। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, उन्होंने क्रिकेट में एक-आध जगह पाकिस्तान से जीत ली है लेकिन वह हाकी में, हर चीज़ में ट्रेक में दौड़ में सब चीजों में पिछड़ गये हैं क्योंकि उन्हें खाने को प्रोटीन नहीं मिलता है।

(व्यवधान)

हमारी वैजीटेरियन सोसाइटी है, उसके लिए सोर्स प्रोटीन हैं। प्रोटीन हैल्थ के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन का सोर्स है पल्स। सन् 1951 में एक आदमी को जो पल्स मोहैय्या होती थी वह 2·15 औंस थी, 1961-70 में वह 1·93 औंस थी और 1971-75 में वह 1·57 औंस है।

किसी का ध्यान इधर नहीं है । लिहाजा हमारे बच्चे दूसरे देश के बच्चों और नौजवानों से कोई मुकाबला नहीं कर पाते । इसीलिये मिलेट्री में, कम-से-कम यू०पी० का मुझे मालूम है कि पहले 5 फुट 6 इंच से कम लम्बाई के लड़के को भर्ती नहीं करते थे, अब उन्होंने 5 फुट 5 इंच इसे कर दिया है क्योंकि उस हैल्थ के लड़के मिलते नहीं हैं । सीना 32 से 34 इंच होना चाहिए था लेकिन अब उन्होंने इसके लिये स्पैसिफिकेशन 31,32 इंच कर दिया है । पहले 130 पौंड का वजन होना चाहिये था लेकिन अब उसे 115 कर दिया गया है ।

कोलरा, एपीडैमिक, प्लेग सब हैं, लेकिन जहां तक हैल्थ का ताल्लुक है, न्यूट्रीशन इन-सफीशियेंट होने के कारण हमारे लड़के उसी तरह की हैल्थ के नहीं होते । तो इस पर 33 करोड़ रुपया खर्च करने के बजाय अगर यह रकम आप स्टेट गवर्नमैंट्स को दें और उनसे कहें कि कुछ रुपया वह दें, कुछ जिला परिषदें दें, कुछ गांव पंचायतें दें तो यह ज्यादा बेहतर होगा कि कम-से-कम बहु-बेटियों के लिये सैनिटरी फ़ैसिलिटीज़ का इंतजाम आप गांवों में कर सकेंगे । मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे श्री वेंकटरमण साहब मेरी तजवीजों पर विचार करेंगे ।

फिर अगर उसको भी नहीं लेना चाहते तो राजस्थान की कैनाल को बनते-बनते 20 साल हो गये हैं, क्यों नहीं यह रुपया उस पर खर्च किया जाता । होटलों पर और एशियाड पर आप खर्च करेंगे जो कि इतना जरूरी नहीं है जितना कि बेसिक नीड्ज़ को मीट करने के लिये खर्च करने की जरूरत है । आज हमारे देश के लोगों को बेसिक नीड्ज़ नहीं मिल रही हैं और लग्ज़री आइटम्स पर हम खर्च कर रहे हैं ।

इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे 2,4 मिनट ज्यादा बोलने के लिये दिये । मैं आशा करता हूं कि वेंकटरमण साहब मेरे सुझावों पर विचार करेंगे ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

1979-80 के सम्बन्ध में पेश किए गए कटौती प्रस्ताव

श्री जी० एम० बनतवाला पोन्नानी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संचार मंत्रालय के संबंध में 1,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुदानों की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

(न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन मानने में असफलता) । (1)

"कि विदेश संचार सेवा के संबंध में 1,000 रुपये से कम 15 अनधिक राशि को अनुपूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

(न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन मानने में असफलता) । (2)

"कि डाक तार–कार्यकरण व्यय के संबंध में 13,53,75,00 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

(न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन मानने में असफलता) । (3)

"कि डाक तार पर पूंजी परिव्यय के सम्बन्ध में 1,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन मानने में असफलता)। (4)

"कि रक्षा सेवायें–थल सेना के संबंध में 13,00,00,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(न्यूनतम बोनस को स्थगित वेतन मानने में असफलता)। (5)

लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) 1980-81 के सम्बन्ध में पेश किये गये कटौती प्रस्ताव

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय शीर्षक के अन्यर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

आवश्यक वस्तुओं की बहुत कमी और मूल्यों में वृद्धि। (29)

"कि वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(राज्य व्यापार निगम के निराशाजनक कार्य के परिणामस्वरूप, विशेष रूप से बम्बई में मछलियों के भोजन के निर्यात की व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता)। (30)

"कि डाक-तार-कार्यकरण व्यय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(बड़ी संख्या में विभागातिरिक्त कर्मचारियों को नियमित करने की आवश्यकता (31)

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

उर्दू के संरक्षण और संवर्धन सम्बन्धी गुजरात समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता (32)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(अल्प संख्यक आयोग को संवैधानिक और सांविधिक स्तर प्रदान करने की आवश्यकता)। (33)

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

(अनेकानेक राज्यों में उर्दू को एक अतिरिक्त राजभाषा के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता)। (34)

"कि मंत्रिमण्डल शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(सरकारी सेवाओं में मुसलमानों और अन्य अल्प संख्यकों को न्यायोचित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता)। (35)

"कि दिल्ली शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को एक पूर्ण राज्य का स्तर प्रदान करने में असफलता)। (36)

"कि उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(केरल में अधिक उद्योगों की आवश्यकता)। (37)

"कि उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(तमिलनाडू में अधिक उद्योगों की आवश्यकता)। (38)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

)रोजगार के लिये विदेश जाने वाले व्यक्तियों को आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये आप्रवास विधियों का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता)। (39)

"कि पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 कम किये जायें।"

(पोन्नानी (मालापुरम जिला, केरल) में मछली पकड़ने के लिये एक बन्दरगाह की आवश्यकता) : (40)

"कि विमानन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच एक सीधी सेवा की आवश्यकता (41)

"कि विमानन शीर्षक के के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(काफी समय से निलम्बित कालीकट हवाई अड्डे के कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता)। (42)

श्री मुकुन्द मंडल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग से 100 कम किये जायें।"

(बर्ग आपदेशन विधान के जरिये बटाईदारों को खेती की गारंटी प्रदान करने में असफलता। (61)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(बजट का 10 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता (66)।

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्ध का लोकतंत्री करप करने में सरकार की असफलता। (67)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(कालेजों में लाइब्रेरियनों और शारीरिक शिक्षकों की समस्या हल करने में सरकार की असफलता। (68)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(भारत में कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सेवा की सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता । (69)

"कि वित्त मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

(माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा घोषित करने तथा लागू करने में असफलता) । (70)

"कि वित्त मंत्रालय शीर्षक के अन्गर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

(आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में केन्द्रीय सरकार की असफलता) । (71)

"कि वित्त मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेलानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

(राज्यों से वसूल किये गये राजस्व का 75 प्रतिशत राज्यों के लेखों में देने में असफलता) (72)

"कि श्रम और रोजगार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

(बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी सहायकता) । (74)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रु० कम किए जाये ।"

(बेरोजगारी भत्ता देने में असफलता) । (74)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानूदान की मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

(कृषि श्रमिकों को पेंशन देने में असफलता) । (76)

"कि वन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 कम किए जाये ।"

(सुन्दर वन पश्चिम बंगाल में मगरमच्छ और बाघ परियोजनाओं के कार्यकरण की जाच करने की आवश्यकता) । (145)

"कि डाक-तार–कार्यकरण व्यय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

(कलकत्ता के टेलीफोनों में पुनः सामान्य स्थिति लाने में असफलता) । (146)

"कि उद्योग मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जाये ।"

(पश्चिम बंगाल में 24 परगना के सुन्दरबन में और मिदनापुर के कोन्टाई में नमक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता) । (154)

(देश के अधिकांश भागों में कृषि मजदूरों के जान और माल की सुरक्षा प्रदान करने में असफलता)। (155)

"कि योजना आयोग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

(24 परगना के सुन्दरवन को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने और इसके विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता)। (156)

"कि पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत लेखानुदान की मांग में 100 कम किये जायें।

(पर्यटन संवर्धन के लिए नामखाना नदी पर पुल के निर्माण की आवश्यकता)। (157)

"कि नागरिक पूर्ति शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(पश्चिमी बंगाल के लोगों की न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिये पश्चिम बंगाल राज्य को डीजल और मिट्टी के तेल की सप्लाई करने में असफलता)। (158)

"कि नागरिक पूर्ति शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(समूचे देश में प्रत्येक आवश्यक वस्तु के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में असफलता)। (159)

"कि नागरिक पूर्ति शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(लोगों को आवश्यक वस्तु उचित मूल्य की दुकानों के जरिये सप्लाई करने की आवश्यकता)। (160)

"कि वित्त मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

कृषि श्रमिकों को राष्ट्रीयकृत बैंक के जरियें उदार सुविधायें देने की आवश्यकता)। (161)

"कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(बीड़ी श्रमिकों के कल्याण की योजना को उदार बनाने की आवश्यकता)। (162)

"कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 कम किये जायें।"

(कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की आवश्वकता)। (163)

सभा की बैठक के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : सभा सात बजे तक बैठेगी।

श्री शिवराज वी0 पाटिल पीठासीन हुए

श्री डूमर लाल बेठा (अररिया): सभापति महोदय, अभी बजट के उपर जो भाषण हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने दिया है, उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि अभी जो परिस्थितियां इस मुल्क में पैदा की गई हैं और उनके अन्दर जिस प्रकार का बजट बनाया जा सकता था, हम समझते हैं कि उस परिस्थिति के दृष्टिकोण से इससे अच्छा बजट कोई हो नहीं सकता।

विरोधी पक्ष के नेता ने अभी जिक्र किया कि गांवों में सैनिट्री एरेंजमेंट्स न होने की वजह से, शौचालयों के अभाव में, मां–बहनों को बहुत कठिनाइयों का सामान करना पड़ता है, रात के अंधेरे में बाहर जाना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि ढाई साल की अवधि में, जबकि उनकी सरकार यहां पर थी, क्या उनको यह बात याद नहीं थी और क्या वह इस काम के लिए 33 करोड़ रुपया मुहैया नहीं कर सकते थे, जिसकी चर्चा वह कर रहे थे। वह कुछ तो कर के दिखा सकते थे। वह हमारे सामने कोई नमूना या आदर्श पेश कर सकते थे, जिसकी हम नकल करते। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार का बजट पेश किया जायेगा, उस समय के लिए उन्होंने क्या इन बातों को संजो कर रखा था।

उन्होंने किसानों का भी जिक्र किया है। हमारे यहां बिहार के पूर्णिया में पटसन काफी पैदा होता है, जिसको जूट मिलें खरीदती हैं। किसानो की जितनी दुर्दशा उनकी सरकार के समय हुई, उतनी शायद कभी भी नहीं हुई। किसानों के जत्थे के जत्थे आ कर अपनी दुर्दशा का बयान उनके सामने करते रहे, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। अब किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने की क्या जरूरत है ?

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होने वित्त मंत्री की हैसियत से जो बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने किसानों और गरीबों की जरूरत की मामूली चीजों, जैसे दियासलाई, पाव रोटी और कैरोसीन तेल, पर भी टैक्स लगा दिया था। अभी उन्होंने गरीबी और अमीरी का चित्र खींचा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन टैक्सो से यह फर्क बढ़ा नहीं था। मैं समझता हूं कि उन्होंने केवल आलोचना करने के लिए ये बातें कही हैं।

मैं मानता हूं कि इस बजट में जो व्यवस्थायें की गई हैं, उनसे गरीबों और हरिजनों का बड़ा हित होने वाला है लेकिन एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि हम इस बजट के द्वारा जिन लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, वह वास्तव में उन तक पहुंचे, और बीच में ही खत्म न हो जाये। इस के लिए कोई उपयुक्त एजेन्सी को डेवेलप करना होगा।

जहां तक बिजली की खपत का सम्बन्ध है, मैं स्वयं किसान हूं और इस लिए कहना चाहता हूं कि तहकीकात करने पर पता चलेगा कि किसानों को बिजली उपलब्ध करने में बहुत दिक्कत होती है।

उन्हें तो बिजली नहीं मिलती। बिजली की पैदावार कम होती है। दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए एक मिनिमम गारन्टी रखी गई है। पांच हार्स पावर पर किसी का अगर एक मोटर है तो उसे पांच हार्स पावर के मोटर वाले किसान को प्रति माह 100 रुपया करीब-करीब देना पड़ता है और यह आज की बात नहीं है, चरण सिंह साहब की जब सरकार थी उसी वक्त से यह चीज किसानों के लिए लागू की गई है।

आप जरा कुछ पहले की बात देखेंगे तो पाएंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था पहले नही थी। जितनी भी उस के मोटर में बिजली की खपत होती थी मीटर में उठे यूनिट के मुताबिक उसको देना पड़ता था यानी कुछ मेरा ख्याल है पाच हार्स पावर वाले को कुल 60 रुपये के करीब लगता था।

मगर उस गरीब किसान के लिए, सीमान्त–किसान के लिए, जो छोटी-छोटी होल्डिंग वाले किसान हैं और बिजली का उपयोग करते हैं उन के लिए उन्होंने यह इस प्रकार का टेक्स लगा दिया। एक तरफ वह यह कहते हैं कि किसानों के पास बिजली की खपत बढ़ती नहीं है, मगर वह बढ़ेगी कैसे, उस को तो यह लगी रहती है कि प्रति माह 100 रुपये देना है बिजली की खपत के लिए और 100 रुपए देने की स्थिति में वह नहीं है, तो बिजली की खपत करेंगे कैसे ? इसलिए इस को सुधारना चाहिए था। मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए ताकि छोटे-छोटे किसानों को बिजली का उपयोग करने में कोई कठिनाई न हो और अधिक से अधिक बिजली का उपयोग वे कर सकें जिससे उनकी पैदावार अधिक बढ़े और उन की स्थिति में सुधार हो। इस के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

एक बात मैं यह कहूंगा कि देहातों में आप देखेंगे कि एकदम इन्सेक्योरिटी है। चारों तरफ ला ऐंड आर्डर की गड़बड़ी पैदा हो गई है ? यह किस वक्त पैदा हुई ? आप ने सुना होगा हमारे गृह राज्य मंत्री श्री मकवाना साहब फिगर दे रहे थे कि किस–किस प्रकार से हिंसा की घटनाएं हुई और किस–किस प्रकार से अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई इन के राज में ? आप देखेंगे कि लगातार अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही थी, 1976 तक उन की संख्या काफी घटी लेकिन उस के बाद जैसे ही 1977 में इन का शासन हुआ उसके बाद से अचानक अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा चली गई। किसी भी सरकार में सब से महत्वपूर्ण बात ला ऐंड आर्डर की स्थिति है। देश में कोई भी काम, चाहे वह कारखाने की पैदावार हो, चाहे वह कृषि का काम हों, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो या और दूसरे कल्याण के काम हों वह चल नहीं सकते हैं जब तक कि देश में सब से पहले कानून और व्यवस्था न हो। तो उस सरकार ने यह गड़बड़ी पैदा कर दी कि कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज देश में रह नहीं गई। ऐसी स्थिति उन्होंने देश में फैला दी थी और चाहने पर भी वह उस स्थिति पर काबू नहीं पा सकें, बल्कि मैं तो कहूंगा कि उन्होंने इस स्थिति को और पनपाने की कोशिश की। कहीं पर तो बैकवर्ड फारवर्ड की बात चलायी और कहीं पर और–और तरह के भेद पैदा कर के आपस में लोगों को लड़वाने की कोशिश की। अभी भी जो हमारी शिक्षा संस्थाएं हैं वहां पर शान्ति स्थापित नहीं की जा सकी है। हम उसको धीरे–धीरे नियंत्रित कर रहे हैं। मैंने इसीलिए पहले कहा कि जो स्थिति देश में उन्होंने पैदा कर दी थी उस के बावजूद यह जो बजट है इस से हम बहुत बड़ी उम्मीद रख सकते हैं।

एक बात की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप को शायद पता होगा अखबारों में बात आई है कि बिहार के पूर्णिया जिले में 26 छोटे-छोटे किसान अनशन पर बैठे हुए हैं। बात यह है कि वहां पर बाहर से कुछ लोग, लैण्ड ग्रेबर्स तीर-धनुष लेकर आते हैं और साधारण किसानों की ज़मीन दलल कर लेते हैं तथा रातोंरात घर बना लेते है। वहां जो सरकारी व्यवस्था है उसे नियंत्रण नहीं कर पाती है उसमें यह चीज़ आज ही नहीं, ढ़ाई साल के दौरान यह चीज़ पनपी है लेकिन उसको कन्ट्रोल नहीं किया जाता है बल्कि भीतर से बढ़ावा

दिया जाता है। मैंने इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री, बिहार श्री कर्पूरी ठाकुर से बात की थी और उनको बताया था कि लैण्ड सीलिंग से जो ज़मीन फाज़िल होती है या जो सरकार की ज़मीन है उसको आप हरिजनों में बांटें, वह ठीक लेकिन छोटे किसान जिनके पास सीलिंग से फाज़िल ज़मीन नहीं है , उनकी ज़मीन पर अगर इस तरह से ज़बर्दस्ती कब्जा होता है तो उससे लोगों में इनसेक्योरिटी पैदा होती है। उस समय यहां पर जो प्रधान मंत्री थे, जो किसानों की बात करते हैं उनको भी किसानों की बात को सोचना चाहिए था लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फलस्वरुप आज स्थिति बेकाबू है। आज कहीं पर आग लगाई जाती है और कहीं पर मार-पीट और हत्यायें की जाती हैं। इसका कारण यह है कि एक तरफ जबरन ज़मीन पर दखल किया जाता है और दूसरी तरफ से उसे बेदख्ल करने की कोशिश होती है हम भी कहते हैं हैं छोटे-छोटे खेतिहर मजदूरों की मजदूरीं बढ़नी चाहिए। लेकिन वहां पर इस बात को हम भूल जाते हैं कि जब हम मजदूरी बढ़ाने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ उसका रेज़िस्टेंस होता है यही कारण है कि आपस में मतभेद पैदा होता है और बढ़कर मारपीट, आगजनी और हत्या का रूप लेता है। सरकार उन्हें सुरक्षा देने में असमर्थ रहती है।

सभापति महोदय : कृपया ध्यान रखिये कि आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपनी बात कह कर बैठ जाइये।

श्री डूमरलाल बैठा : तो मैं यह कहना चाहता था कि वहां पर जो स्थिति पैदा हो गई है उससे सारे किसान त्रस्त हैं जिनमें हरिजन भी हैं और सीमान्त किसान भी हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जब हम मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमें यह भी देखना चाहिए कि अगर उसमें रुकावट पैदा होती है तो उसके लिए कंसीलिएटरी प्रोसेस का कोई प्रबन्ध नहीं है। कारखाने के मजदूरों की मजदुरी के सम्बन्ध में जब कोई विवाद होता है तो उसके लिए सरकारी व्यवस्था है, मैनेजमेन्ट और मजदूरों के बीच में कंसीलिएटरी प्रोसेस चलता है लेकिन खेतिहर मजदूरों की मजदूरी के सम्बन्ध में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके फलस्वरूप कठिनाइया उत्पन्न होती हैं। मजदूरों के घर जलाए जाते हैं और उनको मारा जाता है। इसलिए इसके सम्बन्ध में भी आपको कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

मुझे कहना तो बहुत था लेकिन आपका आदेश है इसलिए अन्त में केवल यही कहूंगा कि सारे देश में जो अस्त-व्यस्तता पैदा हो गई है उसके बावजूद, जो बजट यहां पर पेश किया गया है वह एक आशा की किरण है और हम आशा करते हैं कि सारी व्यवस्था फिर से ठीक हो सकेगी। इसी उम्मीद के साथ हम इस बजट का स्वागन और समर्थन करते हैं।

श्री सुनिल मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, कल जब तक वित्त मन्त्री ने बजट पेश किया तो उन्होंने सभा को बताया कि वह अभी तो केवल अन्तरिम बजट पेश कर रहे हैं और कुछ सप्ताह के पश्चात वह पूरा बजट पेश करेंगे। इसके कारण स्पष्ट हैं। जब तक वह पूरा बजट पेश करेंगे तब तक राज्य विधान सभाओं के चुनाव सम्पन्न हो जायेंगे और उसके

पश्चात सरकार जनसाधारण पर भारी कर लगा देगी । कांग्रेस दल गत 30 वर्षों से ऐसा ही कर रहा है ।

वाद-विवाद में भाग लेते हुए रेल मंत्रालय के अस्थायी प्रभारी ने कहा कि हम नैतिक रूप से डरपोक नहीं हैं और इसलिए हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है । मेरा निवेदन है कि आप नैतिक रूप से डरपोक हैं इसीलिए आप अन्तरिम बजट की शरण ले रहे हैं आप नैतिक रूप से डरपोक हैं, इसलिए आपने अर्द्ध-रात्रि को आपात स्थिति की घोषणा की थी और उसके पश्चात मंत्रियों को बताया गया कि आपात स्थिति लागू कर दी गई है ।

अतः यह दिखाने का प्रयास मत कीजिए कि आप नैतिक रूप से डरपोक नहीं हैं आने वाली घटनाएं इस बात को सिद्ध कर देंगी ।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमने पिछले 33 वर्षों में जो कुछ किया उस पर जनता सरकार ने अपनी 33 महीनों की अवधि में पानी फेर दिया । आप मुझे एक भी ऐसा उदाहरण बता दीजिए जहां जनता सरकार ने कांग्रेस दल के पिछले 30 वर्षों के दौरान बनाई गई योजनाओं या उनकी कार्यान्विति से विचलित हुई हो । सामाजिक आर्थिक मामलों में जनता सरकार ने वही रास्ता अपनाया । अतः यदि आज आप जनता पार्टी को दोषी ठहराते हैं तो आपके आरोप जनता सरकार की असक्षमता, अयोग्यता के बारे में सही उत्तर सकते हैं, किन्तु जहां तक देश के सामाजिक-आर्थिक मामलों का सम्बन्ध हैं, जनता सरकार ने कांग्रेस के ही पद चिन्हों का अनुसरण किया है ।

आपका दल गत 30 वर्षों से क्या करता रहा है ? कभी आप कहते हैं कि हम समाज का सामाजिक समाजवादी ढांचा तैयार करने का प्रयास करते रहे हैं "और कभी आप कहते हैं कि" हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करते रहे हैं ।" हां इस बात से कुछ हद तक कुछ लोगों को धोखा दिया जा सकता है । किन्तु यदि सरकारी पक्ष का कोई व्यक्ति यह विश्वास करता है आप वास्तव में समाजवाद के लिए लड़ रहे हैं तो फिर मुझे खेद है और मैं कहता हूं कि "कृपया अपने आप मियां मिट्ठू मत बनिए ।"

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : यह हमारी दृढ़ धारणा है ।

श्री सुनिल मैत्रा : गत 30 वर्षों में समाजवाद, समाज के समाजवादी ढांचे तथा कल्याणकारी राज्य के नाम पर आप पूंजीवाद को प्रोत्साहन देते रहे हैं । भारत उस समय आजाद हुआ जबकि वहां पूंजीवाद लगभग लुप्त सा हो गया था और उसी दौरान सत्ता का अन्तरण हुआ था । कांग्रेस दल ने सत्ता संभाली और फिर पूंजीवादी विकास का रास्ता अपनाया । 1947 से 1977 तक पिछले 30 वर्षों के दौरान आप पूंजीवाद को निर्बाध रूप से प्रोत्साहन देते रहें ।

सभापति महोदय : आपको अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिए ।

श्री सुनिल मैत्रा : मुझे कितना समय दिया गया है ?

सभापति महोदय : आपको सात मिनट का समय दिया गया है ।

श्री सुनील मैत्रा : अपने दल की ओर से मैं एकमात्र वक्ता हूं।

सभापति महोदय : आप थोड़ा सा समय और ले सकते हैं।

श्री सुनील मैत्रा : मेरे दल के सदस्यों की संख्या के अनुसार मुझे 23 मिनट का समय दिया जाना चाहिए।

अत: गत 30 वर्षों में आप इस देश में पूंजीवाद का निर्माण करते रहे हैं। किन्तु उस समय इंगलैंड, फ्रांस तथा जर्मनी में पूंजीवाद का इतिहास भिन्न था। आपके पास न तो प्रौद्योगिकी आधार है और न ही पूंजी। चूंकि आपने पूंजीवाद के निर्माण का निर्णय किया है, अत: पूंजी बटोरने के लिए आपने कतिपय नीतियां बनाई हैं जो कि इस देश के लोगों को लूटा रही है। 1950 में कुल करों में से 45 प्रतिशत प्रत्यक्ष कर होते थे और 55 प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर। अब स्थिति यह है कि 80 प्रतिशत तो अप्रत्यक्ष कर हैं और केवल 20 प्रतिशत प्रत्यक्ष कर।

उत्पाद शुल्क की क्या स्थिति है? सुबह मैं एक प्याला चाय पिता हूं। मुझे उस पर उत्पाद शुल्क देना पड़ता है। मैं सिगरेट पिता हूं तो मुझे उस पर भी उत्पाद शुल्क देना पड़ता है। लाइटर पर भी मुझे उत्पाद शुल्क देना पड़ता है। मैं बस से कार्यालय या कारखाने जाता हूं। हमें बस के प्रत्येक पुर्जे तथा डीजल के लिए उत्पाद शुल्क देना पड़ता है। यदि मैं दवाई भी खरीदता हूं तो मुझे उस पर भी उत्पाद शुल्क देना पड़ता है। यदि मेरी मृत्यु हो जाती है और मेरे मृत्यु शरीर को दफनाना है तथा उस पर कफन डालना है तो उसे चिता पर रखने से पूर्व उत्पाद शुल्क देना पड़ता है। यही आपका उत्पाद शुल्क है। यह उत्पाद शुल्क क्या है? 1950-51 में इस देश के लोगों ने 28 लाख रुपये का उत्पाद शुल्क दिया। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री बनी तो उत्पाद शुल्क की राशि बढ़कर 49.05 करोड़ रुपये हो गई और जब श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता से हटी तो उस समय यह राशि बढ़कर 170.38 करोड रुपये हो गई। इसी तरह 1950-51 में चीनी पर उत्पाद शुल्क 6.46 करोड़ रुपये था। 1966-67 में यह बढ़कर 89.78 करोड़ रुपये हो गया और 1976-77 में यह 48.47 करोड़ रुपये हो गया। दियासलाई पर 1950-51 में 8.07 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क दिया गया। 1966-67 में यह बढ़कर 25.75 करोड़ रुपये हो गया और 1976-77 में यह 82.31 करोड़ रुपये हो गया। इस तरह मैं दैनिक जीवन में काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं पर बढ़ रहे उत्पाद शुल्क के बारे में आंकड़े दे सकता हूं। कुल मिलाकर 1950-51 में हम 67.54 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क देते थे जो कि 1966-67 में बढ़कर 1,033.78 करोड़ रुपये हो गया और 1976-77 में यह बढ़कर4,314.54 करोड़ रुपये हो गया। अब 1979-80 में यह 5,725,53 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। अब आप ही देखिए कि कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है। आप कहते हैं कि 30 वर्षों में जो कुछ किया गया उस पर पिछले 30 महीनों में पानी फिर गया। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं। इनके लिए आप ही दोषी हैं। अत: इसमें लज्जा का अनुभव मत कीजिए।

पूंजी एकत्रित करने का आपका दूसरा तरीका घाटे का बजट पेश करना है। प्रति वर्ष प्रत्येक बजट में आप घाटा दिखाते हैं। आज जनता सरकार तथा आप में जो अन्तर है, वह

कोटि का नहीं है बल्कि मात्रा का है। तीसरे आपने मूल्यों को बढ़वाकर इन बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों को जनता को लूटने की अनुमति दे रखी है। इसलिए जब श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में प्रधान मंत्री बनी तो बिरला बन्धुओं की कुछ परिसम्पति 400 करोड़ रुपये से थोड़ी ही अधिक थी। जबकि 1976-77 में बढ़कर उनकी परिसम्पति 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई। तो फिर इन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा ? जितने अधिक कर लगेंगे उतने ही अधिक मूल्य बढ़ेंगे। जितना अधिक घाटे का बजट होगा उतनी ही अधिक मुद्रा स्फीति से मूल्यों में वृद्धि होगी। औद्योगिक गृह जितना ही लोगों को लूटेंगे उतनी ही अधिक कीमतें बढ़ेंगी। इसीलिए वस्तुओं के मूल्य बढ़ते गए हैं। जब इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं तो बाजार में इन ऊंचे मूल्य वाली वस्तुओं की खपत नहीं हो पाई। भारत के आंतरिक बाजार की क्या स्थिति क्या है? इस देश में प्रत्येक 100 ग्राहकों में से 70 ग्राहक किसान हैं। किसान की आज क्या दशा है? यह भी कांग्रेस के 30 वर्षों के शासन काल का एक सुनने योग्य इतिहास है। कुल विश्व जनसंख्या के 6 प्रतिशत लोगों का इस देश की कुल भूमि के 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर अपना अधिकार है। अतः किसानों के पास क्रय क्षमता नहीं है। प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से 70 किसान हैं और उनके पास बाजार में कुछ खरीदने के लिए क्रय शक्ति नहीं है। मूल्यों में निरंतर वृद्धि से उनके लिए कुछ खरीद पाना संभव नहीं है। इसलिए न तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है और न ही औद्योगिक विस्तार हो पा रहा है। नए-नए कारखानों की स्थापना नहीं हो रही है। फलस्वरूप रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। इसीलिए आज देश में बेरोजगारी का बोल बाला है। और बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश की प्रधान मंत्री बनी थी तो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार लोगों की संख्या 26 लाख थी। जब मार्च, 1977 में श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा कांग्रेस दल सत्ता विहीन हुआ तो उनकी संख्या बढ़कर 1 करोड़ 8 लाख हो गई। आप लोगों ने अपने 30 वर्षों के शासन काल में ऐसा ही किया है, इसलिए इन 30 वर्षों में पूंजीवाद को बढ़ावा देने की नीति अपनाने के कारण यह संकट और गहरा हो गया। हमारे 70 प्रतिशत लोग किसान है और उनके पास क्रय क्षमता नहीं है और इसलिए बाजार में वे चीज नहीं खपाई जा सकती जिन्हें वे खरीदते हैं चूंकि बाजार में वे उन वस्तुओं की खपत नहीं हैं इसलिए कारखाने बन्द हो रहे हैं; वहां पहले तीन शिफ्टों में काम होता था, वहां दो ही शिफ्टों में काम हो रहा है और जहां दो ही शिफ्टों में काम हो रहा है और जहां दो दो शिफ्टों में काम होता था वहां एक ही शिफ्ट में काम हो रहा है तथा जहां एक शिफ्ट में काम होता था वे बन्द होने लगे हैं। कांग्रेस के 30 वर्षों के शासन-काल का यही इतिहास है। विशेषकर 1970 के बाद के वर्षों का जब आप लोग सत्ता में थे उस समय देश के विभिन्न भागों में सैंकड़ों कारखाने बन्द हो गए थे। आज भी यही संकट है और आप इस संकट को हल नहीं कर पायेंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पांच प्रतिशत जमींदार तथा साहूकारों को कांग्रेस दल का राजनीतिक आधार प्राप्त है। इसलिए कांग्रेस दल अपने ही राजनीतिक आधार के बारे में कुछ नहीं बोल पायेगा और इसीलिए वे आज बने हुए हैं। आपके लिए इस देश का आर्थिक संकट दूर करना संभव नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि इस संकट को कैसे दूर किया जाये और आप यह संकट देश के निर्धन लोगों पर डाल रहे हैं। आप

इस संकट का भार श्रमिक वर्ग पर डाल रहे हैं। मूल्य बढ़ रहे है और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन आपने 1975 में अध्यादेश द्वारा महंगाई भत्ता, अनिवार्य जमा योजना, बोनस आदि सम्बन्धी उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया। आपने इस देश के श्रमिक वर्ग को 250 करोड़ रुपये की बोनस राशि से वंचित कर दिया। आपने सारा आर्थिक संकट मजदूर वर्ग पर थोप दिया। लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाने तथा बनाए रखने और और अपनी रोटी का गुजारा करने के लिए संघों का निर्माण किया और अपने अधिकारों के लिए लड़े। दोनों ही बातें चलती रहीं। एक तो संकट बढ़ता गया और उसका भार मजदूर वर्ग पर डाला जाता रहा और दूसरे लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे और आपके दल की नीतियों के फलस्वरूप लोगों पर जो बोझ लादा गया था उसका विरोध करते रहे।

अत: अन्तत आपको मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार करना पड़ता है। 1974 को याद कीजिये। भारत का मजदूर वर्ग 1974 को कभी नहीं भुला पायेगा जब कांग्रेस सरकार ने फासिस्ट तरीके से रेल कर्मचारियों की हड़ताल को तोड़ा था। संकट गंभीर होता है तो आप उसका बोझ मजदूरों के कन्धों पर डाल देते हैं। आप उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार करते हैं ताकि वे प्रतिरोध न कर सकें प्रदर्शन न कर सकें, बैठकें न कर सकें। उनके अधिकारों का हनन हुआ और फिर आपातकाल लागू किया गया। श्री स्टीफन कह रहे थे कि इमरजेंसी हम लाए। पर इसका आर्थिक औचित्य क्या था ? वस्तुत: इसका तात्कालिक कारण इन्दिरा गांधी का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामले को हारना था। आपकी अपनी पार्टी ने ही सामुहिक हस्ताक्षर अभियान श्री मति गांधी के खिलाफ चलाया था। बाद में श्री जयप्रकाश नारायण ने आन्दोलन शुरू किया।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : आप अपना भाषण बजट प्रस्तावों तक ही सीमित रखें।

श्री सुनील मैत्रा : मैं बजट प्रस्तावों पर ही चर्चा कर रहा हूं।

सभापति महोदय : उनकी आपत्ति सही है। आप विषय से बाहर न जाए।

श्री सुनील मैत्रा : बजट भारत की आर्थिक दशा को प्रतिबिम्बित करता है (व्यवधान)। इसका देश की अर्थ व्यवस्था से सम्बन्ध है। कांग्रेस सरकार ने पिछले 30 वर्षों में जिन आर्थिक नीतियों को अपनाया आपात स्थिति उनका ही परिणाम थी। उसने देश में पूंजीवाद का निर्माण किया। इसीलिए आप आज भी देश की आर्थिक समस्याओं का डाल समाधान करने में असमर्थ हैं। आप इन समस्याओं का बोझ कार्मिक वर्ग पर रहे हैं। जब लोग इसका प्रतिरोध करते हैं तो आप उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेते हैं। पिछली नीतियां बदली नहीं है। वित्त मंत्री के कल के भाषण से स्पष्ट है कि कांग्रेस पिछले 30 वर्षों से जिन नीतियों का अनुसरण करती आई है आज भी उन्हीं का अनुसरण किया जाएगा। आज भी वही उत्पाद शुल्क लगाया गया है वही आंबंटन किया गया है। हमें कुछ सप्ताहों तक प्रतीक्षा करने को कहा जा रहा है। इस दौरान बजट में कुछ तोड़-मरोड़ की जाएगी और वह जनता के सामने रख दिया जाएगा।

इस बजट में कौन से प्रस्ताव लाए गए हैं ? क्या राहत कार्यों के लिए कोई व्यवस्था की गई है ? यदि आप वस्तुतः कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग की भलाई चाहते हैं तो 9 राज्य ऐसे हैं जो आपकी मुट्ठी में हैं और आप बटाईदारों के नाम पर एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं कि कुल उपज के 75 प्रतिशत भाग के मालिक बटाईदार होंगे। क्या आप यह करने का साहस रखते हैं ? आप पिछले 30 वर्षों से देश में शासन कर रहे हैं। देश की 75 प्रतिशत जनता अनपढ़ है। देश के पूर्वोत्तर भागों में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। आपकी पार्टी के शासनाधीन जो नौ राज्य हैं क्या आप वहां भी बाहरवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क कर सकते हैं। क्या आप खेतिहर मजदूर को 8-10 रु० की न्यूनतम मजदूरी देने की गारन्टी दे सकते हैं ? क्या आप पश्चिम बंगाल की भाँति उन वृद्धों को पेंशन देने की बात सोच सकते हैं कि जो निरचित हैं ? पश्चिम बंगाल में बटाइदारों और गरीब किसानों को भी पेंशन दी जा रही है। क्या आप ये बातें उन नौ राज्यों में लागू नहीं कर सकते जहां आपका शासन है ? आप गरीबों और कमजोर वर्ग के लिए झूठी सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। पर यह सब कुछ नहीं कर सकते।

कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए आपका कोई प्रस्ताव नहीं है। बजट में आपने केवल इतना कहा है कि कीमतों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। कैसा प्रयास ? कैसी पहल ? पिछले 30 वर्षों का इतिहास मूल्य वृद्धि का इतिहास रहा है। अगर आप को 50 वर्ष भी दिए जाएं तो भी आप वही नीतियां अपनाएंगे जिनसे मूल्यों में वृद्धि होगी। मेरे पास कुछ ठोस प्रस्ताव हैं जिन्हें मैं सदन के समक्ष रखता हूं :

(क) केन्द्र सरकार एक ऐसी सार्वजनिक क्रय और वितरण प्रणाली लागू करें जिसके अन्तर्गत मुख्य अनाज, दालें, नमक, चीनी, कपड़ा, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, डीजल, माचिस, कागज और कपड़ा धोने के साबुन की खरीद-फरोखत की जाए।

(ख) ये वस्तुएं सारे भारत में एक ही कीमत पर बेची जाएं।

(ग) सार्वजनिक क्रय और वितरण प्रणाली को राजसहायता देने के लिए 500 करोड़ रुपये की विशेष धनराशि की अलग व्यवस्था की जाए। जब आप निर्यात-सहायता के रूप में चीनी मिल मालिकों को लगभग 340 करोड़ रु० की रकम दे सकते हैं तो आप निश्चित ही देश के 65 करोड़ लोगों को वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के लिए भी 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सकते हैं।

(घ) लगभग 1000 करोड़ रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा आवश्यक आयातों के लिए निर्धारित की जाए।

आपके पास 4000 करोड़ रु० से अधिक की विदेशी-मुद्रा आरक्षित है। इसमें से 1000 करोड़ रु० की राशि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए निर्धारित की जा सकती है।

(ङ) चीनी सहित खाद्य वस्तुओं का तथा अन्य दुलर्भ वस्तुओं का निर्यात तुरन्त बन्द किया जाए

(च) चीनी के कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत भाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सुरक्षित रखा जाए और केन्द्र सरकार के बजट में चीनी के निर्यात के लिए रखी गई सारी धन राशि का जनता को 2.50 रु० प्रति कि० ग्रा० के हिसाब से चीनी सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाए।

(छ) कोयला, कपड़ा, पेट्रोलियम उत्पादों, माचिस, आदि की फरवरी, 1979 में केन्द्रीय बजट के पेश किये जाने से पहले जो कीमतें थी उन्हें बहाल किया जाए और इन वस्तुओं पर केन्द्र द्वारा लगाया गया उत्पाद शुल्क वापस लिया जाए।

(ज) तेलों और खाद्य तेलों का सारा आयात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाए।

(झ) एकाधिकारी उद्योग गृहों को दिए जाने वाले ऋणों में भारी कटौती।

(ञ) सरकारी वितरण प्रणाली और अनाज के बदले काम कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी भण्डार से बड़े पैमाने पर अनाज की सप्लाई। यह एक न्यूनतम कार्यक्रम है जिसका मैं सुझाव दे रहा हूं। आशा है वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे। पर जब तक आप पूंजीवादी विकास मार्ग पर चलते रहेंगे तब तक देश आर्थिक संकट से उभर नहीं सकता। लार्ड केन्ज आपके गुरु रहे हैं। आज जब अमरीका में ही अर्थशास्त्री केन्ज के अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के गुण-दोषों पर वाद-विवाद कर रहें हैं, तब भी आप उनके सिद्धान्तों पर अड़े हुए हैं। आज से 34 वर्ष पहले जून 1946 में लार्ड केन्ज ने लन्दन की एक आर्थिक पत्रिका में लिखा था :

"इस परिवर्तनशील युग में किसी भी बात को निश्चितता से नहीं कहा जा सकता। आज जब भौतिक उत्पादन के लिए हमारी सबसे अधिक मांग है और जब व्यष्टि-परक निर्णय तथा विकल्प का दायरा सीमित होता जा रहा है तब भी हम इनकी जो पूर्ति कर पा रहे हैं वह इस बात का द्योतक है कि अर्थव्यवस्था के हमारे प्रत्येक विभाग में विरोधाभास विद्यमान है। इस प्रकार के युग में कोई भी योजना निश्चित रूप से प्रभावी नहीं हो सकती। पर जब ये योजनाएं असफल सिद्ध हो जाएंगी तो हम तथा हर कोई किसी अन्य सिद्धान्त का प्रयोग करेगा।"

अतः आप किन्हीं अन्य सिद्धान्तों का प्रयोग करते रहें और उसमें असफल होते रहे। जब तक आप पूंजीवादी रास्ते पर चलते रहेंगे-चाहे आप 10010 लाख बार इसका प्रयोग करें आप उतनी ही बार असफल रहेंगे। लोगों की गरीबी का समाधान पूंजीवाद नहीं हो सकता।

धन्यवाद।—

श्री लक्ष्मण वर्मा (बस्तर) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री द्वारा जो अन्तिरिम बजट पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह बजट आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों पर खर्च किये गये धन में कर से छूट की सुविधा देता है इससे हमें उम्मीद है कि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों का विकास होगा और जिन क्षेत्रों में हरिजन और आदिवासी लोग अधिक रहत हैं उन पर अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है। शहरों में जितना खर्च किया जाता है उसके अनुसार पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्य के लिये पहले बजट कम बनता था। लेकिन अब नीति में परिवर्तन आया है, जो स्वागत योग्य है। मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है इस साल, इसलिये आवश्यकता है कि आज की परिस्थिति में जो कीमतें बढ़ रही हैं उन पर रोक लगायी जाय। इससे ही सूखे का मुकाबला हो सकता है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

मध्य प्रदेश के आदि वासी क्षेत्रों को जनता शासन ने सूखा क्षेत्र घोषित किया, लेकिन राहत कार्य सब जगह न खोल कर कम एरिया में ही खोले हैं। उनका कहना था कि सूखा स्थिति संहिता के अनुसार अधिक क्षेत्र सूखा ग्रस्त नहीं घोषित किया जा सकता हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां के लोगों को राहत नहीं मिल रही है। केन्द्र सरकार को चाहिये कि छतीसगढ़ क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिये राहत कार्य खोले जायें जिससे जो लोग अपने घरों को छोड़ कर चले गये हैं वह अपने घरों को वापस आ सकें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें।

आज जो सरकार ने कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये कदम उठाये हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि पहले लोगों को दबाने के लिये जो बेलाडीला में गोली चली थी और लोग मारे गये थे, वैसी स्थिति पुनः पैदा न हो। जनता शासन ने बेलाडीला गोलीकांड को एक आयोग बैठा कर दबा दिया था। ऐसी स्थिति को कम करना चाहिये। पिछड़े क्षेत्रों में सरकार ने जो विकास कार्य किये हैं, उस संबंध में मध्यप्रदेश में बड़े उद्योग की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश में आदिवासी क्षेत्र बस्तर है, वहां पर लोहे का कारखाना खुलने की जरूरत है क्योंकि वहां पर लोहा खदान बहुत है। वहां से लोहा जापान को जाता है। वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले। जब तक वहां पर एक स्टील का कारखाना स्थापित न हो तब तक वहां के लोगों के लिये रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। हम शासन से उमीद करते हैं कि वहां पर जल्दी ही लोहे अयस्क का कारखाना खोला जायेगा।

पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों और विद्युत की व्यवस्था और सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक है। बस्तर में बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उन पर बांध बांधकर सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिये तभी उस एरिये के विकास से वहां की फसल अच्छी हो सकती है। उन क्षेत्रों के विकास की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये, इससे वहां का विकास अधिक हो सकता है। वहां के आदिवासी क्षेत्रों के लोगों की स्थिति अच्छी बन सकती है और आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है।

मैं शासन से निवेदन करता हूं कि बस्तर की नदियों पर सर्वे कर के बांध बनाने की व्यवस्था की जाये। बस्तर में आवागमन के साधन बहुत कमजोर हैं वहां की रेलवे लाइन दक्षिण से जुड़ी हुई है। हैदराबाद से बेलाडीला के लिये केवल एक रेल लाइन है और वह भी गुड्स ट्रेन

चलती है। वहां पर एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जानी चाहिये। पेसेन्जर गाड़ी बहुत धीमी गति से चलती है, उस पर एक्सप्रेस गाड़ी चलनी चाहिये जिससे लोगों को अधिक सुविधा मिल सके। वेलाडील से मिलाई जोड़ने के लिये जो सर्वे हुआ है, उस पर सरकार ध्यान देवें ताकि उस लाइन को वेलाडील से से रायपुर तक जोड़ा जाये वेलाडीला से मिलाई 250 किलोमीटर के लगभग जो लाइन जोड़ी जानी है, उससे अवागमन के साधन में सुधार हो सकते हैं। और बस्तर रायपुर से होकर राजधानी तक सब सीधा रेलवे से जुड़ सकता है।

बस्तर में वन-सम्पदा और खनिज सम्पदा बहुत अधिक हैं। वहां पर कागज का कारखाना खोला जाना चाहिये इससे वहां के लोगों को काम भी मिल सकेगा। बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है, जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आवागमन की असुविधा के कारण विकास धीमी गति से हो रहा हैं। वेलाडीला में लोहे अयस्क है खदान के कारण वहाँ का पानी लाल हो गया है, उसको रैड रिवर कहा जाता हैं। जब तक वहां पर बांध की व्यवस्था न हो तब तक पानी साफ नहीं हो सकता है। वर्तमान सरकार से निवेदन है कि वहां उर बांध बनाकर उस पानी को साफ कर के उसे पीने लायक सिचाई लायक बना दे। यही कहकर मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : मंत्री महोदय द्वारा पेश किए गए विधेयक का में पूरे दिल से समर्थन करता हूं। आज जब देश सूखे की स्थिति, कृत्रिम अभाव और मूल्य वृद्धि के दौर से गुजर रहा है तब इस सभा के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस चुनाव में लोगों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपना जनादेश दिया है। यह इसलिए कि श्रीमती गांधी की आर्थिक नीतियां प्रगतिशील हैं और लोग जनता सरकार के पिछले 30 महीने के शासन से परेशान थे और उन्होंने अपना विचार बदला···

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : अब वे फिर अपना विचार बदलेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह आपकी कल्पनामात्र है।

श्री मृत्युंजय नायक : विरोधी पक्ष के सदस्य न केवल आलोचना करते हैं अपितु मर्त्सना भी करते हैं। यह उनकी आदत बन गई है। पर हमारी लोगों के प्रति एक निश्चिय जिम्मेदारी है। आशा है कि इस बजट से लोगों को कुछ विशिष्ट लाभ होंगे।

जनता और लोकदल सरकारों ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की बात को आर्थिक नीति का आधार माना। पर हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उससे पता चलता है कि हमारी सरकार ग्रामीण जनता और कमजोर वर्ग तथा गरीब लोगों के उत्थान के लिए चिन्तित है।

सरकार ने रेलों, संचार साधनों, पिछड़े जिलों को प्राथमिकता दी हैं, इससे श्रीमती गांधी और उनकी सरकार की विचारधारा का पता लगता है। वस्तुतः श्रीमती गांधी अपने पिछले शासन काल में भी गरीबों और ग्रामीण जनता की भरपूर सहायता करना चाहती थी। इसी-लिए उन्होंने डी॰ पी. ए. पी., टी. डी. सी. एस. और समेलित ग्रामीण विकास जैसी कुछ केन्द्र

समर्थित प्रोजेक्ट चलाई थी। ये सभी योजनाएं गाँवों; अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लाभ के लिए बनाई गई थी। हमारी यह एक साल की जिम्मेदारी नहीं है। यह पाँच वर्ष का उत्तरदायित्व है। श्रीमती गांधी की आर्थिक नीतियां कैसी होंगी यह बात बाद में सामने आएगी। निसन्देह जनता सरकार ने लोगों के लिए कुछ किया पर लोगों का उस पर विश्वास नहीं रहा क्योंकि वह उनके जीवन की न्यूनतम जरूरतें पूरी नहीं कर पाई। धन काफी खर्च किया गया पर लोगों को काम नहीं मिला। यद्यपि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत काम देने के लिए सरकार के पास काफी पैसा था पर जनता और लोक दल सरकारों के चमचों ने राज्यों में निष्ठा से काम नहीं किया। सूखे के कारण लोग काफी परेशान हैं। वर्तमान बजट से गरीबों को न केवल राहत मिलेगी बल्कि उनके सपने भी पूरे होंगे। हमारे जो कार्यक्रम हैं उनमें सभी को आस्था होनी चाहिए। पर लोकदल के लोग इन्हें असफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम फिर भी भविष्य के प्रति आस्वस्त हैं। श्रीमती गांधी ने पिछले दशक में यह सिद्ध किया था और हम भविष्य में भी यह सिद्ध कर देंगे।

इन शब्दों के साथ और इस आशा के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं कि राष्ट्र श्रीमती इन्दिरा गांधी की तरफ इस आकांशा से नजर अटकाए है कि वह देश को प्रगति के पथ पर ले जायेंगी।

सभापति महोदय : श्री लक्ष्मण मलिक जी, आप केवल तीन मिनट बोलेंगे। उसके बाद मुझे एक घोषणा करनी है। हमें 7 बजे कार्य समाप्त करना है।

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : महोदय, देश का बजट राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों का प्रतिबिम्ब होता है। मैंने बजट का सरसरी तौर पर अध्ययन किया है। कई कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने हैं और कई तैयार किए जाने हैं। देश के सामने अनेक समस्याएं हैं। बजट में जो विशिष्ट योजनाएं और परियोजनाएं दी गई हैं मैं उनका समर्थन करता हूं, पर इस विषय में मैं दो-एक बातें कहना चाहूंगा।

सर्वप्रथम मैं वित्त मन्त्री और मंत्रालय के उन अधिकारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इतने थोड़े समय में यह बजट तैयार किया है। कुछ मामलों में राष्ट्र को नई दिशा देने के लिए जो व्यवस्था बजट में की गई है मैं उसकी भी सराहना करता हूं। पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बजट में कुछ अन्य मामलों में जनता, लोकदल और पिछली कांग्रेस (ई) सरकारी की नीतियों को ही जारी रखा गया है।

सारा विश्व जानता है कि पिछले दो वर्षों की नीतियों और कार्यक्रम कितने दोषपूर्ण थे और प्रशासन में कितनी अराजकता आ गई थी। उन्होंने प्रशासन में अकुशलता, कदाचार, भ्रष्टाचार आदि को जन्म दिया। उन्होंने गरीबों का शोषण करने वाले तत्वों को प्रोत्साहित किया। यद्यपि बजट में हमारे चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों के अनुकूल कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं, पर यह पिछली कमियों को दूर करने में समर्थ नहीं हैं। आशा है कि वित्त मंत्री शीघ्र ही इन त्रुटियों को दूर करेंगे और पिछली सरकार ने देश के वित्तीय प्रशासन में जो गड़-बड़ पैदा करदी थी उसे भी ठीक करेंगे।

महोदय, इसमें सन्देह नहीं है कि बजट विकासोन्मुखी है पर मुझे शक है कि यह देश में सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर भी पाएगा।

महोदय, आर्थिक विकास के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ है उन्होंने यह महसुस किया है कि प्रति व्यक्ति आय या सकल राष्ट्रीय उत्पादकता सिद्धान्त.....

सभापति महोदय : क्षमा कीजिए, आपको कितना समय चाहिए ?

श्री लक्ष्मण मलिक : केवल पाँच मिनट।

सभापति महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रखें। अब श्री पहाड़िया जी पत्र सभा-पटल पर रखेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम और सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या 12180–सी० ई० से 20/80–सी० ई० (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति, जो दिनांक 12 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो अब तक विद्यमान दरों पर उत्पादन शुल्क देय वस्तुओं पर विशेष उत्पादन शुल्क लगाने की योजना जारी रखने के लिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 394/80)

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 23-80/कस्टम्स से 35-80/कस्टम्स (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 12 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं और जो अब तक विद्यमान दरों पर आयातित वस्तुओं पर सहायक सीमा शुल्क लगाने की योजना जारी रखने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 395/80)

सभा की बैठक के बारे में घोषणा

सभापति महोदय : मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि वित्तीय कार्य के लिए अधिक समय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सभा की बैठक 13 और 14 मार्च, 1980 को

मध्याह्न भोजनकाल में भी चलती रहेगी। सभा 13 मार्च, 1980 को भी 7 बजे तक बैठेगी। 13 मार्च, 1980 को सायं 6 बजे हरिजनों पर अत्याचारों के विषय में अल्पकालिक चर्चा होगी।

सभा कल मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

7 बजे म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 13 मार्च, 1980/23 फाल्गुन 1901 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सनलाइट प्रिंटर्स, फव्वारा दिल्ली-110006